वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण 2021-2022

कोल इण्डिया
Coal India

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड
डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)
मिनी रत्न कंपनी (कैट-I)

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना

47वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 2021-22

वर्ष 2021-2022 के दौरान प्रबंधन

कार्यकारी निदेशक

श्री मनोज कुमार	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (04.10.2021 के (अपराह्न से))
श्री बिनय दयाल	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (19.07.2021 से 04.10.2021 पूर्वाह्न तक)
श्री मनोज कुमार, अ.प्र.नि., डब्लूसीएल	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (01.05.2021 से 19.07.2021 तक)
श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (01.01.2016 से 30.04.2021 तक)
श्री रवीन्द्र नाथ झा	:	निदेशक (तकनीकी) (30.01.2019 से)
श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता	:	निदेशक (तकनीकी) (25.02.2020 से)
श्री अनिल कुमार राणा	:	निदेशक (तकनीकी) (01.08.2019 से 28.02.2022 तक)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री बी. वीरा रेड्डी	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, (24.02.2022 से)
श्री मुकेश चौधरी	:	निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (26.05.2020 से)
श्री बिनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, (09.11.2017 से 18.07.2021 तक तथा 04.10.2021 से 31.01.2022 तक

अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक

डा. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	:	स्वतंत्र निदेशक (10.07.2019 से)
श्रीमती अलका पाण्डा	:	स्वतन्त्र निदेशक (10.07.2019 से)
श्री प्रमोद सिंह चौहा्न	:	स्वतंत्र निदेशक (16.10.2019 से)

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री अजितेश कुमार	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (13.01.2020 से)

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा	:	प्रबंधक (वित्त) / कंपनी सचिव (18.02.2016 से)

21.07.2022 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक

श्री मनोज कुमार	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्री रवीन्द्र नाथ झा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री बी. वीरा रेड्डी	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
श्री मुकेश चौधरी	:	निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक

श्री प्रमोद सिंह चौहान	:	स्वतंत्र निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री अजितेश कुमार	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा	:	प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव

बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय

निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031,
झारखण्ड, भारत
CIN : U14292 JH1975 GOI 001223
वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
इंडियन ऑवरसीज बैंक

अंकेक्षक

सांविधिक अंकेक्षक
मेसर्स लोधा पटेल, बाधवा एंड कंपनी, राँची
सचिवीय अंकेक्षक
मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स, राँची
कॉर्पोरेट प्रशासन लेखा परीक्षक
मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स, राँची
कॉस्ट अंकेक्षक
मेसर्स एम एम एंड एसोसिएट, दिल्ली
डिपोजिटरी
मेसर्स नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड
रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्सफर एजेंट
मेसर्स एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड
आईएसआईएन
INE05HV01019

47वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए विडियो कान्फ्रेंसिग/ओएवीएम के जरिए कंपनी की **47वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार दिनांक 21 जुलाई, 2022 के 4:00 बजे कंपनी के निबंधित कार्यालय, राँची** में आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ–हानि के अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ–साथ भारत के सांविधिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अंगीकार करना।

2. मार्च, 2022 में कंपनी के 14,28,000 इक्विटी शेयर पर प्रतिशेयर 424.30 (डिविडेंट प्रति शेयर) की दर से 60.59 करोड़ रू. के अंतरिम लाभांश (डिविडेंट) का भुगतान की संपुष्टि करने के लिए और 24.05 करोड़ रू. बोर्ड द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी देना यानि 168.42 रूपये प्रति शेयर (लाभांश प्रति शेयर) जुलाई, 2022 में 14,28,000 इक्विटी शेयरों पर इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021–22 में लाभांश (डिविडेंट) के रूप में कुल 84.64 करोड़ रू. हुआ।

3. श्री एस.के. गोमास्ता (डीआईएनः 08714820), पूर्णकालिक निदेशक, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

4. श्री मुकेश चौधरी, अंशकालिक सरकारी निदेशक (डीआईएनः 07532479) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के नाते, खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

टिप्पणियाँ:

1. कोविड–19 महामारी के जारीरहने के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांक 05 मई, 2022 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 तथा इसके साथ पठित 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और दिनांक 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और मई 5,2022 के सामान्य परिपत्र संख्या क्रमशः 02/2021, 19/2021 और 21/2021 माध्यम से "वीसी या ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण" के विषय में , बिना किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के, वीसी/ओएवीएम (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूपमें संदर्भित) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी। कंपनी अधिनियम, 2013, एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएमवीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एजीएम का स्थान माना जाएगा।

2. चूँकि यह एजीएमवीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की

नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलबध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इसनोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेनेवाले सदस्य की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए कंपनी के अधिकृत ई–मेल आईडी से पहले से लिं प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम–से–कम 15 मिनट पहले से खुली रखी जाएगी और निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं किया जाएगा।

4. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में विचार की गई मदों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए केवल cosecretary-cmpdi@coalindia पर ई–मेल भेज कर बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य–श्रव्य साधन (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं ।

5. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुसार अल्पकालिक सूचना पर बैठक आयोजित करने के लिए अपनी सहमत प्रदान करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते– सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

दिनांक : 18.07.2022
स्थान : राँची

वितरण :

सभी शेयर धारकों
कम्पनी के सभी निदेशकगण,
कंपनी के सांविधिक अंकेक्षक
कंपनी के सचिवीय अंकेक्षक
कंपनी के लागत अंकेक्षक
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

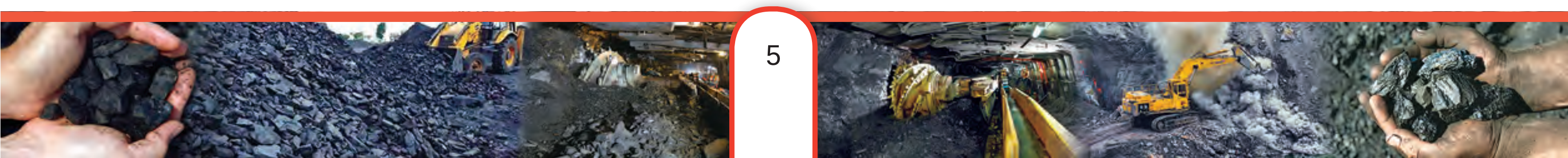

अध्यक्ष का कथन

श्री मनोज कुमार
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआईएल की 47वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1.0 विकास की रूप-रेखा :

संपूर्ण भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआई की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाले संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। इसके बाद सीएमपीडीआई की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को की गई।

आपकी कंपनी द्वारा कोयले के गवेषण, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, सूचना एवं संचार, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, सुदूर संवेदन, क्षेत्र सेवा आंदि में कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को घरेलू परामर्श सेवाएँ देती रही है। कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के ग्राहकों को भी इसी प्रकार की सेवाएँ दी जा रही है। कुछ हद तक धात्विक खनन उद्योग को भी आयोजना प्लानिंग एवं सम्बद्ध सेवाएँ दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई गैर–सीआईएल ब्लॉक, कोयला आधारित गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधन यानि सीबीएम, सीएमएम यूसीजी शेल गैस से संबंधित इसी प्रकार की सेवाएँ कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी दे रहा है।

सीएमपीडीआईएल के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता का स्तर बढ़ाया गया। सीएमपीडीआई के कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त, कम्प्यूटरएवं प्रयोगशाला सुविधा की स्थापना के द्वारा महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा का निर्माण किया गया। इन सब उपायों से सीएमपीडीआई एक ही छत के नीचे खनिज एवं खनन के क्षेत्र में संपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय कंपनी बन गया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए हैं एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा–निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली

नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी जो काफी समय तक चलती रही।इसके अलावा, बदलते व्यावसायिक परिदृश्य और देश और विदेश में खनन क्षेत्र में अवसरों में परिणामी परिवर्तन ने मुख्य रूप से 2000 के बाद विशेषज्ञों के पलायन को बढ़ावा दिया जो अगले 5–6 वर्षों तक जारी रहा। फिर भी, कंपनी अपनी सेवाओं एवं सुविधाओं को उत्कृष्ट स्तर तक बढ़ानेके प्रतिपूर्णतःसमर्पित है ताकि भारत तथा विदेश में व्यापार के वातावरण में बदल रहे परिदृष्य के साथ सामांजस्य बैठाया जा सके। इस कथन की इस तथ्य से पुष्टि की जा सकती है कि यह कंपनी कुछ संभव सीमा तक कम्प्यूटरीकरण के साथ–साथ उच्च उत्पादकता वाले ड्रिल, 2डी/2डी सिसमिक सर्वे प्रौद्योगिकी गवेषण तथा खनन उद्योग से संबंधित साफ्टवेयर के प्रयोग के अलावा पर्यावरणिक सुविधा से संबंधित उपकरण को बढ़ाने, कोयले का गुण निर्धारण एवं आईएसओ मानक शामिल करने में सक्रिय रूप से लगी रही है।

सीएमपीडीआईएल के प्रमुख क्रिया–कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिससे भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है, लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) के आस–पास थी तथा बिक्री लगभग ₹150 से ₹200 करोड़ रूपये (2004–05 में ₹151 करोड़ रूपए तथा 2007–08 में ₹196 करोड़ रूपए) थी। ड्रिलिंग में योगदान सिर्फ विभागीय संसाधन का ही था। 11वीं योजना के प्रारंभ में यह विचार आया कि संसाधनों को तेजी से प्रमाणित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, खासकर गवेषण के क्षेत्र में सीएमपीडीआई की भूमिका में काफी वृद्धि करने की जरूरत होगी। तद्नुसार, विभागीय क्षमता को बढ़ाने के अलावा एमईसीएल सहित अन्य एजेंसियों की ड्रिलिंग क्षमता का उपयोग कर संपूर्ण ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि करने पर बल दिया गया तथा निजी एजेंसियों को ड्रिलिंग कार्य का कुछ भाग आऊटसोर्स कर ड्रिलिंग शुरू किया गया। इसी के साथ–साथ सीएमपीडीआई की कोयला कोर जाँच की क्षमता भी बढ़ायी गयी। कुल मिलाकर स्वदेशी तथा आयातित उपकरण के जरिए अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पर्यावरण, सीबीएम खनन प्रौद्योगिकी आदि की क्षमता को भी बढ़ायी गयी है।

इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय यानि कोयला मंत्रालय भी सीएमपीडीआई की गवेषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया, जहाँ वर्ष 2015–16 तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता 4 लाख मीटर सहित 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी थी। सीएमपीडीआई ने पूर्व के वर्ष में की गई ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2016–17 में 13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर 11.26 लाख मीटर, वर्ष 2017–18 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 13.66 लाख मीटर, वर्ष 2018–19 में 13.60 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा 2019–20 में 12.94 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा 2020–21 में 12.48 लाख मीटर ड्रिलिंग कर लिया।

2021–22 के दौरान 7.50 लाख मीटर के एमओयू लक्ष्य के मुकाबले 7.91 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई। 2021–22 के दौरान ड्रिलिंग लक्ष्य में कमी और संबंधित उपलब्धि मुख्य रूप से गैर–सीआईएल और प्रोमोशनल ब्लॉकों में अन्वेषण के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि में कमी के साथ–साथ कम मीटरेज उपलब्धता के कारण थी। सीआईएल ब्लॉक में हालांकि, एनएमईटी (नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट) फंडिंग के जरिए ड्रिलिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान पहली बार खान मंत्रालय के एनएमईटी से कार्य प्राप्त हुआ है। एनएमईटी द्वारा वित्त पोषण के लिए 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1 गैर–कोयला (बॉक्साइट) परियोजना शामिल है। इसमें से 2 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है।

व्यापारिक गतिशीलता पर पुनरावलोकन की आवश्यकता के कारण रणनीतिक व्यापारिक योजना बनाई गई। संभावित जोखिमों का विश्लेषण करने के बाद सीएमपीडीआई ने उन कार्यों तथा उनके कर्त्ता की रूपरेखा तैयार उद्यम जोखिम प्रबंधन योजना बनाई है, जिन्हें हम किसी संगठन से अपने जोखिम का मूल्यांकन, पहचान, प्राथमिकता देने, प्रशमन करने तथा मानिटरिंग करने की अपेक्षा रखते हैं।

इसके साथ–ही–साथ विविधिकरण के बावजूद निकट भविष्य में संपूर्ण रूप से कोयला क्षेत्र के हितों के लिए कंपनी को अपनी विशिष्टता भी बनाए रखनी होगी।

2.0 वित्तीय उपलब्धिः

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने रु.1208.43 करोड़ का कारोबार किया है, जिसमें कर पूर्व लाभ रु. 366.04 करोड़ रुपये की अन्य व्यापक आय। 26.65 करोड़। 31.03.2022 तक आपकी कंपनी का निवल मूल्य बढ़कर रु. 995.62 करोड़ (38.62 करोड़ रुपये के ओसीआई सहित)। 31.03.2021 तक 784.47 करोड़ (18.68 करोड़ रुपये के ओसीआई सहित)। वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रति शेयर आय घटकर रु. 1975.63 (14,28,000 शेयरों पर गणना) रुपये से। 2219.61 (14,28,000 शेयरों पर गणना) एक साल पहले।

3.0 ड्रिलिंग एवं सिस्मिक सर्वेक्षण उपलब्धिः

वर्ष 2021–22 के दौरान एमओयू लक्ष्य 7.50 लाख मीटर की तुलना में 7.91 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया, जिसमें विभागीय ड्रिलों के जरिए 580 मीटर/ड्रिल/माह की उत्पादकता सहित 4.44 लाख मीटर ड्रिलिंग शामिल है, जो एमओयू लक्ष्य का 106 प्रतिशत है।

2021–22 के दौरान लगभग 865 लाइन किमी 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण किया गया, जबकि पिछले वर्ष की उपलब्धि लगभग 295 लाइन किमी 193 प्रतिशत की वृद्धि के साथ थी। लाइन किमी में उपलब्धि 3डी सिस्मिक सर्वेक्षण के प्रत्येक वर्ग किमी के लिए 8.5 लाइन किमी की तुल्यता पर विचार कर रही है।

25 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 317 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए विस्तृत गवेषण के माध्यम से, लगभग 8.8 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला संसाधनों को 'प्रमाणित श्रेणी' में जोड़ा गया।

4.0 परियोजना रिपोर्टः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 69 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त क्षमता वृद्धि वाली कुल 30 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इन 30 परियोजना रिपोर्टों में से 23 परियोजना रिपोर्ट खुली खदानों के हैं, 6 परियोजना रिपोर्ट भूमिगत (यूजी) खान के तथा 1 परियोजना रिपोर्ट मिली–जुली खान के हैं। 30 पीआर में से गैर–सीआईएल खानों के लिए 5 पीआर की योजना बनाई गई है, जिसमें धातु खदान के लिए 1 पीआर शामिल है। 23 ओसी पीआर में 4 मेगा ओपनकास्ट परियोजनाएं (क्षमता 10 एमटी या अधिक) शामिल हैं। बलभद्र ओसी (10 एमटीवाई), हिंगुला एक्सपेंशन ओसी (15 एमटीवाई), बनई ओसी (10 एमटीवाई), और भालुमुडा ओसी (12 एमटीवाई)। कोयला खदान के लिए 5 यूजी पीआर में से 4 पीआर को सीएम तकनीक के साथ नियोजित किया गया है। 1 मिक्स पीआर में यूजी ऑपरेशन के लिए सीएम तकनीक को अपनाया गया है।

5.0 प्रयोगशालाओं का उन्नयनः

सीएमपीडीआईएल में सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता को उन्नत किया गया है। कोयला कैरेक्टराईजेशन प्रयोगशाला की भू–रासायनिक प्रयोगशाला नमूना तैयार करने वाली इकाई में स्वचालन की शुरुआत करके और तेजी से विश्लेषण करने वालों को जोड़कर कोयला कोर विश्लेषण की क्षमता में वृद्धि पर अपनी योजना लागू कर रही है जो बड़ी संख्या में विश्लेषण को पूरा करेगी। पूर्ण संचालन के बाद लैब सालाना लगभग 24000 मीटर कोल कोर को प्रोसेस करेगी। इस योजना के तहत लगाए जाने वाले उपकरण खरीद के विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में लैब मैनुअल/अर्ध–स्वचालित नमूना तैयार करने वाली इकाइयों, समीपस्थ विश्लेषक, अंतिम विश्लेषक, बम कैलोरीमीटर, ऐश फ्यूजन तापमान रेंज विश्लेषक, एचजीआई उपकरण से सुसज्जित है। इसने हाल ही में राख विश्लेषण और ट्रेस तत्वों के अध्ययन के लिए एक एक्स–रे फ्लोरेसेंस (एक्सआरएफ) प्रणाली और तरल और ठोस नमूनों में एचजी सामग्री का निर्धारण करने के लिए एक डायरेक्ट मर्करी एनालाइज़र जोड़ा है। कोयले के कोकिंग गुणों का निर्धारण करने के लिए स्वेलिंग सूचकांक, एलटीजीके, प्लास्टोमीटर जैसे उपकरण भी उपलब्ध हैं। पेट्रोग्राफी लैब में पेट्रोग्राफिक अध्ययन करने के लिए उन्नत पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप हैं, जिसमें कोयले के नमूनों की मैक्रोल सामग्री (कोयला प्रकार) और परावर्तन प्रतिशत (रैंक/परिपक्वता) निर्धारित की जाती है। कोक बनाने में मिश्रण के रूप में दिए गए कोयले की

उपयुक्तता का पता लगाने के लिए पेट्रोग्राफिक अध्ययन अनिवार्य है। एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी स्थापित किया गया है और जिसका उपयोग सीबीएम मूल्यांकन के लिए सूक्ष्म क्षेत्र विश्लेषण के लिए किया जाता है।

सीएमपीडीआईएल, आरआई–VII, भुवनेश्वर में एक रासायनिक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। सीएमपीडीआईएल की कोल कैरेक्टराइजेशन लैब ने सीएसआईआर–सीआईएमएफआर और इसकी सहयोगी प्रयोगशालाओं के साथ कोल कोर के विश्लेषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

12 भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में ''जाँच'' के क्षेत्र में सुविधा के लिए भू–रासायनिक प्रयोगशाला को मानक आईएसओ/आईईसी 17025 : 2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाण–पत्र से नवाजा गया है। पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को कोयला एवं कार्बनिक पेट्रोग्राफी की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (आईसीसीपी) द्वारा मान्यता दी जा चुकी है।

कोयला एवं खनिज तैयारी (सीएमपी) प्रयोगशाला के पुनः प्रत्यायन का कार्य प्रगति पर है। इस तरह के मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा प्रत्यायन को परीक्षा परिणामों की पारस्परिक स्वीकृति की सुविधा के लिए पहला आवश्यक कदम माना जाता है। एनएबीएल, गैर–विनाशकारी परीक्षण के क्षेत्र में इसकी सुविधाओं/क्षेत्र के लिए आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के आधार पर सीएमपीडीआई, मुख्यालय की एनडीटी प्रयोगशाला को निरंतर मान्यता प्रदान करता है। सीएमपीडीआईएल के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में उचित उपकरण और संसाधनों के साथ एनडीटी सेल की स्थापना की गई है।

मौजूदा पर्यावरण प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक उपकरणों से मजबूत किया गया है। सीएमपीडीआई (मुख्यालय), आरआई–I, आरआई–II, आरआई–IV, आरआई–V और आरआई–VII की पर्यावरण प्रयोगशालाएं एनएबीएलद्वारा मान्यता प्राप्त हैं। एनएबीएल द्वारा प्रत्यायन की आईएसओ/आईईसी 17025:2017 योजना के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में पहली बार आरआई–II की पर्यावरण प्रयोगशाला को मान्यता दी गई थी।

इसके अलावा, आरआई–VI में सीएमपीडीआईएल की पर्यावरण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) की पर्यावरण प्रयोगशाला की सीपीसीबी मान्यता प्रत्यायन प्रक्रिया के उन्नत चरण में है।

सीबीएम/शेल गैस से संबंधित अध्ययन, रिजर्वायर गुण निर्धारण तथा सीबीएम एवं शेल गैस संसाधन के मूल्यांकन करने से संबंधित सभी पारामेट्रिक डाटा के निर्माण को सुलभ बनाने के लिए सीएमपीडीआई में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला कार्य कर रही है। सीएमपीडीआई की क्षमता एवं दक्षता को और बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई तथा सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया द्वारा एसएंडटी वित्त पोषित परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

6.0 श्रमशक्ति की भर्ती:

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ–साथ संबद्ध अभियंत्रण सेवाओं में श्रमशक्ति की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान सीएमपीडीआई में स्थानान्तरण औरभर्ती के द्वारा 21 अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार भर्ती/अनुकम्पा के आधार पर नौकरी/अन्य अनुषंगी कंपनियों से स्थानांतरण के द्वारा 59 गैर–अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों को पदस्थापित किया गया है, तथा और अधिक श्रमशक्ति जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।

7.0 जियोमेटिक्स सेवाए:

प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला़ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में वर्ष 2008 से वार्षिक आधार पर भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह– निगरानी की जा रही है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 5 मिलिटन घन मीटर (कोयला़ओबी) से कम उत्पादन करने वाली खुली खानों की भी भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है।

तद्नुसार वर्ष 2021–22 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों की 96 खुली खान परियोजना तथा 9 कलस्टरों के सैटेलाइट डाटा पर आधारित भूमि पुनद्धार मानिटरिंग की गई। वर्ष 2021–22 के दौरान

छह कोयला क्षेत्रों अर्थात बांदर कोलफील्ड्स (डब्ल्यूसीएल), सिंगरौली कोलफील्ड्स (एनसीएल), कोरबा कोलफील्ड (एसईसीएल), करनपुरा कोलफील्ड (सीसीएल), ईस्ट बोकारो कोलफील्ड (सीसीएल) और वेस्ट बोकारो कोलफील्ड (सीसीएल) की वनस्पति कवर मैपिंग भी इस दौरान की गई। 33 ओपनकास्ट परियोजनाओं के कोर और बफर जोन का भूमि उपयोग/कवर मैपिंग उपग्रह डेटा के आधार पर किया गया था। एसईसीएल की 6 यूजी परियोजनाओं के लीजहोल्ड क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग/कवर मैपिंग भी वर्ष के दौरान एमओईएफएंडसीसी की आवश्यकता के अनुपालन के लिए पूरा किया गया था।

नई प्रौद्योगिकी अपनाने में, सीएमपीडीआईएल ने अनुप्रयोगों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए ड्रोन लागू किए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) प्रमाणित संस्थान में डीजीसीए दिशानिर्देशों के अनुसार पायलटों के प्रशिक्षण के लिए कार्रवाई की गई। वर्तमान में, सीएमपीडीआई में 8 प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो ड्रोन उड़ाने के लिए अधिकृत हैं। करीब 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के बीसीसीएल के ब्लॉक–ई और ब्लॉक–डी की मैपिंग का काम पूरा हो चुका है. झरिया कोलफील्ड्स में अस्थिर स्थलों का सर्वेक्षण प्रगति पर है। ओडिशा में 4 कोयला ब्लॉकों के लिए मिट्टी की नमी के अध्ययन के लिए अवक्रमित वन भूमि की मैपिंग के लिए भी ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। एनसीएल ने अपनी 11 खदानों में रिक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य भी सौंपा है।

कोयला उद्योग में ड्रोन के अनुप्रयोग में तेजी लाने के लिए, सीएमपीडीआई ने कोयला उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोगों में इसकी प्रभावकारिता स्थापित करने के लिए ड्रोन सेवा प्रदाताओं को काम पर रखने के लिए कार्रवाई की है। एनसीएल की खुली निविदा के लिए पहला काम पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट जमा कर दी गई है। एसईसीएल को दिया गया कार्य पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। ड्रोन की तुलना में 3डी टीएलएस की प्रभावकारिता स्थापित करने के लिए सत्यापन अध्ययन 50 गड्ढों/डंपों में किया गया।

वर्ष के दौरान कोल इंडिया की अनुषंगियों में 224 आउटसोर्स ओसी पैच और 29 विभागीय खानों और एनटीपीसी की 3 खानों में इन–सीटू ओबीआर मापन 3डी टीएलएस का उपयोग करके किया गया था।

8.0 कोल वाशरी की स्थापना में सहायताः

सीएमपीडीआई ग्रीनफील्ड कोयला वाशरियों के लिए वैचारिक रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्य देने (अवार्ड) एवं उसके बाद ड्राईंगों की संवीक्षा तथा वर्तमान वाशरियों के रूपान्तरण/आधुनिकीकारण तकतकनी की सेवा देता है। इन सेवाओं में गहनलेबोरेटरी स्टडी, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तथा वैचारिक रिपोर्ट (सीआर) की तैयारी, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, संविदा दस्तावेज की तैयारी तथा परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान ड्राईंग की संवीक्षा के बाद कार्य देने (अवार्ड आफ वर्क) में सहायता शामिल है।

मुनीडीह वाशरी (2.5 एमटीपीए) के लिए स्वच्छ कोयले के 14% राख स्तर पर कोयले को धोने के लिए एक बोली दस्तावेज तैयार किया गया है और बीसीसीएल को सौंप दिया गया है। बोली दस्तावेज का तकनीकी मूल्यांकन सीएमपीडीआई द्वारा पूरा किया गया और बीसीसीएल को सौंपा गया।

सीआईएल के लिए बिल्ड–ऑपरेट कॉन्सेप्ट पर सैंड/एग्रीगेट सेग्रीगेशन प्लांट (ओबी टू सैंड) की स्थापना के लिए एक मॉडल इंटीग्रेटेड बिड डॉक्यूमेंट (आरएफक्यू और आरएफपी) तैयार किया गया है और इसे सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीसीएल से ओबी टू सैंड/एग्रीगेट सेग्रीगेशन प्लांट के लिए बोली दस्तावेज के अनुकूलन के लिए कार्यादेश प्राप्त हो गया है। रेनोवेट–ऑपरेट–मेंटेन (रोम) अवधारणा पर बीसीसीएल की मौजूदा कोकिंग कोल वाशरीज के नवीनीकरण के लिए एक मॉडल बोली दस्तावेज भी तैयार किया गया है और सीआईएल को प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेज़ सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।

9.0 पर्यावरणिक सेवा :

वर्ष 2021–22 के दौरान आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुंडा, हसदेव, जयंत, भुवनेश्वर तथा रांची स्थित अपने 9 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 299 परियोजनाओं/कलस्टरों/संस्थापनों

की पर्यावरणिक मानिटरिंग (वायु, जल एवं ध्वनि) की गई तथा 25 ड्राफ्ट ईआईए / ईएमपी / परिशिष्ट ईआईए / ईएमपी (पर्यावरण प्रभाव आकलन / पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं) और 25 फार्म–1 फार्म–iv/ फार्म vi/ सहित 50 रिपोर्ट तैयार किए गए। सीएमपीडीआई द्वारा एसिड माइन ड्रेनेज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डिजाइनिंग जैसे कुछ विशेष कार्य भी किए गए।

एमओसी के लिए एसडीसी के अंतर्गत सीएमपीडीआई ने 'सीआईएल खदानों के कार्बन पदचिह्न और कार्बन तटस्थता के लिए रोड मैप', 'खान जल उपयोग की स्थिति पर रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2019–20)' और 'कोयला पीएसयू में पर्यावरण स्थिरता – वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता' पर रिपोर्ट तैयार कर सौंप दिया है।

इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल सीआईएल और पूरे भारत में फैले हुए अन्य संगठनों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ओपनकास्ट / भूमिगत खनन, थर्मल, सीबीएम और कोयला वाशरी क्षेत्रों सहित खनिजों के खनन के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) के परामर्श संगठन के रूप में अपनी मान्यता जारी रखे हुए है।

10.0 कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत:

सीएमपीडीआईएल ने कोयला आधारित गैर–पारंपरिक ऊर्जा के व्यावसायिक विकास को सरल बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा और यह राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का अनुसरण कर रहा सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की ओर से, सीएमपीडीआईएल सीआईएल के लीजहोल्ड क्षेत्रों में कोलबेड मीथेन (सीबीएम) के विकास पर काम कर रही है।

भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों को उन कोयला धारक क्षेत्रों से कोल बेड मिथेन (सीबीएम) का पता लगाने एवं दोहन करने की अनुमति दी है, जिनके लिए उन्हें कोयला हेतु खनन पट्टा मिला है। तद्नुसार कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के लिए सीबीएम नीति, 8 मई, 2018 की अधिसूचना के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए सीबीएम नीति 1997 में आंशिक संशोधन किया है। इसलिए कोल इंडिया के लिए स्वीकृत पट्टे को कुछ दायित्वों / औपचारिकता के अनुपालन करने पर उसे ही पेट्रोलियम माइनिंग लीज (पीएमएल) का अधिकार माना जाएगा। इसलिए इस अधिसूचना के अनुसार विभिन्न अधिनियमों के तहत कोयले की निकासी के लिए सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के पास वेस्टेड खनन पट्टे के अधिकार को ही सीबीएम के गवेषण तथा दोहन के लिए पीएनजी नियमावली के तहत स्वीकृत खनन पट्टा माना जाएगा।

तद्नुसार, सीएमपीडीआईएल द्वारा कोल बेड मिथेन के व्यावसायिक दोहन के लिए पट्टेधारी (अनुषंगी कंपनियों) तथा सीआईएल के परामर्श से सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के खनन पट्टे भीतर संभावित सीबीएम ब्लॉकों की रूपरेखा निर्धारण के लिए सीएमपीडीआई द्वारा कदम उठाए जा चुके हैं। गैसीय सीम आम तौर पर दामोदर वैली कोलफील्ड्स तथा सोहागपुर कोलफील्ड्स में मिलते हैं। प्रारंभ में सीबीएम के व्यावसायिक विकास के उद्देश्य से सीआईएल के पट्टे वाले क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल द्वारातीन सीबीएम ब्लॉक, की रूपरेखा तैयार की गई है जिनके नाम हैं झरिया सीबीएम ब्लॉक–I (बीसीसीएल क्षेत्र), (II) रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल क्षेत्र) तथा सोहागपुर ब्लॉक (एसईसीएल क्षेत्र)।

संबंधित अनुषंगी कंपनियों के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार सीबीएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है। सीबीएम डेवलॉपर (सीबीएमडी) के जरिए सीबीएम के व्यावसायिक निष्कर्षण के लिए संबंधित अनुषंगी कंपनियों के बोर्ड द्वारा झरिया सीबीएम–I ब्लॉक (बीसीसीएल एरिया), रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल क्षेत्र) तथा सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक) की परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट के सैद्धान्तिक अनुमोदन के बाद प्रारंभ में रानीगंज सीबीएम ब्लॉक तथा झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए मई 2020 में निविदा जारी की गई लेकिन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। पुनर्निविदा के पहले निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईओ) तथा मॉडेल रेवन्यू शेयरिंग कान्ट्रेंक्ट (एमआरएससी) पर बोलीदाताओं के सुझाव शामिल करने के बाद संशोधित बोली दस्तावेज तैयार किया गया जिसे बाद में सीआईएल के कार्यकारी निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक एवं झरिया

सीबीएम ब्लॉक–I, के लिए अक्टूबर, 2020 में एक बार पुनः निविदा जारी की गई। झरिया सीबीएम ब्लॉक–I के लिए एक बोली प्राप्त हुई थी, जो तकनीकी–व्यावसायिक रूप से कार्य प्रदान करने के लिए योग्य थी। सफल बोलीदाता यानी मेसर्स प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 8 जून, 2021 को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया है और 20 सितंबर, 2021 को राजस्व साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

हालांकि रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए कोई बोली नहीं मिली। सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक के लिए बाद में दिसंबर 2020 में सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए निविदा जारी की गई थी, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्रों में सीबीएम विकास के लिए विचार/सुझाव जानने के लिए 10 मार्च, 2021 को सीएमपीडीआई और 26 मार्च, 2021 को एमओसी में स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया गया था। जून, 2021 में संशोधित वैश्विक बोली दस्तावेज (एनआईओ और एमआरएससी) रानीगंज सीबीएम ब्लॉक और सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक–I के लिए फिर से प्रकाशित किया गया था। हालांकि, दोनों ब्लॉकों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

सीआईएल के लीजहोल्ड क्षेत्रों अंतर्गत बीसीसीएल और सीसीएल कमांड क्षेत्रों में भी अतिरिक्त सीबीएम ब्लॉकों की पहचान के लिए सीएमपीडीआईएल/सीआईएल द्वारा कदम उठाए गए हैं।

सीआईएल के क्षेत्रों से सीबीएम के उत्पादन का व्यावसायिक अनुपात न्यूनतम हो सकता है, तथापि कोयला खनन से पहले सीबीएम के निष्कासन के कारण भविष्य में गैसीय सीमों के कोयला खनन को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। झरिया कोलफील्ड की मूनिडीह भूमिगत खान (बीसीसीएल) में कोल माइन मिथेन ड्रेनेज पर प्रदर्शन परियोजना का बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। परियोजना के अवधारणा से संस्थापन तक (कन्सेप्ट टू कमिशनिंग) तथा परिचालन मोड पर कार्यान्वित करने के हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदाता के चयन के लिए मार्च, 2020 में बीसीसीएल द्वारा ग्लोबल बीड जारी कर दी गई। हालांकि, निविदा रद्द कर दी गई थी क्योंकि बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य नहीं था।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि 2030 तक कोयला गैसीकरण के लिए 100 मिलियन टन कोयले का उपयोग करना है। उपरोक्त निर्देश के मद्देनजर ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और सीसीएल कोयला से रासायनिक/उर्वरक और संभावित डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए एक कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित करने का इरादा रखते हैं। बिल्ड–ओन–ऑपरेट (बीओओ) आधार पर कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पाद (उत्पादों) संयंत्र। ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और एसईसीएल की गैसीकरण परियोजनाओं के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार की गई है। तीन परियोजनाओं के लिए परिकल्पित अंतिम उत्पाद मेथनॉल, अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट हैं। सीएमपीडीआईएल ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और सीसीएल में सभी चार गैसीकरण परियोजनाओं के विकास से संबंधित कार्य करने के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।

पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, एसईसीएल में "कोल टू अमोनिया' परियोजना और ईसीएल में 'कोल टू मेथनॉल' परियोजना के लिए बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं। डब्ल्यूसीएल में 'कोल टू अमोनियम नाइट्रेट' के लिए एक निविदा तैयार की जा रही है और जल्द ही परियोजना के लिए एक बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए प्रकाशित की जाएगी।

11.0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

कोयला मंत्रालय (एमओसी) तथा सीआईएल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत वित्त पोषित अनुसंधान क्रिया–कलापों को समन्वित करने के लिए सीएमपीडीआई नोडल एजेंसी है। अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वयन के अलावा सीएमपीडीआईएल अपने सुस्थापित प्रयोगशाल की सहायता सेकोयला/लिग्नाइट खनन उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कोयला गवेषण, कोयला आधारित गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कोल बेड मिथेन (सीबीएम), कोल माइन मिथेन (सीएमएम), कोयला गैसीकरण (भूतल एवं भूमिगत) शेल गैस मूल्यांकन, कोयला परिष्करण और उपयोग, उत्पादन में सुधार, खानों में उत्पादकता और सुरक्षा, खान पर्यावरण और

पारिस्थितिकी की सुरक्षा और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का विकास आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी करता है।

वर्षों से अधिकांश अनुसंधान परियोजनाओं से काफी लाभ मिला है, जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक सुधार, अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य स्थिति, बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण का संरक्षण हुआ है। इनमें से कुछ अनुसंधानों का इस उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, जबकि कुछ ऐसे भी है जिनसे खनन आयोजना, डिजाइन तथा तकनीकी सेवाएँ सशक्त हुई है जिनकी जरूरत चालू खानों तथा भावी खनन परियोजनाओं दोनों को है।

वर्ष 2021–22 के दौरान 8 अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है। ये पूर्ण अनुसंधानपरियोजनाएं "ओपनकास्ट खानों के लिए ऑन–लाइन कोयला धूल दमन प्रणाली का विकास" "भारतीय कोकिंग और गैर–कोकिंग कोयले की बेहतर धुलाई दक्षता के लिए लागत प्रभावी प्रक्रिया प्रवाह–पत्रक का डिज़ाइन"; "बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए भूमिगत खानों में हवा की आवश्यकता का मानकीकरण"; "उपग्रह डेटा और जमीनी अवलोकनों का उपयोग करके कोलफील्ड क्षेत्र में क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए एक पद्धति का विकास"; "भूमिगत खदानों के लिए थ्रू द अर्थ (टीटीई) टू–वे वॉयस कम्युनिकेशन सिस्टम का स्वदेशी विकास"; "समेकित जैविक दृष्टिकोण का उपयोग करके देशी पौधों की प्रजातियों के साथ मिट्टी संशोधन और पुनः वनस्पति के माध्यम से एनईसी की कोयला खनन भूमि का सुधार"; "कोल बेड मीथेन (सीबीएम) भारतीय कोलफील्ड्स के लिए अनुमान आरक्षित करना" और "फ्रेटिक सतह के परिसीमन के साथ ड्रैगलाइन डंप के ऊपर शोवेल–डम्पर डंप के सभी स्तरों के डिजाइन के लिए दिशानिर्देशों का विकास", से संबंधित हैं।

सीएमपीडीआईएल द्वारा कोयला एवं लिग्नाइट उद्योग के लिए लाभकारी आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य के लिए भारत एवं विदेश में कोयला उत्पादक कंपनियों में अधिक से अधिक अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों को लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

कोयला मंत्रालय के निदेशानुसार कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में भावी महत्वपूर्ण क्षेत्र की पहचान कर ली गई है। कोयला उद्योग की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने और जटिल कार्यों का पता लगाने के लिए कुछ नए क्षेत्रों जैसे आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उन्नत प्रौद्योगिकी का नवाचार एवं स्वदेशीकरण (आत्म निर्भर भारत) अपशिष्ट से धन सृजन आदि को शामिल किया गया है। कोयला अनुसंधान के लिए नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूची भारत के सभी प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बीच व्यापक रूप से परिचालित की गई है, जिसमें एमओसी और सीआईएल की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में भाग लेने के अनुरोध के साथ पहचान किए गए क्षेत्रों पर आवश्यकता–आधारित परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

सीएमपीडीआई ने अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने के लिए कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगकी अनुसंधान हेतु एक वेबसाइट https://scienceandtech.cmpdi.co.in का डिजाइन एवं विकास किया है, जो पूरी की गई तथा चालू अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में जानकारी तथा विभिन्न रूपों वाली कोयला अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश उपलब्ध कराएगा ताकि, कोई भी व्यक्ति अपेक्षित ढंग से अपना प्रस्ताव सुपुर्द कर सके। पारदर्शिता रखने और परियोजनओं के दुहराव की प्रकृति को रोकने के लिए इसके पास पूरी की गई परियोजनओं तथा चालू अनुसंधान परियोजनओं की सूची तथा निष्कर्ष भी उपलब्ध है।

वर्तमान में, आईआईटी– बॉम्बे; आईआईटी–आईएसएम, धनबाद; आईआईटी, खड़गपुर; आईआईटी, रुड़की; एनआरएससी, हैदराबाद; जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर), बैंगलोर; एनएमएल, जमशेदपुर; सीआईएमएफआर, धनबाद; आरएफआरआई, जोरहाट; एनआईटी, नागपुर; एससीसीएल; सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया; सिमटारस ऑस्ट्रेलिया; न्यू कैसल विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया; एलटीयू, स्वीडन, आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से 40 अनुसंधान परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं।

सीएमपीडीआई ने "कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में कुछ पूर्ण अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की झलक" प्रकाशित की है और वास्तविक क्षेत्र की स्थिति में निष्कर्षों की प्रतिकृति के लिए सीआईएल, एससीसीएल, एनएलसीआईएल, आदि सभी सहायक कंपनियों को परिचालित किया है।

12.0 निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेब्लिटी :

सीएमपीडीआईएल लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सीएसआर हस्तक्षेप के सुविचारित बास्केट के जरिए अपने ड्रिलिंग कैम्पों क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के साथ–साथ आस–पास के व्यापक समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाया है। सीएसआर कार्यों के तहत सीएमपीडीआई द्वारा ड्रिलिंग कैम्प के आस–पास के समुदायों के सतत् विकास के लिए कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2021–22 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं–झारखंड के 80 वंचित/बेरोजगार/अल्परोजगार युवाओं को मशीन ऑपरेटर (6 महीने का कोर्स) के रूप में कौशल विकास का प्रशिक्षण देना; ढुकू महिलाओं का लैंगिक सशक्तिकरण– सामाजिक कानूनी मान्यता और लिव–इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं को मुख्यधारा में लाना, खूंटी; विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उनके लिए सहायक उपकरणों की पहचान और वितरण, रांची, झारखंड; रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम, रांची में टीबी और अन्य रोगियों के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन और एम्बुलेंस उपलब्ध कराना; स्कूलों/गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास; गरीब और जरूरतमंद स्कूली बच्चों को शैक्षिक सहायता; कुष्ठ रोगियों के उपचार और देखभाल के लिए वित्तीय सहायता; शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग और नेत्रहीन छात्रों को प्रायोजन; कोविड–19 की रोकथाम के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइज़र के साथ ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ–साथ कोविड–19 से संबंधित वस्तुओं का वितरण; रांची, नागपुर, बिलासपुर, धनबाद, आसनसोल और भुवनेश्वर में विभिन्न स्थानों पर विशेष चिकित्सा शिविरों का आयोजन; थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ सेंट्रल इंडिया, नागपुर, महाराष्ट्र को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना; लातेहार (झारखंड) के विभिन्न स्थानों पर 14 हैंडपंपों की स्थापना सहित ड्रिलिंग शिविरों के पास अन्य ग्रामीण विकास कार्यों को संचालित करना।

13.0 प्रबंधन प्रणाली मानक में परामर्शी सेवा:

कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन कराने के लिए सीएमपीडीआईएल नोडल एजेंसी है, जो विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 50001, ओएचएसएएस 18001, आईएसओ 37001 आदिके अनुप्रयोग के लिए परामर्श सेवा देता है। हम इन मानकों की स्थापना, प्रलेखन, जागरूकता, प्रशिक्षण, आंतरिक अंकेक्षण सहायता, कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता के साथ–साथ प्रमाणोत्तर सहायता देते हैं।

सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ सीएमपीडीआई को नए संशोधित आईएसओ 9001:2015 मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। सीएमपीडीआईएल का वर्तमान आईएमएस नियमावली में आईएसओ 9001, गुणता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा आईएसओ 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली शामिल है। सीएमपीडीआई, राँची ने आईएसओ 37001:2016 रिश्वतरोधी प्रणाली को भी कार्यान्वित किया है तथा इसके लिए बीआईएस द्वारा प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया है, जो 17.1.2024 तक वैध है।

हमारे मार्गदर्शन एवं सहायता से सीआईएल ने आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 14001:2015 तथा आईएसओ 5001:2011 (गुणता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) के लिए प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है।

31 मार्च 2022 तक, सीआईएल की तीन सहायक कंपनियां यानी ईसीएल, एनसीएल और डब्ल्यूसीएल (83 इकाइयां) एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018) के लिए प्रमाणित हैं। सीसीएल और एमसीएल भी उपरोक्त सभी मानकों के लिए पुनः प्रमाणन की प्रक्रिया में हैं। एनसीएल ने आईएसओ/आईईसी 27001– सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन को लागू करने और सीएमपीडीआई के मार्गदर्शन में प्रमाणन प्राप्त करने का भी निर्णय लिया है।

सीएमपीडीआई ने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018) के कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए मैसर्स एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह ओसी और तलाईपल्ली ओसी खान परियोजनाओं के लिए परामर्श सहायता कार्य भी प्रदान किया है। मेसर्स एनटीपीसी की दोनों कोयला खनन परियोजनाओं को सीएमपीडीआई के परामर्शी मार्गदर्शन में तीनों मानकों के लिए सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया है।

14.0 कोल इंडिया से अलग की कम्पनियों/संगठनों को परामर्श :

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा, सीआईएल के बाहर के 22 संगठनों से 54.75 करोड़ रुपये की 35 कंसल्टेंसी जॉब प्राप्त की गई, जिसमें एफसीपीएल, अरबिंदो रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, एनटीपीसी लिमिटेड, एससीसीएल, सीएसपीजीसीएल, अदानी प्रकृतील संसाधन, एपीएमडीसी, पावरप्लस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, एपीसी ड्रिलिंग लिमिटेड, यूसीएमआईपीएल, नाल्को, सीजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ओएमसी, एनएचएआई, वेदांत लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आदि संगठन शामिल हैं।

वर्तमान में, सेल, एनटीपीसी लिमिटेड, डीजीएम (यूपी), एससीसीएल, टीएचडीसी, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश, आरएसएमएमएल, आदिसरकार जैसे 27 संगठनों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा सीआईएल के बाहर 39 परामर्श कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा सीआईएल के बाहर के 19 संगठनों के लिए सीआईएल के बाहर 35 परामर्श कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए। कुछ प्रमुख ग्राहक प्रकाश इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, महाजेनको, मॉयल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसईएमएल, एससीसीएल, ईएमआईएल, एनटीपीसी लिमिटेड, टाटा स्टील, सेल, एपीएमडीसी, यूसीआईएल, एपीसी ड्रिलिंग लिमिटेड, एफसीपीएल, आदि।

15.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएँ:

खान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएस) का विकास किया गया है, जिसमें सीआईएल द्वारा मानिटर की जा रही परियोजनाओं की प्रमुख विशेषता दर्शाया गया है। इस पोर्टल की प्रमुख विशेषता कोयला परियोजनाओं की प्रगति मानिटर करना है, जिसमें पर्यावरण स्वीकृति (क्लियरेंस) (ईसी), वन स्वीकृति (एफसी), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन (आरएंडआर), वित्तीय पारामीटर, एचईएमएम की खरीद, उत्पादन एवं अन्य बड़े आधारभूत संरचना जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी), सिलो एवं रेलवे साइडिंग शामिल हैं। गैर सीआईएल कोयला ब्लॉकों को मानिटर करने हेतु सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी तथा प्राइवेट ब्लॉक आवंटियों को माइन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल (एमडीएमएस) साफ्टवेयर की सुविधा दी गई है। एमडीएमएस के साथ एकीकृत एक वेब मॉड्यूल का रखरखाव किया जा रहा है जिसका उपयोग सीआईएल स्तर पर 1 बीटी योजना से सम्बद्ध परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी के लिए किया जाता है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन, खान पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, पारिस्थितिकी और जैव विविधता की बहाली और कोयला क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सीआईएल और सहायक कंपनियों में एसडीसी योजनाओं और गतिविधियों के निर्माण के लिए एमडीएमएस पोर्टल के तहत इंटरफेस विकसित किया गया है। कोयला मंत्रालय (एमओसी) के लिए एक डैशबोर्ड, कोयला दर्पण का रखरखाव किया जा रहा है जिसमें भारतीय कोयले और लिग्नाइट की जानकारी है।

वर्ष 2020–21 के दौरान सीआइएल की विभिन्न सहायक कंपनियों जैसे एनसीएल, सीसीएल और सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन भर्ती पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं। सीएमपीडीआईएल ने एमएस प्रोजेक्ट सर्वर स्थापित किया है जिसके माध्यम से सीआईएल और एमओसी द्वारा सीआईएल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। सीएमपीडीआई ने एमओसी के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर पोर्टल विकसित किया है और कोल एक्सचेंज की स्थापना पर रोडमैप रिपोर्ट तैयार की है। सीएमपीडीआईएल को संपूर्ण कोल इंडिया लिमिटेड के लिए नए बुनियादी ढांचे में ई–ऑफिस के उन्नयन का कार्य भी सौंपा गया है।

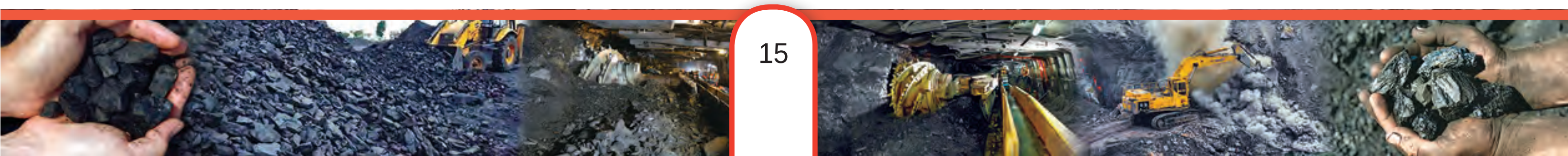

सीएमपीडीआई कंपनी में डेटा एनालिटिक्स शुरू करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए परियोजनाओं की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। डेटा एनालिटिक्स से सीएमपीडीआई में सूचना प्रसंस्करण क्षमताओं को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की उम्मीद है। डायनामिक डैशबोर्ड और प्रेडिक्टिव एनालिसिस जैसी सुविधाओं से कंपनी को प्रौद्योगिकी–सक्षम कार्य क्षेत्र की दिशा में विशाल कदम उठाने में मदद मिलने की संभावना है। इसके बाद, सीएमपीडीआई की कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को डेटा एनालिटिक्स में परामर्श सेवाएं देने की योजना है।

16.0 मान्यता एवं पुरस्कार:

भारत सरकार ने सीएमपीडीआईएल के योगदान और प्रासंगिकता को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 09.10.1993 के उनके दिशा–निर्देशों ओ/एम नंबर 11/36/97–वित्त के अनुसार मिनी रत्न (श्रेणी– I) का दर्जा दिया। डीपीई के निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नीतिगत उद्देश्य के रूप में लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को बढ़ी हुई स्वायत्तता और शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करते हैं। सीएमपीडीआईएल का प्रभावशाली प्रदर्शन 2007–08 (2010–11 और 2018–19 को छोड़कर) से लगातार डीपीई से उत्कृष्ट एमओयू (सीआईएल और सीएमपीडीआईएल के बीच) रेटिंग प्राप्त करने में परिलक्षित हुआ। 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन सीआईएल में मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

17.0 निगमित शासन:

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए निगमित शासन पर सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआईएल द्वारा निगमित शासन की शर्तों को पूरा किया गया है। निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निगमित शासन पर एक अलग खंड (सेक्शन) जोड़ा गया है तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कंपनी से सांविधिक अंकेक्षकों से निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट में एक परिशिष्ट लगाया गया है।

18.0 आभारोक्ति:

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों (जेसीसी) तथा ऑफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों द्वारा अनवरत सहयोग के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं है। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भावी कार्य के प्रति समर्पण दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मैं विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर समर्पित प्रतिबद्धता तथा उपलब्धियों के साथ शेयर होल्डर की चुनौतियों एवं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों एवं विक्रेताओं (वेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

(मनोज कुमार)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : राँची
दिनांक : 21.07.2022

सीएमपीडीआई लिमिटेड, प्रदर्शन: एक अवलोकन

आँकड़े करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2021-22 (अंकेक्षित)	2020-21 (अंकेक्षित)	2019-20 (अंकेक्षित)
सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	1208.43	1488.6	1381.31
अन्य आय	29.83	20.08	21.7
कुल आय	1238.26	1508.68	1403.01
कुल खर्च	872.22	1094.19	1090.39
पी बी टी	366.04	414.49	312.62
पी ए टी	282.12	316.96	193.39
कुल ब्लॉक	204.85	188.01	182.5
चालू परिसम्पत्तियाँ	1373.56	1414.43	1057.35
चालू देयताएं	510.03	617.79	424.63
कार्यकारी पूँजी	863.53	796.64	632.72
नियोजित पूँजी*	1068.38	984.65	815.22
इक्विटी कैपिटल	142.8	142.8	38.08
भंडार और अधिवेश	871.72	659.45	550.8
नेट वर्थ **	995.62	784.47	570.31
नियोजित पूँजी पर रिर्टन	34.27	42.11	38.37
ईपीएस	1975.63	2219.61	1354.27***

*नियोजित पूंजी = नेट ब्लॉक + बैकिंग कैपिटल

**नेट वर्थ = इक्वल शेयर कैपिटल + रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लुडिंग कैपिटल रिजर्व

***1428000 बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या के आधार पर प्रति शेयर आय का पुनर्कथन किया गया है।

आँकड़े करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2021-22 (अंकेक्षित)	2020-21 (अंकेक्षित)	2019-20 (अंकेक्षित)
पी बी टी	366.04	414.49	312.62

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

बिक्री विवरण 2021-22

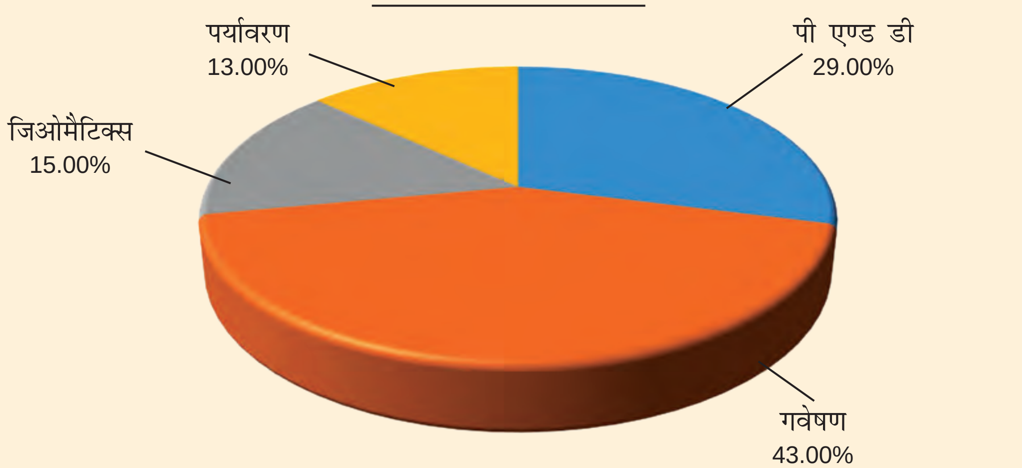

2021-22 के सेगमेन्ट के आधार पर व्यय का सारांश

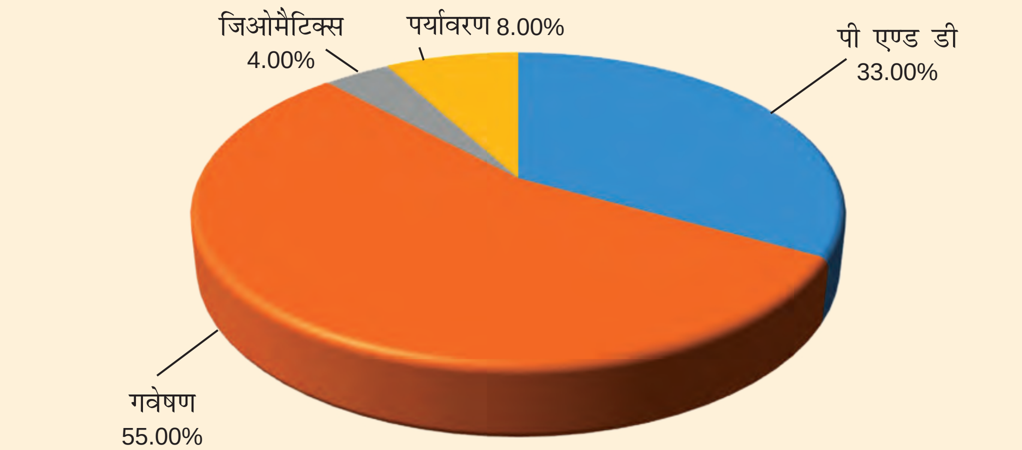

वर्ष 2021-22 के मुख्य व्यय का सारांश

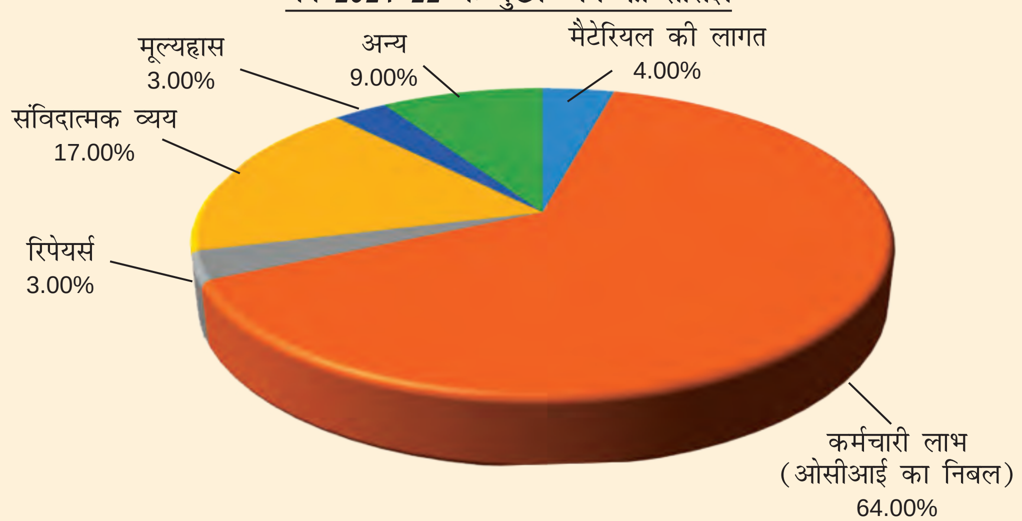

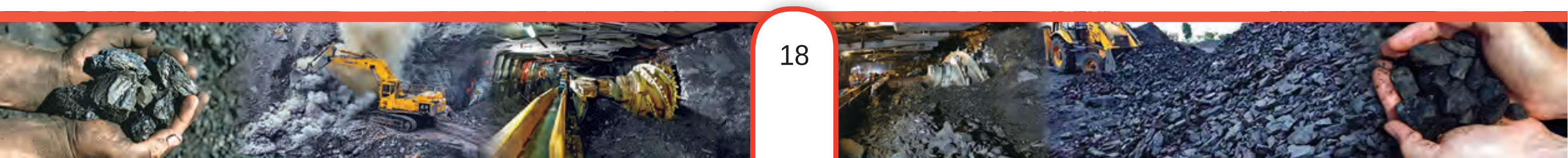

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

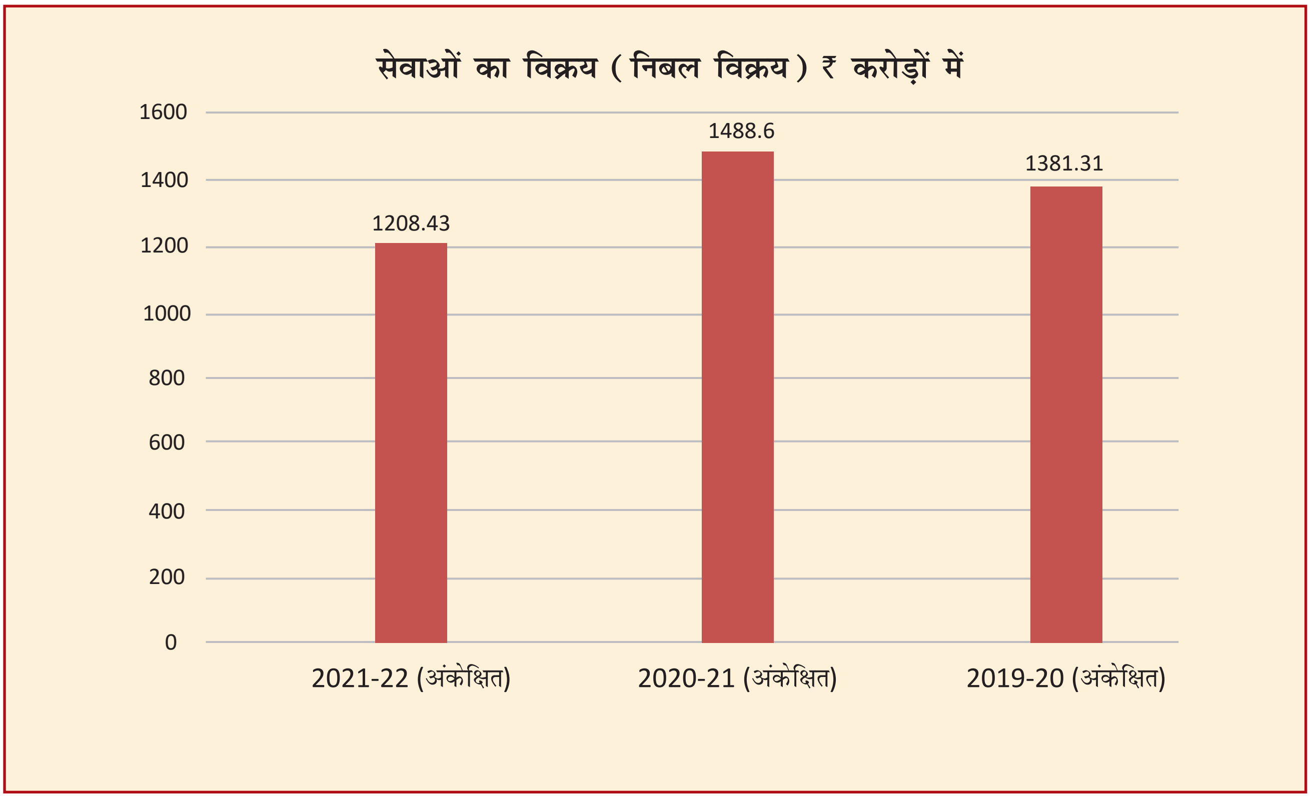

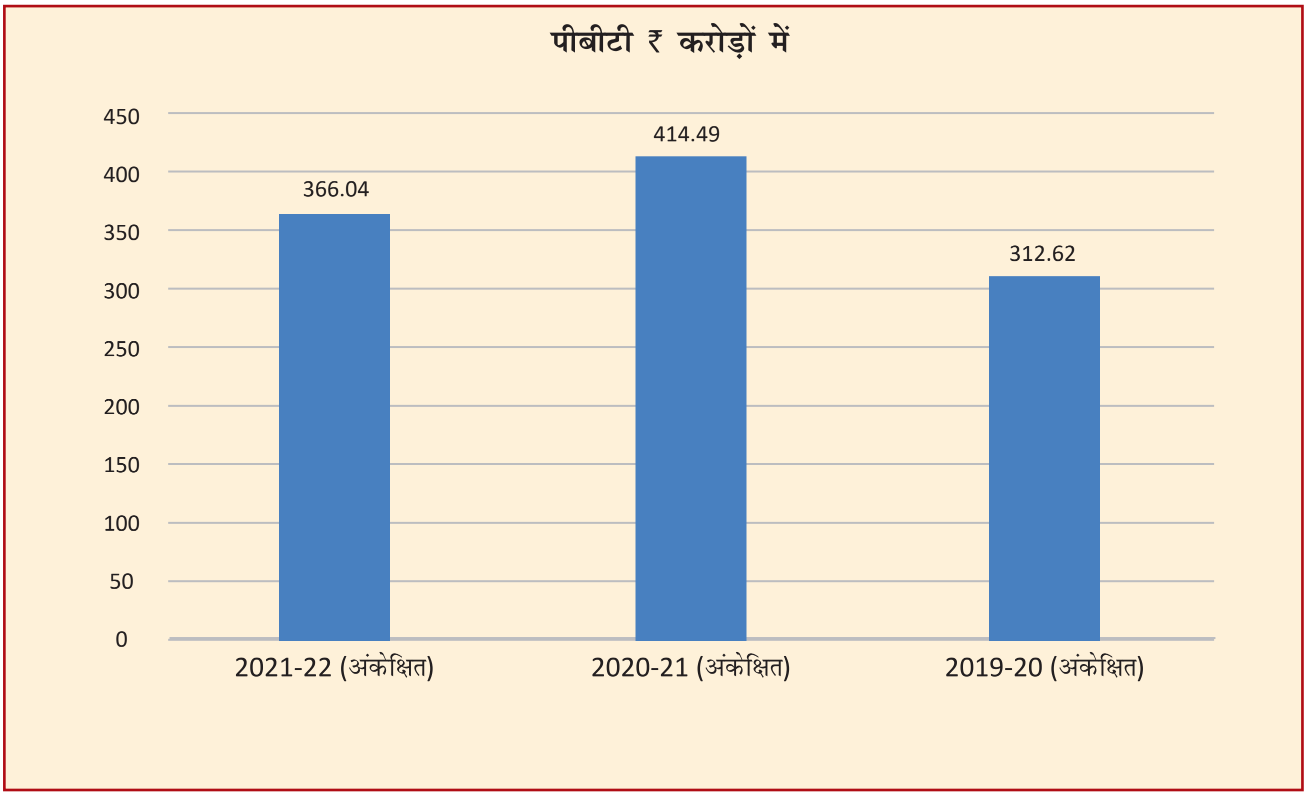

निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारक

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कंपनी के क्रिया–कलाप पर आधारित 47वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग–क

1.0 निगमित पर्यवलोकन:

आपकी कंपनी, एक मिनी रत्न (कैट–I) कंपनी, आसनसोल, धनबाद, रांची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली और भुवनेश्वर में स्थित सात क्षेत्रीय संस्थानों (आरआई) और गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची में अपने मुख्यालय के साथ काम करती रही। क्षेत्रीय संस्थान (RI से RI-VII) के रूप में नामित सात क्षेत्रीय संस्थानों ने CIL की सात संबंधित सहायक कंपनियों को परामर्श सेवाएं प्रदान कीं। ECL (RI-I), BCCL (RI-II), CCL (RI-III), WCL (RI-IV), SECL (RI-V), NCL (RI-VI) & MCL (RI-VII)।

सीआईएल (मुख्यालय), एनईसी और गैर–सीआईएल ग्राहकों जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड (ओसीपीएल), गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड, अल्ट्राटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदि को परामर्श सेवाएं। मुख्य रूप से सीएमपीडीआईएल मुख्यालय के माध्यम से प्रदान किए गए थे। इन परामर्श सेवाओं के अलावा, सीएमपीडीआईएल ने कोयला मंत्रालय के विशेष कार्यों को भी संभाला।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, सीएमपीडीआईएल द्वारा रु. सीआईएल के बाहर 22 संगठनों से 54.75 करोड़, जिसमें एफसीपीएल, अरबिंदो रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, एनटीपीसी लिमिटेड, एससीसीएल, सीएसपीजीसीएल, अदानी नेचुरल रिसोर्सेज, एपीएमडीसी, पावरप्लस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, एपीसी ड्रिलिंग लिमिटेड, यूसीएमआईपीएल, नाल्को, से परामर्श नौकरियां शामिल हैं। सीजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ओएमसी, एनएचएआई, वेदांत लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड आदि।

वर्तमान में, सेल, एनटीपीसी लिमिटेड, डीजीएम (यूपी), एससीसीएल, टीएचडीसी, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सरकार जैसे 27 संगठनों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा सीआईएल के बाहर 39 परामर्श कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं। बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश, आरएसएमएमएल आदि।

वर्ष 2021–22 के दौरान, सीआईएल के बाहर के 19 संगठनों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा सीआईएल के बाहर 35 परामर्श कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए। कुछ प्रमुख ग्राहक प्रकाश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, महाजेनको, मॉयल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसईएमएल, एससीसीएल, ईएमआईएल, एनटीपीसी लिमिटेड, टाटा स्टील, सेल, एपीएमडीसी, यूसीआईएल, एपीसी ड्रिलिंग लिमिटेड, एफसीपीएल आदि थे।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ :

- **भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग :**

  विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक तथा भू–अभियंत्रण आँकड़ा तैयार करने तथा खनन परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्व–स्थाने कोयला भंडार के मूल्यांकन के उद्देश्य से क्षेत्रीय तौर पर गवेषित ब्लॉकों का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोब भू–भौतिक लॉगिंग के जरिए भू–भौतिक सर्वेक्षण, हाई रिजोल्यूशन शैलो सीममिक सर्वेक्षण, जल भू–वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसाधनों की पहचान।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन :**

  भूमिगत और खुली खानों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत अभियंत्रण ड्राईंग, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोल और मिनरल बेनीफिशिएशन तथा यूटिलाइजेशन प्लांट, कोयला निपटान

संयंत्र, वर्कशॉप और अन्य सहायक इकाईयाँ तथा निवेश निर्णय के लिए परियोजना रिपोर्ट एवं विभिन्न योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत सुविधा।

- **अभियंत्रण सेवाएँ :**

  खानों, परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, वर्कशॉप एवं अन्य इकाइयाँ, वास्तुशिल्पीय प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए सिस्टम और सब–सिस्टम का विस्तृत डिजाइन।

- **अनुसंधान एवं विकास :**

  कोल इंडिया की आरएंडडी द्वारा निधित आर एंड डी योजना और कोयला मंत्रालय द्वारा निधित सभी एसएंडटी योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सेवा दे रहा है। सीएमपीडीआईएल, अपने बल पर परिष्करण, खनन, यूटिलाइजेशन, पर्यावरण गवेषण आदि के क्षेत्र में एप्लायड रिसर्च और विकास का कार्य भी शुरू किया है।

- **प्रयोगशाला सेवाएँ :**

  पूरी तरह आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला खान की गैसों की गुणवत्ता का पूर्ण विश्लेषण, वायु, ध्वनि, कोयला कोर नमूनों, कोयले की धोवन क्षमता गुण–निर्धारण, संस्तर का भौतिक यांत्रिक शक्ति, पेट्रोग्राफी अध्ययन, गैर विध्वंसक परीक्षण आदि सेवाएँ दे रही है।

- **पर्यावरणिक सेवाऐं :**

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, क्षेत्रीय संस्थानों एवं मुख्यालयों के जरिए इसका कार्यान्वयन, घरेलू सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि नमूनों का विश्लेषण, खान बंदी योजना बनाना तथा खान बंदी की मॉनिटरिंग करना, ओबी एवं हाई वाल का ढाल स्थायित्व अध्ययन, खानों की पर्यावरणिक वहन (कैरिंग) क्षमता तथा नदी तटीय इकोसिस्टम का अध्ययन, पूरे सीआईएल की खानों के लिएभू–उपयोग मानिटरिंग हेतु सुदूर उपग्रह डाटा का प्रयोग, आदि।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषीकृत सेवाएँ**
  - ✓ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - ✓ खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण
  - ✓ नियंत्रित विस्फोटन
  - ✓ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - ✓ खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - ✓ खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - ✓ खान थम्हाल का डिजाइन; रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
  - ✓ अनाशक परीक्षण(एनडीटी)
  - ✓ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - ✓ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 282.12 करोड़ रूपए कर पश्चात् लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्यकारी परिणाम नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
निबल बिक्री	1488.60	1208.43
अन्य आय	20.08	29.83
कुल व्यय	1094.19	872.22
कर के पूर्व लाभ	414.49	366.04
कर व्यय	97.53	83.92
कर के बाद लाभ (क)	316.96	282.12
अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)*	(9.51)	26.65
आयकर, जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	(2.39)	6.71
अन्य विस्तृत आय (ख)	(7.12)	19.94
कुल विस्तृत आय (क)+(ख)	**309.84**	**302.06**

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (सीएमपीडीआई लि.) के प्रबंधन ने अपनी

विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कंपनी के कार्य निष्पादन तथा संभावनाओं (आउटलुक) सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मामले को शामिल किया गया।

1.3.1 सीएमपीडीआईएल के प्रमुख उद्देश्य :

1. भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल–भूवैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक आंकड़ा प्रतिपादन सहित कोयले तथा खनिज गवेषण में परामर्शी सेवा सहायता प्रदान करना।
2. अनुकूलतम खान प्लानिंग के लिए भूवैज्ञानिक मूल्यांकन पर भरोसा के स्तर को ऊँचा कर गवेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. संसाधन की उत्पादकता में सुधार लाकर एवं बर्बादी को रोकर आंतरिक संसाधनों का अनुकूलतम निर्माण करना तथा निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बाहरी संसाधन लगाना।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन संयंत्र आदि के लिए परियोजना की प्लानिंग एवं डिजाइनिंग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा इनकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. कोयला खनन तथा सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना, (ईएमपी), पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा खान बंदी योजना बनाना।
7. भूमि पुनुरूद्धार मानिटरिंग, पर्यावरणिक आंकड़ा सृजन, वनाच्छादन मापन, कोयला खान अग्नि मापन, कोयला क्षेत्रों का वृहद पैमाने पर टोपोग्राफिकल मानचित्रण, टीपीएस एवं वाशरी स्थल आदि के चयन सहित आधारभूत संरचना के आयोजन के लिए सुदूर संवेदन सेवा प्रदान करना।
8. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
9. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के अतिरिक्त इससे इतर के संगठनों को परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.2 सीएमपीडीआईएल के क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण

सीएमपीडीआईएल के सभी कार्यो का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

क) भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवा – स्थापना काल से ही यह सीएमपीडीआईएल का प्रमुख कार्य (कोर फंक्शन) रहा है, जो खनिज डिपोजिट (खनिज भंडार) के लिए निम्नलिखित सेवाएँ देता हैः

- गवेषण की आयोजन तथा कार्यान्वयन
- निवेश तथा दोहन निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन और
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

ख) आयोजन, डिजाइन तथा सहायता सेवाएँ– स्थापना काल से ही सीएमपीडीआईएल के दूसरा प्रमुख होने के कारण, निर्माण एवं एवं खानों का परिचालन, परिष्करण, उपयोग तथा अन्य आधारभूत सुविधा और अभियंत्रण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित सेवा दी जाती है।

- वैचारिक (अवधारणात्मक) पूर्व–संभाव्यता/संभाव्यता अध्ययन परियोजना रिपोर्ट और मूलभूत एवं विस्तृत अभियांत्रिकी डिजाइन का निर्माण और/अथवा मूल्यांकन
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

ग) पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ – माइन क्लोजर प्लानिंग, लेबोरेटरी तथा टेस्ट सपोर्ट सहित उनके प्लानिंग और आपरेशन के दौरान पर्यावरणिक प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग को सभी प्रकार का सपोर्ट 1992 से ही दे रहा है।

घ) **जिओमेटिक्स सेवाए** – 2001 से ऑफ़र के तहत, निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- खनन पट्टा और वन सीमा के लिए डिफरेंशियल जीपीएस सर्वेक्षण, ओबीआर/कोयला जांच मापन, यूजी खानों का सहसंबंध सर्वेक्षण, आदि।
- कोल माइन फायर मैपिंग, ओपनकास्ट खानों की भूमि सुधार निगरानी, कोयला क्षेत्रों के भूमि उपयोग/वनस्पति कवर मैपिंग आदि सहित रिमोट सेंसिंग अध्ययन।
- स्थलाकृतिक सर्वेक्षण,
- सैटेलाइट डेटा और जीआई के आधार पर थर्मल पावर स्टेशनों का साइट चयन।
- ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और मानचित्रण सेवाएं

ड़) **मानव संसाधन विकास** – 1976 से इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैः बाजार के ग्राहकों विशेषकर खनिज एवं खनन सेक्टर को प्रशिक्षणसे संबंधित तकनीकी प्रबंधकीय प्रबंधन प्रणाली।

च) **प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ** – 1997 से यह क्रिएशन, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यान्वयन तथा विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों का प्रशिक्षण अर्थात् आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएस 18001, एसए 8000, आईएसओ 50001, आईएसओ 27001 तथा आईएसओ 37001 पर सेवाएँ देता आ रहा है। सीएमपीडीआईएल को अपने सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ संशोधित नए आईएसओ 9001:2015 मानक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

छ) **विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ** – खानों में वेंटिलेशन और गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित ब्लास्टिंग, नए विस्फोटकों के प्रदर्शन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रॉनिक्स, खान क्षमता आकलन, खान समर्थन डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), गैर–विनाशकारी परीक्षण, सीआईएल और एमओसी आदि के लिए ऐप और पोर्टल विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

1.3.3 उद्योग की संरचना एवं विकास :

पिछले दो साल कोविड–19 महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहे हैं। संक्रमण की बार–बार आ रही लहरें, आपूर्ति–श्रृंखला में व्यवधान और, हाल ही में, मुद्रास्फीति ने नीति–निर्माण के लिए विशेष रूप से कठिन समय उत्पन्न किया है। यूक्रेन में युद्ध ने एक महंगा मानवीय संकट पैदा कर दिया है और संघर्ष से आर्थिक क्षति 2022 में वैश्विक विकास में एक अहम मंदी में योगदान देगी। ईंधन और खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि होने से – विशेष रूप से कम आय वाले देशों में सुभेद्य जनसँख्या सबसे अधिक प्रभावित है। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डालते हुए केंद्रीय बैंकों की नीति सख्त होने से ब्याज दरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कई देशों के पास अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए सीमित राजकोषीय नीति की संभावना है।

वैश्विक विकास के 2021 में अनुमानित 6.1 प्रतिशत से 2022 और 2023 में 3.6 प्रतिशत तक धीमा होने का अनुमान है। 2023 से आगे भी वैश्विक विकास के मध्यम अवधि में लगभग 3.3 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है। यह पूर्वानुमान मानता है कि संघर्ष मुख्यतः यूक्रेन तक ही सीमित है, रूस पर आगे के प्रतिबंध ऊर्जा क्षेत्र को छूट देंगे और महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव 2022 के दौरान कम होंगे। कुछ अपवादों के साथ, रोजगार और उत्पादन आमतौर पर वर्ष 2026 के अंत तक पूर्व–महामारी से नीचे रहेगा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भयावह प्रभाव बहुत अधिक होने की उम्मीद है। बहरहाल, वैश्विक वातावरण अभी भी अनिश्चित बना हुआ है।

इन चुनौतियों का सामना करते हुए, समाज के कमजोर वर्गों और व्यापार क्षेत्र पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया सुरक्षा–जाल के निर्माण के लिए बहुस्तरीय उपायों पर थी। इसके बाद इसने मध्यम अवधि की मांग को वापस लाने के लिए बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ–साथ अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक विस्तार के लिए तैयार करने हेतु आक्रामक रूप से कार्यान्वित आपूर्ति–पक्ष उपायों को आगे बढ़ाया। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020–21 में संकुचन के बाद 2021–22 में वास्तविक जीडीपी विस्तार 9.2 प्रतिशत देखने की उम्मीद है। इसका तात्पर्य यह है कि समग्र आर्थिक गतिविधि पूर्व–महामारी के स्तर से आगे निकल गई है। टीकाकरण कार्यक्रम में अधिकांश आबादी को शामिल कर लिया गया है, आर्थिक गति वापस आ रही है और विविध प्रयासों से आपूर्ति–पक्ष में सुधारों के संभावित दीर्घकालिक लाभ हैं, 2022–23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.0–8.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करने की अच्छी स्थिति में है। आने वाला वर्ष भी निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जिसमें वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में सहायता प्रदान करने के लिए बेहतर स्थिति में है। इस अनुमान के अनुसार आगे महामारी संबंधी ऐसा कोई आर्थिक व्यवधान नहीं होगा जो अर्थव्यवस्था को कमजोर करे, मानसून सामान्य रहेगा, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक तरलता की निकासी मोटे तौर पर व्यवस्थित होगी, तेल की कीमतें यूएस $70 - $75 /बीबीएल की सीमा में होंगी, और वैश्विक वर्ष के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान लगातार कम होगा।

भारत में खनन मुख्य आर्थिक क्रिया–कलाप है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कोयला खनन तथा कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षेत्र में दो कोर उघेग है तथा दोनों मिलकर भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देकर अपना महत्व दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, आज की तिथि तक कई अन्य उद्योगों की तरह भारत का लाजिस्टिक उद्योग, स्पंज आयरन उद्योग,एल्यूमीनियम उद्योग भारत के घरेलू कोयला उद्योग पर आधारित है। कोयला खनन प्रायः नौकरियों के सृजन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था (कोयला क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अन्य क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से) को प्रोत्साहन देता है। क्षेत्र में खदान की उपस्थिति ने स्थानीय बुनियादी ढांचे, जैसे सड़क नेटवर्क और पानी की आपूर्ति में सुधार को प्रेरित करके, स्थानीय विकास में योगदान दिया और स्थानीय आबादी को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक बेहतर पहुंच की अनुमति दी। हाल के रोजगार के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कोयला खदानों में लगभग 355,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और लगभग 12 लाख लोग कोयला क्षेत्र पर निर्भर हैं। हालांकि, इसमें कोयला रसद से संबंधित रोजगार शामिल नहीं है, जिसमें सड़क और रेलवे परिवहन दोनों शामिल हैं। इसलिए, भारत के लिए कोयला क्षेत्र के महत्व को न केवल देश के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में, बल्कि इसकी सामाजिक–आर्थिक भूमिका के लिए भी नकारा नहीं जा सकता है।

भारत की ऊर्जा मांग अगले 20 वर्षों में बढ़ती रहेगी। 2040 तक कोयले की हिस्सेदारी 48–54% के उच्च स्तर पर रहने की उम्मीद है और जो उपयोगिता क्षेत्र की कुल तापीय बिजली उत्पादन क्षमता का 76% हिस्सा है। भारत में कोयले की मांग बिजली क्षेत्र और गैर–विनियमित दोनों क्षेत्रों द्वारा संचालित लगातार बढ़ रही है। सबसे निराशावादी परिदृश्य में भी, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में कोयले की मांग, प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में, 2030 तक और शायद उससे आगे तक बढ़ेगी। केपीएमजी द्वारा तैयार ड्राफ्ट विजन /2047 दस्तावेज के अनुसार 2030 तक कुल कोयले की मांग लगभग 1462 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह मांग परिदृश्य आर्थिक विकास, ऊर्जा पर्याप्तता तथा कोयले के वैकल्पिक प्रयोग से प्रभावित है। कोल इंडिया लिमिटेड आपूर्ति कड़ी (चेन) में संतुलनात्मक भूमिका अदा कर सकता है।

भारत में प्रोगनेस्टिकेटेड कोल बियरिंग एरिया की पहचान करने के लिए अगसत, 2020 में जीएसआई के साथ सीएमपीडीआई द्वारा एक संयुक्त एक्सरसाइज (कार्य) संपादित किया गया। कुल 43 गोंडवाना कोलफील्ड्स और 19 टर्शियरी कोलफील्ड्स का अध्ययन किया गया। चूंकि गवेषण गतिविधियां गतिशील प्रक्रिया हैं, इसीलिए अर्जित ज्ञान के साथ मार्च 2021 में इस अभ्यास का पुनरीक्षण किया गया था। मार्च 2021 तक, गोंडवाना कोलफील्ड्स और तृतीयक कोलफील्ड्स का कुल बेसिन क्षेत्र लगभग 66967 वर्ग किमी होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से कुल लगभग 32970 वर्ग किलोमीटर का प्रोगनेस्टिकेटेड कोल बियरिंग एरिया होने का आकलन किया गया है। मापा गया कुल क्षेत्रीय गवेषण क्षेत्र लगभग 19321 वर्ग किमी था और 13382 वर्ग किमी क्षेत्र क्षेत्रीय गवेषण के लिए छोड़ दिया गया है। टर्शियरी कोलफील्ड्स का कुल बेसिन क्षेत्र 1336 वर्ग किमी अनुमानित था, जिसमें से कुल लगभग 859 वर्ग किमी प्रोगनेस्टिकेटेड कोल बियरिंग एरिया के रूप में मूल्यांकन किया गया था। कुल क्षेत्रीय गवेषण क्षेत्र 402 वर्ग किमी है।

सरकार ने सीएमपीडीआई को देश में 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण पर बल देते हुए क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण करने का निर्देश दिया ताकि निकट भविष्य में कोयला गवेषण के सर्वोत्तम प्रापर्टीज की पहचान तेजी से की जा सके। अधिकतम संभव तक देश के उपलबध कोयला संसाधनों के दोहन करने के लिए जितना जल्दी संभव हो संभावित बिडरों को कोयला खनिखंड उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इस पर विचार करते हुए 8–10 बोर होल प्रति वर्ग कि.मी. से अधिक के गवेषण के पूर्व के प्रैक्टिस के आधार पर ऑक्शन के लिए संसाधनों (2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण सहित ड्रिलिंग के 2 बोर होल प्रति वर्ग कि.मी.) के जी 2 लेवल सहित गैर–सीआईएल कोल खनिखंडों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय प्रयास कर रहा है।

भौतिक ड्रिलिंग के साथ संयोजन के अंतर्गत गवेषण में 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षणों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से 2022–23 के लिए 875 लाइन किमी के 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा अधिग्रहण के साथ 6.50 लाख मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। मुख्य रूप से प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा फंड में कमी और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग और सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग मीटरेज की घटती उपलब्धता के कारण बोरहोल घनत्व में कमी आई है।

कुल मिलाकर भविष्य में उत्पादन को बढ़ाने तथा उसे बनाए रखने के लिए कोल इंडिया को नियमित तौर पर गवेषण एवं आयोजन सहायता की जरूरत पड़ेगी। यह सीचपी, वाशरी आदि सहित आधारभूत सुविधा के लिए सच्चाई होगी। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं की मांग सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र में भी बनी रहेगी। इसके अलावा, भविष्य में उत्पादन को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए सीआईएल द्वारा निरंतर आधार पर अन्वेषण और योजना समर्थन की आवश्यकता होगी। यह सीएचपी, वाशरीज आदि सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए भी सही होगा। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भी अन्य कोयला उत्पादकों द्वारा सीएमपीडीआईएल की विशेषज्ञ सेवाओं की मांग की गई थी। सीएमपीडीआईएल ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आदि जैसी सीआईएल कंपनियों के अलावा अन्य के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं। कोयला कंपनियों, मुख्य रूप से सीआईएल की कोयला कंपनियों द्वारा स्वदेशी आपूर्ति से कोयले की मांग को पूरा करने की दिशा में की दिशा में की गयी प्रगति से सीएमपीडीआईएल की सेवाओं में भी तेजी आएगी।

इसके अतिरिक्त कोयले पर आधारित कोल बंड मीथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोलया गैसीकरण आदि जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत को अपनाने के प्रति कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य कंपनियों के प्रयास भी सीएमपीडीआईएल के लिए परामर्श कार्य का स्रोत हो सकता है। सीएमपीडीआईएल को ईसीएल, बीसीसीएल और एसईसीएल जैसे कोल इंडिया वाले क्षेत्रों में सीबीएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है।हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि 2030 तक कोयला गैसीकरण के लिए 100 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उपयोग करना है। भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों को देखते हुए, 100 मिलियन मीट्रिक टन कोयले के गैसीकरण के लिए, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और सीसीएल बिल्ड–ओन–ऑपरेट (बीओओ) आधार पर कोयला गैसीकरण के माध्यम से कोयला से रासायनिक/उर्वरक और संभावित डाउनस्ट्रीम उत्पाद (उत्पादों) संयंत्र को स्थापित करने का इरादा रखते हैं।

इसके अतिरिक्त कोयला सेक्टर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो आगे आने वाले वर्षों में सीएमपीडीआईएल के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा।

फिर भी सीएमपीडीआईएल के टॉप और बाटम लाइन में इसके प्रयास परिलक्षित करने के लिए शुरूआत की है, और तद्नुसार हाल ही के वर्षों में बिक्री और पीबटी में वृद्धि दर्ज हुई है।

तथापि भारत में कोयला ईंधन के रूप में प्राथमिकता वाला क्षेत्र बने रहने की संभावना है ओर लोकल पोपुलेशन के लिए कम–से–कम अगले 12 से 15 वर्षों के लिए सस्ता ऊर्जा स्रोत के रूप में रहेगा। लंबी अवधि के लिए कोयले की मांग का बने रहना और तापीय कोयले का भारत में कमी पर कुछ संदेह उठाया गया है। कोयला क्षेत्र के भावी विस्तार कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाने के साथ बड़े पैमाने पर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के दोहन के प्रति भारत की वचनबद्धता है। भारत के पोस्ट–2020 क्लाइमेट एक्शन प्लान में 2005 लेवल तक 2030 तक 33–35 प्रतिशत तक उत्सर्जन की तीव्रता में कमी करने तथा विद्युत उत्पादन में क्लीन एनर्जी की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण से कार्बन डायआक्साइड में कमी करने के लिए पेड़ और वनस्पति आच्छादन सहित कार्बन सिंक को मिलाने के प्रति प्रॉमिस करता है।कुल मिलाकर पर्यावरणिक दिशा–निर्देशों के अनुपालन की विभिन्न आवश्यकताएँ, ग्रीन लॉबी की ओर से दबाव साथ ही साथ कोयला खनन के लिए भूमि अर्जन के प्रयास दिन–प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। कोयले की मांग में कमी आने से कोयले के गवेषण की आवश्यकता और कम हो जाएगी। सीएमपीडीआईएल के टर्न ओवर में प्रमुख भागेदारी निभाने वाला गवेषण की महत्ता बनाए रखने के लिए मेटल क्षेत्र सहित गैर–कोल सेक्टर के लिए विविधकरण करना होगा।हालांकि, 2021–22 और 2022–23 के दौरान गवेषण के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा निधि में कमी, जिसके अगले वर्ष से शून्य होने की संभावना है, व्यक्तिगत गवेषण प्रस्तावों के संबंध में एनएमईटी से अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाइयां और सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग मीटरेज की घटती उपलब्धता कंपनी के टॉपलाइन और बॉटम–लाइन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गवेषण से राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए योजना एवं डिजाइन, जियोमैटिक्स, हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज सहित पर्यावरण सेवाओं आदि जैसी अन्य सेवाओं से राजस्व बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा सीएमपीडीआईएल के व्यावसायिक क्षेत्र में गतिशीलता लाने के उत्पादकता में और वृद्धि कर गवेषण क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करना यथार्थवादी होगा, वह भी खासकर 2डी/3डी सिस्मिक एवं अन्य भू–भौतिक प्रणाली जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ वर्तमान सुविधा तथा आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि एवं आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति के उपयोग को युक्सिंगत उपयोग तथा अधिकारी श्रमशक्ति की भर्ती, कोयला के अलावा अन्य खनिज, खनन

तथा सम्बद्ध अभियांत्रिकी सेवा में पदार्पण, मूल्य के रूप में बाहरी कार्य (गैर वर्किंग के जरिए ड्रिलिंग एवं इन्वेंटरी कंट्रोल सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मॉनीटरिंग की स्थापना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के विकास के लिए प्रौद्योगिकी की स्थापना आदि जैस्रे क्षेत्रों में प्रवेश के जरिए ये सब करने होंगे।

1.3.4 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विजन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई नीति :

खनिज, खनन तथा संबंद्ध क्षेत्रों में प्राप्त बाजार में स्थान तथा गहरी जानकारी के सहारे अपने उपर्युक्त निगमित उद्देश्य प्राप्त करने क लिए सीएमपीडीआईएल निम्नलिखित रणनीति एवं व्यावसायिक योजना बना रहा है :

1. गवेषण क्षमता में वृद्धि के लिए सिस्मिक सर्वे का 2डी/3डी जोड़ना इत्यादि।
2. कोयले के अतिरिक्त, खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के नए क्षेत्रों में विविधिकरण।
3. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना।
4. देश के बाहर तथा भीतर रणनीतिक साझेदारों के साथ टाई–अप।
5. वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
6. परिचालन दक्षता तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना।
7. निगमित कार्य संस्कृति तथा आंतरिक पद्धति में सुधार।
8. सतत् आयोजना (प्लानिंग) तथा कोयला उद्योग को विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चित करने के लिए श्रम शक्ति का युक्तिसंगत उपयोग तथा अधिकारी श्रमशक्ति की भर्ती।
9. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा,
10. कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का विकास।

1.3.5 सामर्थ्य एवं कमजोरी :

सामर्थ्य :

- सीएमपीडीआईएल वास्तव में एक बहु अनुशासनिक, शायद अपनी तरह का एक मात्र संगठन है जो एक ही छत के नीचे खनन के पहले, खनन के दौरान तथा खनन कार्य के बाद प्रायः सभी सेवाएँ उपलबध करा रहा है।
- भारत में विस्तृत कोयला गवेषण में प्रभुत्व वाला, सीएमपीडीआईएल की पहचान सरकारी प्रिफरेंसेज रखने के अलावा भारतीय ग्राहकों के बीच सबसे पसंदीदा परामर्शदाता के रूप में है।
- रणनीतिक रूप से अवस्थित अपने क्षेत्रीय संस्थानों के साथ यह कोयला मंत्रालय के साथ–साथ कोल इंडिया लिमिटेड की सभी कंपनियों को दहलीज पर ही सेवा देने में सक्षम है। सीएमपीडीआईएल की उपस्थिति कोयलाधारक क्षेत्रों के आस–पास अखिल भारतीय की है।
- कोयला क्षेत्र में उपलब्ध वृहद संशाधनों की सूचना देने के लिए सीएमपीडीआईएल के पास कोयला ब्लॉकों, कोयला भंडारों, कोयले की गुणवत्ता आदि से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ा आधारित पर्याप्त जानकारी है।
- इसके पास 1400 से अधिक बहुअनुशासनिक (मल्टीडिसिप्लिनरी) कौशलयुक्त श्रमशक्ति का मजबूत आधार है।
- इसके पास बड़ी संख्या में आधारभूत सुविधाओं, 70 मि.ट.प्र.व. खुली खदान खान तथा 7.5 मी.ट.प्र.व. भूमिगत खान तक की निजी परियोजना क्षमता सहित 1200 से अधिक खनन परियोजना रिपोर्टों की प्लानिंग, 1300 से अधिक समेकित कोल गवेषण परियोजना, को क्रियान्वित करने का व्यापक आधारभूत संरचना उपलब्ध है।
- 8 राज्यों में जियोग्राफिकल रूप से फैले प्रयोगशाला सुविधाओं, बेस लाइन डाटा

जेनरेशन क्षमता आदि से युक्त कोयला गवेषण (विस्तृत गवेषण के लिए देश में वेध ान के लार्जेस्ट फ्लीट) के लिए इसके पास व्यापक आधारभूत संरचना उपलबध है।

कमजोरियाँ (कमियाँ) :

- राजस्व प्राप्त करने के लिए कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों पर निर्भरता।
- क्षेत्रीय गवेषण आँकड़ा, जो विस्तृत कोयला गवेषण के लिए आवश्यकत है, हेतु जीएसआई / एमईसीएल पर निर्भरता।
- उच्च संचालन लागत और निर्धारित लागत अर्थात् उद्योग में पियर्स (Peers) की तुलना में कर्मचारी मुआवजा।
- दक्ष और अनुभवी अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति तथा नव–नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण लेने के बाद कंपनी को छोड़ने की उच्च दर।
- गैर–विविधिकरण अर्थात् केवल कोयला उद्योग के लिए प्रतिबंधित
- अधिकारी और गैर–अधिकारी संवर्ग में दक्ष और योग्य कर्मिकों की कमी।

1.3.6 अवसर एवं आशंकाऐं

अवसर

- कोयले की मांग कम से कम 15 वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे सीएमपीडीआईएल की सेवाएँ बनी रहने की संभावना है।
- सरकार द्वारा पब्लिक एवं प्राइवेट कंपनियों दोनों के कैप्टिव उपयोगकर्त्ताओं के लिए कोयला ब्लॉकों का ऑक्सन / आवंटन से कोल इंडिया के बाहर सीएमपीडीआईएल के लिए और अधिक बाजार अवसर का सृजन होगा।
- कोयला क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता।
- गैर कोयला क्षेत्र में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।
- सीबीएम / सीएमएम / यूसीजी / शेलगैस, जियोमेटिक्स, एनडीटी आदि से संबंधित विशेषज्ञ सेवा देने में दक्षता।

आशंकाएँ

- सरकार ने इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने की योजना बनाई है। इसने 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देकर कोयला क्षेत्र को उदार बनाया है। इस कदम के परिणामस्वरूप अन्य घरेलू या अंतरराष्ट्रीय परामर्श सेवा प्रदाताओं से बाजार में प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
- कोयले को सोलर, विंड आदि जैसे रीन्यूएवल ऊर्जा स्रोतों के द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में और वृद्धि होगी और सस्ते में भी होंगे। इससे कोयला खनन की रूझान में कमी आती जाएगी, जिसके कारण कोयला क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल को मिलने वाले कार्यों में गिरावट आ जाएगी।
- गैर–सीआईएल ब्लॉकों में प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन और विस्तृत ड्रिलिंग के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा फंड में कमी के साथ–साथ सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग मीटरेज की घटती उपलब्धता ने कंपनी की टॉपलाइन और बॉटम–लाइन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।
- इन क्षेत्रों में वन क्षेत्र सीमित खनन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण ड्रिलिंग कार्य प्रभावित हो रहा है।
- प्रमुख रूप से मानव संसाधन संचालित कंपनी होने के कारण वर्तमान अधिक उम्र प्रोफाइल निकट भविष्य में नुकसानदायक होगी। विशेषज्ञ श्रमशक्ति तेजी से घटती जा रही है, क्योंकि इसके अधिकांश अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ सेवा–निवृत्त होते जा रहे हैं।

1.3.7 मूल्य निर्धारण नीतिः

सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा परामर्श सेवा से प्राप्त राजस्वः

गवेषण, खान योजना / परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण

सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान ग्राहकों की विभिन्न श्रेणी के लिए अपनाए गए मूल्य–निर्धारण फार्मूला पर आधारित है।

1.3.8 बाजार नीतिः

सीएमपीडीआईएल प्राथमिकता के आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा सभी संभावित क्षेत्र में जब और जहाँ आवश्यक हो परामर्श सेवाएँ मुहैया कराने के प्रति वचनबद्ध है। सीएमपीडीआईएल महत्वपूर्ण और नीतिगत मूल्यों को ध्यान में रखकर कोल इंडिया से बाहर के ग्राहकों से कार्य, जहाँ ऐसे बाहरी परामर्शी कार्य शुरू किए जा सकते हैं, लेने करने के प्रति भी वचनबद्ध है।

1.3.9 दृष्टि एवं तैयारीः

11वीं एवं 12वीं योजना अवधि के दौरान सीएमपीडीआईएल का गवेषण कार्य बहुत ही उत्साहवर्द्धक रहा, जो 2017–18 तक जारी रहा, परंतु समय पर फंड की अनुपलब्धता सहित कई अन्य कारणों से वर्ष 2018–19 के दौरान इसे कायम नहीं रखा जा सका। कोविड–19 राष्ट्रव्यापी महामारी के कारण 2018–19 में की गई कुल ड्रिलिंग 13.60 लाख मीटर की तुलना में 2019–20 में 12.94 लाख मीटर तथा 2020–21 में 12.48 लाख मीटर रहा। कुल मिलाकर विभागीय ड्रिलों के दौरान 619 मीटर/ड्रिल/माह की उत्पादकता के साथ 5 लाख मीटर वेधन किया जो सीएमपीडीआईएल के इतिहास में सबसे अधिक है। विभागीय ड्रिल का आधुनिकीकरण, नई उच्च क्षमता वाले यांत्रिक और हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल को शामिल करना, उच्च उत्पादकता वाले उच्च प्रदर्शन बिट्स की शुरूआत, नवीनतम मड प्रौद्योगिकी को अपनाना, ड्रिलिंग सहायक उपकरण और जनशक्ति की प्रभावी व्यवस्था सीएमपीडीआईएल की ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाने की कुंजी थी।

इसके अलावा, प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा फंड में कमी और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के कारण, 7.50 लाख मीटर ड्रिलिंग के कम लक्ष्य के मुकाबले 2021–22 के दौरान केवल 7.91 लाख मीटर ड्रिलिंग की जा सकी। इस प्रवृत्ति के निकट भविष्य में भी जारी रहने की उम्मीद है।

25 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 317 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए विस्तृत गवेषण के माध्यम से लगभग 8.8 बिलियन टन कोयला संसाधनों को 'प्रमाणित श्रेणी' में जोड़ा गया। इसके अलावा, 6 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 156 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए प्रमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण के माध्यम से लगभग 5.7 बिलियन टन नए कोयला संसाधनों (संकेत और अनुमानित श्रेणी) का अनुमान लगाया गया था।

सीएमपीडीआईएल ने बड़े पैमाने पर 2डी सिस्मिक सर्वेक्षण और लगभग 1000 मीटर की गहराई सीमा के साथ डेटा अधिग्रहण किया है। वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग 865 लाइन किमी 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण किया गया, जबकि पिछले वर्ष 193ः की वृद्धि के साथ 295.37 लाइन किमी की उपलब्धि हासिल की गई थी। कोर ड्रिलिंग के साथ 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण के लिए 2020–21 में आउटसोर्स किए गए 10 ब्लॉकों में से, 5 ब्लॉकों में सिस्मिक डेटा अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा किया गया और 2 ब्लॉकों की सिस्मिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

भारत सरकार ने कम लागत के साथ गवेषण की गति को तेज करने के लिए ड्रिलिंग के लिए बोरहोल की कम संख्या के साथ 2डी/3डी सिस्मिक सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी की शुरूआत पर जोर दिया है। सीएमपीडीआईएल ने पहले ही आधुनिक तकनीकों का गहन उपयोग करने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि अन्वेषण की विभिन्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण तकनीकें ड्रिलिंग की समय लेने वाली प्रक्रिया पर निर्भरता को कम करने और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने में उनका उपयोग करना। इससे भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने में तेजी आएगी और ब्लॉकों के भूवैज्ञानिक मॉडल में बेहतर भरोसा मिलेगा।

2021–22 के दौरान 7.91 लाख मीटर ड्रिलिंग और 865 लाइन किमी 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण की उपलब्धि के मुकाबले 2022–23 के लिए 875

लाइन किमी के 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डाटा अधिग्रहण के साथ 6.50 लाख मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्वेषण की गति मुख्य रूप से गैर–सीआईएल और प्रोमोशनल ब्लॉकों में कोयला अन्वेषण के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई निधि में कमी के साथ–साथ सीआईएल क्षेत्रों में ड्रिलिंग के लिए गुंजाइश की कमी के कारण कम हो रही है। बढ़े हुए मीटरेज लक्ष्यों के लिए और निकट भविष्य में भी यह प्रवृत्ति जारी रह सकती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए 30 पीआर में से 23 पीआर ओपनकास्ट माइंस के थे, जिसमें 4 मेगा प्रोजेक्ट्स (क्षमता 10 एमटी या अधिक), 6 पीआर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स और 1 पीआर मिक्स प्रोजेक्ट शामिल हैं। 30 पीआर में से गैर–सीआईएल खानों के लिए 5 पीआर की योजना बनाई गई है, जिसमें धातु खदान के लिए 1 पीआर शामिल है। कोयला खदान के लिए 5 यूजी पीआर में से 4 पीआर को सीएम तकनीक के साथ नियोजित किया गया है। 1 मिक्स पीआर में यूजी ऑपरेशन के लिए सीएम तकनीक को अपनाया गया है।

सीएमपीडीआईएल मुख्यालय की कोयला कैरेक्टराइजेशन प्रयोगशाला ने सीएसआईआर–सीआईएमएफआर और इसकी सहयोगी प्रयोगशालाओं के साथ कोयला कोर के विश्लेषण के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। भू–रासायनिक प्रयोगशाला को 12 विभिन्न स्कोप/पारामीटर में जाँच (टेस्टिंग) के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के लिए मानक आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुरूप नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी (एनएबीएल) की मान्यता है। भुवनेश्वर स्थित सीएमपीडीआईएल के क्षेत्रीय संस्थान–7 में नई रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

कोयला एवं खनिज तैयारी (सीएमपी) प्रयोगशाला के पुनः प्रत्यायन का कार्य प्रगति पर है। इस तरह के मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा प्रत्यायन को परीक्षा परिणामों की पारस्परिक स्वीकृति की सुविधा के लिए पहला आवश्यक कदम माना जाता है। एनएबीएल, गैर–विनाशकारी परीक्षण के क्षेत्र में इसकी सुविधाओं/क्षेत्र के लिए आईएसओ/आईईसी 17025: 2017 के आधार पर सीएमपीडीआई मुख्यालय की एनडीटी प्रयोगशाला को निरंतर मान्यता प्रदान करता है। विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में उचित उपकरण और संसाधनों के साथ एनडीटी सेल की स्थापना की गई है।

मौजूदा पर्यावरण प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक उपकरणों से मजबूत किया गया है। सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, आरआई–I, आरआई–II, आरआई–IV, आरआई–V और आरआई–VII की पर्यावरण प्रयोगशालाएं एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। एनएबीएल द्वारा प्रत्यायन की आईएसओ/आईईसी 17025:2017 योजना के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में पहली बार आरआई–II की पर्यावरण प्रयोगशाला को मान्यता दी गई थी। इसके अलावा, आरआई–VI में सीएमपीडीआईएल की पर्यावरण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। सीएमपीडीआईएल मुख्यालय की पर्यावरण प्रयोगशाला की सीपीसीबी मान्यता प्रत्यायन प्रक्रिया के उन्नत चरण में है और इसे शीघ्र ही किया जाएगा।

सीएमपीडीआईएल मुख्यालय में एक आधुनिकतमू सीवीएम प्रयोगशाला कार्यरत हैं, जिससे सीबीएम शैल गैस से संबंधित अध्ययन के बारे में सभी पारामेट्रिक डाटा तैयार करने, रिजरवायर का गुण निर्धारण तथा सीबीएम एवं शेल गैस संसाधन का मूल्यांकन करना सहज हो गया है। सीएमपीडीआईएल की क्षमता एवं सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआईएल तथा सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया द्वारा विज्ञान एउवं प्रौद्योगिकी द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

सीआईएल की 5 मिलियन घन मीटर (कोयला + ओबी) से अधिक उत्पादन वाली ओपनकास्ट कोयला खदानों की भूमि सुधार निगरानी के लिए उपग्रह निगरानी 2008 से वार्षिक आधार पर की जा रही है। इसके अलावा, सीआईएल की ओपनकास्ट कोयला खदानों की भूमि सुधार

निगरानी की जा रही है। वर्ष 2011 से तीन वर्षों के अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से 5 मिलियन घन मीटर (कोयला + ओबी) प्रति वर्ष से कम का उत्पादन भी किया गया था। नई प्रौद्योगिकी अपनाने में, सीएमपीडीआई ने अनुप्रयोगों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए ड्रोन लागू किए हैं। कोयला उद्योग में ड्रोन के अनुप्रयोग में तेजी लाने के लिए, सीएमपीडीआई ने कोयला उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोगों में इसकी प्रभावकारिता स्थापित करने के लिए ड्रोन सेवा प्रदाताओं को काम पर रखने के लिए कार्रवाई की है। एनसीएल के लिए खुली निविदा के खिलाफ पहला काम पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट जमा कर दी गई है। एसईसीएल को दिया गया कार्य पूरा हो चुका है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 3डीटीएलएस की तुलना में ड्रोन की प्रभावकारिता स्थापित करने के लिए 50 गड्ढों/डंपों में सत्यापन अध्ययन किया गया।

मुनीडीह वाशरी (2.5 एमटीपीए) के लिए स्वच्छ कोयले के 14% राख स्तर पर कोयले को धोने के लिए एक बोली दस्तावेज तैयार किया गया है और बीसीसीएल को सौंपागया है। बोली दस्तावेज का तकनीकी मूल्यांकन सीएमपीडीआईएल द्वारा पूरा किया गया और बीसीसीएल को सौंपागया।

सीआईएल के लिए बिल्ड–ऑपरेट कॉन्सेप्ट पर सैंड/एग्रीगेट सेग्रीगेशन प्लांट (ओबी टू सैंड) की स्थापना के लिए एक मॉडल इंटीग्रेटेड बिड डॉक्यूमेंट (आरएफक्यू और आरएफपी) तैयार किया गया है और इसे सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीसीएल से ओबी टू सैंड/एग्रीगेट सेग्रीगेशन प्लांट के लिए बोली दस्तावेज के अनुकूलन के लिए कार्यादेश प्राप्त हो गया है। रेनोवेट–ऑपरेट–मेंटेन (रोम) अवधारणा पर बीसीसीएल की मौजूदा कोकिंग कोल वाशरीज के नवीनीकरण के लिए एक मॉडल बोली दस्तावेज भी तैयार किया गया है और सीआईएल को सौंपा दिया गया है। दस्तावेज़ सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।

सीएमपीडीआईएल कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के व्यावसायिक विकास की सुविधा देने तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक और अनुसंधान एवं विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए सीआईएल लीज होल्ड एरिया में सीएमपीडीआईएल द्वारा शुरूआत में तीन सीबीएम ब्लॉकों, मुख्यतः 1) झरिया सीबीएम ब्लॉक– I(बीसीसीएल एरिया) (II) रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल क्षे) एवं (III) सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक (एसईसीएल एरिया) की पहचान की है। सीएमपीडीआइ संबंधित अनुषंगी कंपनियों सहित मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) के तहत सीबीएम के विकास के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। सीबीएम डेवलपर (सीबीएमडी) के जरिए सीबीएम के व्यावसायिक कर्षण हेतु संबंधित अनुषंगी बोर्ड द्वारा झरिया सीबीएम–I ब्लॉक (बीसीसीएल क्षेत्र), रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल एरिया) एवं सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक (एसईसीएल एरिया) के संभाव्यता परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की अनुमति सिद्धांततः दे दी गई है और रानीगंज सीबीएम ब्लॉक एवं झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए मई, 2020 में ही निविदा जारी की जा चुकी थीजिसे कोई प्रस्ताव नहीं मिला। नोटिस इनवाईटिंग आफर (एनआई) और मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग कंट्रेक्ट (एमआरएससी) पर बिडरों के सुझावों को शामिल करते हुए सीएमपीडीआई द्वारा संशोधित बिड दस्तावेज तेयार किया गया इसके पूर्व सीआईएल के एफडी द्वारा अनुमोदन प्रापत कर लिया गया था। झरिया सीबीएम ब्लॉक–I के लिए एक बोली प्राप्त हुई थी और तकनीकी–व्यावसायिक रूप से कार्य प्रदान करने के लिए योग्य थी। सफल बोलीदाता यानी मैसर्स प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 8 जून, 2021 को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया है और 20 सितंबर, 2021 को राजस्व साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि, रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक के लिए बाद में दिसंबर 2020 में सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए निविदा जारी की गई थी, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। सीआईएल लीजहोल्ड के भीतर बीसीसीएल और सीसीएल कमांड क्षेत्रों में अतिरिक्त सीबीएम ब्लॉकों की पहचान के लिए

सीएमपीडीआईएल/सीआईएल द्वारा भी कदम उठाए गए हैं। झरिया कोलफील्ड में मूनीडीह यूजी माइन (बीसीसीएल) में कोल माइन मीथेन ड्रेनेज पर एक प्रदर्शन परियोजना को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक कोयला गैसीकरण के लिए 100 मीट्रिक टन कोयले का उपयोग करने के दृष्टिकोण को देखते हुए, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और सीसीएल ने सिंथेसिस गैस और संभावित डाउनस्ट्रीम उत्पाद (उत्पादों) के लिए बुनियादी स्तर पर एक कोयला संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक हैं। सभी चार सहायक कंपनियां मेथनॉल, अमोनिया, एसएनजी, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन के लिए मूल कच्चे माल के रूप में कोयले का उपयोग करेंगी। सभी चार कोयला गैसीकरण संयंत्रों की पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है और सीएमपीडीआईएल को ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और सीसीएल में सभी चार गैसीकरण परियोजनाओं के विकास से संबंधित कार्य करने के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) बनाया गया है।

कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया की आरएंडडी बोर्ड के एसएंडटी अनुदान के तहत अनुसंधान क्रिया–कलापों में समन्वय के लिए भी सीएमपीडीआईएल को नोडल एजेंसी बनाया है। वर्षों से इन अनुसंधान परियोजनओं से परिचालन में सुधार, सुरक्षिक वर्किंग स्थिति,बेहतर रिसोर्स रिकवरी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है, जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनओं से उद्योगों पर प्रत्यक्ष रूप से टैन्जीथल प्रभाव पड़ा है तथा कुछ अन्य से भावी खनन योजनाओं और आपरेटिंग खान दोनों द्वारा अपेक्षित माइन प्लानिंग, डिजाइन एवं तकनीकी सेवाओं को मजबूती मिली है। कोल/लिग्नाइट उद्योग के लिए लाभदायक आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य के लिए अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों, कोल/लिग्नाइट उत्पादक कंपनियों को अधिक–से–अधिक शामिल करने के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में 40 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन है।

एमओसी के दिशा–निदेर्श के अनुसार कोल और लिग्नाइट सेक्टर में भावी अनुसंधान कें लिए नए प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। कोयला उद्योग के कम्प्लेक्स आपरेशंस को पता लगाने के लिए तथा वर्तमान जरूरत को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटलीजेंस एवं मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग, एडवांस प्रौद्योगिकी के इनोवेशन एवं स्वदेशीकरण (आत्म–निर्भर भारत) जैसे कुछ नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कोयला अनुसंधान के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों भारत के प्र्रुख सभी अनुसंधान संस्थानों के बीच इसे प्रसारित किया गया है, जिससे की आने वाले वर्षों में उनके द्वारा मूल्यवान परियोजना प्रस्तावों की आशा बनी रहेगी।

सीएमपीडीआईएल आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 50001 तथा आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 50001 तथा आईएसओ 27001, ओएचएसएएस 180001, आईएसओ 37001 आदि जैसे विभिन्न मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएँ प्रदान करता है। सीएमपीडीआईएल इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों को संशोधित नए आईएसओ 9001:2015 मानक की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है। सीएमपीडीआईएल के वर्तमान आईएमएस मैनुअल में आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 27001 और आईएसओ 50001 शामिल हैं। सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची ने आईएसओ 37001:2016 – रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली को भी लागू किया है और बीआईएस द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय मानक के खिलाफ प्रमाणीकरण प्राप्त किया है, जो 17.01.2024 तक वैध है।

सीएमपीडीआईएल ने एमएस प्रोजेक्ट सर्वर स्थापित किया है जिसके माध्यम से सीआईएल और एमओसी द्वारा सीआईएल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। सीएमपीडीआई ने एमओसी के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर पोर्टल विकसित किया है और कोल एक्सचेंज

की स्थापना पर रोडमैप रिपोर्ट भी तैयार की है। खान डेटा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएस) विकसित किया गया था जो सीआईएल द्वारा निगरानी की जा रही परियोजनाओं की मुख्य विशेषताओं को दर्शाता है। सीएमपीडीआईएल को संपूर्ण कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ई–ऑफिस के कार्यान्वयन का कार्य भी सौंपा गया है। सीएमपीडीआई कंपनी में डेटा एनालिटिक्स शुरू करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए परियोजनाओं की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। डेटा एनालिटिक्स से सीएमपीडीआई में सूचना प्रसंस्करण क्षमताओं को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की उम्मीद है। डायनामिक डैशबोर्ड और प्रेडिक्टिव एनालिसिस जैसी सुविधाओं से कंपनी को प्रौद्योगिकी–सक्षम कार्य क्षेत्र की दिशा में विशाल कदम उठाने में मदद मिलने की संभावना है। इसके बाद, सीएमपीडीआई की कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को डेटा एनालिटिक्स में परामर्श सेवाएं देने की योजना है।

1.3.10 सीएमपीडीआइएल और कोल इंडिया के बीच एमओयू :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सीएमपीडीआईएल फिजिकल और वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए कोल इंडिया के साथ एमओयू करता है। उपलब्धियों को 1–5 तक के स्केल पर वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक उत्कृष्ट 1.0 से 1.5 तथा खराब 4.51 से 5.0 तक दिया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआईएल को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा उत्कृष्ट (1.002) रेटिंग दी गई जो सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोत्तम है तथा अपने सिन्डकेट में प्रथम था । वित्तीय वर्ष 2015–16 से ग्रेडिंग सिस्टम को 5 प्वाईंट स्केल से बदलकर प्रतिशत प्रणाली में दिया गया। सीएमपीडीआईएल को दो साल को छोड़कर 2007–08 से 2019–20 तक उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग से सम्मानित किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एमओयू का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

1.3.11 जोखिम और चिन्ताएँ

- बोर होल में सघनता में वृद्धि के साथ वन क्षेत्र में वेधन के लिए अनुमति प्राप्त करना और कानून एवं व्यवस्था की समस्या वेधन के रास्ते में बड़ी रूकावट है।
- क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में विस्तृत गवेषण क्षमता बनाए रखना कठिन प्रतीत होता है। वन क्षेत्र में गवेषण के प्रतिबंधित होने से विस्तारण कार्यक्रम में समस्या आ सकती है।
- गैर–सीआईएल ब्लॉकों में प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन और विस्तृत ड्रिलिंग के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा निधि में कमी के साथ–साथ सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग मीटरेज की घटती उपलब्धता।
- कोयला क्षेत्र को खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी सेवा प्रदाताओं के साथ बाजारू प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है।
- कंपनी अधिनिमय के तहत प्रावधानों के अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कोल इंडिया के दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड स्तर के की अध्यक्षता में सीएमपीडीआईएल में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

1.3.12 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- सीएमपीडीआईएल के पास व्यवसाय को सहज एवं प्रभावकारी ढंग से तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा प्रक्रिया काफी सशक्त है।
- निर्बाध रूप से निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार उपलब्ध है।
- समरूप अनुपालन के लिए लेखा–जोखा तैयार करने हेतु दिशा–निर्देशों का लगातार अनुसरण किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक अंकेक्षण समिति गठित की गई है।

- आंतरिक अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/कोस्ट एकाउंटेन्ट फर्म द्वारा किया जाता है।
- आंतरिक अंकेक्षण द्वारा डिजाइन किया गया मुख्य कंट्रोल की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण तथा मुख्य नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- विसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है तथा इसका अनुसरण किया जा रहा है।

1.3.13 मानव संसाधन में भौतिक विकास :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण सीएमपीडीआईएल के कर्मियों का वेतन, मजदूरी तथा लाभ का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कोयला कामगारों के लिए 5 वर्ष में एक बार तथा अधिकारियों केलिए 10 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है। सीएमपीडीआईएल अपने कर्मचारियों, मध्यम और वरीय प्रबंधन अधिकारियों, अन्य स्तर के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए सतत् प्रशिक्षण और विकास के अवसर उपलब्ध करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कराता है। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट को संबंधित भाग (पोर्सन) में शामिल किया गया है।

1.3.14 परिचालन कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय उपलब्धि पर विचार-विमर्श :

कंपनी की आय मुख्यतः कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्शी सेवा से प्राप्त आय अन्य आय एवं अर्जित ब्याज भी शामिल है। गत वर्ष की 1508.70 करोड़ रू. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल आय 1238.26 करोड़ रू. है, इस प्रकार कुल कमी 17.92 प्रतिशत दर्ज की गई।) वित्त वर्ष 2021–22 में 1094.19 करोड़ रू. के मुकाबले कुल व्यय 872.22 करोड़ रू. है (निम्न ओबीआई) जो 20.30% से कम है।

आयकर व्यय में आयकर अधिनियम, यथासंशोधित के संबंधित प्रावधान के अनुसरण में परिकलित वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय या क्रेडिट शामिल है। वर्तमान कर के लिए प्रावधान की पहचान भत्ते तथा आयकर अधिनियम के अनुरूप छूट के लिए अनुमानित कर देयता के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पत्ति तथा देयता की पहचान समय अंतराल कारण भावी कर परिणाम के लिए किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि तक लागू कर दर तथा कर विनियमन का उपयोग कर इनका पता लगाया जाता है। कर के दर के कारण पड़ने वाले प्रभाव की पहचान दर के परिवर्तन वाले संबंधित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण में की जाती है। अग्रेषित हानि के मामले में आस्थगित कर की पहचान उस सीमा तक की जाती है कि वर्चुअल निश्चितता हो जहाँ पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगा, जिसके विरूद्ध इस तरह की आस्थगित कर परिसम्पत्ति की वसूली की जा सके।

गत वर्ष के 414.49 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) की तुलना में 366.04 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) कर से पूर्व लाभ हुआ जो 48.45 करोड़ रू.कमी है। गत वर्ष के लिए 316.96 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) की तुलना में कर पश्चात् लाभ 282.12 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) कर पश्चात् लाभ है। 34.84 करोड़ रू. कम है।

1.4.0 सीएमपीडीआईएल का वित्तीय पर्यावलोकन

वर्ष के दौरान कंपनी को 282.12 करोड़ रू. कर पश्चात् लाभ हुआ। विगत तीन वर्षों का कार्यकारी परिणाम इस प्रकार है :

(करोड रू. में)

	योग्यता मानदण्ड	सीएमपीडीआईएल की स्थिति		
		वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22
1.	कर पूर्व लाभ (करोड रू. में)	312.62	414.49	366.04
2.	कर बाद लाभ (करोड रू. में)	193.39	316.96	282.12
3.	टर्न ओवर (करोड रू. में)	1381.31	1488.60	1208.43
4.	टर्न ओवर के लिए कर पूर्व लाभ (प्रतिशत)	22.63	27.84	30.29
5.	प्रतिशयर अर्जन (रूपये में)	1354.27	2219.61	1975.63

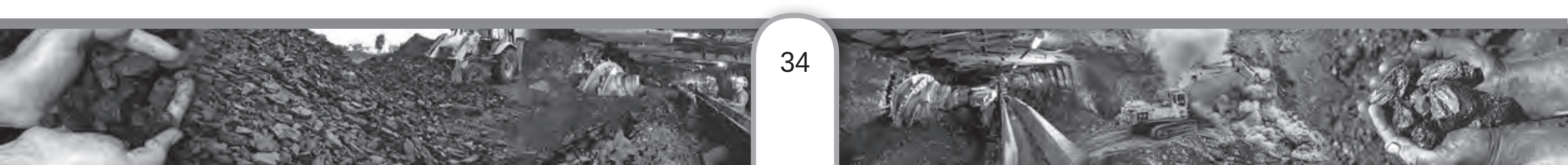

1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

सांविधिक अंकेक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक विपरीत रिर्माक (टिप्पणी) अथवा आरक्षण, योग्यता पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी तथा सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट को परिशिष्ट–4 के रूप में संलग्न किया गया है।

सचिवीय अंकेक्षकों द्वारा किए गए रिर्माक (टिप्पणी) पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण ओर सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–5 में दिया गया है।

1.4.2 कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को दिए गए ऋण, किए गए निवेश अथवा की गई गारंटी अथवा उपलबध कराए गए सिक्युरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी में रेसिपिएंट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी के उद्‌देश्य के पूरे विवरण को वित्तीय विवरण में सदस्यों के लिए प्रकट करना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्युरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी रू. 150 करोड़ की अधिकृत पूंजी की तुलना में रू. 142.80 करोड़ है। पूंजी आरक्षित रू. 18.90 करोड़ है, सामान्य आरक्षित रू. 29.95 करोड़ है और पीएल खाते में अधिशेष रू. 822.87 करोड़ (प्रतिधारित आय ़ओसीआई) है और पूरी तरह से शेयरधारकों के कोष में रू. 995.62 करोड़ है। गैर–चालू देयता रू.177.94 करोड़ और वर्तमान देनदारियां रू. 510.03 करोड़। कंपनी की शुद्ध अचल संपत्ति का मालिक है।

रू. 194.45 करोड़, आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) रू. 66.97 करोड़, अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां रू. 57.84 करोड़ (सीडब्ल्यूआईपी, अमूर्त, विकास के तहत अमूर्त, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और अन्य गैर–वर्तमान संपत्तियां) और वर्तमान संपत्तियां रू. 1373.56 करोड़।

संचालन और अन्य आय से कुल राजस्व रू.1238.26 करोड़ है और सभी व्यय और करों को पूरा करने के बाद, शुद्ध लाभ रू. 282. 12 करोड़ है। प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रू.1000 प्रति शेयर) रू. 1975.63 बनता है।

1.4.4 31 मार्च, 2022 तक का पूँजीगत व्यय

(करोड़ रू. में)

	2020-21	2021-22
भूमि एवं भवन	14.23	5.51
प्लांट एवं मशीन	22.01	24.92
कार्यालय उपकरण	0.12	0.05
फर्नीचर	0.93	1.79
टेलीकाम	0.03	0.01
वाहन	1.04	.
साफ्टवेयर	4.49	8.02
ईआरपी अल्प विकास	.	2.3
कुल	**42.85**	**42.60**

* कैम्पेक्स जीएसटी सहित वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रू. 48.34 करोड़ है।
* कैम्पेक्स जीएसटी सहित दिसम्बर के लिए रू. 32.9 करोड़ है।

1.4.5 अंतरिम लाभांश की घोषणा :

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में 23 मार्च, 2022 को आयोजित 256वीं सीएमपीडीआईएल की बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने अंतरिम लाभांश की मंजुरी दे दी है जिसका आधार 31 दिसम्बर, 2021 की अवधि के लिए कार्यकारी परिणाम के तहत 60.59 करोड़ रू. अर्थात् रू. 424.30 प्रतिशेयर (लाभांश) 14,28,000 इक्विटि शेयर

पर दिया गया। कर पश्चात् चालू वर्ष का लाभ 1000/– प्रत्येक (शेयर का अंकित मूल्य) का इक्विटि शेयर तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 31.12.2021 तक कंपनी के प्राक्कलित लाभ एवं हानि में अधिशेष को घोषित किया गया है।

1.4.6 31.03.2022 के बाद मेटेरियल परिवर्तन :

मेटेरियल और कमिटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं जिससे कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, जो रिपोर्ट की तिथि तथा वित्तीय विवरण से सम्बद्ध हो।

1.5 निगमित शासन

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन तथा कार्यनिष्पादन की मॉनिटरिंग की पद्धति का एक सेट है।

अंकेक्षक द्वारा किए गए रिमार्क पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण तथा कारपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट के रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–3 में संलग्न किया गया है।

1.6 कंपनी का दर्शन

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, पारदर्शिता, इंटीग्रिटि, विश्वसनीयता, कंफीडेंसियलिटि, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिसक्लोजर और रिपोर्टिंग जो नियम, अधिनियम विनियमन और दिशा–निर्देश का पालन करता हो, को सुनिश्चित करना है।

निगमित शासन गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने निम्नलिखित को शामिल करते हुए सुस्पष्ट नीति बनाई है :

- निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता (कोड आफ कंडक्ट)।
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग के संरक्षण के लिए आचार संहिता।
- विसिल ब्लोअर पालिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

1.7 निदेशक मंडल

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या को समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को रखने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठक, शुल्क आदि दिए जाते हैं।

क) निदेशक मंडल का आकार

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम–से–कम तीन (3) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक कार्यकारी निदेशक/कार्यकारी अथवा सरकारी अंशकालीक निदेशक या गेर–सरकारी अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख) निदेशक-मंडल का कोटिवार गठन :

31 मार्च, 2022 के अनुसार सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में 8 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित तीन (3) पूर्णकालिक निदेशक दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा (3) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार इस बोर्ड के अध्यक्ष है। कंपनी के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित (3) स्वतंत्र निदेशक हैं। पहले नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों के पद की समाप्ति के बाद कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शेष (2) स्वतंत्र निदेशकों की अभी नियुक्ति की जानी हैं। बोर्ड के गठन के संबंध में निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुसार ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

31 मार्च, 2022 के अनुसार निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है :

I. पूर्णकालिक निदेशक

क. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1. श्री मनोज कुमार

ख. कार्यकारी निदेशक

1. श्री रवीन्द्र नाथ झा
2. श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता

II. सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री बी. वीरा रेड्डी
2. श्री मुकेश चौधरी

III. गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. डा. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय
2. श्रीमती अलका पांडा
3. श्री प्रमोद सिंह चौहान

IV. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. श्री अजितेश कुमार

ग) आयोजित बोर्ड की बैठक की संख्या तथा तिथि

कंपनी का सर्वोच्च निकाय निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के संपूर्ण कार्यो की रेख–रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बारह (12) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थी, जो इस प्रकार है :

क्रम संख्या	बैठक की संख्या	तिथि	दिन	स्थान
1.	245वीं	18.04.2021	रविवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
2.	246वीं	29.04.2021	गुरूवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
3.	247वीं	28.05.2021	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
4.	248वीं	19.07.2021	सोमवार	सीएमपीडीआईएल, राँची

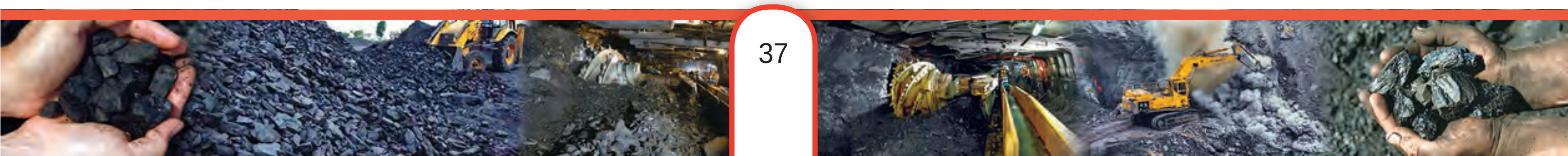

क्रम संख्या	बैठक की संख्या	तिथि	दिन	स्थान
5.	249वीं	03.08.2021	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
6.	250वीं	24.09.2021	शुक्रवार	सीआईएल, कोलकत्ता
7.	251वीं	30.10.2021	शनिवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
8.	252वीं	24.12.2021	शनिवार	पुरी
		25.12.2021	रविवार	भुवनेश्वर
9.	253वीं	31.01.2022	सोमवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
10.	254वीं	05.02.2022	सोमवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
11.	255वीं	25.02.2022	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
12.	256वीं	23.03.2022	बुधवार	सीएमपीडीआईएल, राँची

घ. निदेशक मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक	उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
कार्यकारी निदेशक				
1.	श्री शेखर सरन	2	2	-.
2.	श्री मनोज कुमार सीएमडी, डब्लूसीएल	2	2	-
3.	श्री बिनय दयाल	2	2	हाँ
4.	श्री मनोज कुमार	6	6	-
5.	श्री आर. एन. झा	12	10	हाँ
6.	श्री ए. के. राणा	11	10	हाँ
7.	श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता	12	12	हाँ
अंशकालीन सरकारी निदेशक				
8.	श्री बी. वीरा रेड्डी	2	2	-
9.	श्री विनय दयाल	7	4	हाँ
10.	श्री मुकेश चौधरी	12	10	-
अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक				
11.	डा. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	12	12	हाँ
12.	श्रीमती अलका पांडा	12	12	हाँ
13.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	12	12	हाँ

क्रम संख्या–8 कोल इंडिया द्वारा 24.02.2022 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।

क्रमांक नंबर 9 को कोल इंडिया लिमिटेड से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। (09.11.2017 से 18.07.2021 और 04.10.2021 से 31.01.2022 तक)।

क्रम संख्या 10 कोयला मंत्रालय द्वारा 26.05.2020 से सरकारी–नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।

ड़. 31 मार्च, 2022 के अनुसार रूचि का प्रकटीकरण

क्र.सं	निदेशकों के नाम	जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं	रूचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक प्रबंधक एवं सचिव
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री मनोज कुमार	शून्य	–
2.	श्री आर.एन.झा	शून्य	–
3.	श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता	सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड	निदेशक
अंशकालीन सरकारी निदेशक			
4.	श्री बी. वीरा रेड्डी	1. सीएमपीडीआई लिमिटेड 2. कोल इंडिया लि. (भारत सरकार का उपक्रम 3. कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्रा. लिमिटेड 4. हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड 5. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 6. साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड 7. सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड 8. सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड 9. तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1. नामांकित निदेशक 2. निदेशक (तकनीकी) 3. नामांकित निदेशक 4. उपाध्यक्ष 5. नामांकित निदेशक 6. नामांकित निदेशक 7. निदेशक 8. निदेशक 9. नामांकित निदेशक
5.	डा. मुकेश चौधरी	शून्य	.
अंशकालीन गैर-सरकारी			
6.	डा. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	शून्य	.
7.	श्रीमती अलका पांडा	शून्य	.
8.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	अष्ट विनायक रिलेटर्स प्रा.लि.	निदेशक

च. बोर्ड की मीटिंग के समक्ष रखी गई सूचना

कंपनी बोर्ड के भीतर की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- पूंजी एवं राजस्व बजट
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम
- कंपनी के कार्य–निष्पादन की आवधिक संवीक्षा,
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की सांविधिक समीक्षा
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवधिक समीक्षा
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट इत्यादि
- अंकेक्षक समिति, सीएसआर समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति बैठक का कार्यवृत
- बड़े कंट्रेक्ट/एग्रीमेंट को देना
- अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित स्थिति और डायरेक्टरशिप के बारे में निदेशकों की रूचि का प्रकटीकरण
- स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वतंत्र की घोषणा
- श्रम–शक्ति बजट
- कोई अन्य मैटेरियली महत्वपूर्ण सूचना

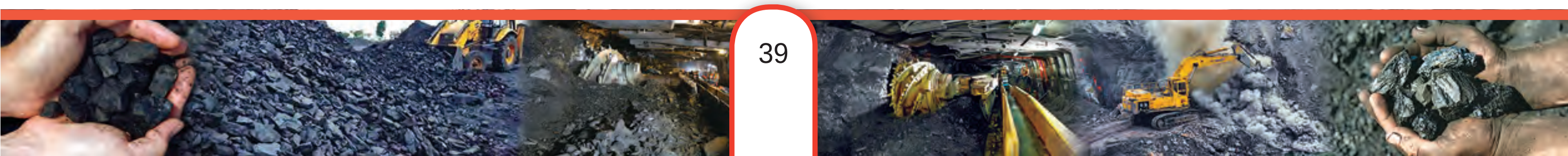

1.8 निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल :

श्री मनोज कुमार (**डीआईएन 09225497**) वर्ष 1986 में IIT-BHU, वाराणसी से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1990 में प्रथम श्रेणी के खदान प्रबंधक का योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 1986 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के कोरबा क्षेत्र से कोयला उद्योग में अपना करियर शुरू किया। और यूजी और दोनों खानों के क्षेत्र स्तर पर काम करने का व्यापक अनुभव है।

वह 1998 में सीएमपीडीआईएल में शामिल हुए और उन्होंने यूजी और ओसी खान योजना में काम किया और भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानों जैसे गेवरा, कुसुमुंडा और दीपका खानों की योजना बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें सीएमपीडीआईएल के तीन क्षेत्रीय संस्थानों के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में 9 साल का प्रशासनिक अनुभव भी है, जहाँ उन्होंने एनसीएल, एसईसीएल और सीसीएल के लिए भविष्य का रोडमैप में मदद की।

वह सीएमपीडीआईएल के सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस के एचओडी भी थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सीआईएल के सीबीएम ब्लॉकों की पहली दो परियोजना रिपोर्टों को मंजूरी दी। उन्हें वर्ष 2019 में कोल इंडिया स्तर पर सर्वश्रेष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सम्मानित किया गया था।

उन्होंने आधिकारिक क्षमता में पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान का दौरा किया और वैश्विक खनन प्रथाओं का अनुभव किया।

दिनांक 04.10.2021 से वे सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं।

श्री बिनय दयाल (**डीआईएन 07367625**) कोल इंडिया के निदेशक (तकनीकी) है तथा सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिनांक : 19.07.2021 अपराह्न से सौंपा गया है। श्री दयाल 1983 में भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक है। उन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

उन्होंने कोल इंडिया में कनीय अधिकारी (प्रशिक्षु) के रूप में ज्वाइन किया और उन्हें 1983 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सेंट्रल सौदा कोलियरी, बरकाकाना क्षेत्र में पदस्थापित किया गया। सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में तकनीकी सेवाओं तथा जनसंपर्क प्रमुख, क्षेत्रीय निदेशक, सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर, साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग सर्विसेस) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। 01.12.2015 को उन्होंने निदेशक तकनीकी (इंजीनियरिंग सर्विसेज), सीएमपीडीआईएल का प्रभार ग्रहण किया। वे दिनांक : 01.12.2015 से 11.10.2017 तक सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी), (आयोजन एवं अभिकल्पन) रहे।

श्री दयाल को कारपोरेट प्लानिंग तथा पब्लिक रिलेशन्स एक्टिविटि में व्यापक अनुभव है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मेगा प्रोजेक्ट के प्लानिंग, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन एवं कोरबा एवं मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र में विस्तृत गवेषण के लिए हाई–टेक ड्रिलों को लगाकर उत्पादकता में वृद्धि का श्रेय उन्हें ही जाता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग सर्विसेज) के रूप में उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के कार्य का रोड मैप भी तैयार किया है।

उन्हें माँद रायगढ़, कोरबा कोयला क्षेत्र से कोयले के निकास (ढुलाई) के लिए रेल कॉरीडोर हेतु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (एसईसीएल, इरकान तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सहित) जैसे संयुक्त उद्यम वाली कंपनी के बोर्ड में एसईसीएल का प्रतिनिधित्व भी किया।

श्री दयाल ने वर्ष 2007 के दौरान आस्ट्रेलिया में आयोजित ''इंडिया–आस्ट्रेलिया ज्वाईट वर्किंग ग्रुप ऑन एनर्जी एंड मिनरल'' की 5वीं बैठक में भारतीय सदस्य के रूप में भाग लिया। उन्होंने सितम्बर, 2010 में एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रतिभागी के रूप में चाइनीज कोल इंडस्ट्रीज का दौरा किया। वर्ष 2011 एवं 2012 में एबानडेंड कोलसीम के खान से ऊर्जा में बदलने तथा ग्रीन हाऊस जैसे रिकवरी पर ईयू रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सीएमपीडीआई की ओर प्रशासनिक प्रमुख भी थे। उन्होंने इस्तांबुल, तुर्की में 2011 में आयोजित 22वीं वर्ल्ड माइनिंग काँग्रेस एंड एक्सपो 2011 में भाग लिया तथा तकनीकी आलेख भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कोयला उद्योग से संबंधित अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे एमजीएमआई तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआई) के आजीवन सदस्य हैं।

उन्हें सीएमपीडीआईएल में आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 09.11.2017 से 18.07.2021 और 04.10.2021 से 31.01.2022 तक उन्हें 19.07.2021 से 04.10.2021 (एफ/एन) तक सीएमपीडीआईएल का अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) सौंपा गया है।

श्री मनोज कुमार (**डीआईएन 08298541**) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद 198 5 बैच के खान इंजीनियर हैं। उन्होंने वर्ष 1989 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने एम.टेक किया। 1993–94 में आईएसएम, धनबाद से रॉक उत्खनन इंजीनियरिंग में एमटेक किया और स्वर्ण पदक के प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने खनन उद्योग में अपना करियर डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल से शुरू किया। वह तीन दशकों से अधिक समय से कोयला उद्योग की सेवा कर रहे हैं। इस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न क्षमताओं मे डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और ईसीएल में कार्य किया।

उन्होंने 1 जनवरी, 2021 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, डब्ल्यूसीएल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत थे।

उन्हें कठिन भूमिगत खनन विधियों और कंटीन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। भूमिगत और ओपनकास्ट कोयला खनन के अपने विशाल व्यावहारिक अनुभव के साथ, योजना और अनुबंध प्रबंधन के अनुभव से समृद्ध, उन्होंने उन स्थानों पर उत्पादन की वृद्धि और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जहां उन्होंने काम किया है। हमेशा की तरह व्यवसाय चलाने के अलावा, वह लीक से हटकर दृष्टिकोण अपनाते हैं और नई पहलों को लागू करते हैं। कोयला उत्पादन को लगातार बढ़ाने और निदेशक (तकनीकी) के रूप में लगातार 2 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने के लिए रोडमैप को लागू करने की उनकी दृष्टि और व्यावहारिक प्राप्ति उनकी क्षमता और विचार को वास्तविकता में करने के दृढ़ संकल्प की बात करती है।

अपने पूरे करियर में सुरक्षा हमेशा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। उनके निरंतर प्रयास ने डब्ल्यूसीएल को दुर्घटना की दर को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद की है और कंपनी को दिसंबर 2019 में भारत सरकार से 7 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके सक्षम नेतृत्व के तहत, कंपनी को जनवरी 2021 में कोयला मंत्री के स्थिरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उन्होंने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के रूप में भी नामित किया गया है। उनके पास 1 मई 2021 से 19 जुलाई 2021 (ए/एन) तक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआई लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार भी है।

श्री मनोज कुमार के पास संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिनेवा की यात्रा के दौरान उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों के

अंतरराष्ट्रीय अनुभव के अलावा देश के विभिन्न स्थानों पर काम करने का घरेलू अनुभव है।

उन्हें 01.05.2021 से 19.07.2021 अपराह्न तक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

श्री शेखर सरन (डीआईएन **06607551**) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड जो पूरे देश में कोयला और खनिज गवेषण तथा परामर्शी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, के अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक हैं। उन्हें 31.10.2016 के तत्काल प्रभाव से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी मिला तथा सीआईएल और बीसीसीएल के बोर्ड सदस्य भी हैं। श्री सरन उत्पादन और उत्पादकता में नए मानकों की स्थापना में खानों के परिदृश्य को यंत्रीकृत खान डेवलपर और स्वरूप बदलने वाले के रूप में उद्योग को अपने अपूर्व सहयोग और नए रास्ते तलाशने वाले के रूप में जाने जाते हैं।

उन्होंने जून, 2013 में निदेशक (तकनीकी) के रूप में सीएमपीडीआईएल में पदभार ग्रहण किया और कोल सिसोर्स डेवलपमेंट के कार्यों की देख–रेख की । उसके बाद दिसम्बर, 2015 तक प्लानिंग एंड डिजाइन का कार्य संभाले। 1 जनवरी, 2016 को उन्होंने सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

1981 बैच के श्री सरन ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीरियरिंग, इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) वर्तमान में आईआईटी (बीएचयू)से स्नातक है। अपने बैच के टॉपर होने के कारण उन्हें बीएचयू के गोल्ड मेडल के साथ–साथ एमजीएमआई से राबर्टन मेडल से नवाजा गया। तदनन्तर वर्ष 2013–15 के दौरान, उन्होंने आईआईएम, राँची से अधिकारियों (पीजीईएक्सपी) के लिए प्रबंधन में पोस्ट–ग्रेजुएट प्रोगाम की डिग्री भी ली।

सीएमपीडीआईएल में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने ईस्टर्न जेट से सब एरिया मैनेजर के रूप में एसईसीएल के सोहागपुर, हसदेव और विश्रामपुर क्षेत्र, एजेंट और सीजीएम के रूप में ईसीएल के कुनुस्तोरिया, सतग्राम और सोदेपुर क्षेत्र तथा अंत में सीजीएम (पीएंडपी) के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय में कार्य किया। उन्हें विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बड़ी खुली खदान और भूमिगत खदान के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। जब वे एसईसीएल में कार्यरत थे तब उन्होंने रूफ बोल्टिंग/स्टील सपोर्ट का प्रयोग कर मैनुअल भूमिगत खान को यंत्रीकृत खान में बदला। उन्होंने विभिन्न सेमिनारों/कार्यशाआलों में बहुत सारे तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे 26 वर्षों से अधिक समय तक रेस्क्यू प्रशिक्षित सदस्य भी रहे तथा भूमिगत खानों में रेस्क्यू और रिकवरी आपरेशन में भी भाग लिया।

उन्होंने यू.के., जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएस, कनाडा एवं स्वीटजर लैंड आदि जैसे देशों का अनेकों बार भ्रमण किया है। वे एक एनसीसी प्रमाण पत्र धारक और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उन्हें कोल माइनिंग प्रोडक्शन में इनोवेटिव टेक्नीक और अनोखे विचार वाला जाना जाता है। उन्हें कारपोरेट लाइफ और मानव संसाधन के विकास में इसकी सर्वोतमता में विश्वास है। उनकी पसंद में कोल इंडिया इस तरह समाहित है कि स्थाई सदस्य के रुप में कोल इंडिया के निदेशक मंडल की बैठक में हमेशा उनकी उपस्थिति बनी रहती थी।

वे 01.01.2016 से 30.04.2021 तक अध्यक्ष –सह–प्रबंध निदेशक थे और दिनांक 18.04.2019 से 02.08.2019 तक बीसीसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहे थे।

श्री मुकेश चौधरी (डीआईएन **07532479**) यांत्रिक अभियंत्रण (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक, एमबीए तथा सीएफए डिग्रीधारी है। ये वर्ष 1997 से इंडियन आर्डिनेन्स फैक्टरी सर्विस (आईओएफएस) के अधिकारी हैं।

इन्होंने 17.3.2016 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (सीएलडी) के पद पर योगदान दिया है।

इन्हें ओएफएससी, नागपुर (1997–1999), वीएम/डीजीएम, जीएसएफ, कोलकाता (1999–2009), डीजीएम, एसएएफ, कानपुर (2009–2010 तथा संयुक्त महाप्रबंधक/ निदेशक, कानपुर (2010–2016) के पद पर कार्य करते हुए 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

ये 29.11.2019 से 17.3.2020 तक एनएलसी के अंशकालिक सरकारी निदेशक थे तथा 11.1. 2019 से 5.6.2020 तक एससीसीएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे।

इन्हें 05.06.2020 से 02.01.2022 तक सीसीएल के बोर्ड में सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

इन्हें 26.5.2020 से सीएमपीडीआईएल के निदेशक–मंडल में सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री बी वीरा रेड्डी (डीआईएन 08679590) ने 1 फरवरी 2022 से निदेशक (तकनीकी), सीआईएल का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वे 01.01.2020 से 31.01.2022 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन थे। उन्होंने वर्ष 1986 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स से खनन में बी.टेक किया और वर्ष 1990 में डीजीएमएस द्वारा प्रथम श्रेणी प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 2000 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स से माइन प्लानिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी पूरा किया है। श्री रेड्डी वर्ष 1987 में एससीसीएल में शामिल हुए और उन्हें कोयला खनन, योजना, खरीद और संचालन में 32 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड और ओपनकास्ट खानों और एससीसीएल के कॉर्पोरेट प्लानिंग विभाग में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी के एड्रियाला लॉन्गवॉल प्रोजेक्ट एरिया के महाप्रबंधक के रूप में काम किया।

उन्हें सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में 24.02.2022 से सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ झा (डीआईएन 05195902) भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद से 1985 में खनन अभियांत्रिकी से स्नातक हैं। इन्होंने 1990 में डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी माइन मैनेजर कम्पीटेंसी सर्टिफिकेट (कोल) प्राप्त किया है। ये एक प्रमुख क्वालिटि सिस्टम ऑडिटर भी हैं। और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक हैं।

इन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत भारत के सबसे गहरे कोयला खान, ईसीएल के चिनाकुरी के पिट–1 एवं 2 से की है। इन्होंने स्टोविंग माइन सहित लौंगवाल में भी कार्य किया है। ईसीएल में 7 वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद वे 1992 में सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने सीएमपीडीआई और इसके विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों के परियोजना मॉनीटरिंग/एप्रेजल डिविजन, खुली खदान खनन, भूमिगत खनन और पर्यावरण विभागों में कार्य किया है।

इन्होंने जनवरी, 2012 में निदेशक (तकनीकी) के रूप मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड में योगदान दिया।

एमईसीएल को उनकी कार्य अवधि में मिनीरत्न (श्रेणी–II) कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ।

- एमईसीएल 25 वर्षों के अंतराल के बाद 2014 में भारत सरकार को डिविडेंड (लाभांश) देना शुरू किया।
- एमईसीएल ने वर्ष 2012 में डीआरडीओ के लिए चुमाथन (लेह के निकट) में एक

भू–तापीय परियोजना सफलतापूर्वक पूरा किया है।

- इनके कार्यअवधि में वेधन वर्ष 2012 में 2.96 लाख मीटर से बढ़कर वर्ष 2018 में 6.32 लाख मीटर हो गया और (PAT) पीएटी रू. 10 करोड़ से बढ़कर रू. 95 करोड़ हो गया।
- एमईसीएल मार्च, 2018 में तीसरा वेतन समझोता करने वाली पहली पीएसयू है।
- एमईसीएल ने माननीय कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्रप्रधान द्वारा फरवरी, 2018 में मिनी रत्न पीएसयू के बीच सर्वोत्तम वित्तीय कार्य निष्पादन के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा ''हिन्दुस्तान रत्न'' का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- इन्होंने फरवरी, 2018 में, मुंबई में आयोजित वर्ल्ड एचआर कांग्रेस द्वारा एचआर ओरिएंटेशन सहित सीईओ का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

ये मिनरल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट माइनिंग से संबंधित विभिन्न समितियों में एमईसीएल और खान मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। ये कनाडा, दुबई, पेरू आदि देशों का दौरा किया औरमिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग से संबंधित अनेकों तकनीकी आलेख प्रस्तुत किए।

सीएमपीडीआईएल में निदेशक (तकनीकी/रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी) के रूप में 30.01.2019 को उनकी नियुक्ति हुई।

श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता (डीआईएन 08714820) ने वर्ष 1984 में रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर से खनन अभियंत्रण में डिग्री प्राप्त की। इन्होंने 1989 में फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी उत्तीर्ण की है। इन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। उन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष 1984 में डब्ल्यूसीएल से कोयला उद्योग में की। उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के सबसिडियरी कंपनियों मुख्यतः डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और एनसीएल में विभिन्न क्षमता वाले भूमिगत और खुली खदान खनन में कार्य किया है। उनका खुली खदान खानों में 16 वर्षों तथा भूमिगत खानों में 18 वर्षों का व्यापक खनन अनुभव से कोयला खनन उद्योग के साथ–साथ सीएमपीडीआईएल को व्यापक लाभ मिलेगा।

उन्होंने उच्च प्रबंधन पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए इन्होंने वर्ष 2014 में स्वीटजरलैंड तथा फ्रांस का दौरा किया। श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता ने दिनांक : 25.2.2020 को सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किए। इसके पहले ये नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली में महाप्रबंधक (खनन) के पद पर कार्यरत थे।

दिनांक : 25.02.2020 से सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) (कोयला संसाधन विकास) के पद पर नियुक्त किया गया है।

श्री अनिल कुमार राणा, (डीआईएन 08531295) इन्होंने आईटी. बीएचयू से 1985 में स्नातक किया और ये भारतीय खान अधिनियम के तहत फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कम्पीटेंसी धारक है। इन्होंने ला एंड डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस में डिग्री प्राप्त की है।

इन्होंने 1985 में सीएमपीडीआईएल ज्वाईन किया। अपने कैरियर के आरंभिक वर्षों में डब्ल्यूसीएल के दुर्गापुर रायतवारी खान और बीसीसीएल के सुदामडीह इनक्लाइन माइन में कार्य किया। वे निम्नलिखित कार्यों में शामिल रहे हैं :

- अन्य संगठनों के साथ–साथ कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के लिए खनन योजना (माइनिंग प्लान) तथा परियोजना रिपोर्ट की तैयारी
- भूमिगत धात्विक खानों के लिए परामर्श सेवा
- एमडीओ के जरिए खुली खानों तथा भूमिगत खानों के लिए बोली प्रक्रिया दस्तावेज (बीड प्रोसेस डॉक्यूमेंट) की तैयारी

- कोल इंडिया लिमिटेड के भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य योजना, ''कोल विजन 2025'', और ''कोयला ब्लॉकों की स्थिति पर रिपोर्ट'' जैसे नीति संबंधित रिपोर्ट को बनाना।

इन्होंने कोयला ब्लॉक निलामी (कॉक्शन) के लिए एमओसी/नोमिनेटेड ऑथोरिटि को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे सीआईएल आरएंडडी 3 परियोजनओं के लिए प्रोजेक्ट को–ऑर्डिनेटर भी रहे हैं।

उन्होंने यूएसए, पिपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के भुमिगत और खुली खदान खानों का दौरा किया। विभिन्न टेक्नोलॉजी मिशन के संदर्भ में स्वीट्जरलैंड, पोलैंड और आस्ट्रेलिया का भी दौरान किया।

निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण करने के पहले ये महाप्रबंधक (सीबीएम) के पद पर कार्यरत थे। जहाँ इन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के सीबीएम ब्लॉक को चालू करने की प्रक्रिया की शुरूआत करने का श्रेय जाता है।

कोल इंडिया स्थापना दिवस पुरस्कार, 2018 के अवसर पर कोल इंडिया द्वारा इसे सर्वोत्तम महाप्रबंधक के पुरस्कार से नवाजा गया।

इन्हें 01.08.2019 से 28.02.2022 तक सीएमपीडीआईएल निदेशक मंडल में निदेशक(तकनीकी) (आयोजना एवं डिजाइन) के पद पर नियुक्त किया गया।

श्री प्रमोद सिंह चौहान
(डीआईएन 01308337) स्नातक उत्तीर्ण हैं तथा पेशे (व्यवसाय) से ये चार्टर्ड अकाउन्टेंट हैं। वे वर्ष 2014–15 में दि इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया के सीआईआरसी के आगरा शाखा में सीआईसीएसए अध्यक्ष का पद सुशोभित कर चुके हैं। इन्होंने वर्ष 2015–16 में दि इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया के सीआईआरसी के आगरा शाखा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये आगरा के प्रमुख प्रैक्टिसनर हैं और इनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र अंकेक्षण, लेखा, आयकर एवं सीएसआर हैं। इन्होंने प्रिंस कारपोरेट सर्विस प्रा0 लि0 में निदेशक पद पर अपनी सेवाएँ दी हैं। वर्तमान में ये अष्ट विनायक रीयलटर्स प्रा0 लि0 के निदेशक हैं। ये एक प्रेरक वक्ता हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं एवं इनका लेख कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होता आ रहा है। ये सिविल इन्क्लेव एयर पोर्ट ऑथरिटी, आगरा के सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

इन्होंने डा0 भीमराव अंबेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के ''इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट'' की योजना एवं सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

इन्हें सीएमपीडीआईएल निदेशक–मंडल में गैर–सरकारी अंशकालीक निदेशक के रूप में दिनांक 16.10.2019 को नियुक्त किया गया है।

श्रीमती अलका पण्डा
(डीआईएन 08524514) 1983 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने राजस्थान, जयपुर विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। अपनी सेवा–काल में उड़ीसा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग तथा जनजाति कल्याण विभाग में सचिव का पद संभाला। भारत सरकार में 2010 में प्रतिनियुक्ति के पहले ये उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थीं। सचिव, भारत सरकार के समतुल्य रैंक में डायरेक्टर जेनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नई दिल्ली के रूप में जुलाई, 2017 में सेवा–निवृत हुईं।

इन्हें सीएमपीडीआईएल निदेशक–मंडल में गैर–सरकारी अंशकालीक निदेशक के रूप में दिनांक 10.07.2019 से 09.07.2022 तक नियुक्त किया गया था।

डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय
(डीआईएन 06706962) रूहेल खंड विश्वविद्यालय, बरेली से 1990 में स्नातकोत्तर (एमए) की उपाधि हासिल की तथा 1996 में आगरा

विश्वविद्यालय से 1996 में पीएचडी की। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, दिल्ली प्रशासन तथा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल में शिक्षण का कार्य किया।

ये वर्ष 2015 से 2017 तक पंचनंद रिसर्च इंस्टीच्यूट एंड एडिटिंग पंचनंद रिसर्च मैगजीन में, वर्ष 2016 से 2018 तक मासिक समाचार पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल जर्नलिज्म एंड कम्यूनिकेशन यूनिवर्सिटी भोपाल के एडिटर–इन–चीफ रहे। वर्ष 2007 से 2019 तक इंडियन हेरिटेज मैगजीन में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ संस्कृत (भारत सरकार) में ट्रेनिंग कैम्प के को–आर्डिनेटर भी रहे।

इन्होंने वर्ष 1998 से 2007 तक नेशनल कंजक्शन ऑफ भारत संस्कृत परिषद् के प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया तथा वर्ष 2015–2017 तक इन्द्रप्रस्थ साहित्य भारती, दिल्ली में महासचिव के रूप में सेवा दी।

इन्होंने ऑल इंडिया विद्या परिषद् एंड विज्ञान भारती के विभिन्न विषयों तथा रचनाओं पर लगभग 200 आलेख लिखा तथा 7 पुस्तकों का प्रकाशन किया।

वर्ष 1998 में दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें संस्कृत समरादक सम्मान से नवाजा गया। इन्हें 2005 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार तथा 2015 में समाज रत्न पुरस्कार दिया गया। इन्हें 2015 में अटल साहित्य पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में वे प्रसार भारती में पब्लिक प्रॉपर्टी कंजरवेशन डिपार्टमेंट में एडवाइजर (सलाहकार) हैं।

वे पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाओं एवं बोलियों के पारंपरिक रूप से प्रचलित लोक संगीत का संरक्षण कर रहे हैं। उन्होंने लोक साहित्य तथा भारतीय शिक्षा पद्धति (प्रणाली) पर लिखते रहे हैं।

इन्हें 10.07.2019 से 09.07.2022 तक सीएमपीडीआईएल के निदेशक–मंडल में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया था।

श्री अजितेश कुमारः यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस एक्जमिनेशन 2005 के जरिए चयनित सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग (ग्रुप–ए) सेवा के 2006 बैच से हैं। उन्होंने अपने बी–टेक (इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग) की डिग्री गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलाफजी, पंत नगर (उत्तराखंड) से ली।

उन्होंने 2008 में सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी आथरिटी, नई दिल्ली में ज्वाइन किया और 2016 तक हाइड्रोइलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट के विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन भी किया। वर्ष 2016 में उनकी नियुक्ति हिंडस–ऑन–एक्सपोजर टू वापर प्लांट आपरेशन के लिए टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसीएल) के लिए हुई और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के पावर हाउस में पदस्थापित रहे।

वर्ष 2017 में सीईए से लौटने के पश्चात् उनकी पदस्थापना पावर सिस्टम प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग डिवीजन में हुई जहाँ उन्हें वे राष्ट्रीय महत्व के टेरिफ आधारित बिडिंग स्कीम और अन्य ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से संबंधित मामले देखने का कार्य दिया गया।

वर्तमान में वे कोयला मंत्रालय में निदेशक के रूप में भारत सरकार के सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर सेवाएँ दे रहे हैं और माइन एंड मिनरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) अधिनियम 1957 के तहत कोल/लिग्नाइट ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित मामले के लिए उत्तरदायी हैं।

दिनांक : 13.01.2020 से सीएमपीडीआईएल बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है।

1.9 सेक्शन 149 के उप–धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए घोषणा पर विवरण

डॉ कृष्ण चन्द्र पांडे, श्रीमती अलका पाण्डा और श्री प्रमोद सिंह चौहान कंपनी के स्वतंत्र निदेशक

हैं। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और घोषणा की कि वे वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

1.10 क) अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति अतिरिक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

ख) विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट–गवर्नेंस पर आधारित दिशा–निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलूओं को कवर करेगा।

1. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वितीय विवरणों की समीक्षा करना।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।
3. शासकीय अंकेक्षण तथा सांविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
4. मानक पारामीटरों के साथ–साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
5. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
6. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
7. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
8. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

ग) अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अँकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना है।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।

   क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।

   ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्त्तन हो तो उसका कारण।

   ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टि (इन्ट्री)।

   घ) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ) का अनुपालन।

च) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा

छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।

5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल होल्डिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।

8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।

9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाघड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।

10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, ऑडिट कॉमनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।

11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।

12. सीएंडएजी (C&AG) ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।

14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।

16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाएँ तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।

17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया–कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्व निष्कर्षों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा समीक्षा करना।

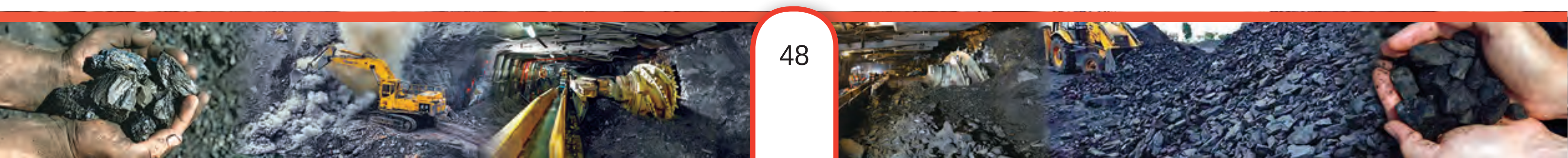

18. डिपोजिटर्स, डिबेंचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।
19. पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट (कोपू) पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।
20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।

घ) अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :

1. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना।
3. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।
7. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ड.) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी :

1. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
4. इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

1.11 गठनः

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1	श्रीमती अलका पांडा	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2	श्री बी. वीरा रेड्डी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
3	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
4	डा. कृष्ण चन्द्र पांडेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
5	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
6	श्री एस. के. गोमास्ता	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (वित्त), विभागाध्यक्ष (आईएडी) और सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। सीएफओ स्थायी आमंत्रित सदस्य तथा कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान क्रमशः दिनांक : 18.04.2021, 29.04.2021, 28.05.2021, 19.07.2021, 03.08.2021, 23.09.2021, 30.10.2021, 25.12.2021, 05.02.2022, 25.02.2022 और 23.03.2022 के दौरान कुल ग्यारह (11) बैठकें आयोजित की गई। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण इस प्रकार से है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	उनके कार्यावधि के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठकों की संख्या	अंकेक्षक समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री ए.के.राणा	10	9
2.	श्री एस. के. गोमास्ता	1	1
अंशकालिक सरकारी सदस्य			
3.	श्री विनय दयाल	6	4
4.	श्री बी. वीरा रेड्डी	1	1
5.	श्री मुकेश चौधरी	11	9
अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य			
6.	श्रीमती अलका पांडा	11	11
7.	डा. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	11	11
8.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	11	11

1.12 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम कार्य करने तथा कारपोरेट गवर्नेस के गाइड लाइन को पूरा करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया।

क) गठन

दिनांक : 09.06.2020 को आयोजित 234वीं बोर्ड की बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1	श्रीमती अलका पांडा	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2	डा. कृष्ण चन्द्र पांडेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
3	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
4	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
5	श्री सतेन्द्र कु.गोमास्ता	स्थाई आमंत्रित सदस्य	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) कमिटि के नोडल अधिकारी रहेंगे, और सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे तथा कंपनी सचिव इस कमिटि के सचिव रहेंगे।

ख) बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

1.13 निदेशकों के पारिश्रमिक : (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक)

सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सभी पूर्णकालिक निदेशकों की सेवा एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक का निर्णारण कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसियेशन/कोल इंडिया लि. के टर्म में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

क) कार्यकारी निदेशकः

वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2021 से मार्च 2022 के लिए कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

(आंकड़े रू. में)

नाम	पदनाम	कुल वेतन एवं मंहगाई भत्ता	पर्क्स (बेसिक का 35%+अन्य पर्क्स)	एचआरए	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान (पीएफ+पेंशन एवं सीआईएल ईडीसीपीएफ दान)	छुट्टी नकदीकरण	पीआरपी अग्रिम/पीआरपी	उपदान	चिकित्सा व्यय	कुल
श्री मनोज कुमार	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	14,09,264.24	5,73,213.04	-	3,07,516.00	-	9,70,725.00		48,720.00	**33,09,438.28**
श्री शेखर सरन	निदेशक (तकनीकी)	2,75,730.00	81,508.00	-	71.663.00	19,99,042.50	19,96,710.0	20,00,000.00	34,358.00	**64,59,011.50**
श्री आर. एन. झा	निदेशक (तकनीकी)	32,65,165.96	11,97,200.60	-	8,09,493.00	2,59,875.90	-		1,17,427.00	**56,49,162.46**
श्री ए.के.राणा	निदेशक (तकनीकी)	34,63,560.20	13,44,518.00	-	8,60,387.00	8,60,387.00	3,06,317.00	20,00,000.00	7,27,775.00	**95,99,563.40**
श्री एस. के. गोमास्ता	निदेशक (तकनीकी)	33,05,824.25	9,25,224.35	-	7,98,826.00	-	-	-	97,241.00	**51,27,115.60**

ख) अंशकालिक सरकारी निदेशकः

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

1. श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनीत निदेशक हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन्हें पारिश्रमिक दिया जा रहा है।

2. श्री बी. आर. रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता से मनोनीत निदेशक है और उनका पारिश्रमिक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा है।

ग) स्वतंत्र निदेशक :

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीलिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया फीस		कुल (रू. में)
		बोर्ड की बैठक (रू. में)	समिति की बैठक (रू. में)	
1.	डा. कृष्ण चंद्र पाण्डेय	2,40,000	3,80,000	6,20,000
2.	श्रीमती अलका पांडा	2,40,000	3,80,000	6,20,000
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	2,40,000	3,80,000	6,20,000
	कुल	**7,20,000**	**11,40,000**	**18,60,000**

1.14 वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	2019–20 45वीं एजीएम	2020–21 46वीं एजीएम	2021–22 47वीं एजीएम
तिथि	27.07.2020	28.07.2021	21.07.2022
समय	पूर्वाह्न 10.30	पूर्वाह्न 10.15	अपराह्न 04.00
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031,झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031,झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031,झारखंड
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य

1.15 असाधारण आम बैठक :

विवरण	2019–20	2020–21, 11वीं ईजीएम	2021–22
दिनांक	शून्य	29.09.2020	शून्य
समय		10.30 पूर्वाह्न	
स्थान		कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031,	
विशेष संकल्प		बोनस शेयर का निर्गमन	

1.16 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतु कम–से कम एक बैठक आवश्यक है।

क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड का संपूर्ण रूप से कार्य निष्पादन की संवीक्षा करना।

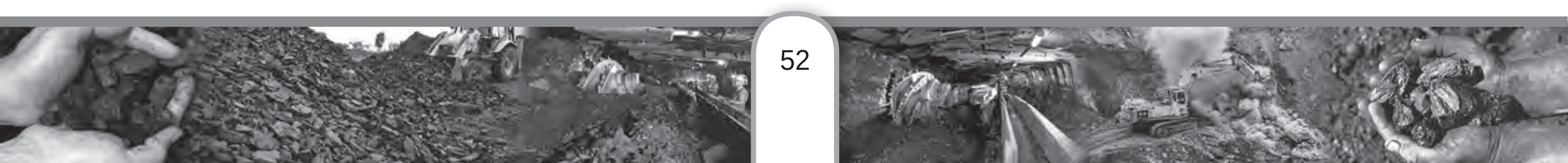

ख) कार्यकारी निदेशक और गैर–कार्यकारी निदेशक से कंपनी के चेयरपर्सन के बारे में विचार लेके संवीक्षा करना।

ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और टाइम लाइन का मूल्यांकन करना जो कि बोर्ड के लिए प्रभावपूर्ण और समुचित रूप से अपना कार्य कर सके, के लिए आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 23.03.2022 को स्वतंत्र निदेशकों की 1 (एक) बैठक हुई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

1.17 प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) :

- **मैटेरियली सिग्नीफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शनः**

  कंपनी ने 31 मार्च, 2022को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रांजेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से मेटेरियली सिग्नीफिकेंट में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।

  सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया।

  संबंधित पार्टी के लेन–देन संबंधि नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी तथा नियंत्रक कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनी के बीच लेन–देन में छूट है।

  धारा 188(।) के तहत पार्टी से संबंधित कंट्रेक्ट या अरेंजमेंट को परिशिष्ट–VI में संलग्न किया जाता है।

- **कंपनी द्वारा नियमों/कानून क अनुपालन का विस्तृत विवरण :**

  कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह कम्पनी मानिटरिंग कर रही है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी ऑथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।

- **व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच :**

  यह नीति प्रबंधन तथा अंकेक्षण समिति को गैर–नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाधड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

  व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मी द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहुँच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- **कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन**

  निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किया जाता है, इसका अनुपालन सीएमपीडीआईएल द्वारा भी किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ परिशिष्ट–III में संलग्न है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय जो अप्वाईटिंग आथरिटि है को इससे अवगत करा दिया है।

- **इन्टीग्रिटी पैक्ट एवं आईईएम**

  कंपनी के पास अपने व्यापारिक ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पादर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रिटि पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रेक्ट कार्यों में इंटिग्रीटि पैक्ट कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सर्पोट है।।.

- **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण:**

  कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक(वित्त)/ सीएफओ द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ''सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण'' प्रदान कर दिया है जिसे डाईरेक्टरों की रिपोर्ट के परिशिष्ट–।। के रूप में लगाया गया है।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट):**

  कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया है, तथा कंपनी के इंट्रानेट पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

- **किए गए खर्च का ब्यौरा :**

  बुक ऑफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन पर खर्च किया गया है तथा कंपनी के अंकेक्षकों ने इस तरह के किसी खर्च के लिए रिपोर्ट भी नहीं किया है।

- **राष्ट्रपति का निर्देश :**

  वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेंसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

1.18 संचार के साधन :

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका गोंदवाना भारती, माइनटेक, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.in पर उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.19 ऑडिट योग्यता :

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की टिप्पणियों को परिशिष्ट–VIII में शामिल किया गया है।

1.20 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले, इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक–मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर

संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से पूर्णतः वाकिफ होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। सभी सरकारी निदेशकों की कोल इंडिया लिमिटेड की पॉलिसी के अनुसार भारत और विदेश दोनों के लिए स्पांसर किया जाता है। कंपनी में नव–नियुक्त निदेशकों को कंपनी के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेंटमेंट, मुख्य क्रिया–कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा–निर्देश के विस्तृत प्रजेन्टेशन, विचार–विमर्श आदि के माध्यम से पूर्णतः अवगत कराया जाता है।

1.21 व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआईएल में 2011–12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8.11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया।यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाघड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टाक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ–साथ ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मेंडेटरी रिक्वायरमेंट प्रदान करता है। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है।

तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार, जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकण से अलग हो, के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

1.22 जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक : 02. 02.16 को आयोजित सीएमपीडीआईएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 192वीं बैठक में किया गया तथा दिनांकः 23.03.2022 को आयोजित बोर्ड की 256वीं बैठक में इसे पुनर्गठित किया गया।

क) गठन :

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालीक निदेशक करते हैंः

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1	डा. कृष्ण चंद पाण्डेय	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
2	श्रीमती अलका पांडा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
3	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
4	श्री आर.एन. झा	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
5	श्री सतेन्द्र कु. गोमास्ता	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और महाप्रबंधक (ई.एंड.एम.) समिति को सभी सेवाऐं प्रदान करने वाली समिति के नोडल अधिकारी होंगे।

ख) बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2021.22 के दौरान दिनांक : 23.03. 2022 को एक बैठक हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठक में उपस्थिति
1	डा. कृष्ण चंद पाण्डेय	अध्यक्ष–(17.11.2019)	1
2	श्रीमती अलका पांडा	सदस्य–(10.07.2019)	1
3	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य–(17.11.2019)	1
4	श्री आर.एन. झा	सदस्य-(10.07.2019)	1
5	श्री ए.के. राणा	सदस्य–(15.09.2020 से 28.02.2022 तक)	–
6	श्री सतेन्द्र कु. गोमास्ता	सदस्य–(01.03.2022)	1

1.23 इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता का कोड :

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को कोड संहिता को अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआईएल द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वैसे इनसाइडरों को डिजिग्नेटेड कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्डों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिग्नेटेड कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआईएल के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.24 निदेशकों का दायित्व

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा–निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआईएल के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआईएल के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह ''फाइव प्वाइंट स्केल'' तथा ''क्राइटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप ''कम्पोजिट स्कोर'' की गणना की जाती है। ''कम्पोजिट स्कोर'', कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है

1.25 निगमित शासन के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआईएल द्वारा कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.26 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित हैं:

श्री मनोज कुमार	–	सीईओ
श्री आर.एन. झा	–	निदेशक
श्री एस.के. गोमास्ता	–	निदेशक
श्री पी.के. प्रसाद	–	सीएफओ
श्री अभिषेक मुँधड़ा	–	कंपनी सचिव

1.27 सीएमपीडीआईएल में सीएसआर पहल

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेब्लिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा

नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्ध–सुविधायुक्त तबकों की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है। कंपनी ने दिनांक : 27.02.2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन तथा डीपीई की गाइड लाइन और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 तथा उसके तहत बने नियम के अनुसार स्वयं की सीएसआर नीति बनाई है।

सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी कंपनी को परिचालन, सस्टेनेबुल डेवलोपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआईएल में ''टू–टीयर डिसिजन मेकिंग कमिटि'' का गठन किया गया है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्रिया–कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के भाग ''ख'' में देखा जा सकता है।

1.28 वार्षिक रिटर्न

कंपनी का वार्षिक रिर्टन हमारे वेबसाइट लिंक https:/www.cmpdi.co.in/annualrpt.php पर उपलब्ध है।

1.29 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया ह (**परिशिष्ट–।**)

1.30 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य–निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन :

सूचीबद्ध कंपनी या गत वर्ष के अंत में परिकलित प्रदत्त पूँजी 25 करोड़ रू. या उससे अधिक रखने वाली अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 तथा धारा 134(3) (पी) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उस ढंग को दर्शाया गया हे, जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी उपलब्धि तथा इसकी समिति की उपलब्धि तथा प्रत्येक निदेशक की उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सीएमपीडीआईएल की प्रदत्त शेयर पूँजी 142.80 करोड़ रू. है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज की है तथा किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं तद्नुरूप कंपनी को अपने निदेशक मंडल, समिति तथा प्रत्येक निदेशकों के कार्य–निशपादन का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

बोर्ड में दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण बोर्ड द्वारा अपना वार्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन तथा अपना एवं समिति का मूल्यांकन नहीं हो सका। तथापि, उस नीति के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा जिसे नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के लिए कोल इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली नीति बनाए जाने की संभावना है।

भाग–ख

वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण और ड्रिलिंग

1.0.1 सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2021–22 में भी मुख्य रूप से सीआईएल, गैर–सीआईएल, प्रमोशनल एनएमईटी और कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में कोयला गवेषण गतिविधियों को जारी रखा। सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के प्रोजेक्ट प्लानिंग/ उत्पादन सपोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल ब्लॉकों में गवेषण किया गया, जबकि गैर–सीआईएल/कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में गवेषण भावी उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन को सरल बनाने के लिए किया गया था। नए अनुछुए चिन्हित ब्लॉकों में प्रोमोशनल और एनएमईटी वित्त पोषित अन्वेषण शुरू किया गया था।

1.0.2 सीएमपीडीआईएल ने 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्षमता लगातार विकसित की है। विभागीय संसाधनों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2007–08 में 2.09 लाख मीटर की उपलब्धि के मुकाबले, सीएमपीडीआईएल ने 2011–12 में 4.98 लाख मीटर (ग्यारहवीं योजना का टर्मिनल वर्ष), 2016–17 में 11.26 लाख मीटर (बारहवीं योजना का टर्मिनल वर्ष) और 2020–21 में 12.48 लाख मीटर की उपलब्धि हासिल किया है। 2021–22 के दौरान 7.50 लाख मीटर के लक्ष्य के मुकाबले 7.91 लाख मीटर ड्रिल किया जा चुका है। लक्ष्य में कमी मुख्य रूप से गैर–सीआईएल और प्रोमोशनल ब्लॉकों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत एमओसी, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि में कमी के कारण थी।

विभागीय ड्रिलिंग के क्षमता विस्तार के लिए, 7 नए हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल प्राप्त किए गए हैं और जनवरी 2018 से अतिरिक्त ड्रिल के रूप में तैनात किए गए हैं, जो ड्रिल की क्षमता को 67 तक बढ़ा दिया है, 67 ड्रिल में से 25 ड्रिल हाइड्रोस्टेटिक हैं और 42 ड्रिल मैकेनिकल हैं।

1.0.3 वर्ष 2021–22 में आउटसोर्सिंग के माध्यम में कुल लगभग 3.47 लाख मीटर ड्रिल किया गया है, जिसमें से लगभग 2.06 लाख मी. निविदा के माध्यम से लगभग 1.40 लाख मी. एमईसीएल के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से और लगभग 0.01 लाख मी. राज्य सरकार के माध्यम से द्वारा किया गया।

1.1 वर्ष 2021-22 में ड्रिलिंग का कार्य-निष्पादन:

1.1.1 सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल/गैर–सीआईएल ब्लॉकों की विस्तृत गवेषण के लिए अपने विभागीय संसाधनों को लगाया जबकि ओडिशा राज्य सरकार ने केवल सीआईएल ब्लॉकों में अपना संसाधन लगाया है। इसके अतिरिक्त, 6 संविदा एजेंसियों ने सीआईएल/गैर–सीआईएल, प्रमोशनल और एनएमईटी ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग/गवेषण के लिए अपने संसाधनों को भी लगाया है। वर्ष 2021–22 में कुल 120 से 140 ड्रिल तैनात किए गए थे, जिनमें से 67 विभागीय ड्रिल थे।

सीएमपीडीआईएल ने 6 ब्लॉकों में कोयला क्षेत्र (सीआईएल क्षेत्रों) में एमईसीएल द्वारा किए गए प्रमोशनल गवेषण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण जारी रखा। इसके अलावा, उप महाप्रबंधक (नागालैंड) ने एमओसी की ओर से कोयला क्षेत्र के 2 ब्लॉक और सीएमपीडीआईएल के 14 ब्लॉकों में प्रमोशनलगवेषण भी किया है। लिग्नाइट सेक्टर में 3 ब्लॉकों में एमईसीएल द्वारा प्रमोशनलगवेषण कार्य किए गए। सीएमपीडीआईएल के माध्यम से 2021–22 के दौरान कोयला (1.55 लाख मीटर) और लिग्नाइट (0.14 लाख मीटर) में कुल 1.69 लाख मी. प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) ड्रिलिंग की गई।

1.1.2 वर्ष 2021–22 में, सीएमपीडीआईएल और इसके संविदात्मक/एमओयू एजेंसियों ने 11 राज्यों में स्थित 23 कोयला क्षेत्रों के 128 ब्लॉकों/ खदानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया है। 128 ब्लॉकों/ खानों में से, 37 गैर–सीआईएल/परामर्शदाता/ आर एंड डी ब्लॉक 64 सीआईएल ब्लॉक/खान और 25 प्रोमोशनल ब्लॉक और 2 एनएमईटी ब्लॉक थे। ये कोयला क्षेत्र हैं : रानीगंज (9 ब्लॉक), राजमहल (3 ब्लॉक), झरिया (1 ब्लॉक), पूर्वी बोकारो (1 ब्लॉक), उत्तरी करनपुरा (7 ब्लॉक) दक्षिण करनपुरा (2 ब्लॉक), वर्धा घाटी (12 ब्लॉक), बंदर (1 ब्लॉक), पाथाकेड़ा (3 ब्लॉक), कैम्पटी (4 ब्लॉक), उमरेर (1 ब्लॉक), सोहागपुर (18 ब्लॉक), मांड रायगढ़ (19 ब्लॉक), कोरबा (3 ब्लॉक), सोनहट (1 ब्लॉक), तातापानी–रामकोला (8 ब्लॉक), सिंगरौली (8 ब्लॉक), तालचेर (10 ब्लॉक), इब वैली (10 ब्लॉक), सिंगरीमारी (1

ब्लॉक), रामनाड (2 ब्लॉक), नागौर (2 ब्लॉक) और मेलक सुरंग (झांजी–दिसाई)) घाटी (2 ब्लॉक)। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिल द्वारा 79 ब्लॉकों/खानों में गवेषणात्मक वेधन किया गया जबकि संविदा/एमओयू एजेंसियों द्वारा 49 ब्लॉकों/खानों में वेधन किया गया।

1.1.3 प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत, एमईसीएल ने 9 कोयला ब्लॉकों (मंड रायगढ़ = 2, सिंगरौली = 1, सोहागपुर = 2, तातापनी–रामकोला = 1, नागौर = 2, एवं रामनाड = 1) में क्षेत्रीय ड्रिलिंग का कार्य किया। डीजीएम (नागालैंड) ने भी कोयला सेक्टर में क्षेत्रीय वेधन के लिए 2 ब्लॉकों में भी कार्य शरू किया है। सीएमपीडीआईएल ने 14 ब्लॉकों, 1 राजमहल सीएफ में 1, टाटापानी रामकोला सीएफ में 3, उमरेर सीएफ में 1, वर्धा घाटी सीएफ में 1, सोहागपुर सीएफ में 1, मांड–रायगढ़ सीएफ में 3, सिंगरमारी सीएफ में 1, आईबी वैली सीएफ में 2, तलचर सीएफ में 1, में प्रमोशनल गवेषण का कार्य किया है।

वर्ष 2021–22 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का संपूर्ण कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :

(आंकड़े लाख मीटर में)

एजेंसी	एजेंसी 2021-22	2021-22 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्य-निष्पादन			गत वर्ष 2020-21 में उपलब्धि	वृद्धि %
		उपलब्धि	उपलब्धि (%)	+/-		
क. सीएमपीडीआईएल द्वारा किया गया विस्तृत ड्रिलिंग :						
1. डिपार्टमेंटल	**4.710**	**4.438**	**94%**	**-0.272**	**4.849**	**-8%**
2. आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	0.020	0.011	54%	-0.009	0.014	-20%
एमईसीएल (एमओयू)	0.665	1.396	210%	0.731	4.992	-72%
निविदा	2.105	2.065	98%	-0.040	2.629	- 21%
कुल आउटसार्सिंग	**2.790**	**3.472**	**124%**	**0.682**	**7.635**	**- 55%**
सकल योग क*	**7.500**	**7.911**	**105%**	**0.411**	**12.484**	**-37%**
ख. एमईसीएल, जीएसआई, सीएमपीडीआईएल, डीजीएम (नागालैंड) और डीजीएम (असम) द्वारा प्रोमोशनल/एनएमईटी ड्रिलिंग: 1. कोल सेक्टर						
एमईसीएल	0.225	0.353	157%	0.128	0.667	-47%
डीजीएम, नागालैंड	0.020	0.015	76%	-0.005	0.010	46%
डीजीएम, असम	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
सीएमपीडीआईएल	0.16	0.135	84%	-0.025	0.067	168%
कुल कोयला :	**1.135**	**1.184**	**104%**	**0.049**	**0.442**	**38%**
2. लिग्नाइट सेक्टर						
एमईसीएल	0.120	0.140	117%	0.020	0.229	-39%
कुल लिग्नाइट	**0.120**	**0.140**	**117%**	**0.020**	**0.229**	**-39%**
सकल योग ख	**1.500**	**1.691**	**113%**	**0.191**	**1.349**	**25%**

*वर्ष 2021–22 में में 7.911 लाख मीटर के कुल विस्तृत ड्रिलिंग में से गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 2.593 लाख मी. वेधित किया गया है।

वर्ष 2021–22 में, सीएमपीडीआईएल ने अपने विभागीय और समग्र ड्रिलिंग के लक्ष्य क्रमशः 94 प्रतिशत और 105 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है। विभागीय ड्रिलिंग के प्रदर्शन में 8% की नकारात्मक वृद्धि हुई है और लगभग 580 मीटर/ड्रिल/माह की औसत परिचालन ड्रिल उत्पादकता दर्ज की गई है। नकारात्मक वृद्धि मुख्य रूप से आरआई–VII में प्रमुख स्थानीय मुद्दे के कारण है, जहां 7 रिंग 35 दिनों के लिए निष्क्रिय थे, फंड की कमी के कारण एमओसी द्वारा 24 ब्लॉकों में ड्रिलिंग को समय से पहले बंद कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक स्थानांतरण और ड्रिल परिनियोजन का पुनर्गठन हुआ। 81–111 क्षेत्र में कुल 7 दिनों का नक्सल बंद, COVID-19 लॉकडाउन, COVID-19 का छिटपुट प्रकोप, नियंत्रण क्षेत्र, आस–पास के ऑपरेशन क्षेत्र में पुर्जों की अनुपलब्धता और मरम्मत कार्य, बेमौसम भारी बारिश आदि।

1.1.4 गैर-सीआईएल/कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में ड्रिलिंग:

वर्ष 2021–22 में, सीएमपीडीआईएल गैर–सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग लक्ष्य कुल 1.90 लाख मीटर था (विभागीय = 0.725 लाख मीटर, आउट सोर्सिंग = 1.175 लाख मीटर), जिसमें से कुल ड्रिलिंग लक्ष्य 2.59 लाख मीटर प्राप्त किया गया, जिसमें से सीएमपीडीआई ने विभागीय ड्रिलिंग से 0.88 लाख मी. गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया जबकी 1.71 लाख मीटर आउट सोर्सिंग से प्राप्त किया गया।

उपर्युक्त गवेषणात्मक कार्य के अतिरिक्त, सीएमपीडीआई ने आवंटन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय को वर्तमान कैप्टिव खनन ब्लॉकों का प्रारंभिक भूवैज्ञानिक सूचना प्रदान की है। आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, सीएमपीडीआइएल द्वारा गवेषण के कुल लागत के भुगतान के लिए आवंटि को मूल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट उपलबध करा दी है।

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीएमपीडीआईएल एलोकेट्स द्वारा प्रस्तुत योजना को प्रमाणित कर रहा है। खनन योजना की तैयारी में प्रयुक्त भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स निहित आदेश और खनन योजना में शामिल भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स के अनुरूप है तथा यह किसी भी अन्य समीपवर्ती ब्लॉक का अतिक्रमण नहीं करता है।

1.2 जल भू–विज्ञान (हाइड्रोज्योलोजी)

1.2.1 सीएमपीडीआइ के जल भू–विज्ञान विभाग को दिसम्बर 2021 में क्यूसीआई–एनएबीईटी द्वारा जीडब्लयूसीओ (ग्राण्ड वाटर कंसल्टेण्टस आर्गेनाइजेशन) के रूप में मान्यता दी गयी है।

1.2.2 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जल शक्ति मंत्रालय (सीजीडब्लूए) को सीजीडब्लूए से एनओसी के लिए कुल 132 व्यापक हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह खनन क्षेत्र के लिए सीजीडब्लूए की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सितंबर 2020 से प्रभावी वैधानिक रिपोर्ट है।

1.2.3 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ईआईए/ईएमपी को तैयार करने के लिए खनन परियोजनाओं के 25 हाईड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

1.2.4 2021–22 के दौरान कुल 98 हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन/पीजोमीटर के लिए अध्याय/क्षति आकलन रिपोर्ट/भूवैज्ञानिक रिपोर्ट/परियोजना रिपोर्ट/ढलान रिपोर्ट/जल आपूर्ति योजनाएं तैयार की गई।

1.2.5 बाह्य परामर्शी कार्य और नए प्रकार के अध्ययन -

1) यूसीआईएल (यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) की खानों (बंदुहुरंग, बगजाता, भटिन, जादुगुडा, माहुलडीह और तुरामडीह खान) के सीजीडब्ल्यूए से एनओसी के लिए 06 व्यापक हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार की गई है और वित्तीय वर्ष 2021–22के दौरान प्रस्तुत की गई है।

2) बीसीसीएल, धनबाद, झारखंड की क्लस्टर–X खदानों के सन्दर्भ में दामोदर नदी के पानी की पारगम्यता और रिसाव के लिए दामोदर नदी के पास बोरवेल का हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन।

1.2.6 हाइड्रोजियोलॉजी अनुभाग एमओईएफएंडसीसी, नई दिल्ली द्वारा सीआईएल (ईसीएल, बीसीसीएल और एनसीएल) की स्वीकृत परियोजनाओं के अनुपालन के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ भूजल स्तर और गुणवत्ता–निगरानी कार्य भी कर रहा है।

1.2.7 गवेषण विभाग का हाइड्रोजियोलॉजी अनुभाग गेवरा ओसीपी, एसईसीएल के 3डी भूजल मॉडलिंग के निष्पादन के लिए सीजीडब्ल्यूए सूची के समान पैनलबद्ध विशेषज्ञों के साथ समझौता ज्ञापन (सीएमपीडीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित) की प्रक्रिया में है। यह आगे निकट भविष्य में एक जीडब्लूमॉडलिंग सलाहकार के रूप में सीएमपीडीआईएल कोमान्यता प्रदान करने की संभावना पैदा करता है।

1.3 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट:

1.3.1 वर्ष 2021–22 में गत वर्षों में किए गए विस्तृत गवेषण के आधार पर 25 भूगर्भीय रिपोर्ट तैयार किया गया है। तैयार भूगर्भीय रिपोर्ट ने लगभग 8.8 विलियन टन अतिरिक्त कोयला संसाधनों को 'प्रमाणित/मापित' श्रेणी में अपग्रेड किया।

1.3.2 उन्नायक गवेषण कार्यक्रम के तहत, ''इनडिकेटेड एवं इनर्फड'' कैटेगरी, उपयुक्त स्पेशिफायड थीकनेस में कोयला संसाधनों का लगभग 5.7 बिलियन टन कोयला ब्लॉकों पर 6 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सुपुर्द किया है।

1.4 भूभौतिकीय सर्वेक्षणः

1.4.1 भूभौतिकीय लॉगिंगः

गवेषण के उद्देश्य से बोरहोल ड्रिल किए गए जिससे बोरहोल में सामने आए विभिन्न स्ट्रेटा की इन–सीटू जानकारी प्राप्त करने के लिए भूभौतिक रूप से लॉग–इन किया गया। इस उददेश्य के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान सीआईएल और गैर–सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी पारामीट्रिक भूभौतिकीय लॉगिंग उपकरण सहित कुल 4,57,634.02 मीटर की भू–भौतिकीय लॉगिंग किया गया। इसमें से 8 विभागीय भूभौकिकीय लॉगिंग के द्वारा 1,92,024.60 गहराई मीटर तक तथा संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 2,65,609.42 मीटर लॉगिंग किया गया।

1.4.2 भूतल भूभौतिकीय सर्वेक्षणः

सीएमपीडीआईएल ने कोल सीमों के इन–क्रॉप का डिलीनिएशन, डाइक के डिलीनिएशन और भूगर्भ जल की जाँच के लिए सीआईएल और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में इलेक्ट्रीकल रेसिसटीविटी तथा मैग्नेटिक सर्वेक्षण भी शुरू किया है। ऐसे उद्देश्य के लिए 2021–22 में कुल 56.474 लाइन किमी प्रतिरोधकता इमेजिंग, 22 वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग (VES), गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण में 204 ग्रेविटी स्टेशन और 108.268 लाइन किमी चुंबकीय सर्वेक्षण किया गया है और Viberoseis के साथ, शाहपुर (सेंदूरी) ब्लॉक, सोहागपुर कोलफील्ड में विभागीय माध्यम से कुल 7.945 लाइन किमी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 222.04 लाइन किमी 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण और 74.71 वर्ग किमी का 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण और कुल 163.44 लाइन किमी प्रतिरोधकता इमेजिंग का कार्य किया गया है।

1.4.3 रिपोर्टः

वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 32 रिपोर्टें जिनमें से 14 (शिडयूल्ड रिपोर्ट) और 18 (अनशिड्यूल्ड रिपोर्ट) भू–भौतिकीय रिपोर्ट सुपुर्द किया गया। इसमें 3 सिस्मिक सर्वेक्षण, 7 रेसिसटिविटी इमेजिंग सर्वेक्षण 1 इंटीग्रेटेड जियोफिजिकल सर्वेक्षण, 4 जियोफिजिकल लॉगिंग, जियोफिजिकल सरफेस सर्वेक्षण पर 1 टिप्पणी, जीआर के लिए 3 जियोफिजिकल चैप्टर और डीजीआर के लिए 13 जियोफिजिकल चैप्टर शामिल हैं।

1.5 भू-प्रणाली (जियोसिस्टम) :

अनुमानित कोयला वाहक क्षेत्र की पहचानः अगस्त 2020 में जीएसआई के साथ सीएमपीडीआईएल द्वारा एक संयुक्त अभ्यास किया गया था और भारत में अनुमानित कोयला वाहक क्षेत्र की पहचान करने के लिए मार्च 2021 में इसका पुनरीक्षण किया गया था। कुल 43 गोंदवाना कोयला क्षेत्र और 19 टर्शियरी कोयला क्षेत्र का अध्ययन किया जा चुका है।

गोंडवाना कोलफील्ड्स और टर्शियरी कोलफील्ड्स का कुल बेसिन क्षेत्र लगभग 66967 वर्ग किमी है, जिसमें से कुल लगभग 32970 वर्ग किमी को अनुमानित कोयला वाहक क्षेत्र के रूप में आकलित किया गया है। कुल क्षेत्रीय अन्वेषण क्षेत्र लगभग 19320 वर्ग किमी है, लगभग 270 वर्ग किमी क्षेत्र क्षेत्रीय अन्वेषण के अधीन है और लगभग 13380 वर्ग किमी क्षेत्र क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए उपलब्ध है। भविष्य में अन्वेषण के लिए गैर–कोकिंग कोयले के लिए लगभग 446 संभावित क्षेत्रों और कोकिंग कोयले के लिए लगभग 14 संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। अभ्यास का दस्तावेजीकरण किया गया था और जनवरी, 2022 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी।

संभावित कोयला क्षेत्र के भीतर कोकिंग और नॉन–कोकिंग कोयला ब्लॉकों के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान।

कोयला ब्लॉकों की नीलामी खदान सारांश (Mine Summary) की तैयारीः कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए लगभग 100 कोयला ब्लॉकों का खान सारांश तैयार किया गया है। और ब्लॉक आवंटन/नीलामी के संबंध में बोलीदाताओं के विभिन्न प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया गया।

लिग्नाइट कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए खान सारांश तैयारीः लिग्नाइट कोयला ब्लॉकों की पहचान

के लिए खोजे गए क्षेत्र और लिग्नाइट विकास क्षेत्र में काफी अंतर के कारण ब्लॉक सीमा पुनः कार्य अभ्यास किया गया था और बाद में नीलामी के लिए 9 लिग्नाइट कोयला ब्लॉकों की पहचान की गई थी। 9 लिग्नाइट कोयला ब्लॉकों के लिए खान डोजियर तैयार किया गया और इन ब्लॉकों के लिए डीएसएसर्ध्दईएसजेड विश्लेषण किया गया।

सीआईएल की अनुषंगियों से संबंधित मुद्दों की पहचान : ईसीएल और एमसीएल की लीजहोल्ड सीमा/डीजीपीएस सर्वेक्षण ब्लॉक सीमा से संबंधित मुद्दों की पहचानकी गयी।

सीमा प्रमाणीकरण गैर-सीआईएल ब्लॉकः कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए 15 ब्लॉकों के लिए गैर–सीआईएल कोयला ब्लॉकों का सीमा प्रमाणीकरण।

वेब में ओसीबीआईएस एप्लिकेशन को अपडेट करनाः वेब में ओसीबीआईएस एप्लिकेशन को नवीनतम ब्लॉक सीमा के साथ 45 कोलफील्ड्स के लिए अपडेट किया गया था, जिसमें नई विशेषता जैसे गैर–सीआईएल ब्लॉकों की आवंटन स्थिति आदि शामिल थी।

सक्रिय सीबीएम ब्लॉकों के साथ कोयला ब्लॉक ओवरलैप मुद्दों के लिए डीजीएच के साथ संयुक्त अभ्यासः सक्रिय सीबीएम ब्लॉक सीमाओं को कोयला ब्लॉकों के साथ ओवरलैप मुद्दों के आलोक में पुनरीक्षित किया गया है और संयुक्त रूप से अंतिम सीबीएम ब्लॉक सीमाओं को डेटाबेस और ओसीबीआईएस में अद्यतन किया गया है।

बाहरी क्लाइंट के लिए गैर-कोयला वाले क्षेत्र का प्रमाणनः बाहरी ग्राहकों के लिए गैर–कोयला वाले क्षेत्र के प्रमाणन पर 2 रिपोर्ट।

2.0 कोल बेड मीथेन (सीबीएम)

2.1 सीआईएल एवं ओएनजीसी के केसोर्टियम द्वारा झरिया एवं रानीगंज कोल्कील्डों में सीबीएम के विकास का सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास

सरकार सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए भारत सरकार ने नामांकन के आधार पर ओएनजीसी सीआईएल के कंसोर्टियम को 2002 में निम्नलिखि दो सीबीएम ब्लॉकों का आवंटन किया है :

I. रानीगंज कोलफील्ड में नानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक :

लगभग 311.79 वर्ग किलोमीटर (लगभग) क्षेत्रफल वाले रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 फरवरी, 2020 के पत्र द्वारा अस्थयी रूप से ओएनजीसी–सीआईएल कंसोर्टियम को पेट्रोलियम माइनिंग लीज जारी कर दिया है।

II. झरिया कोलफील्ड में झरिया सीबीएम ब्लॉक :

झारखंड सरकार द्वारा जुलाई, 2015 में झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम माइनिंग लीज जारी कर दिया है, जबकि अप्रैल, 2017 पर्यावरणिक स्वीकृति दे दी गई है।

वर्तमान में रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक में ओएनजीसी रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक की तकनीकी–आर्थिक व्यावहारिकता को अद्यतन करने तथा संशोधन करने का कार्य कर रहा है।

झरिया सीबीएम ब्लॉक के संचालन समिति (ओसी) ने 10 दिसम्बर, 2019 को आयोजित अपनी 35वीं बैठक में झरिया सीबीएम ब्लॉक (पर्वतपुर, अलुआरा तथा महल सेक्टर को शामिल कर प्रथम चरण में 36 डेवलॉपमेंट लोकशन) की संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट के फेज–। के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया। इसके अतिरिक्त, इसे 10 जनवरी, 2020 को सीआईएल बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया है।

झरिया सीबीएम ब्लॉक 5.1.2021 को पहला डेवलॉपमेंट वेल JH# 16(जेएचडीएच) के स्पडिंग के साथ व्यावसायिक चरण में प्रवेश कर गया है। सीबीएम डेवलॉपमेंट के लिए झरिया सीबीएम ब्लॉक में 2020–21 तक लगभग 20 कूप लोकेशन को रीलिज कर दिया गया है।

2.2 वर्ष 2021-2022 के दौरान उन्नायक गवेषण (प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन) के तहत सीबीएम तथा शेल गैस से संबंधित अध्ययन :

सीएमपीडीआई गवेषण के दौरान ड्रिल किए गए बोंरहोल के जरिए ''भारतीय कोलफील्ड्स लिग्नाइट फील्ड्स के कोल बेड मिथेन गैस–इन–प्लेस संसाधन के मूल्यांकन'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान 8 बोर होलों में

सीबीएम के लिए तथा पाँच बोरहोलों में शेल गैस के लिए अध्ययन पूरा कर लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जिसमें सभी संबेंधित प्रयोगशाला विश्लेषण शामिल है। इस अध्ययन से सीबीएम तथा शेल गैस की संभावना के लिए डाटा बेस तैयार होता है तथा सीबीएम तथा शेल गैस विकास के लिए और अधिक ब्लॉक के रूपरेखा निर्धारित करना सरल हो जाता है।

2.3 कोल बेड मिथेन (सीबीएम/कोल माइन मिथेन (सीएमएम) का व्यावसायिक विकासः

भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ने दिनांक 8 मई, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा कोयला आधारित क्षेत्रों से सीबीएम की खोज और दोहन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए उनके पास खनन पट्टा है और सीबीएम निष्कर्षण के लिए डीम्ड लीज प्रदान किया गया है।

सीबीएम डेवलपर (सीबीएमडी) के जरिए सीबीएम के विकास के संचालन के लिए बीसीसीएल एवं सीएमपीडीआई, ईसीएल एवं सीएमपीडीआईएल तथा एसईसीएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा चुका है, जहाँ सीएमपीडीआई एल प्रमुख मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।

डीजीएच ओपेन एक्रीज लाइसेन्सिंग पॉलिसी (ओएएलपी) डॉक्यूमंट और प्री–एनआईटी मीट (28 नवम्बर, 2019) में प्राप्त विचार तथा कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं डीजीएच के साथ हुए विचार विचार–विमर्श के आधार पर मॉडेल ग्लोबल बिड डॉक्यूमेंट (नोटिस इन्वाइटिंग आफर (एनआईओ), मॉडेल रेवन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया गया है। माडेल ग्लोबल बिड डॉक्यूमेंट को सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। प्रारंभ में निम्नलिखित चिन्हित संभावित सीबीएम ब्लॉक में सीबीएम विकास का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

क. झरिया सीबीएम ब्लॉक-I (बीसीसीएल क्षेत्र): लगभग 26.55 वर्ग मीटर का एक ब्लॉक। 25.2 बीसीएम के सीबीएम संसाधन वाले बीसीसीएल के खनन पट्टा क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास के लिए कपूरिया, मुनीडीह, जरमा, सिंगरा ब्लॉकों को किमी क्लबिंग के लिए चित्रित किया गया है।

परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट ''झरिया सीबीएम/सीएमएम ब्लॉक, झरिया कोलफील्ड्स (बीसीसीएल के कोयला खनन लीजहोल्ड के तहत)'' शीर्षक से तैयार की गई है जो बीसीसीएल को प्रस्तुत जलाशय मॉडलिंग और तकनीकी–आर्थिक अध्ययनों के आधार पर तैयार की गई है और इसे बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

15 मई, 2020 को झरिया सीबीएम ब्लॉक–I के लिए ग्लोबल बिड डॉक्यूमेंट (नोटिस आमंत्रण प्रस्ताव (एनआईओ) और मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (एमआरएससी)) प्रकाशित किया गया था। हालांकि, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

संशोधित वैश्विक बोली दस्तावेज बोलीदाताओं के सुझावों को शामिल करने के बाद तैयार किया गया और सीआईएल एफडी द्वारा 27 अक्टूबर 2020 को जारी सीआईएल एफडी बैठक के कार्यवृत्त द्वारा अनुमोदित किया गया।

झरिया सीबीएम ब्लॉक–I के लिए वैश्विक बोली दस्तावेज (एनआईओ और एमआरएससी) 30 अक्टूबर, 2020 को फिर से प्रकाशित किया गया था। बोली 06 जनवरी, 2021 को खोली गई थी।

झरिया सीबीएम ब्लॉक–I के लिए केवल एक बोली प्राप्त हुई है और तकनीकी रूप से कार्य प्रदान करने के लिए योग्य है। स्वीकृति पत्र (एलओए) 8 जून 2021 को जारी किया गया था और राजस्व साझेदारी अनुबंध पर 20 सितंबर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना अन्वेषण चरण में है और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रक्रियाधीन है।

ख. रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल क्षेत्र): रानीगंज कोयला क्षेत्र ईसीएल के श्रीपुर, सतगाम और कुनुस्तोरिया क्षेत्र के खनन पट्टे वाले क्षेत्र के तहत 33 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए चिन्हित किया गया है। रिजर्वायर मॉडलिंग एवं तकनीकी आर्थिक अध्ययन के

आधार पर परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ईसीएल को सौंप दी गई है तथा ईसीएल बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया है।

15 मई, 2020 को रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए वैश्विक बोली दस्तावेज (प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईओ) एवं मॉडल रेवन्यू शेयरिंग कान्ट्रैक्ट प्रकाशित कर दिया गया। तथापि, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

बोलीदाताओं के सुझाव को शामिल कर संशोधित वेश्विक बोली दस्तावेज तैयार कर लिया गया जिसे, सीआईएल की एफडी बैठक में अनुमोदित कर 27 अक्टूबर, 2020 को सीआईएल की एफडी बैठक के कार्यवृत द्वारा जारी कर दिया गया।

रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए वैश्विक बोली दस्तावेज (एनआईओ एवं एमआरएससी) को 30 अक्टूबर, 2020 को पुनः प्रकाशित किया गया। 6 जनवरी, 2021 को बोली खोली गई। कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना तथा रेवन्यू शेयरिंग कान्टैक्ट (एनआईओ एवं एमआरएससी) पर संभावित बोलीदाताओं/सीबीएम प्रचालकों की राय जानने के लिए विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 10 मार्च, 2021 को सीएमपीडीआई द्वारा स्टेकहोल्डरों की बैठक आयोजित की गई। संयुक्त सचिव (कोयला) भारत सरकार, कोयला मंत्रालय अध्यक्षता में स्टेक होल्डरों की एक दूसरी बैठक 26 मार्च, 2021 को आयोजित की गई।

हितधारकों के विचारों/सुझावों के आधार पर सीआईएल एफडी द्वारा वैश्विक बोली दस्तावेज को संशोधित और अनुमोदित किया गया था। संशोधित वैश्विक बोली दस्तावेज 9 जून, 2021 को प्रकाशित किया गया था और बोली 10 अगस्त, 2021 को खोली गई थी। हालांकि कोई बोली नहीं मिली।

रानीगंज सीबीएम ब्लॉक को ओएनजीसी (ऑपरेटर) के साथ ओएनजीसी–सीआईएल जेवी के निकटवर्ती ब्लॉक के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

ग. **सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक (एसईसीएल क्षेत्र):** सोहागपुर कोलफील्ड में एसईसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र में 0.53 बीसीएम संसाधन वाले 51 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र को सीबीएम के विकास के लिए चिह्नित किया गया है। रिजर्वायर मॉडेलिंग एवं तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार पर परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार कर एसईसीएल को सौंप दी गई तथा एसईसीएल बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया।

घ. **दिनांकः** 12 दिसम्बर, 2020 को सीबीएम डेवलॉपर (सीबीएमडी) के जरिए सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक–। से कोल बेड मिथेन निकालने के लिए वैश्विक बिड दस्तावेज (प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईओ) एवं मॉडेल रेवन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (एमआरएससी) प्रकाशित कर दी गई। 5 फरवरी, 2021 को बिड खोला गया, परंतु कोई बिड प्राप्त नहीं हुआ।

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईओ) तथा माडल रेवन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रक्ट (एमआरएससी) पर संभावित बोली दाताओं/सीबीएम आपरेटरों की राय जानने के लिए विडियो कान्फ्रेंस के जरिए सीएमपीडीआईएल द्वारा 10 मार्च, 2021 को स्टेक होल्डर की बैठक आयोजित की गई। 26 मार्च, 2021 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (कोयला) की अध्यक्षता स्टेक होल्डरों की दूसरी बैठक आयोजित की गई।

हितधारकों के विचारों/सुझावों के आधार पर सीआईएल एफडी द्वारा वैश्विक बोली दस्तावेज को संशोधित और अनुमोदित किया गया था। संशोधित वैश्विक बोली दस्तावेज 9 जून, 2021 को प्रकाशित किया गया था और बोली 10 अगस्त, 2021 को खोली गई थी। हालांकि कोई बोली नहीं मिली।

2.4 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउसः

कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड की वित्तीय सहायता से 17 नवम्बर, 2008 को कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए के तत्वावधान में सीएमपीडीआई, राँची में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई। यह क्लियरिंग हाउस देश के सीएमएम/सीबीएम से संबंधित डाटा की जानकारी के संग्रह एवं साझा करने (शेयर) के

लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और सार्वजनिक/निजी भागेदारी, प्रौद्योगिकीय सहयोग तथा वित्तीय निवेश का अवसर लाकर भारत में सीएमएम के व्यावसायिक विकास में सहायता करता है।

प्रारंभिक तीन वर्षों की अवधि पूरा करने के बाद इसे दूसरी बार तीन वर्षों की अवधि का विस्तार दिया गया है। यूएसईपी द्वारा आगे और तीन वर्षों यानि 2018–21 के लिए समय विस्तार को नवीनीकरण किया गया है।

विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए 29 सितम्बर, 2020 को सीबीएम संसाधन–भंडार मूल्यांकन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।।

2.5 कोयला गैसीकरण (कोल गैसीफिकेशन) :

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए सीएमपीडीआईएल प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।

प्रारंभ में निम्नलिखित 4 कोयला गैसीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं:

क. एसईसीएल (महामाया एससीजी परियोजना): साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अमोनिया के उत्पादन के लिए बुनियादी कच्चे माल के रूप में कोयले का उपयोग करने के लिए 2200 एमटीपीडी की क्षमता के साथ महामाया, छत्तीसगढ़ में कोल टू अमोनिया प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है।

पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) मेसर्स पीडीआईएल द्वारा तैयार की गई थी और इसे सीओएफडी द्वारा अनुमोदित किया गया था। मेसर्स पीडीआईएल को निविदा के माध्यम से तकनीकी सलाहकार के रूप में चुना गया था। बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा 31 जनवरी, 2022 को मंगाई गई है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल, 2022 है।

24 फरवरी, 2022 को वीसी के माध्यम से संभावित बोलीदाताओं के बीच प्री–एनआईटी बैठक आयोजित की गई थी।

ख. ईसीएल (शिल्पांचल एससीजी परियोजना): ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने मेथनॉल के उत्पादन के लिए बुनियादी कच्चे माल के रूप में कोयले का उपयोग करने के लिए 2000 एमटीपीडी की क्षमता के साथ बहादुरपुर–रानीगंज, पश्चिम बर्धमान (पश्चिम बंगाल) मेंकोयला से मेथनॉल के ग्रास रूटप्लांट को स्थापित करने की योजना बनाई है।

पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) मेसर्स पीडीआईएल द्वारा तैयार की गई थी और इसे सीओएफडी द्वारा अनुमोदित किया गया था। मेसर्स पीडीआईएल को निविदा के माध्यम से तकनीकी सलाहकार के रूप में चुना गया था। बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा 31 जनवरी, 2022 को मंगाई गई है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 04 मई, 2022 है।

वीसी के माध्यम से 2 मार्च, 2022 को अपर सचिव (एमओसी) की अध्यक्षता में रोड शो सह प्री–एनआईटी बैठक आयोजित की गई थी।

ग. डब्लूसीएल (प्रोजेक्ट उत्कर्ष एससीजी परियोजना): वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ने महाराष्ट्र के भद्रावती तहसील–चंद्रपुर जिले में स्थित माजरी क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के जूना कुनाडा ओपनकास्ट माइन और चारगाँव ओसी माइन (परित्यक्त गड्ढे) में कोल–टू–अमोनियम–नाइट्रेट (मेल्ट) प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिए बुनियादी कच्चे माल के रूप में कोयले का उपयोग करने के लिए 2000 एमटीपीडी की क्षमता।

पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) मेसर्स पीडीआईएल द्वारा तैयार की गई थी और इसे डब्ल्यूसीएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। नामांकन के आधार पर मेसर्स ईआईएल को तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ईआईएल द्वारा बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा की तैयारी की जा रही है जिसके मई, 2022 में जारी होने की उम्मीद है।

घ. **सीसीएल (प्रोजेक्ट अशोक एससीजी परियोजना):** दिनांक 11.08.2021 को एमओसी के विविधीकरण योजना के तहत सचिव (कोयला) द्वारा की गई समीक्षा बैठक में अंतिम उत्पाद को अमोनियम नाइट्रेट (पिघल) में बदलने का निर्णय लिया गया है। मेसर्स पीडीआईएल ने 02.12.2021 को अमोनियम नाइट्रेट के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2.6 उच्च राख वाले कोयले के गैसीकरण के लिए भेल (बीएचईएल) के साथ साझेदारी की संभावना तलाशना :

1. नीति आयोग में 15 दिसंबर 2021 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित भारतीय कोयला गैसीकरण मिशन पर संचालन समिति की बैठक में, सीआईएल और बीएचईएल के बीच साझेदारी की संभावना तलाशने का निर्णय लिया गया। भेल के रूप में सीआईएल की भूतल कोयला गैसीकरण (एससीजी) परियोजनाओं ने उच्च राख कोयला गैसीकरण के लिए स्वदेशी फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर विकसित किया है।
2. इस निर्णय के अनुसरण में, सीआईएल और सीएमपीडीआईएल की एक तकनीकी टीम का गठन किया गया है और टीम ने हैदराबाद और त्रिची में भेल के एससीजी डेमो प्लांट का दौरा किया।
3. टीम ने पायलट से वाणिज्यिक स्तर तक प्रौद्योगिकी के उन्नयन की संभावना का पता लगाने के दृष्टिकोण के साथ अपने ऑनसाइट उचित परिश्रम पर सक्षम प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
4. भेल से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का उपयोग करके उच्च राख कोयले (40%) से अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के साथ–साथ सुझाए गए स्केलिंग (यानी लगभग 2000 टीपीडी के कोयला फीड के साथ गैसीफायर) तैयार करें।

2.7 कोल बेड मिथेन तथा कोयला गैसीकरण पर एसएंडअी तथा आरएंडडी परियोजनाएँ :

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ की तिथि	पूरा करने की तिथि	परियोजना की लागत	कार्यान्वयन एजेंसी	कार्य की स्थिति
1.	''भारतीय कोलफील्ड्स के लिए सीबीएम भंडार आकलन'' पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना	25 फरवरी, 2014	23 मार्च, 2022	2069.91 लाख रू.	आईआईएसटी, शिबपुर, मु, एनजीआरआई, हैदराबाद, सीएमपीडीआई, राँची टीसीई, कोलकाता	3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के आधार पर एनजीआरआई द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानों में सीएमपीडीआईएल द्वारा 05 बोरहोल की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है। परियोजना प्रस्ताव के अनुसार सीएमपीडीआईएल द्वारा फील्ड डिसोर्पशन अध्ययन, अधिशोषण इजोटेर्म विश्लेषण और विभिन्न कोयला लक्षण वर्णन परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। टीसीई, कोलकाता ने 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण और बोरहोल की ड्रिलिंग के माध्यम से उत्पन्न आंकड़ों के आधार पर 3डी भूवैज्ञानिक मॉडल तैयार किया है। आईआईईएसटी, शिबपुर द्वारा जलाशय अनुकरण अध्ययन किया जा रहा है।

2.	''सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्रों में सीएमएम संसाधन की निकासी के लिए क्षमता निर्माण'' पर एसएंडटी परियोजना	21, मार्च, 2016	22 जून, 2022	परियोजना की अनुमोदित लागत 2392.79 रू. है, जिसमें से उपकरण की लागत 934.32 लाख रू. है।	सीएमपीडीआई, मुख्यालय सीएसआईआरओ, अस्ट्रेलिया	इस परियोजना के निस्पादन के लिए 22 दिसम्बर, 2016 को सीएमपीडीआई तथा सीएसआईआरओ के बीच सहयोगात्मक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। परियोजना की पूर्णता तिथि 22 जून, 2022 है। चरण–4 और चरण–5 की गतिविधियां समवर्ती रूप से की जाती हैं। मसौदा परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
3.	''वाशरी रोड कोकिंग कोल से राख की मात्रा (खनिज पदार्थ) को कम करने पर बेंच स्केल स्टडी और ऑयल एग्लोमरेशन के माध्यम से हाई ऐश नॉन–कोकिंग कोल'' पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना	1 अक्टूबर, 2020	31 मार्च, 2022	रू. 53.62 लाख (सीएमपीडीआईएल –17.46 लाख)	सीएसआईआर–एनएमएल, जमशेदपुर सीएमपीडीआईएल	7. विभिन्न ग्रेड के कोयले (कोकिंग के साथ–साथ नॉन–कोकिंग) से राख सामग्री को कम करने पर बेंच स्केल अध्ययन से संबंधित सभी गतिविधियों को पूरा किया और गहराई से वैज्ञानिक जांच पहले ही पूरी की जा चुकी है। खरीद प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। खरीद आदेश इसी महीने (फरवरी 2022) के भीतर जारी किया जाएगा। मैसर्स गॉन इंजीनियरिंग को ऑर्डर दिया जाएगा।
4.	''उच्च राख वाले भारतीय कोयले के लिए अप्रत्यक्ष कोयला गैसीकरण रिएक्टर की मॉडलिंग और डिजाइन'' पर एस एंड टी परियोजना।	1 दिसम्बर, 2021	30 दिसम्बर, 2022	रू. 72.07 लाख (सीएमपीडीआईएल –17.70 लाख	आईआईटी, मद्रास सीएमपीडीआईएल, राँची	1. ताप और द्रव्यमान संतुलन का अनुमान लगाया गया है। 2. फ्लू गैसों का उपयोग करके द्रवीकृत बेड में रेत के कणों (बेड सामग्री) को गर्म करने के लिए आवश्यक निवास समय को समझने के लिए। NSYS फ्लुएंट का उपयोग करके सिमुलेशन किया गया है। 3. कोल्ड फ्लो मॉडल के लिए ड्राफ्ट डिजाइन प्रक्रियाधीन हैं।
5.	अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के निर्णय के अनुसार ''उच्च राख कोयला गैसीकरण और संबद्ध अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया (कोयला से रसायन, सीटीसी)''परियोजना का पुनः प्रारंभः	इस परियोजना पर 03.09.2021 को आयोजित सीआईएल आर एंड डी बोर्ड की 31 वीं बैठक में विचार–विमर्श किया गया। बोर्ड ने आईआईटी–आईएसएम, धनबाद को बीएचईएल के साथ परियोजना जारी रखने और बीएचईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सलाह दी। बोर्ड ने भूमिका का विस्तार से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया और शीर्ष समिति में पुनर्विचार के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों की जिम्मेदारियां, अब तक किए गए अंतिम व्यय, प्रत्येक एजेंसी को धन की आवश्यकता और IIT&ISM, धनबाद और IIT–रुड़की द्वारा परियोजना के तहत अब तक खरीदे गए प्रत्येक उपकरण का उपयोग। अभी तक भेल के पास आईआईटी–आईएसएम द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।					

3.0 परियोजना आयोजन एवं अभिकल्पन :

69 मी.ट.प्र.व. की अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर नई/विस्तार/पुर्नगठन खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी किया गय नए पीआर के साथ परियोजना रिपोर्ट/परियोजनाओं के लिए लागत अनुमानों में संशोधन भी किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शुरू किए गए :

- नए/वर्तमान कोयला वाशरियों के लिए वैचारिक/संभाव्यता रिपोर्ट, निविदा दस्तावेज, कंट्रेक्ट डाक्यूमेंट, बिड का मूल्यांकन आदि की तैयारी।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)।
- ओसी माइन्स के लिए ऑपरेशनल पलान।
- ओपेनकास्ट तथा भू.ग. खान के लिए माइनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान।
- कोल इंडिया लिमिटेड के भूमिगत खान तथा खुली खान के लिए खान क्षमता का मूल्यांकन।
- खुली खान तथा भूमिगत खानों के संचालन से संबंधित विभिन्न तकनीकी मूल्यांकन।
- कोल इंडिया लिमिटेड के खुली खदान खानों में एचईएमएम के संचालन का कार्य निष्पादन विश्लेषण।
- भूमिगत खानों, ओपनकास्ट खानों, बंद खानों और क्षेत्रीय रूप से खोजे गए ओपनकास्ट कोयला ब्लॉकों के लिए एमडीओ मोड पर मॉडल बोली दस्तावेज।
- कार्बन पदचिह्न विश्लेषण।
- रेत पुनःपूर्ति अध्ययन।
- विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग,एनआईटी,निविदा जाँच आदि।

वर्ष 2021–22के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को पर्यावरणिक प्रबंधनऔर मॉनीटरिंग, रिमोट सेंसिंग, ऊर्जा आडिट (डीजल एंड इलेक्ट्रीकल) तथा ओपेन कास्ट खानों का बेंच मार्किंग, रॉक और कोयला नमूनों पर फिजिको–मैकेनिकल टेस्ट, धँसान अध्ययन, स्ट्रेटा कंट्रोल, गैर विध्वंसक जाँच (एनडीटी), नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन और विस्फोटक उपयोग, भूमिगत खानों का संवातन/गैस सर्वेक्षण, माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला नमूनों पर पेट्रोग्रफिक अध्ययन, कोल कोर प्रोसेसिंग एंड विश्लेषण, धोवन क्षमता परीक्षण, ओबीआर सर्वेक्षण, मैन राइडिंग सिस्टम, स्टडी ऑफ रिवराइन ईकोसिस्टम और कोयला खनन क्षेत्रों का कैरिंग क्षमता, विंड ब्रिक (डब्ल्यू बी) और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम (बीजीएस), स्लोप स्थायित्व अध्ययन, इफ्लूएंट/सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, माइन क्लोर ऑडिटिंग इत्यादि के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों का विशेषज्ञ परामर्श सेवाएँ प्रदान की गई।

वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 269 रिपोर्ट तैयार की गई है। तैयार की गई रिपोर्ट का ब्रेक अप नीचे दिया गया है :

रिपोर्ट	संख्या
भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट	25
प्रोजेक्ट रिपोर्ट	30
ड्राफ्ट ईएमपी (31 फार्म–I सहित)	50
अन्य अध्ययन	164
कुल	**269**

वर्ष 2021–22के दौरान तैयार किए गए रिपोर्ट का विस्तृत विवरण नीचे दियाजा रहा हैः

वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी की गई रिपोर्टों की सूची

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट		
क्षे०सं०–1	1.	गोपालपुर कन्यापुर
	2.	इटापारा (संशोधित)
क्षे०सं०–3	1.	पतरातू (गैर–सीआईएल)
क्षे०सं०–4	1.	येकोना–I (दक्षिण)
क्षे०सं०–5	1.	महान उत्तर और दक्षिण
क्षे०सं०–6	1.	सराय पूर्व (गैर–सीआईएल)
क्षे०सं०–7	1.	बलभद्र पश्चिम एक्सटेंशन
	2.	रामचंडी (गैर–सीआईएल)
	3.	समलेश्वरी काडिप एक्सटेंशन

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
संविदात्मक	1.	कबीतीर्थ (गैर–सीआईएल)
	2.	कोसला पश्चिम (गैर–सीआईएल)
	3.	नहेरिया धनकासा (डिप साइड)
	4.	लालगंज (गैर–सीआईएल)
	5.	सुनुरी (गैर–सीआईएल)
	6.	तातापानी–II
	7.	खरखरी
	8.	चलकारी एक्सटेंशन – आंगवाली
	9.	गौरांगडीह दक्षिण
	10.	पेनगंगा डीप
	11.	जमुई (गैर–सीआईएल)
	12.	शहडोल के पश्चिम (गैर–सीआईएल)
	13.	अर्जुनी वेस्ट (गैर–सीआईएल)
	14.	नबासन (गैर–सीआईएल)
	15.	जुंकुंदरी
	16.	गोंडबहेड़ा उजेनी पूर्व (नॉन–सीआईएल)
परियोजना रिपोर्ट		
क्षे०सं०–1	1.	गोपीनाथपुर यूजी
	2.	पांडवेश्वर दलबंद (यूजीओसी) के रीकास्ट पीआर
	3.	भनोरा वेस्ट यूजी
क्षे०सं०–2	1.	एनटी–एसटी कुजामा ओसी
क्षे०सं०–3	1.	गोविंदपुर फेज–II विस्तार ओसी
	2.	सयाल डी ओसी
	3.	मैसर्स एनएमडीसी के तोकीसूद उत्तर ओसीपी
	4.	कल्याणी–तारमी ओसी
	5.	तापिन ओसी
क्षे०सं०–4	1.	शिवानी ओसी रीकास्ट
	2.	समामेलित नीलजय बेलोरा नैगांवडीप ओसी
	3.	सौनेर I विस्तार यूजी
	4.	तवा III यूजी
	5.	बल्लारपुर एनडब्ल्यू ओसी रीकास्ट
	6.	समामेलित उकनी पिंपलेगांव ओसी
	7.	सिंघोरी डीपओसी
	8.	कोंडा हरदोला एमडीओ पीआर

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
क्षे०सं०–5	1.	दामिनी यूजी से ओसी रीकास्ट
	2.	अंबिका ओसी एमडीओ पीआर
	3.	केतकी यूजी एमडीओ पीआर
क्षे०सं०–6	1.	तुलसी ओसी, SECL
	2.	मेसर्स ईएमआईएल का बंधा ब्लॉक
क्षे०सं०–7	1.	बलभद्र ओसी एमडीओ
	2.	हिगुला ओसी एक्सप। आरपीआर
मुख्यालय	1.	तिरप ओसी आरपीआर, एनईसी
	2.	बनाई का एफआर, मैसर्स एनटीपीसी
	3.	भालुमुदा का एफआर, मेसर्स एनटीपीसी
	4.	कयादा चौधरी गरियापानी ओसी एमडीओ पीआर, ईसीएल
	5.	हुरा 'सी' ओसी आरसीई, ईसीएल
	6.	मैसर्स मॉयल की डोंगरी बुजुर्ग खदान के भूमिगत कामकाज का पीआर
पर्यावरिणक प्रबंधन योजना		
फॉर्म I (फार्म IV और VI सहित)		
क्षे०सं०–1	1.	मोहनपुर विस्तार ओसीपी (ईसी वैधता विस्तार)
	2.	क्लस्टर संख्या 8 (ईसीएल की 7 खानों का समूह) (फॉर्म प्ट ईसी संशोधन)
	3.	क्लस्टर संख्या 10 (ईसीएल की 14 खानों का समूह) (फॉर्म प्ट ईसी संशोधन)
क्षे०सं०–2	1.	पाथेरडीह एनएलडब्ल्यू कोल वाशरी (फॉर्म VI)
क्षे०सं०–3	1.	पतरातू एबीसी
	2.	जारंगडीह ओसीपी
	3.	अशोक ओसीपी
	4.	रोहिणी विस्तार ओसीपी
क्षे०सं०–4	1.	घोंसा विस्तार (डीप) ओसी
	2.	गौरी–पौनी विस्तार ओसी (फेज–I)
	3.	वर्धा नदी में रेत खनन
	4.	मकरधोकरा–I विस्तार ओसी
	5.	मुंगोली निर्गुड़ा विस्तार ओसी
क्षे०सं०–5	1.	गेवरा विस्तार ओसीपी
	2.	गायत्री यूजी का संवर्धन
	3.	गायत्री यूजी (ईसी का फॉर्म–VI पुनर्वैधीकरण)

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
क्षे०सं०–6	1.	बीना ओसीपी
	2.	निगाही ओसीपी (वि.)
	3.	अमलोहरी ओसीपी (फॉर्म–IV) (ईसी में संशोधन)
	4.	खड़िया ओसीपी एक्सप्रेस।
	5.	झिंगुरदा ओसीपी (ईसी में संशोधन)
	6.	जयंत ओसी (फॉर्म–I अंडर 7.2)
क्षे०सं०–7	1.	सुभद्रा ओसीपी
	2.	बैतरनी (डब्ल्यू) ओसीपी
मुख्यालय	1.	झरिया (ईसीएल) सीबीएम ब्लाक
मसौदा ईएमपी		
क्षे०सं०–3	1.	केडला ओसीपी
	2.	कथारा ओसीपी
	3.	गिद्दी–ए ओसीपी
	4.	भुरकुंडा कोलियरी
	5.	पुंडी ओसीपी
	6.	सिरका ओसीपी
क्षे०सं०–4	1.	वाघोडा यूजी (मौजूदा ईसी का पुनर्वैधीकरण)
	2.	उरधन ओसी (मौजूदा ईसी का पुनर्वैधीकरण)
	3.	मकरधोकरा–I विस्तार ओसी (विस्तार के लिए 7.2(i) के तहत परिशिष्ट ईआईए/ईएमपी)
	4.	मुंगोली निर्गुड़ा विस्तार ओसी (विस्तार के लिए 7.2(i) के तहत परिशिष्ट ईआईए/ईएमपी)
	5.	गौरी–पौनी एक्सप्रेस ओसी
	6.	तवा II एक्सप्रेस स्नातकीय
क्षे०सं०–5	1.	झिरिया पश्चिम ओसी
क्षे०सं०–6	1.	बीना ओसीपी (विस्तार के लिए 7.2(i) के तहत परिशिष्ट ईआईए/ईएमपी)
	2.	अमलोहरी ओसीपी (ओबी को रेत में शामिल करने के लिए) (परिशिष्ट ईआईएर्ध्ईएमपी)
	3.	ब्लॉक–बी ओसी
	4.	जयंत ओसी (7.2(i) के तहत परिशिष्ट ईआईए/ईएमपी)
क्षे०सं०–7	1.	एकीकृत लखनपुर, बेलपहाड़ और लीलारी ओसी
	2.	गर्जनबहल ओसी विस्तार (विस्तार के लिए 7.2(प) के तहत परिशिष्ट ईआईए/ईएमपी)

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	3.	कुलदा विस्तार ओसीपी
	4.	भुवनेश्वर ओसी (ईसी में संशोधन)
	5.	बलराम ओसीपी विस्तार
मुख्यालय	1.	मुनिडीह कोकिंग कोल वाशरी
	2.	गिरिडीह ओसीपी (नया – उल्लंघन)
	3.	कबीराबाद ओसीपी (नया–उल्लंघन)

4.0 कोयला और खनिज परिष्करण :

मिनरल प्रिपरेशन डिवीजन ग्रीनफील्ड कोल वाशरीज, मिनरल बेनिफिशिएशन प्लांट और मौजूदा प्लांटों के संशोधन/आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट (पीआर), वैचारिक रिपोर्ट (सीआर), बोली प्रक्रिया प्रबंधन, अनुबंध दस्तावेज तैयार करना और परियोजना निष्पादन के दौरान ड्राइंग की जांच के बाद कार्यों के पुरस्कार में सहायता शामिल है। यह आर एंड डी सेवाओं और कॉर्पोरेट समर्थन की विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करता है। सीएमपी लैब को 2019 में नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त हुई है। सीएमपी लैब की पुनः मान्यता प्रगति पर है, इस तरह के पुनर्गठित निकाय को परीक्षण परिणामों की पारस्परिक स्वीकृति की सुविधा के लिए पहला आवश्यक कदम माना जाता है।

सीएमपीडीआईएल प्रयोगशाला स्तर के अध्ययन करने के लिए आधुनिकतम और परिष्कृत उपकर सहित आईएसओ प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला से सुसज्जित है।

इस विभाग द्वारा वर्ष 2020–2021 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूरे किए गए हैं–

क) वैचारिक रिपोर्ट :

- **टोपा वाशरी (4.0 एमटीवाई), सीसीएल**
- **न्यू रजरप्पा (3.0 एमटीवाई), सीसीएल**
- **कुलदा देशलिंग प्लांट (4.0 एमटीवाई), एमसीएल**

ख) वैचारिक रिपोर्ट (बाहरीकार्य):

- **गारे पाल्मा-द्वितीय वाशरी, मांड-रायगढ़ क्षेत्र की स्थापना के लिए सीआर। महाजेनको**

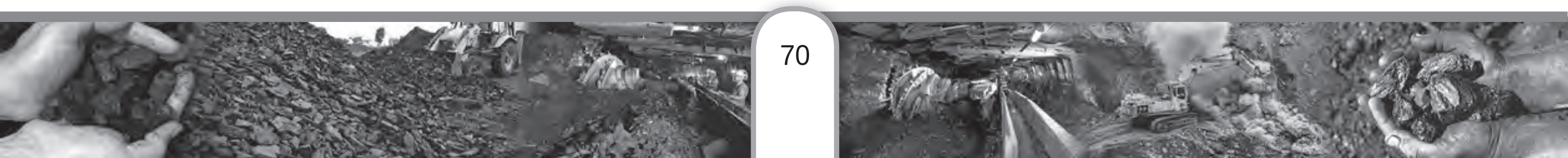

ग) निविदा दस्तावेज

- **बीओएम कांसेप्ट पर**
  - ✓ न्यू रजरप्पा वाशरी, सीसीएल के ई–निविदा मोड में बोली दस्तावेज (आरएफक्यू के साथ आरएफपी), सीसीएल
- **बीओ कांसेप्ट पर**
  - ✓ रेत पृथक्करण संयंत्र (ओबी से रेत), सीआईएल की स्थापना के लिए मॉडल एकीकृत बोली दस्तावेज (आरएफक्यू . आरएफपी)
  - ✓ कथरा क्षेत्र, सीसीएल में बालूध्कुल पृथक्करण संयंत्र, गोविंदपुर यूजी परियोजना की स्थापना के लिए ई–निविदा मोड में बोली दस्तावेज (आरएफक्यू के साथ आरएफपी)।
- **आरओएम कांसेप्ट पर**
  - ✓ पुरानी मधुबन वाशरी के बोली दस्तावेज का मसौदा
- **आरओएम कांसेप्ट पर**
  - ✓ पुरानी मुनीडीह वाशरी के नवीनीकरण कार्य के लिए निविदा दस्तावेज।

घ) निविदा दस्तावेज का मूल्यांकन

i) न्यू मूनीडीह वाशरी (2.5 एमटीवाई), बीसीसीएल–जुलाई 2021।

ii) न्यू मूनीडीह वाशरी (2.5 एमटीवाई), बीसीसीएल–दिसंबर 2021।

ङ) संविदा दस्तावेज

न्यू कथारा वाशरी (3.0 एमटीवाई), सीसीएल के लिए संविदा दस्तावेज बीओओ आधार पर तैयार किया गया था।

च) निर्माणड्राइंग्स की स्क्रूटर्नी :

- **भोजुडीह वाशरी, बीसीसीएलः 225**
- **पाथेरडीह-द्वितीय, बीसीसीएल : 48**
- **आई बी-वैली लखनपुर वाशरी, एमसीएल : 100**

5.0 परियोजना मूल्यांकन

5.1. वर्ष 2021–22 के दौरान, सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय के विभागों द्वारा तैयार किए गए 29 ड्राफ्ट पीआर/आरपीआर/ईपीआर की संवीक्षा तथा मूल्यांकन तथा मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पूर्व सीएमपीडीआईएल मुख्यालय में उनके प्रस्तुतिकरण के लिए समन्वय।

5.2. वर्ष 2021–22 के दौरान क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 18 वैचारिक नोट की संवीक्षा तथामूल्यांकन और मसौदा पीआर/आरपीआर/ईपीआर तैयार करने के पहले प्रमुख तकनीकी पारामीटरों को अंतिम रूप देने के लिए ओसी/यूएमडी विभाग तथा पीएडी विभाग के साथ निदेशक (तक./पीएण्ड डी) द्वारा मूल्यांकन हेतु समन्वयन।

5.3. खासकर कोयला (सचिव) की तिमाही/मासिक समीक्षा बैठक के लिए सीएमपीडीआई के दायित्व के तहत कार्रवाई के संबंध में 3 एमटीवाई से अधिक क्षमता की 500 करोड़ रू. से अधिक लागत वाली चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतनीकरण।

5.4. वर्ष 2024–25 के लिए सीआईएल के 1 बीटी कार्यक्रम के तहत चिह्नित परियोजनाओं के लिए पीआर निर्माण की मानिटरिंग।

6.0 खुली खदान खनन

6.1 वर्ष 2021-22 के दौरान पूरे किए गए बड़े/महत्वपूर्ण बाहरी परामर्शी कार्य

- तलाईपल्ली कोयला ब्लॉक, मेसर्स एनटीपीसी और मेसर्स त्रिवेणी अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट।
- सुलियारी ब्लॉक के लिए माइनेक्स मॉडल तैयार करना और मेसर्स एपीएमडीसी लिमिटेड के लिए पहले 5 वर्षों की चरण योजनाओं से कोयला और ओबी वॉल्यूम का आकलन।

6.2 पूरे किए गए कोल इंडिया के प्रमुख कार्य इस प्रकार है :

- क्यादा चौधर गरियापानी (4.0 एमटीवाई), ईसीएल के लिए पीआर।

- हुरा 'सी' (3.0 एमटीवाई), ईसीएल के लिए संशोधित लागत अनुमान।
- बीसीसीएल के संयुक्त क्लस्टर प्ट और क्लस्टर V के खानों अर्थातएकेडब्लूएमसीखदान, सेंद्रा बनिजोरा खदान, मुदीडीह खदान, कंकनी खदान और एजीकेसीखदान के लिए खनन योजना और खदान बंद करने की योजना।
- खड़िया ओसीपी (16 एमटीपीए), एनसीएल की परिचालन योजना।
- टिकक एक्सटेंशन ओसीपी (0.20 एमटीवाई), एनईसी के लिए संशोधित लागत अनुमान।
- तिरप ओसी (0.60 एमटीवाई),एनईसी के लिए संशोधित और अद्यतन परियोजना रिपोर्ट।
- चुपरबीटा ओसीपीके लिए संक्षिप्त पीआर और एमडीओदस्तावेज तैयार करना।
- राजमहल ओसी (लालमटिया ए और बी ब्लॉक) के डिपसाइड के लिए एमडीओ दस्तावेज (एक्सप. माइनिंग सहित) तैयार करना।
- तिरप ओपनकास्ट प्रोजेक्ट (एनईसी) के लिए ढलान स्थिरता विश्लेषण/वैज्ञानिक अध्ययन।
- 01.04.2022 के अनुसारसीआईएल की ओपनकास्ट खानों की क्षमता का आकलन।
- 2020–21 के दौरान सीआईएल की ओपनकास्ट खानों के लिए क्षमता और क्षमता उपयोग का आकलन।
- सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए 2020–21 के दौरान एचईएमएम का प्रदर्शन विश्लेषण।
- 2020–21 के दौरान डंपर और उत्खनन का प्रदर्शन विश्लेषण और सीआईएल का सारांश।
- विस्फोटक, डीजल और विद्युत–शक्ति के लिए 2020–21 के दौरान सीआईएल की खुली खदानों में विशिष्ट खपत का विश्लेषण।
- परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन।

6.3 शामिल अन्य कार्य :

- कोयला मंत्रालय के लिए खनन योजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन।
- एमसीएल (केस स्टडी) की हिंगुला और कनिहा ओपनकास्ट परियोजनाओं में विब्रो–रिपर बनाम ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के बीच लागत की तुलना।
- बिहार सरकार के लिए गैर–कोयला खनिजों का जीएसआई से प्राप्त 7 जीआर का प्रारंभिक मूल्यांकन।
- खान क्षमता के आकलन के आधार पर 35 प्रमुख खानों के लिए विशिष्ट डीजल खपत (एसडीसी) का अनुमान–01.04.2021 को अनुमान।

6.4 वर्ष 2021–22 में खुली खनन विभाग की उपलब्धियां :

- क्यूसीआई–एनएबीईटी द्वारा खान योजना तैयार करने वाली एजेंसी (एमपीपीए) के रूप मेंसीएमपीडीआई का प्रमाणन।
- कोयला क्षेत्र में सभी प्लेटफार्मों पर तकनीकी प्रगति में तेजी लाने, परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन करनेऔर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के तत्वावधान में कोयला क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी रोडमैप पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

6.5 नई लार्ज-स्पेसिमेन, हाई-स्ट्रेस डायरेक्ट शीयर मशीन (एलडीएसएम) :

- सीआईएल आर एंड डी परियोजना के तहत सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड(सीएमपीडीआई) मेंवर्तमान अपरूपण शक्ति आकलन तंत्र के साथ सीमाओं को दूर करने के लिए और विशेष रूप से बहुत अधिक तनावों पर खान डंप कतरनी शक्ति व्यवहार का अनुमान लगाने के लिएकॉस ग्रेन्ड वाले डंप नमूनों और उच्च लागू तनावों के लिए एक सीधी कतरनी मशीन (डायरेक्ट शियर मशीन) का डिजाइन और निर्माण किया गया है।

- एलडीएसएम कॉस ग्रेन्ड वाली डंप सामग्री के भू–तकनीकी परीक्षण के लिए प्रत्यक्ष कतरनी मशीन (डायरेक्ट शियर मशीन) का उपयोग करके पहले कभी भी नमूना आकार और तनाव दोनों के संदर्भ में, बड़े पैमाने पर परीक्षण करने में सक्षम है। एलडीएसएम नवनिर्मित जियोडिक परीक्षण सुविधा में स्थापित है और एक महीने के भीतर पोर्ण रूप से चालू किये जाने के लिए तैयार है।
- नवाचारी उपकरण डिजाइन के अंतर्गत भारतीय भू–तकनीकी समुदाय ने नए एलडीएसएमको ''आईजीएस –मिस्टरएच.सी. वर्मा डायमंड जुबली अवार्ड–2021'' प्रदान किया है।

7.0 भूमिगत खनन :

7.1 वाह्य परामर्शी कार्य

वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूरे किए गए :

- बंधा कोयला ब्लॉक की भूमिगत खनन क्षमता का मूल्यांकन।

7.2 कोल इंडिया के कार्य

- चुर्चा आरओ, बैकुंठपुर क्षेत्र, एसईसीएल में यूध्जी माइन के लिए आइसोलेशन स्टॉपिंग का डिजाइन।
- एएपी के अनुसार सीसीएल की पतरातू एबीसी परियोजना के लिए एनआईटी की तैयारी।
- 2023–24 में 170 एमटीवाई हासिल करने के लिए एनसीएल के लिए कोयला ब्लॉकों की पहचान।
- एनईसी, मार्गरीटा, असम के टिकक ओसीपी (98.59 हेक्टेयर) के अखंड क्षेत्र के लिए यूजी खनन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।
- खनन उपकरण, 2021 के लिए मानक मूल्य सूची तैयार करना।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सीआईएल की यूजी खानों की भूमिगत खान क्षमता मूल्यांकन।
- कोरबा क्षेत्र, सीजी की सिंघली और ढेलवाडीह यूजी खदान के ऊपरी स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन।
- वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सीआईएल की यूजी खानों की भूमिगत खदान क्षमता का उपयोग।
- एनईसी, मार्गेरिटा, असम के टिपोंग कोलियरी (यूजी) को बंद करने के प्रस्ताव की जांच।
- तिलबोनी कोलियरी, बांकोला क्षेत्र, ईसीएल के पिट नंबर 2 को चौड़ा करने और गहरा करने के लिए डिजाइन, ड्राइंग, अनुमान और एनआईटी तैयार करना।
- 3डी सबसिडेंस प्रेडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ महादेवपुरी यूजी माइन, पेंच एरिया, डब्ल्यूसीएल।
- पिपरवार I यूजी, सीसीएल के मॉडल एमडीओ दस्तावेजों (एमसीए और आरएफबी) में संशोधन।
- पतरातू एबीसी, सीसीएल के मॉडल एमडीओ दस्तावेजों (एमसीए और आरएफबी) में संशोधन।
- परेज (पूर्व), यूजी के लिए संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट (एपीआर) और एमडीओ बोली दस्तावेज तैयार करना।
- कुनुसोटोरिया ईसीएल के तहत पैरासी–बेलबैड पुनर्गठन यूजी (2.07 एमटीवाई) में एयर शाफ्ट के लिए डिजाइन, ड्राइंग, मात्रा अनुमान, मात्रा का बिल तैयार करना।
- झांजरा क्षेत्र, ईसीएल में मौजूदा शाफ्ट ए, बी, सी, डी और ई को गहरा करने के लिए डिजाइन, ड्राइंग तैयार करना।
- अमरकोंडा मुर्गदंगल और ब्राह्मणी चिचरो पत्सिमल के लिए अनुकूलित एमडीओ दस्तावेज तैयार करना।
- पिपरवार यूजी, सीसीएल का त्रिविमीय सबसिडेंस प्रेडिक्शन और प्रबंधन।

- उपयुक्त यूजी पद्धति औरध्या हाईवॉल माइनिंग द्वारा काकरी नॉर्थ ब्लॉक की खनन क्षमता का आकलन।
- बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए खदान में हवा की आवश्यकता, परियोजना कोड नं–सीआईएल 2016/63/01/आर एंड डी/।

7.3 कोयला मंत्रलय के लिए किये गए अन्य कार्य

- वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए एमओसी द्वारा नीलामी की तीसरी, चौथी और पांचवीं किश्त के लिए चुने गए लगभग 93 कोयला ब्लॉकों के लिए खान डोजियर और खान सारांश (मानचित्र और कार्डिनल बिंदुओं सहित) तैयार करना और जमा करना।
- वाणिज्यिक कोयला खनन की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किश्त के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर तैयार करना और प्रस्तुत करना।

7.4 प्रगति पर कार्य

क) वाह्य परामर्शी कार्य :

- मॉयल लिमिटेड की डोंगरी–बुजुर्ग खदान में भूमिगत कार्य के लिए डीपीआर तैयार करना।
- सेल – रामनगर कोलियरी की रामनगर–इंडिकट्टा भूमिगत परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (संशोधित) तैयार करना।

ख) सीआईएल के कार्य

- बोरका/साराटोला यूजी, एमसीएल के लिए पीआर।
- चिनकुरी–I, ईसीएल के लिए एमडीओ दस्तावेज।
- तिलबोनी अंडर ग्राउंड माइन, बांकोला एरिया, ईसीएल के लिए डिजाइन, ड्राइंग और एस्टीमेट तैयार करना।
- गायत्री यूजी खान, विश्रामपुर क्षेत्र, एसईसीएल में 2 कंटिन्यूस माइनर की शुरूआत हेतु वेंटिलेशन अध्ययन के लिए परामर्श सेवाएं।
- पतरातू एबीसी यूजी, सीसीएल का 3डी सबसिडेंस प्रेडिक्शन एंड मैनेजमेंट।
- कोल माइन वर्किंग (सीआईएमएफआर और आईएसएम के सहयोग से) में विभिन्न खनन विधियों से पिलर्स/खंभों के एरे की डिजाइन और स्थिरता।
- कोयला खदान में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेशन (वीआरएमएस) का विकास (आईआईटी, आईएसएम, धनबाद के सहयोग से)।

8.0 सिविल अभियंत्रण सेवाएँ :

समीक्षा वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रमुख सेवाएँ पूरी की गई :

8.1 परियोजना आयोजन कार्य :

क) निम्नलिखित के सिविल पार्ट के पीआर की तैयारी तथा लागत अद्यतनीकरण :

1. क्यादा चौधर गरियापानी (अपडेट किया गया)।

ख) पूरे वर्ष के दौरान पीएडी द्वारा तकनीकी जाँच के लिए इस विभाग को अग्रसारित विभिन्न रिपोर्टों के लिए पीआर/आरपीआर की तकनीकी जाँच :

8.2 सिविल एवं वास्तु शिल्पीय विस्तृत डिजाईन एवं ड्राईंग कार्य :

क) शॉपिंग सेंटर, स्टेडियम/खेल का मैदान और कल्याण मंडप और दुधिचुआ परियोजना, एनसीएल के लिए परियोजना कार्यालय के लिए निर्माण ड्राइंग तैयार करना।

ख) सीएसआर परियोजना के लिए फर्नीचर पैकेज–III के लिए बीओक्यू की जांच – महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस

एंड रिसर्च, तालचर, अंगुल– एनबीसीसी द्वारा कॉन्सेप्ट से कमीशनिंग आधारपर निष्पादित किया जा रहा है।

ग) सॉल्ट लेक, कोलकाता में रिक्त भूमि पर प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु परामर्श।

घ) सीएमपीडीआईएल, आरआई–3 में विकिरण स्रोत भंडारण कक्ष के निर्माण के लिए ड्राइंग।

ड़) सीईटीआई, सिंगरौली में सी एंड डी टाइप क्वार्टर जी़5 के लिए निर्माण चित्र तैयार करना।

8.3 निविदा दस्तावेज की तैयारी :

क) मिनी स्मार्ट कॉलोनी विकसित करने के लिए पीएमसी की नियुक्ति के लिए एनआईटीः जागृति विहार और बसुंधरा कॉलोनी (एमसीएल)।

ख) मौजूदा जयंत सीएचपी, एनसीएल में सेकेंडरी साइजर (–100 मिमी) की स्थापना के लिए एनआईटी (तकनीकी और वाणिज्यिक) की तैयारी।

ग) केंद्रीय कार्यशाला, जयंत, एनसीएल के उन्नयन के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करना।

घ) टर्नकी के लिए बीओक्यू और एनआईटी (वाणिज्यिक और तकनीकी) की तैयारी, खड़िया परियोजना, एनसीएल में एसटीपी के संशोधन के लिए अनुबंध।

ड.) पैकेज/ऑफर –2 के तहत दुधिचुआ ओसीपी में कार्यशाला और स्टोर के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और कमीशनिंग के लिए निविदा दस्तावेज (खंड II, तकनीकी) तैयार करना।

च) निगाही परियोजना में पश्चिमी सबस्टेशन (2)X100 एमवीए, 33 केवी/6.6 केवी) और पूर्वी सबस्टेशन (1)X10 एमवीए, 33 केवी/6.6 केवी) को केंद्रीय सबस्टेशन (4)X100 एमवीए, 33 केवी/6.6 केवी) के लिए नए स्थान पर स्थानांतरित करना।

छ) झांजरा क्षेत्र, ईसीएल में अतिरिक्त 2X10 एमवीए क्षमता के साथ मौजूदा 2X10 एमबीए माइक्रो सबस्टेशन के विस्तार के टर्नकी निष्पादन के लिए अनुमान, एनआईटी, डिजाइन और ड्राइंग तैयार करना।

ज) नाकराकोंडा, कुमारडीही बी ओसीपी, बांकोला एरिया, ईसीएल में खुदाई और ई एंड एम कार्यशाला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और कमीशनिंग के लिए निविदा दस्तावेज (खंड–II, तकनीकी) तैयार करना।

झ) RGOC 3 6 CHP में कोल हैंडलिंग प्लांट। ईपीसी मोड पर आरजी2 क्षेत्र।

ञ) रामपुर बटुरा ओसीपी, सोहागपुर क्षेत्र एसईसीएल में 33/6.6 केवी सबस्टेशन के निर्माण कार्य के लिए एनआईटी।

8.4 योजना/रिपोर्ट की तैयारी :

क) जारंगडीह ओसी माइन, कथारा एरिया, सीसीएल में, मौनसून सीजन के दौरान कोमार नदी के एगेन्स्ट में बैरियर के पर्याप्त ताकत के जानने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन।

- जागृति विहार एवं बसुधरा कॉलोनी (एमसीएल)
- निगाही कॉलोनी एवं जयंत कॉलोनी (एनसीएल)
- कोयला विहार कॉलोनी (डब्ल्यूसीएल)
- इन्दिरा विहार, नेहरू शताब्दि नगर एवं बसंत विहार (एसईसीएल)

ख) नाला डायवर्सन एवं संबंधित हाइड्रॉलिक स्ट्रक्चरों का डिजाइन

- पारासी के लिए जल विज्ञान अध्ययन और नाला मोड़ के डिजाइन की तैयारी– पैरासी ग्रुप ऑफ माइन्स के बेलबैद पुनर्गठन यूजी (2.07 एमटीवाई) के तहत कुनुस्तोरिया क्षेत्र, ईसीएल।
- राजहरा की लोबजी नदी में सदाबा नदी के नदी मोड़ के लिए वैज्ञानिक अध्ययनओसीपी, राजहरा क्षेत्र, सीसीएल।

- (i) पोटोंगे नाला और तिलैया नालादोनों नाले की विस्तृत हाइड्रोलॉजिकल ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट, नाला मोड़ का डिजाइन, डिजाइनतटबंध और ढलान संरक्षण और (ii) मदों की मात्रा की अनुसूचीकी तैयारी।
- बैतरनी–पश्चिम कोयला खदान, ओएमसीएल के लिए सुपाई नाला का हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन।

ग) मौजूदा मूनीडीह (1.6 एमटीपीए) कोकिंग कोल वाशरी के नवीनीकरण के लिए टर्नकी आधार पर ई–निविदा मोड में विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और टीएसडी/निविदा दस्तावेज (आरएफक्यू के साथ आरएफपी) तैयार करना।

घ) 2.5 एमटीपीए मूनीडीह कोकिंग कोल वाशरी की स्थापना के लिए बोलियों का मूल्यांकन (आरएफपी+आरएफक्यू)।

ड.) मौजूदा मधुबन वाशरी (2.5 एमटीपीए) के नवीनीकरण के लिए टर्न–की आधार पर ई–निविदा मोड में विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और टीएसडी/निविदा दस्तावेज (आरएफक्यू के साथ आरएफपी) तैयार करना।

च) एनसीएल के नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आवासीय और गैर आवासीय दोनों के लिए) के लिए व्यापक योजना तैयार करना।

छ) जल विश्लेषण, एनटीपीसी की पीबी खदान की मुख्य और विस्तारित सीएचपी पैकेज दोनों के लिए पकरी बरवाडीह पूर्वी खदान के पानी को धूल दमन, पानी की सुविधा, ठंडा पानी और अग्निशामक प्रणाली के उपयोग के लिए उपचार योजना प्रदान करना।

ज) एमओआईएल की बालाघाट खदान में एक (3 प्रकार) के लिए हैंडलिंग, ले जाने, भंडारण और मैकेनाइज्ड लोडिंग वैगन और ट्रक लोडिंग सिस्टम के लिए लागत अनुमान के साथ योजना तैयार करना।

चित्र 1 ''बैक फील्ड खुली कोयला खनन पर संरचना निर्माण : व्यावहारिक प्रणाली सुझाने के लिए प्रयास'' शीर्षक वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाकेलिए जगन्नाथ एरिया, एमसीएल में निर्मित प्रोटोटाइप भवन।

चित्र 2 जेवीआर ओसी सीएचपी, एससीसीएल के लिए साइलो निर्माण का प्रदर्शन।

8.5 संरचनात्मक उपयुक्तता अध्ययन :

क) निगाही परियोजना, एनसीएल का चरण– I (पुराना सीएचपी) और चरण– II (पैकेज–ए और बी)।

ख) एनसीएल का अमलोहरी सीएचपी (पुराना और नया)।

ग) जयंत ओसीपी में सीएचपी संरचना।

8.6 एफएमसी और अन्य परियोजनाओं के डिजाइन/ड्राईंग की संवीक्षा :

क) जयंत इंक्रीमेंटल सीएचपी (15 एमटीपीए), एनसीएल।

ख) दुधिचुआ सीएचपी चरण–III (10एमटीपीए), एनसीएल।

ग) झांझरा सीएचपी (5एमटीपीए), ईसीएल।

घ) राजमहल सीएचपी (10एमटीपीए), ईसीएल।

ड़) कनिहा घाट साइडिंग (10एमटीवाई), कनिहा क्षेत्र एमसीएल के पास सर्ज बिन के साथ सीएचपी और आरएलएस।

च) ब्लॉक–बी सीएचपी, 4.5 एमटीपीए, एनसीएल।

छ) जेवीआर ओसी सीएचपी, एससीसीएल।

ज) लखनपुर, एमसीएल में आईबी वैली वाशरी।

झ) पाथेरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी (2.5 मिलियन टन कैप), बीसीसीएल।

ञ) 2.0 एमटीपीए भोजुडीह, एनएलडब्ल्यू वाशरी, बीसीसीएल।

ट) कुसमुंडा मुख्य कार्यशाला, एसईसीएल।

ठ) ब्लॉक–बी कार्यशाला, एसईसीएल।

8.7 अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

क) ''बैकफील्ड खुली कोयला खनन पर संरचना का निर्माण, व्यावहारिक प्रणाली (मेथॉडोलॉजी) सुझाने के लिए प्रयास'' नामक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना।

9.0 वैद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवाएँ :

वर्ष 2021-22 में किए गए कार्य :

9.1 खान आयोजन प्लानिंग (आधारभूत संरचना)

➢ **परियोजना रिपोर्ट की तैयारी :**

✓ **मुख्यालय**

- कयादा–चौधर गरियापानी ओसी (4 एमटीवाई)

✓ **क्षेत्रीय संस्थान I**

- गोपीनाथपुर यू/जी की।
- भनोरा यू/जी।
- पांडवेश्वर–दलबंद ओसीपी।
- पैरास्कोल जंबाद ओसीपी+यू/जी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान II**

- समामेलित एनटीएसटी और फूलरीटांड के लिए पीआर।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान IV**

- शिवानी ओसी, समामेलित नीलजय बेलोरा नैगांव डीप ओसी, उरधन विस्तार ओसी, सिंघोरी दीप ओसी, कोंडा हरदोला ओसी एमडीओ मोड, गौरी सेंट्रल ओसी एमडीओ मोड उकनी पीपलगांव डीप ओसी, इंगुरी भूमिगत खदान, तवा III यूजी के लिए रीकास्ट पीआर, सौनेर खदान I यूजी विस्तार के लिए आरपीआर।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान V**

- बरतराई यूजी, राजेंद्र विस्तार (करकती) यूजी, अमृतधारा यूजी, मलाचुआ यूजी (एमडीओ विकल्प), टाटापानी ओसीपी, दामिनी ओसीपी, अमरतीपुर ओसीपी, मदननगर, पेल्मा ओसीपी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VI**

- बंधा ओसीपी और तुलसी ओसीपी,

➢ **परियोजना रिपोर्ट/ लागत मूल्यांकन को उद्यतन करना :**

हुरा–सी का आरईस, टिकाक का आरईसी, केतकी विस्तार यूजी (0.87 एमटीवाई) (एमडीओ विकल्प) का पीआर, अंबिका ओसीपी के पीआर (1.0 मिलियन टन)।

9.2 कोयला निपटान संयंत्र : ई निविदा दस्तावेज की तैयारी

✓ **मुख्यालय**

- आरजी 3 ओसी सीएचपी, एससीसीएल के लिए एनआईटी, मोहनपुर ओसी सीएचपी, निगाही सीएचपी, बीना–काकरी सीएचपी, जयंत पुराने सीएचपी, एनसीएल के सेकेंडरी साइजर की स्थापना के लिए एनआईटी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान I**

- कुमारडीह बी सीएचपी के एनआईटी का अद्यतनीकरण।
- आरएलएस के माध्यम से श्यामसुंदरपुर यू/जी और तिलबोनी यू/जी से एकीकृत रेलवे कोयला प्रेषण की योजना तैयार करना (प्रक्रिया में)।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान III**

- केडीएच पूर्णाडीह एकीकृत सीएचपी और कारो सीएचपी के लिए निविदा दस्तावेज।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान IV**

- मुंगोली के लिए एनआईटी–निर्गुडा विस्तार ओसी, साइलो के साथ डब्ल्यूसीएल सीएचपी (एफएमसी परियोजना)।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान V**

- अमादंद ओसी सीएचपी का एनआईटी (4.0 एमटीवाई)।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VI**

अमलोहरी सीएचपी, खड़िया सीएचपी, निगाही सीएचपी, बीना–काकरी सीएचपी, खड़िया सीएचपी में सेकेंडरी साइजर के लिए एनआईटी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VII**

- कोठागुडम क्षेत्र का अंतिम ई–एनआईटी और मनुगुरु क्षेत्र का ड्राफ्ट ई–एनआईटी।

9.3 वर्कशॉप एवं स्टोर : ईनिविदा दस्तावेज की तैयारी

✓ **मुख्यालय**

- नाकराकोंडा–कुमारडीही–बी डब्ल्यू/एस और स्टोर, दुधिचुआ डब्ल्यू/एस और स्टोर विस्तार, बीना–काकरी डब्ल्यू/एस और स्टोर विस्तार, सीडब्ल्यूएस, जयंत, एनसीएल के लिए पी एंड एम (44 नंबर) के तकनीकी विनिर्देश का अद्यतन।

9.4 सीएचपी/वर्कशॉप/सबस्टेशन के ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन

✓ **मुख्यालय**

- ड्राइंग स्क्रूटनी जयंत ओसीपी, एनसीएल में इंक्रीमेंटल (15 एमटीवाई) सीएचपी, दुधिचुआ ओसीपी, एनसीएल में इंक्रीमेंटल (10 एमटीवाई) सीएचपी के लिए ड्राइंग स्क्रूटनी, ब्लॉक–बी सीएचपी (4.5 एमटीपीए इंक.), एनसीएल की ड्राइंग स्क्रूटनी, झांजरा सीएचपी (5 एमटीपीए अतिरिक्त), ईसीएल की ड्राइंग स्क्रूटनी, राजमहल सीएचपी (10 एमटीपीए), ईसीएल की ड्राइंग स्क्रूटनी, कनिहा सीएचपी (10 एमटीपीए), एमसीएल की ड्राइंग स्क्रूटनी, जेवीआरओसी सीएचपी, एससीसीएल की ड्राइंग स्क्रूटनी, कुसमुंडा कार्यशाला की ड्राइंग स्क्रूटनी, SECL, खड़िया एसटीपी (ई एंड एम भाग), एनसीएल के संशोधन के लिए ड्राइंग स्क्रूटनी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान II**

- 5.0 एमटीवाई एनएलडब्ल्यू पाथेरडीह वाशरी के धुले उत्पादों के प्रेषण के लिए आरएलएस की ड्राइंग जांच।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान III**

- ड्राइंग स्क्रूटनी उत्तर उरीमारी सीएचपी, मगध सबस्टेशन, 2X16 MVA, 33/6.6 kV, आम्रपाली सबस्टेशन, 2X16 MVA, 33/6.6 kV, उत्तर उरीमारी सबस्टेशन, 2X5 एमवीए, 33/6.6 केवी, मगध 33 केवी ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन, आम्रपाली 33 केवी ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान IV**

बड़ौद ओसी परियोजना, एसईसीएल में सीएचपी और साइलो की जांच करना, दिनेश (मकरधोकरा–III) ओसी प्रोजेक्ट, डब्ल्यूसीएल में सीएचपी और साइलो की ड्रॉइंग स्क्रूटनी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान V**

- सीएचपी की ड्रॉइंग स्क्रूटनी :

  गेवरा फेज–I (25 एमटीवाई), गेवरा

फेज–II (30 एमटीवाई), दीपका मैकेनाइज्ड साइडिंग (25 एमटीवाई), छल सीएचपी (6 एमटीवाई), मानिकपुर सीएचपी (5 एमटीवाई), कुसमुंडा चरण–III (40 एमटीवाई),

- गेवरा वर्कशॉप, एसईसीएल की ड्रॉइंग स्क्रूटनी
- सबस्टेशन की ड्रॉइंग स्क्रूटनीः

  220/33 केवी, 2X100 एमवीए एस/एस गेवरा विस्तार पर (35–70 एमटीवाई), कुसमुंडा ओसीपी में 3 नंबर, 33 केवी सबस्टेशन, गेवरा एक्सप्रेस में 3 नंबर 33/6.6 केवी, 2X16 एमवीए एस/एस। (35–70 एमटीवाई), जगन्नाथपुर ओसीपी में 2X4 MVA, 33 kV/3.3 kV सबस्टेशन।
- 3 पारेषण लाइन की ड्रॉइंग स्क्रूटनीः कुसमुंडा ओसीपी, एसईसीएल में 33kV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 132kV/33kV सेंट्रल S/S से 3 नंबर 33kV/6.6kV S/S तक।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VI**

- दुधिचुआ ओसीपी के घाट पर मैकेनाइज्ड लोडिंग सिस्टम की ड्राइंग स्क्रूटनी।
- अमलोहरी ओसीपी में सीएचपी घाट वॉल साइडिंग की ड्राइंग स्क्रूटनी।
- खड़िया ओसीपी में 1X10MVA, 33/6.6 kV सबस्टेशन की ड्रॉइंग स्क्रूटनी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VII**

- ड्राइंग स्क्रूटनी लखनपुर कोल हैंडलिंग प्लांट, भुवनेश्वरी कोल हैंडलिंग प्लांट, सरदेगा कोल हैंडलिंग प्लांट, लजकुरा कोल हैंडलिंग प्लांट, अनंत कोल हैंडलिंग प्लांट, के साथ कोल फीडिंग अरेंजमेंट (10 एमटीवाई) की ड्राइंग स्क्रूटनी।

9.5 ऊर्जा अंकेक्षण/बेंचमार्किंग

➢ **सत्तर (93) संख्या के लिए वार्षिक डीजल बेंचमार्किंग। सीआईएल की अनुषंगियों की खुली खदानें।**

➢ **सीआईएल अनुषंगियों की 11 परियोजनाओं के लिए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग**

➢ **3 परियोजना का रोशनी सर्वेक्षण**

9.6 विद्युत आपूर्ति तथा वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली

✓ **मुख्यालय**

- भटमुरा ओसीपी, ईसीएल में 2X10 एमवीए, 33/6.6 केवी सब–स्टेशन के लिए एनआईटी।
- ब्लॉक–बी विस्तार ओसीपी, एनसीएल के पीआर के अनुसार 3X10 एमवीए, 33/6.6 केवी सब–स्टेशन के निर्माण के लिए एनआईटी।
- एसओसीपी, आईबीवी क्षेत्र में 2X4 एमवीए, 33/3.3 केवी सब–स्टेशन के लिए एनआईटी।
- पूर्वी और पश्चिमी सब–स्टेशन को निगाही प्रोजेक्ट के सेंट्रल सब–स्टेशन के नए स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए एनआईटी।
- झांजरा में अतिरिक्त 2X10 एमवीए क्षमता के साथ मौजूदा 2X10 एमवीए माइक्रो सबस्टेशन के विस्तार के लिए एनआईटी।
- बीना स्विचिंग स्टेशन के लिए एनआईटी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान II**

- समामेलित एनटीएसटी के लिए अनुमान और लेआउट ड्राइंग।
- फूलारिटांड के लिए अनुमान और लेआउट ड्राइंग।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान III**

- केडीएच ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन की एनआईटी, जारंगडीह ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन की एनआईटी, कारो ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन की एनआईटी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान IV**

- दिनेश (मकरधोकरा–III) ओसीपी में 2X

6.30 MVA, 33KV / 11KV और 2X7. 50MVA, 33KV / 6.6KV सबस्टेशन के लिए एनआईटी।

- मुंगोली निर्गुडा EXT (डीईईपी) ओसीपी में 2X6.30 MVA, 33KV / 6.6KV सबस्टेशन के लिए एनआईटी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान V**

- 3 गेवरा एक्सप्रेस में 33 / 6.6 केवी, 2X16 एमवीए एस / एस (35–70 एमटीवाई)।
- गेवरा विस्तार पर 220 / 33kV, 2X100 MVA S / S (35–70 एमटीवाई)।
- कुसमुंडा ओसीपी में 3 नग, 33kV सबस्टेशन।
- जगन्नाथपुर ओसीपी में 2X4MVA, 33kV / 3.3kV सबस्टेशन।
- झिरिया पश्चिम ओसीपी में 2X1000kVA, 33kV / 3.kV S / S के लिए एनआईटी।
- रामपुर बतूरा ओसीपी में 2X5000kVA, 33kV / 6.6kV एस / एस के लिए एनआईटी।
- कुसमुंडा ओसीपी में 2X6300kVA, 33kV / 6.6–3.3kV टाउनशिप एस / एस के लिए एनआईटी।
- 3, 33kV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 220kV / 33kV सेंट्रल S / S से गेवरा ओसीपी में 3, 33kV / 6.6kV S / S के लिए एनआईटी।
- 2X20MVA, 132kV / 33kV S / S केएक के लिए और 2X10MVA, 33kV / 6. 6kV S / S के2 बरौद ओसीपी के लिए एनआईटी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VII**

- लखनपुर ओसीपी में 3X12.5 एमवीए, 33 / 6.6 केवी परियोजना सबस्टेशन और 33 केवी डीसी ओएचटीएल का ड्राफ्ट ई–एनआईटी।
- सियारमल ओसीपी में 220 / 33 केवी सबस्टेशन से 33 / 6.6 केवी प्रोजेक्ट सबस्टेशन–1 तक 33 केवी डीसी ओएचटीएल का ड्राफ्ट ई–एनआईटी।

9.7 सौर्य ऊर्जा के लिए पहल (सोलर इनिसीएटिव्स) :

✓ **मुख्यालय**

- सीसीएल में विभिन्न स्थानों पर 3.5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र (ग्राउंड + रूफ टॉप)।
- आईडब्ल्यूएसएस खड़िया, एनसीएल में 1.2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की योजना।
- 150kWp सीएमपीडीआई मुख्यालय, रांची में कमीशन किया गया है।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान I**

- 2 साल की गारंटी (ऑल इन वन सिस्टम स्वीकार्य नहीं होगा) के साथ सीएसआर गतिविधि के तहत पश्चिम बर्धमान और धनबाद जिले के 160 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट (मधेगंज गांव में 50, गोविंदपुर गांव में 40 और गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत में 70) की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन और परीक्षण के लिए एनआईटी की तैयारी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान IV**

- मार्च 2022 में सीएमपीडीआईएल के नए कार्यालय भवन में 83kWp सोलर रूफटॉप पावर प्लांट चालू किया गया है।
- पीएमसी जॉब के तहत सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए डब्ल्यूसीएल के सात क्षेत्रों का भूमि मूल्यांकन कार्य। रिपोर्ट डब्ल्यूसीएल को भेजी गयी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान V**

- 100kWp के ऑनग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र (Ph-II) NIT के लिए निविदा तैयार की जा चुकी है और शीघ्र ही जारी की जानी है। इस प्रकार आरआई–V नेट जीरो एनर्जी ऑफिस बनने के लक्ष्य को पूरा करेगा।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VII**

- क्षेत्रीय संस्थान–VII, भुवनेश्वर में 60kWp को कमीशन किया गया है।

9.8 अन्य रिपोर्ट/निविदा दस्तावेज/योजना :

✓ **मुख्यालय**

- केंडा, ईसीएल में एसटीपी पर योजना।
- बालाघाट खान, मॉयल में ओआरई (3 प्रकार) के लिए वैगन और ट्रक लोडिंग सिस्टम की मशीनीकृत लोडिंग के लिए योजना।
- जोरबागा, लखनपुर क्षेत्र, एमसीएल में 4x20 एमवीए, 132/33 केवी केंद्रीय सब–स्टेशन के लिए अग्निशमन व्यवस्था।
- बीना ओसीपी, एनसीएल में ईटीपी के प्रस्तावित संशोधन के लिए ई एंड एम मदों के लिए लागत अनुमान और विनिर्देश (ड्राफ्ट प्रस्तुत)।
- बीना ओसीपी, एनसीएल में एसटीपी के प्रस्तावित संशोधन के लिए ई एंड एम मदों के लिए लागत अनुमान और विनिर्देश (ड्राफ्ट प्रस्तुत)।
- काकरी ओसीपी, एनसीएल में मौजूदा एसटीपी और ईटीपी के संशोधन के लिए योजना (ड्राफ्ट जमा)।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान I**

- सरा यू/जी में कम ऊंचाई वाले कंटीन्यूअस माइनर को शामिल करने के साथ वैचारिक नोट।
- चापापुर ओसीपी, संगमहाल ओसीपी और डाबर ओसीपी की योजना।
- शामपुर बी यू/जी . की योजना।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान II**

- आग से निपटने के लिए योजनाएं।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान IV**

- बोर्डा यूजी खान के हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन के एनआईटी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VI**

- निगाही ओसीपी का डीजल ऑडिट।
- जयंत ईटीपी और सीईटीपी के संशोधन के लिए योजना।
- जयंत ईटीपी और सीईटीपी के संशोधन के लिए एनआईटी।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VII**

- लखनपुर ओसीपी में 3 लाख टन वजनी ट्रक लदान व्यवस्था की अंतिम योजना।

9.9 निरीक्षण सेवाएँ :

- सभी सीआईएल सहायक कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चरर्स वर्क्स में खरीदे गए प्लांट और मशीनरी के लिए प्री–डिस्पैच इंस्पेक्शन सर्विसेज।
- वर्ष 2021–22 के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा सेवाओं से अर्जित राजस्व लगभग रु. 1.96 करोड़ है।

9.10 एनडीटी (नॉन डिसट्रकटिव परीक्षण) कार्य :

✓ **मुख्यालय**

- एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में सीएचपी का एनडीटी।
- एचईएमएम का एनडीटी और एनसीएल परियोजनाओं का अन्य पी एंड एम।
- रेलिगारा परियोजना, अरगडा क्षेत्र, सीसीएल में एचईएमएम का एनडीटी।
- डब्ल्यूसीएल के दुर्गापुर ओसीएम के हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर बीई–1000 का संरचनात्मक स्थिरता परीक्षण/एनडीटी।
- हाइड्रोलिक एक्सेवेटर बीई–1000 का एनडीटी क्र.सं. चंद्रपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के लिए एमपीएफसी और यूएफडी परीक्षण तकनीक को नियोजित करने वाले डीओसीएच की संख्या 10149।
- बल्लारपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में 20/90 ड्रैगलाइन और उत्खनन (8 नंबर) का एनडीटी।
- सीएमपीडीआई ने एचईएमएम, सीएचपी आदि के एनडीटी के लिए 3.80 करोड़ रुपये प्राप्त किए और सीआईएल की सहायक कंपनियों की 43 परियोजनाओं के लिए रिपोर्ट तैयार की।

9.11 आइएसओ परामर्श :

✓ **मुख्यालय**

- आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में मैसर्स एनटीपीसी की तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजनाओं के लिए परामर्श कार्य पूरा हो गया है।
- मानकों के नवीनतम संस्करण में एनसीएल, ईसीएल और डब्ल्यूसीएल के लिए पुनः प्रमाणन पूरा किया गया।
- आईएसओ 50001 का ट्रांजीशन– नवीनतम संस्करण में सीआईएल (मुख्यालय) का ऊर्जा प्रबंधन प्रमाणपत्र पूरा हो गया है।

9.12 अन्य बड़े (महत्वपूर्ण) कार्य :

✓ **मुख्यालय**

- कोल ब्लॉक कॉस्ट अपडेशन (ई एंड एम पार्ट)।
- सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों की संवीक्षा।
- जब और जैसी आवश्यकता हो के आधार पर वाहन किराए पर लेने के लिए वाहन निविदा।
- विभागीय और किराए के वाहनों का संचालन और विभागीय वाहनों का रखरखाव।
- ई एंड एम डिवीजन, सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में गुणवत्ता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीएमपीडीआई की आईएसओ एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन।
- ई एंड एम डिवीजन, सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में जोखिम प्रबंधन प्रणाली और रिश्वत विरोधी प्रणाली का कार्यान्वयन

✓ **क्षेत्रीय संस्थान I**

- सीआईएल का वार्षिक कोयला स्टॉक मापन।
- सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान– I में व्यावसायिक श्रेणी के चार हलके वाहनों को किराए पर लेना।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान II**

- सीआईएल का वार्षिक कोयला स्टॉक मापन।
- खान बंदी योजना की तैयारी।
- निम्नलिखित के लिए खनन योजना और खान बंदी योजनाः

  क. सालनपुर

  ख. निचितपुर

  ग. बांसदेवपुर

  घ. तेतुलमारी

  ड़. सेंद्रा बंजोरा

  च. एकेडब्ल्यूएमसी

  छ. एजीकेसीसी

  ज. मुदीदीह

  झ. समामेलित लोयाबाद कंकनी
- आरआई–II . के लिए वाहन किराए पर लेना।
- नई लिफ्ट की स्थापना के लिए निविदा दस्तावेज और निविदा प्रक्रिया तैयार करना।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान IV**

- सीएमपीडीआई आरआई–IV और इसके अन्वेषण शिविरों के लिए 32 वाहनों को किराए पर लेने की निविदा (कस्टम बोली) तैयार करना और जारी करना।
- सीएमपीडीआई सब–स्टेशन, कार्यालय और टाउनशिप में लाइट फिटिंग के साथ–साथ विद्युत ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट पोल स्थापना के पुनर्गठन का कार्य।
- सीएसआर गतिविधि के तहत 320 केवीए डीजी सेट की खरीद।

10.0 नगर अभियंत्रण सेवाएँ :

नगर अभियंत्रण विभागों के प्रमुख दायित्व इस प्रकार है :

क्र.सं.	कार्यों का नाम
1.	भवन अर्थात् कार्यालय भवन और आवासीय स्टाफ क्वार्टर्स का रख–रखाव, साफ–सफाई का रख–रखाव, स्वच्छ और हरा पर्यावरण आवश्यक बागवारी कार्य और खन–रखाव सहित।
2.	कार्यालय से संबंधित इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक और मैकेनिकल उपकरण का रख–रखाव और इसकी विषय सूची का रख–रखाव।
3.	सभी कार्यालय फर्नीचर का रख–रखाव।
4.	आवश्यक उपाय कर जलापूर्ति प्रबंधन।
5.	विद्युत् का बचाव और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाकर विद्युत प्रबंधन।
6.	इलेक्ट्रीसिटि बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल और अन्य संविदात्मक भुगतान आदि के लिए प्राप्ति, चेकिंग और सुपुर्दगी को सुनिश्चित करना।
7.	नगर निगम जैसे वैधानिक निकायों के साथ संपर्क संबंधी कार्य।

सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) के टीई एंड सीएम डिवीजन में 2021–22 में पूंजीगत कार्यों, चल रहे मरम्मत कार्यों, विशेष मरम्मत कार्यों और सीएसआर कार्यों के तहत पूर्ण और चालू कार्यों की सूची निम्नलिखित है :

क्र. सं.	कार्यों का नाम	कार्य का मूल्य (लाख रू. में)
	चल रहे कार्य	
1.	सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में आवासीय क्वार्टरों के स्थानांतरण, मरम्मत और रखरखाव से सम्बंधित बैकलॉग शिकायत का निपटारा।	30.45
2.	सीएमपीडीआई कॉलोनी, रांची में आवासीय क्वार्टरों और टाउनशिप का व्यापक रखरखाव।	564.00
3.	सीएमपीडीआई (मुख्यालय), कांके रोड, रांची में मच्छर नियंत्रण और सामान्य कीट नियंत्रण सेवाओं के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध।	14.08
4.	मौजूदा क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाने के बाद आरसीसी पैरापेट टॉप और स्लोप्ड छज्जा की मरम्मत, आईआईसीएम, कांके रोड, रांची में ई1, ई2 और ई5 बंगले की आंतरिक और बाहरी पेंटिंग के साथ छत के रिसाव की रोकथाम का कार्य।	19.03
5.	सीएसआर योजना के तहत मिसिरगोंडा गांव, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची के पास 2 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण।	36.98
6.	राजकीय उच्च विद्यालय पिथौरिया एवं उरगुट्ट, रांची में दो शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	35.34

क्र. सं.	कार्यों का नाम	कार्य का मूल्य (लाख रू. में)
7.	सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची के विभिन्न कार्यालय भवनों में विभिन्न क्षमताओं के रूफटॉप माइक्रो–ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन, परीक्षण और व्यापक रखरखाव 05 वर्षों के लिए।	5.10
8.	8 यात्रियों वाली तथा 544 किलोग्राम क्षमता वाली व 1 मीटरप्रति सेकेंड गति वाली लिफ्टका डिजाइन, आपूर्ति निर्माण स्थापना और कमीशनिंग। डिजाइन और निर्माण सहित जी4 भवन के लिए लिफ्ट शाफ्ट कुएं और सभी पूर्ण।	48.84
9.	सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में गवेषण भवन और सीएमपीडीआई गेस्ट हाउस में कैप्सूल लिफ्ट की स्थापना के लिए सिविल और संबद्ध कार्य।	24.81
10.	सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में बैडमिंटन कोर्ट परिसर का निर्माण।	114.56
पूरे किए गए कार्य		
1.	सीएमपीडीआई (मुख्यालय) रांची में कॉलोनी क्वार्टरों में मौजूदा शौचालयों कारिसाव उपचार और अन्य मरम्मत कार्य और मौजूदा मिट्टी के पाइप को बदलना।	13.02
2.	सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में ई–प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सेल का नवीनीकरण और फर्निश करना।	10.13
3.	एसटीसी छात्रावास, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची के लिए पर्दे और लिनन वस्तुओं की आपूर्ति।	8.32
4.	सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची के विभिन्न कार्यालय भवनों में विभिन्न क्षमताओं के रूफटॉप माइक्रो–ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन, परीक्षण।	45.93

11.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

कोयला मंत्रालय द्वारा कोष प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना :

11.1 कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियों का संचालन एक शीर्ष निकाय, स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के माध्यम से किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं। इस शीर्ष निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) के सीएमडी, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), महानिदेशक (खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के महानिदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सलाहकार ऊर्जा, नीति आयोग, निदेशक, सीएमआईएफआर, धनबाद, निदेशक, टेरी और एसएसआरसी की तकनीकी उप–समिति के अध्यक्ष हैं। एसएसआरसी का प्रमुख कार्य बजट की योजना बनाना, कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, नई अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देना, पूर्ण की गई परियोजनाओं के परिणामों की निगरानी करना और वास्तविक क्षेत्र स्थिति में अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियों का अनुप्रयोग करवाना है।

11.2 एसएसआरसी को वास्तविक रोटेशन के आधार पर एचओडी–आईआईटी/केजीपी–आईआईआईटी (खनन) बीएचयू की अध्यक्षता में आईआईटी/आईएसएम एक तकनीकी उपदान की जाती समिति द्वारा सहायता प्रदान

है। यह उप समिति कोयला खानों में उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्ष से संबंधित विषयों पर काम करती है।

11.3 सीएमपीआईएल, कोयला क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के समन्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान कार्यों के लिए दबाव वाले (महत्वपूर्ण) क्षेत्रों की पहचान, अनुसंधान प्रस्तावों को आमंत्रित करना, उस एजेंसी की पहचान करना जो चिहिनत क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर सके, प्रस्तावों की प्रारंभिक संवीक्षा तथा संसाधन, अनुसंधान कार्यों के बजट प्राक्कलन तैयार करना, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेसियों को कोष वितरित करना तथा परियोजनाओं की प्रगति की मानिटरिंग करना आदि शामिल है

- प्रारंभ की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.3.2022 तक)–399
- पूरी की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.3.2021 तक)–330।

11.4 वर्ष 2021-22 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :

क) भौतिक उपलब्धि :

2021–22 के दौरान कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना की स्थिति इस प्रकार हैः

(परिशिष्ट–ए)

1.	1.4.2021 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	12
2.	एसएसआरसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ	2
3.	पूरी की गई परियोजनाएँ	3
4.	1.4.2022 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	11

ख) वित्तीय उपलब्धि

विवेच्य वर्ष के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक कोष वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु. में)

2020 - 21			2021 -22		
आरई	कोयला मंत्रालय से प्राप्त कोष	वास्तविक	आरइ	कोयला मंत्रालय से प्राप्त कोष	वास्तविक
12.0	9.91	9.97*	11.50	8.35	7.53 (अनअंकेक्षित)

*रू. 0.06 करोड़ का वितरण MoC द्वारा IIT-ISM, धनबाद को सीधे किया गया।

परिशिष्ट-'क'

वर्ष 2021-22 के दौरान कोयला मंत्रलय द्वारा वित्त प्रदत्त एसएंडटी परियोजनाए :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू.में)
1.	उच्च राख वाले भारतीय कोयले के लिए अप्रत्यक्ष कोयला गैसीकरण रिएक्टर की मॉडलिंग और डिजाइन। (प्रोजेक्ट कोड : सीई/34)	आईआईटी, मद्रास और सीएमपीडीआईएल, राँची	72.07
2.	क्लोज्ड लूप बाइनरी ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित एससीसीएल कमांड क्षेत्र में जियो–थर्मल एनर्जी (20 किलोवाट कैंप) बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट की स्थापना। (प्रोजेक्ट कोड : सीई/33)	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडेम और शिराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली	172.28

वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी की गई कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा वित्त प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू.में)
1.	खुली खदानों के लिए ऑन लाइन कोयला धूल दमन प्रणाली। (प्रोजेक्ट कोडः ईई/47)	सेंटर फोर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग, तिरुवनंतपुरम; खनन इलेक्ट्रॉनिक विभाग, सीएमपीडीआई, रांची।	421.04
2.	एकीकृत जैविक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए देशी पौधों की प्रजातियों के साथ मिट्टी संशोधन और पुनर्जीवन के माध्यम से उत्तर पूर्वी कोलफील्ड्स, असम की कोयला खनन भूमि का सुधार। (प्रोजेक्ट कोडः ईई/50)	आरएफआरआई, जोरहाट और एनईसी, मार्गेरीटा।	83.18
3.	भारतीय कोलफील्ड्स के लिए कोल बेड मीथेन (सीबीएम) रिज़र्व का आकलन।	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईआईईएसटी), शिबपुर, सीएमपीडीआई, रांची, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता और एनजीआरआई, हैदराबाद।	2069.91

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:

1. सीआईएल के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए, अध्यक्ष, सीआईएल की अध्यक्षता में एक अनुसंधान एवं विकास बोर्ड है। अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को निदेशक (तकनीकी), सीआईएल की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीएमपीडीआई अनुसंधान गतिविधियों के लिए बजट अनुमान तैयार करने, नए परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन, परियोजना की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि के वितरण, परियोजनाओं के पूरा होने तक उनकी प्रगति की निगरानी और अनुसंधान निष्कर्षों के प्रसार आदि के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

2. सीआईएल के कमांड क्षेत्रों में आर एंड डी आधार बढ़ाने के लिए, सीआईएल बोर्ड ने 24 मार्च 2008 को आयोजित अपनी बैठक में सीआईएल के आर एंड डी बोर्ड और आर एंड डी बोर्ड की शीर्ष समिति को भी पर्याप्त शक्तियां प्रदान की हैं। शीर्ष समिति को व्यक्तिगत आर एंड डी परियोजना को 5 करोड़ रुपये तक की मंजूरी देने का अधिकार है, जिसकी अधिकतम सीमा 25.0 करोड़ रूपये प्रति वर्ष है। सभी परियोजनाओं को एक साथ देखते हुए और सीआईएल आर एंड डी बोर्ड को प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये आवंटित करने और 50.0 करोड़ रुपये तक व्यक्तिगत आर एंड डी परियोजना को मंजूरी देने का अधिकार है

   - प्रारंभ की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की कुल संख्या (31.3.2022 तक) – 110
   - पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की कुल संख्या (31.3.2021 तक) – 68

3. **वर्ष 2021-22 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :**

   3. वर्ष 2021–22के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :

क) भौतिक उपलब्धि :

क्र.सं.	पैरामीटर	संख्या
1.	01.4.2021 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	25
2.	2021.22 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएँ	10
3.	2021.22 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ	05
4.	2021–22 के दौरान समाप्त/बंद की गई परियोजनाएँ	01
5.	1.4.2022 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	29

ख) वित्तीय उपलब्धि

विवेच्य वर्ष के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक कोष वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु. में)

2020 - 21		2021 -22	
आरई	वास्तविक	बीई	वास्तविक
12.0	12.29	25.0	31.20 (अनकेक्षित)

परिशिष्ट–'ख'

वर्ष 2021–22 के दौरान सीआईएल द्वारा वित्त पोषित अनुमोदन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू.में)
1.	सिंगरौली कोयला क्षेत्र में ट्रेस तत्वों और आरईई कंसंट्रेशन के लिए गोंडवाना तलछट (कोयला, मिट्टी, शेल, बलुआ पत्थर) का मूल्यांकन। (परियोजना कोडः सीआईएल/आर एंड डी/04/13/2021)	गवेषण प्रभाग, सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची और एनसीएल।	210.81
2.	सिंगरौली कोयला क्षेत्र में ट्रेस तत्वों और आरईई कंसंट्रेशन के लिए गोंडवाना तलछट (कोयला, मिट्टी, शेल, बलुआ पत्थर) का मूल्यांकन। (परियोजना कोडः सीआईएल/आर एंड डी/04/13/2021)	एनएमएल, जमशेदपुर; सीएमपी डिवीजन, सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची और बीसीसीएल, धनबाद।	264.04
3.	कार्बन वैल्यूज की रिकवरी के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मध्यकों और जुर्माने का प्रभावी उपयोग। (परियोजना कोडः सीआईएल/आर एंड डी/02/11/2021)	एनएमएल, जमशेदपुर; सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची; बीसीसीएल, धनबाद।	141.02
4.	500 किलोग्राम CO 2/दिन क्षमता के साथ CO 2 के मेथनॉल और अन्य मूल्य वर्धित रसायनों के रूपांतरण को बढ़ाना। (परियोजना कोडः सीआईएल/आर एंड डी/04/14/2021)	जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर), जक्कुर, बैंगलोर; सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), कोथागुंडेम;और ब्रीद एप्लाइड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर।	1597.29
5.	प्रिंटिंग द्वारा मोनोलिथिक पेरोव्स्काइट मॉड्यूल निर्माण का स्वदेशी विकास। (परियोजना कोडः सीआईएल/आर एंड डी/04/15/2021)	आईआईटी बॉम्बे; सीआईएल, कोलकाता और, सीएमपीडीआईएल।	1317.62
6.	भौतिक और रासायनिक संवर्धन के माध्यम से उच्च राख वाले भारतीय कोयले का उन्नयन। (परियोजना कोडः सीआईएल/आर एंड डी/02/12/2021)	आईआईटी–खड़गपुर;सीएमपीडीआईएल; बीसीसीएल; सीसीएल और एमसीएल।	144.30
7.	खनिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए घुटने और रीढ़ की हड्डी के स्मार्ट सुरक्षात्मक उपकरणों का डिजाइन और विकास। (परियोजना कोडः सीआईएल/आर एंड डी/01/76/2021)	आईआईटी–आइएसएम, धनबाद, बीसीसीएल	72.06

8.	खनन क्षेत्रों में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्र के चित्रण और पर्यावरण के अनुकूल जल भंडारण संरचना के डिजाइन के लिए दिशा–निर्देशों का विकास। (परियोजना कोडः सीआईएल/आर एंड डी/04/16/2022)	आईआईटी–आइएसएम, धनबाद, सीसीएल	107.84
9.	खान ढलान स्वास्थ्य निगरानी के लिए रीयल–टाइम ऊर्जा कुशल साइबर–भौतिक बुद्धिमान प्रणाली। (परियोजना कोडः सीआईएल/आर एंड डी/01/77/2022)	आईआईटी–आइएसएम, धनबाद, बीसीसीएल	263.75
10.	बायो–कौयगुलांट का उपयोग करके कोल वाशरी बहिःस्राव से महीन कणों को अलग करना और उनकी रिकवरी करना (प्रोजेक्ट कोडः सीआईएल/आर एंड डी/02/13/2022)	आईआईटी–आईएसएम, धनबाद और सीसीएल	54.87

वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी की गई सीआईएल द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँः

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू.में)
1.	बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए खदान में हवा की आवश्यकता।	भूमिगत खनन प्रभाग (यूएमडी), सीएमपीडीआईएल	491.27
2.	अंडरग्राउंड माइन्स के लिए थ्रू द अर्थ (टीटीई) टू–वे वॉयस कम्युनिकेशन सिस्टम का स्वदेशी विकास।	आईआईटी, बॉम्बे और सीएमपीडीआईएल, रांची	129.56
3.	सैटेलाइट डेटा और ग्राउंड ऑब्जर्वेशन का उपयोग करके कोलफील्ड क्षेत्र में क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए एक कार्यप्रणाली का विकास।	जियोमैटिक्स विभाग, सीएमपीडीआई, रांची और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो, हैदराबाद।	709.82
4.	भारतीय कोकिंग और नॉन–कोकिंग कोयले की बेहतर धुलाई दक्षता के लिए लागत प्रभावी प्रक्रिया प्रवाह पत्रक का डिजाइन।	आईआईटी–आईएसएम, धनबाद; सीएमपीडीआईएल और बीसीसीएल।	238.65
5.	पूरे वर्ष के दौरानड्रैगलाइन डंप के ऊपर शोवेल–डम्पर डंप के सभी स्तरों के डिजाइन के लिए दिशा–निर्देशों का विकास, ड्रैगलाइन डंप के भीतर, फ्रेटिक सतह के परिसीमन के साथ कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की दो ड्रैगलाइन खानों पर सत्यापन अध्ययन।	बीआईटी, मेसरा और एस एंड आर डिवीजन, सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता।	75.30

12.0 विस्फोटन :

सीएमपीडीआईएल व्यापक ग्राहकों के साथ ब्लास्टिंग अध्ययनों का एक स्पेक्ट्रम आयोजित करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड, एससीसीएल, एनएलसी और निजी खान मालिकों जैसे अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, हिंडाल्को आदि की सभी सहायक कंपनियां शामिल हैं।

सीएमपीडीआईएल अपने सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कोयला और धातु खदानों के लिए ब्लास्ट डिजाइनिंग में पूरी तरह से सक्षम है जो खदान मालिकों को डीजीएमएस और पेसो (पीईएसओ) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के दायरे में सुरक्षित रूप से सुचारू संचालन करने की अनुमति देता है।

सीएमपीडीआईएल ने अपने विशेषज्ञों की टीम के साथ कई आरएंडडी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसके परिणाम अभूतपूर्व रहे हैं और भारतीय खनन उद्योग के ब्लास्टिंग कार्यों में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। कुछ उल्लेखनीय शोध परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है–

अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

1. कोयला खदानों के ओवरबर्डन में ब्लास्टिंग के लिए कम घनत्व वाले पोरस प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट के साथ एएनएफओ की तकनीकी–वाणिज्यिक प्रभावकारिता का अध्ययन।
2. कम डाइल्यूटेड कोयले के साथ बेहतर रिकवरी के लिए मल्टीपल लेयर ट्रायल ब्लास्टिंग।
3. ओपनकास्ट माइन डंप पर ब्लास्टिंग का प्रभाव और ब्लास्ट प्रेरित कंपन और डंप डिजाइन के बीच संबंध का विकास।

   इसके अलावा वर्ष के दौरान, सीएमपीडीआईएल ने अपने ग्राहकों के लिए निम्नलिखित कार्यों का सफल निष्पादन किया है: –

I. प्रचलित भू–खनन स्थितियों के आधार पर प्रति विलंब इष्टतम शुल्क निर्धारित करने के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग और कंपन मूल्यांकन।

II. ब्लास्टिंग के दौरान उत्पादकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लास्ट डिजाइनिंग।

III. ग्राहकों की खानों में आपूर्ति किए गए विस्फोटक और सहायक उपकरण तथा नए विस्फोटक और सहायक उपकरण का उनके व्यावसायिक परिचय से पहले गुणवत्ता मूल्यांकन।

IV. विस्फोटकों के सुरक्षित उपयोग और उनकी खदानों में विस्फोटकों की खपत के गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित खान कर्मियों का प्रशिक्षण।

13.0 प्रयोगशाला सेवाएँ :

13.1 रासायनिक प्रयोगशाला :

12500मी कोल कोर प्रसंस्करण और 45000 नमूनों के विश्लेषण के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले भू–रासायनिक प्रयोगशाला ने 14991.45मी कोल कोर का प्रसंस्करण 45346 नमूनों का विश्लेषण किया। 34 कोयला क्षेत्रों को शामिल करते हुए 40 गवेषण ब्लॉकों से कोयले के नमूनों का कोयला गुण–धर्म अध्ययन (The coal characterization study) किया गया था। इन नमूनों में ग्रेडिंग के उद्देश्य से बीसीसीएल से वाशरी उत्पाद और कोकिंग कोल भी शामिल थे।

13.2 कोल पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला :

930 नमूनों के दिए गए लक्ष्य के मुकाबले पेट्रोग्राफिक अध्ययन के लिए कुल 940 नमूनों का विश्लेषण किया गया था। 18 कोयला क्षेत्रों को कवर करने वाले 25 अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पेट्रोग्राफिक विश्लेषण किया गया था। सीबीएम मूल्यांकन अध्ययन के लिए 40 नमूनों के दिए गए लक्ष्य के मुकाबले 35 नमूनों पर माइक्रो क्लैट अध्ययन किया गया।

13.3 कोयला विनिर्माण (प्रेपरेशन) प्रयोगशाला :

कोल प्रिपरेशन लेबोरेटरी कार्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कोयला क्षेत्रों के दोनों कोकिंग और गैर–कोकिंग कोयले के नमूनों के लिए धोवन क्षमता विश्लेषण (प्रॉक्सीमेंट विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई, कोकिंग प्रोपर्टीज आदि) में लगा हुआ है। ये विश्लेषण बोर कोर कोयले के नमूने और आरओएम कोयले के लिए किया गया है। कोयला नमूनों की संख्या जिनका विश्लेषण वर्ष 2021–22के दौरान किया गया है उसे नीचे दिया जा रहा है।

क) बोर कोर कोल नमूने–24 नमूनों का धोवन क्षमता विश्लेषण का परीक्षण किया गया।

ख) आरओएम कोयला नमूने–01 :

13.4 खनन प्रयोगशाला :

रॉक मेकानिक्स/रॉक टेस्टिंग:

1. 3600 मी. ड्रिल कोर नमूनों की भौतिक यांत्रिक गुण निर्धारण के लिए जाँच की गई।

2. सीआईएल/गैर–सीआईएल के विभिन्न कोयला ब्लॉकों के 6(छः) बोरहोलों का भौतिक यांत्रिक गुण के परिणाम पर रिपोर्ट, कोयला ब्लॉक्स के तीन (3) बोरहोल्स के भौतिक यांत्रिक गुण के परिक्षण का कार्य प्रगति पर है।

संस्तर नियंत्रण अध्ययन:

1. चार (04) खानों/सीमों के लिए रॉक मास रेटिंग आरएमआर)/स्कैम्प अध्ययन पर रिपोर्ट सौंप दी गई।

2. आरएमआर अध्ययन के लिए क्षमता गुण, स्लेक स्थायित्व सूचकांक निर्धारित करने के लिए क्यूमलेटिव रॉक टाइप की जाँच (12) की गई।

14.0 पर्यावरणिक सेवाएँ :

14.1 ईआईए/ईएमपी :

सीआईएल परियोजना :

वर्ष 2021–22के दौरान पर्यावरण विभाग ने कुल 25 फार्म–I (फार्म–iv एव vi सहित) तथा 25 ईएमपी का मसौदा तैयार किया। कुल 50 रिपोर्ट तैयार की गई।

बाहरी परियोजनाएँ :

वर्ष 2021–22के दौरान निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार किए गए :

- वीएसटीपीएस, एनटीपीसी के लिए एनसीएल की गोरबी खान में फ्लाई ऐश निपटान की ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट।
- पकरी–बरवाडीह ओसीपी, एनटीपीसी के एसिड माइन ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट (4.0 एमएलडी) के लिए योजना।
- वेस्ट बोकारो कोलियरी की प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर मॉनिटरिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट, मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड।
- उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित नदियों में रेत/मुर्रम के पुनः पूर्ति अध्ययन की अंतरिम रिपोर्ट, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार

14.2 वायु जल एवं ध्वनि की पर्यावरणिक मानिटरिंग :

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) खानों केसंचालन के दौरान ईसी शर्तों के अनुपालन हेतु परियोजना स्तर पर किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए नियमित पर्यावरण निगरानी (आरईएम) आयोजित करने की शर्त के साथ खनन परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करता है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की 299 परियोजनाओं/कलस्टरों/

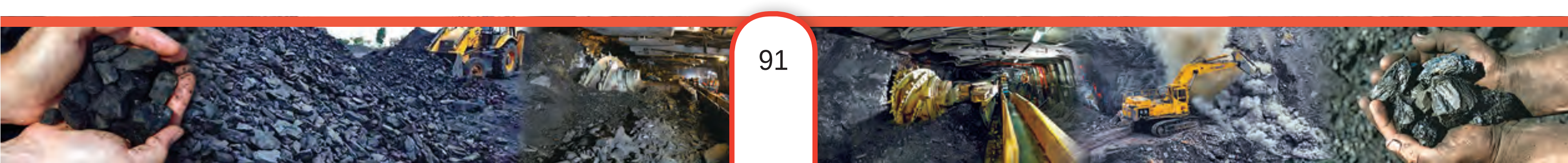

स्थापनाओं (ईसीएल 16, बीसीसीएल 17, सीसीएल 72, डब्ल्यूसीएल 84 एसईसीएल 69, एनसीएल 13 तथा एमसीएल 28) की पर्यावरणिक मानिटरिंग आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कुसमुण्डा, हसदेव जयंत तथा राँची स्थित नौ पर्यावरणिक प्रयोगशाला के जरिए की गई।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एकत्रित और विश्लेषित किए गए कुल नमूनेः
- वायुः 89822, शोरः 22618 +312। (दिन और रात + केवल दिन) और पानीः 19710।
- वित्त वर्ष 21–22 के दौरान REM सेवाओं से अर्जित कुल राजस्वः GST सहित 169.13 करोड़ रुपये।

पानी के नमूनों का विश्लेषण : सीएमपीडीआई, मुख्यालय में स्थापित पर्यावरण प्रयोगशाला और सीएएक्यूएमएस का एक दृश्य।

14.3 ईआईए परामर्शदाता संगठन के रूप में सीएमपीडीआईएल को मान्यता :

खुली खनन/भूमिगत खनन क्षेत्र, खनिजों के खनन, ताप विद्युत और कोयला वाशरी क्षेत्र, आफशोर एवं ऑन शोर तेल एवं गैस का गवेषण, कोल बेड मिथेन के ईआईए के लिए क्वालिटी कॉसिंल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की नामित एजेंसी) द्वारा सीएमपीडीआई को ईआईए द्वारा मान्यता प्राप्त परामर्शदाता संगठन (एसीओ) के रूप में मान्यता दी गई है। ईआईए एवं ईएमपी तैयार करने के लिए तथा चार क्षेत्रों तथा 12 कार्यकारी क्षेत्रों में 90 से अधिक अनुमोदित विशेषज्ञ (दक्ष) वाला सीएमपीडीआई भारत में सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त परामर्शदाता संगठन (एसीओ) है।

14.4 सीएमपीडीआईएल के पर्यावरण प्रयोगशाला की मान्यता :

सीएमपीडीआईएल (मु.), राँची, क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल, क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर, क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर केपर्यावरणिक प्रयोगशाला को आईएसओ/आईईसी 17025:2017 एक्रिडिशन स्कीम के अनुसार प्रयोगशाला की जाँच एव अंशशोधन (Testing & Calibration) के लिए नेशनल एक्रिडिशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

सीएमपीडीआई, मुख्यालय के पर्यावरण प्रयोगशाला को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा भी मान्यता दी जा चुकी है।

14.5 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीपी/ एसटीपी/ एएमडी (आईडब्ल्यूएसएस) योजना :

वित्तीय वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान 2 योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया, अर्थात एनसीएल के बीना ओसीपी के लिए एसटीपी और ईटीपी के संशोधन के लिए योजना। इसके अलावा 2 परियोजनाओं नामतःईसीएल की न्यू केंडा कॉलोनी का एसटीपी और एनसीएल की खड़िया ओसीपी कॉलोनी का एसटीपी की डिजाइन और रेखाचित्रों की संवीक्षा भी वर्ष के दौरान पूरी की गई थी।इसके अलावा, बीना ओसीपी, एनसीएल के ईटीपी के लिए निविदा दस्तावेज (तकनीकी भाग) भी तैयार और जमा किया गया था।

14.6 त्वरित टिप्पणी : सीएमपीडीआईएल का कोयला मंत्रालय के लिए खनन योजना तथा खान बंदी योजना :

विवेच्य वर्ष के दौरान 20 खनन योजना एवं खान बंदी योजना की संवीक्षा कर टिप्पणी कोयला मंत्रालय को भेज दी गई।

14.7 कोयला खान परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन :

इस वर्ष कोयला खनन परियोजनाओं के लिए 34 परियोजना रिपोर्ट को पर्यावरण विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है।

14.8 कोयला मंत्रालय की सहायता के लिए सतत विकास प्रकोष्ठ :

सीएमपीडीआई कोयले के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और खान पर्यावरण प्रबंधन के सर्वोत्तम अभ्यास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में कोयला क्षेत्र के लिए हरित कोयला रणनीति तैयार करने में एमओसी की सहायता कर रहा है। यह कोयला क्षेत्र में पारिस्थितिकी और जैव विविधता की बहाली, भूमि सुधार, कार्बन पदचिह्न मूल्यांकन, खान जल संरक्षण और उपयोग, खान पर्यटन, ओबी का उपयोग, खदानों को टिकाऊ तरीके से बंद करने आदि जैसे सतत विकास प्रथाओं की योजना और कार्यान्वयन में एमओसी की सहायता कर रहा है।

14.9 विशेष अध्ययन तथा वि० एवं प्रौ० एवं अ० एवं वि० अध्ययन :

- कोयला पीएसयू में पर्यावरण स्थिरता पर रिपोर्ट – एमओसी (वित्त वर्ष 2019–20) के लिए एसडीसी केतहत वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता।
- एनआरएससी, हैदराबाद के सहयोग से उपग्रह डेटा और भू–प्रेक्षण का उपयोग करते हुए कोलफील्ड क्षेत्र में क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए कार्यप्रणाली का विकास पूरा किया गया।
- देश में अपनी तरह का पहला अध्ययन "सीआईएल खदानों के कार्बन पदचिह्न का अनुमान और कार्बनन्यूट्रलिटी के लिए रोड मैप" पर सीएमपीडीआई द्वारा किया गया था और रिपोर्ट एमओसी को प्रस्तुत की गई।
- वित्त वर्ष 2019–20 के लिए भारत की कोयला खानों के लिए खान जल उपयोग की स्थिति रिपोर्ट पर रिपोर्ट।
- भुवनेश्वरी ओसीपी, एमसीएल की वहन क्षमता पर रिपोर्ट।
- आईआईटी–आईएसएम, धनबाद के सहयोग से अनंत ओसीपी, एमसीएल की पारिस्थितिकी की सतत निगरानी की दूसरी अंतरिम रिपोर्ट।
- भारत की कोयला खानों की हरित सांख्यिकी (वित्त वर्ष 2021–22) पर मसौदा रिपोर्ट एमओसी को प्रस्तुत कर दी गई है।

14.10 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण :

पर्यावरण विभाग, सीएमपीडीआई ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून में पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर विभाग के 15 अधिकारियों (मुख्यालय और आरआई सहित) के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन किया था।

14.11 विश्वपर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन :

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2021 को मुख्यालय और आरआई में कई कार्यक्रमों में मनाया गया। सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण ध्वजारोहण, पर्यावरण प्रतिज्ञा लेने और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

14.12 वृक्षारोपण अभियान-2021 का आयोजन:

सीएमपीडीआईएल ने अपने क्षेत्रीय संस्थानों, अन्वेषण शिविरों और मुख्यालय में वृक्षारोपण करके एमओसी द्वारा शुरू किए गए 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में 'वृक्षारोपन अभियान' चलाया।

6 राज्यों में फैले 8 स्थानों पर पौधारोपण किया गया और 100 पौधे लगाए गए और 350 पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर सीएमपीडीआईएल के कुल 515 कर्मचारियों ने भाग लिया। रांची स्थित एक गैर सरकारी संगठन भारत विकास परिषद को फलदार पौधे भी दिए गए।

15.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :

धरेलू सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को भी सहायता दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

15.1 पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के लिए सीएमपीडीआईएल के आईसीटी विभाग द्वारा निम्नलिखित केंद्रीकृत साफ्टवेयर भी विकसित कर मेंटेन किया जाता है।

क) संविदा श्रमिक सूचना कांट्रेक्ट लेबर इंफोर्मेशन पोर्टल के लिए पोर्टल का रख–रखाव–क्लिप : विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत संविदा को रजिस्टर करना।

ख) वेब सक्षम ऑनलाइन पीएमएस (काय्र निष्पादन प्रबंधन प्रणाली) ई–7 तक के लिए अधिकारियों के लिए पीआरआईडीई तथा ई–7 से ऊपर के अधिकारियों के लिए पीएआर।

ग) कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरएमएस) का रख–रखाव।

घ) कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए विजिलेंस क्लियरेंस सिस्टम/विजिलेंस मॉनीटरिंग सिस्टम का रख–रखाव।

ड़) कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए ऑन लाइन वेब समर्थित वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न सिस्टम का रख–रखाव यह लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत इसे कर्मचारियों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

च) भूमिगत एवं खुली खान क्षमता मूल्यांकन : उपकरण ऑंकड़ा का सीमलेस प्रविष्टि हेतु अप्लीकेशन विकसित कर लगा दिया गया है।

छ) आनलाइन कोल ब्लॉक सूचना प्रणाली– कोल ब्लॉक माइन डाटा से संबंधित सूचना देने के लिए अप्लीकेशन विकसित किया गया है।

ज) सुरक्षा क्लियरेंस (एससी) और विभागीय क्लियरेंस (डीसी) पोर्टल विकसित कर इसे कार्यान्वित कर दिया गया है।

झ) खान ऑंकड़ा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएस) का रख–रखाव। यह कोल इंडिया द्वारा मॉनीटर किए जा रहे परियोजनाओं के प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस पोर्टल की प्रमुख विशेषता कोयला परियोजनाओं की प्रगति का मॉनीटर करना है, जिसमें पर्यावरण क्लियरेंसी (ईसी), वन क्लियरेंस (एफसी), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापना (आरएंडआर), वित्तीय पारा

मीटर, एचईएमएम की प्राप्ति उत्पादन एवं अन्य प्रमुख आधारीूत संरचना जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी), सिलो एवंरेलवे साइडिंग।

ञ) एमडीएमएस के साथ एकीकृत वेब पोर्टल का रखरखाव जिसका उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है।

ट) पर्यावरण की स्थिति और ईसी–एफसी अनुपालन संबंधी डेटा (पर्यावरण की स्थिति जैसे परिवेशी वायु, शोर, पेयजल, सतही जल आदि)।

ठ) एमडीएमएस के साथ एकीकृत एक वेब मॉड्यूल का रखरखाव जिसका उपयोग सीआईएल स्तर पर1 बीटी योजना की स्थिति की निगरानी के लिए किया जाता है।

ड) एमडीएमएस पोर्टल के तहत सतत विकास सेल (एसडीसी): एमडीएमएस पोर्टल के तहत सीआईएल और सहायक कंपनियों में एसडीसी योजनाओं और गतिविधियों के निर्माण के लिए इंटरफेस विकसित किया गया है, जो निम्नलिखित से सम्बंधित होगा–

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन,
- खान पर्यटन,
- नवीकरणीय ऊर्जा,
- पारिस्थितिकी और जैव विविधता की बहाली और
- कोयला क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का कार्यान्वयन।

ढ) ईसी/एफसी वेटिंग पर परिवेश पोर्टल के लिए एक क्लोनः पीयर्स (सीएमपीडीआईएल के क्षेत्रीय संस्थान), सीआईएल और परियोजनाओं की संबंधित सहायक कंपनियों द्वारा जांच के लिए फॉर्म 1,2,3,4,5 और ईआईए/ईएमपी के संबंध में एक पोर्टल बनाया गया है। पुनरीक्षण को अंतिम रूप देने के बाद और टिप्पणियों के आधार पर संशोधित प्रपत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (डवम्थ्ब्ब) के PARIVESH पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं।

ण) कोयला मंत्रालय के लिए भारतीय कोयला और लिग्नाइट से सम्बंधित सूचना से युक्त कोयला दर्पण नामक एक डैशबोर्ड का रख–रखाव।

त) कॉलोनी के रख–रखाव से सम्बंधित एक पोर्टल का विकास किया गया है और यह लागू किये जाने के लिए तैयार है।

थ) सीसीओ वेबसाइट विकास की प्रक्रिया में है।

द) कोयला ब्लॉक डेटा प्रबंधन प्रणाली (सीबीडीएमएस) का विकासः वेबसाइट कोयला ब्लॉक की विभिन्न जानकारी प्रदान करती है जैसेः

- मौजूदा कोयला ब्लॉक और खानों की संख्या
- कुल भूवैज्ञानिक रिजर्व
- अब तक निकाले गए कोयले की मात्रा
- शेष निकालने योग्य भंडार
- कोयला ब्लॉक की खोज की स्थिति
- ब्लॉक और वन कवर का क्षेत्र
- ब्लॉक सीमाओं की डीजीपीएस स्थिति
- ब्लॉक की खनन व्यवहार्यता अन्वेषण में किया गया व्यय
- जीआर की बिक्री की लागत।

यह वेबसाइट प्रत्येक ब्लॉक, रेल और सड़क गलियारे तथा उनके विवरण के साथ मैप भी देती है।

15.2 ईआरपी को उसके 6 मॉड्यूलों एचसीएम, एफआईसीओ, पीएम, पीएस, एमएम और एसडी के साथ सीएमपीडीआईएल में लागू किया गया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन द्वारा मुख्यालय, डीसी और डीआर में 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ और आरआई में 40 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ प्राथमिक एमपीएलएस कनेक्टिविटी स्थापित की गई है।

15.3 सीएमपीडीआईएल को पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ई–ऑफिस के कार्यान्वयन कार्य भी सौंपा गया है। सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रकचर और एमपीएलएस कनेक्टीविटि की स्थापना सभी अनुषंगी कंपनियों, मुख्यालय स्थलों और कोल इंडिया में की गई है। ई–ऑफिस सभी स्थानों में कार्य कर रहा है।

15.4 सीएमपीडीआईएल फाइबर आप्टीक बैक बोन सहित लोकल एरिया नेटवर्क के रख–रखाव का

कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के साथ सभी क्षेत्रीय संस्थान एमपीएलएस वीपीएन सर्किट के जरिए जुड़े हुए हैं। सीएमपीडीआईएल के पास बीएसएनएल के माध्यम से 1 जीबीपीएस समर्पित इंटरनेट लीज लाइन और रेलटेल के माध्यम से 30 एमबीपीएस सेकेंडरी आईएलएल है।

15.5 कोल इंडिया प्रोजेक्ट सर्वर को स्थापित कर चालू कर दिया गया है।

15.6 सीएमपीडीआईएल मुख्यालय और आरआई से इनवॉयस अपलोड करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है जो हमारे ग्राहक सीआईएल की सहायक कंपनियों को चालान डाउनलोड करने और उन्हें त्वरित रूप से प्रोसेस करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे सीएमपीडीआईएल को इनवॉयस के भुगतान में होने वाली देरी कम होगी।

15.7 इनोवेशन सेल :

इनोवेशन सेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्यों की रूपरेखा नीचे दी गई है।

1. डेटा एनालिटिक्स के लिए एसएएस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म खरीदा गया है। व्यवसायिक और तकनीकी उपयोगकर्ता के लिए प्रशिक्षण के दो चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। डेटा एनालिटिक्स के लिए परियोजनाओं की पहचान और दायरे से संबंधित प्रारंभिक गतिविधियां चल रही हैं। इस संबंध में हितधारकों के साथ विभिन्न बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
2. ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने के तहत सामाजिक–आर्थिक रिपोर्ट तैयार करना– आरआई–4,5,6 और 7 की 11 परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं।
3. पर्यावरण प्रयोगशाला के लिए प्रयोगशाला रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित और सफलतापूर्वक लागू की गई है।

15.8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान और विकास परियोजनाएं :

1. सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए लॉन्गवॉल शील्ड प्रेशर की निगरानी, विश्लेषण और व्याख्या के लिए आईओटी सक्षम प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास–शील्ड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रोटोटाइप विकसित किया गया है और डीजीएमएस से झांजरा लॉन्गवॉल पैनल, ईसीएल में कार्यान्वयन की अनुमति की प्रतीक्षा है। निगरानी, विश्लेषण और व्याख्या के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।
2. विस्फोट के इन–द–होल वेग को मापने और क्षेत्र की स्थिति में विस्फोटक के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्वदेशी ऑप्टिकल फाइबर आधारित उपकरण का विकास–विस्फोटक माप प्रणाली के नेटवर्क, मल्टी–स्टेशन, मल्टी–चैनल फाइबर ऑप्टिक्स आधारित संपत्ति के निर्माण के लिए (एनओएफपीईएमएस), निविदा प्रक्रिया जारी है।

16.0 सूचना प्रबंधन प्रणाली :

वर्ष 2021–22 के दौरान जो महत्वपूर्ण क्रिया–कलाप/कार्य किए गए वे इस प्रकार है :

16.1 ''माइनटेक'' एवं ''गोंदवाना भारती'' का तिमाही प्रकाशन इस वर्ष 2021–22 के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक पत्रिकाओं के प्रत्येक के चार–चार अंक प्रकाशित किए गए।

16.2 'पत्रिकाओं का प्रेषण :

आंतरिक वितरण के अलावा वर्ष 2021–22 के दौरान कोयला मंत्राल, कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों (मुख्यालय, क्षेत्रीय एवं कोलियरी इकाई), विभिन्न संस्थानों तथा अन्यख्याति प्राप्त संस्थानों को दोनों पत्रिकाओं की लगभग 12000 प्रतियाँ प्रेषित की गईं।

16.3 पुस्तक/ई–न्यूज-लेटर का प्रकाशन :

वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित पुस्तक का प्रकाशन किया गया :

i) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के अवसर पर ''कंपेडियम आफ सीवीसी/सीआईएल/एमओसी/डीओपीटी/सीएमपीडीआई सर्कुलर्स एंड गाइडलाइन का ई–बुक''।

ii) सीएमपीडीआई की मीडिया योजना के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा सौंपे गए कार्य के अंतर्गत सीएमपीडीआईएल का ईलेटर तैयार करना।

16.4 पुस्तकों/माइनटेक की बिक्री :

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों एवं बाहरी पार्टियों को उनके द्वारा यथा अपेक्षित तकनीकी पुस्तकों एवं हमारे द्वारा प्रकाशित पत्रिका ''माइनटेक'' की बिक्री की गई।

16.5 सोशल मीडिया क्रिया-कलाप :

विभागाध्यक्ष (आईएमएस) को सीएमपीडीआई के सोशल मीडिया के नोडल अधिकारी भी मनोनित किया गया है। सीएमपीडीआई का अपना आफिसियल फेसबुक पेज तथा ट्विटर हैंडल है और इस पर सीएमपीडीआई, कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के क्रिया–कलापों को नियमित अपलोड किया जा रहा है। आंतरिक क्रिया–कलाप के अलावा भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की महत्वपूर्ण सूचना/उपलब्धि को भी शेयर किया जाता है। सोशल मीडिया के कार्यों को माननीय कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय से मॉनिटर किया जा रहा है।

16.6 विशेष उपलब्धि :

i) कोविड महामारी के कारण कार्यों पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव के बावजूद दोनों पत्रिकाओं का नियमित मुद्रण एवं वितरण जारी रहा।

ii) हमारी इनहाउस तकनीकी पत्रिका माइनटेक के दो विशेष अंक अर्थात् स्वच्छ कोयला–प्रौद्योगिकी पर प्रकाशित और दूसराकोल बेनीफिकेशन पर प्रकाशन की प्रक्रिया में है। साथ ही के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा किए गए सीएसआर कार्यों पर प्रकाशित हमारी इन 22–2021 हाउस पत्रिका गोंडवाना भारती का एक विशेष अंक।

iii) कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर पत्रक का मुद्रण किया गया।

iv) निरंतर निगरानी और अनुसरण के कारण, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर अनुयायियों की संख्या 14780 को पार कर गई।

v) हमारी इन–हाउस तकनीकी पत्रिका माइनटेक के दो विशेष अंक अर्थात् स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर प्रकाशित और दूसरा कोल बेनीफिकेशन पर प्रकाशन की प्रक्रिया में है। साथ ही 2021–22 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा किए गए सीएसआर कार्यों पर प्रकाशित हमारी इन–हाउस पत्रिका गोंडवाना भारती का एक विशेष अंक।

vi) कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर पत्रक का मुद्रण किया गया।

vii) निरंतर निगरानी और अनुसर.ा के कारण, फेसबुकऔरट्विटरजैसे सोशल मीडिया पर अनुयायियों की संख्या 14780 को पार कर गई।

17.0 सतर्कता :

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सतर्कता गतिविधियाँ तथा उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है :

17.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह:

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, राची (कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी) इसके मुख्यालय, रांची और सभी सातों क्षेत्रीय संस्थानों में दिनांक : 26 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय)रांची में, शपथ ग्रहण समारोह 26.10.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित किया गया था। श्री सुमीत कुमार सिन्हा, सीवीओ, सीएमपीडीआईएल ने अधिकारियों का स्वागत किया।

श्री मनोज कुमार, सीएमडी, सीएमपीडीआईएल ने सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई। सीएमपीडीआईएल के सभी क्षेत्रीय संस्थानों में संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा शपथ भी दिलाई गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 के अवसर पर मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। सतर्कता

जागरूकता सप्ताह–2021 के दौरान मुख्यालय स्तर पर नीचे दी गई विभिन्न गतिविधियां की गईः

आउट-रीच कार्यक्रमः

क) ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता।

ख) ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता।

ग) ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए स्लोगन लेखन प्रतियोगिता।

घ) बिरसा हाई स्कूल, कांके रोड, रांची में वॉकथॉन और सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें माननीय सांसद, रांची, श्री संजय सेठ की उपस्थिति में शोभा बढ़ाई गई।

ङ) रांची हवाई अड्डे के पास हेथू गांव में साइक्लोथॉन प्रतियोगिता, ग्राम सभा और सतर्कता दौड़।

च) एफएम रेडियो के माध्यम से सतर्कता जागरूकता संदेश।

छ) सतर्कता जागरूकता के लिए रांची नगर पालिका क्षेत्र में कैंटर आंदोलन एवं पर्चे वितरण।

इन-हाउस कार्यक्रमः

क) अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता।

ख) कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता।

ग) अधिकारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।

घ) अधिकारियों के लिए भाषण प्रतियोगिता।

ङ) कर्मचारियों के लिए भाषण प्रतियोगिता।

च) सीएमपीडीआईएल के अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही पर ऑनलाइन कार्यशाला।

छ) अतिथि अध्यक्ष डॉ. प्रभा कांत, प्रधान आयुक्त, आयकर, रांची सहित गणमान्य व्यक्तियों के संबोधन सहित समापन सत्र, जिन्होंने "कैसे सतर्कता एक संगठन बना या तोड़ सकता है" विषय पर विचार–विमर्श किया।

ज) मुख्य रूप से नवंबर, 2021 से अक्टूबर, 2021 के दौरान सीवीसी, डीओपीटी, एमओसी, सीआईएल और सीएमपीडीआई द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों / एसओपी / कार्यालय आदेशों आदि पर ई–बुक का शुभारंभ और विभिन्न इन–हाउस और आउट–रीच के विजेताओं को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम।

आउटरीच कार्यक्रमों के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उचित सावधानी बरती गई।

पीआईडीपीआई संकल्प के बारे में जागरूकता पर सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, पीआईडीपीआई संकल्प के प्रावधानों को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म तैयार की गई और सीएमपीडीआईएल की वेबसाइट पर सीएमपीडीआईएल के भीतर जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ सीएमपीडीआईएल के बाहर व्यापक समुदाय के लिए अपलोड की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 और इसकी थीम "स्वतंत्र भारत / 75:सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया।

सीएमपीडीआईएलके क्षेत्रीय संस्थान–I, आसनसोल में 26/10/2021 को सुबह 11 बजे शपथ ली गई, बैनर और पर्चे वितरित किए गए।

सीएमपीडीआईएलके क्षेत्रीय संस्थान–II, धनबाद में संस्थान के कर्मचारियों द्वारा 26/10/2021 द्वारा शपथ ली गई और सतर्कता जागरूकता पर पर्चे प्रदर्शित किए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, इंटरैक्टिव सत्र और जागरूकता सैर का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय संस्थान–III, रांची में सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) के कर्मचारियों के साथ शपथ दिलाई गई। इसके तीन ड्रिलिंग शिविरों में जागरूकता सप्ताह भी मनाया गया। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए ओरला और बरकाकाना कैंप में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 30.10.2021 को सतर्कता जागरूकता पर एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया था। 30/10/2021 को आरआई–III, रांची के कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण शिविर भी आयोजित किया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पहले दिन सीएमपीडीआईएल आरआई–IV, नागपुर में, सीएमपीडीआईएल, आरआई–IV, नागपुर के सभी

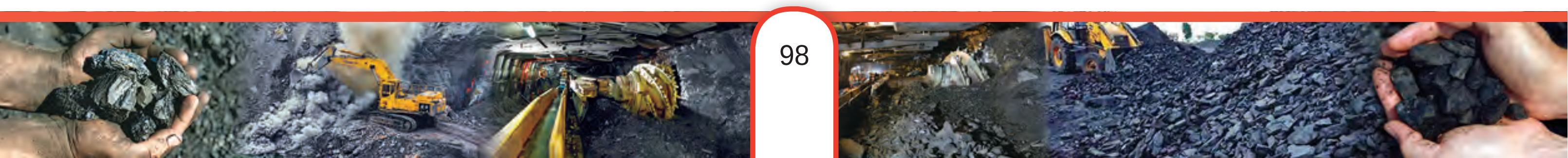

कर्मचारियों और शिविरों के कर्मचारियों ने ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए सत्यनिष्ठाऔर ईमानदारी की शपथ ली। आरआई–4 के अंतर्गत आने वाले सभी शिविरों अर्थात चंद्रपुर जिले के आनंदवन, मुरपार और दुर्गापुर कैंप में सतर्कता जागरूकता से संबंधित पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए गए। एक ऑनलाइन क्विज और एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता का आयोजन क्रमशः 28.10.2021 और 29.10.2021 को किया गया। 27.10.2021 को सतर्कता जागरूकता वॉकथॉन के माध्यम से एक जागरूकता अभियान जिसे आरआई–प्ट (मुख्यालय), नागपुर के कर्मचारियों की पर्याप्त भागीदारी के साथ चिह्नित किया गया था। क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता मामलों पर एक व्याख्यान दिया जिसके बाद एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया।

सीएमपीडीआईएल आरआई–V, बिलासपुर में कर्मचारियों को 26/10/2021 को शपथ दिलाई गई। तीनों शिविरों में बैनर प्रदर्शित किए गए और पोस्टर लगाए गए। पीआईडीपीआई और अन्य सतर्कता मामलों पर एक इंटरएक्टिव सत्र और "स्वतंत्र भारत / 75 सत्यनिष्ठा से आत्मानिर्भर भारत" पर चर्चा क्रमशः 28.10.2021 और 30.10. 2021 को आयोजित की गई थी।

सीएमपीडीआईएल आरआई–VI, सिंगरौली में 26/10/2021 को कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। सेवा के दौरान सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के महत्व पर एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 30.10.2021 को किया गया। दिनांक 29.10.2021 को क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय संस्थान–VI, सिंगरौली के नेतृत्व में विभिन्न संभागों के अधीनस्थों के साथ विभागाध्यक्षों के साथ सतर्कता मामलों पर संवाद सत्र आयोजित किया गया।

सीएमपीडीआईएल आरआई–VII, भुवनेश्वर में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और 26/10/2021 को इसके सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और स्कूल के छात्रों के बीच ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रोक्योरमेंट और वर्क्सप्रोक्योरमेंट पर 2 इन हाउस सेमिनार भी आयोजित किए गए और कोसला कैंप के पास ब्राह्मणबिल गांव में चार वेबिनार और ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया।

17.2 निवारक सतर्कता क्रियाकलापः

क) सीएमपीडीआई का सतर्कता विभाग कंपनी के प्रक्रियात्मक कमी तथा वित्तीय हानि (नुकसान) को रोकने के लिए संविदात्मक कार्य/सामग्री प्राप्ति के क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाए करने के प्रति सदा अग्रसर रहा है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए इस विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण/अन्वेषण के आधार पर सुरक्षात्मक उपाए का सुझाव दिया जाता है।

ख) सीएमपीडीआईएल के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में ठेकेदारों को भुगतान, बुक बैलेंस के साथ–साथ नकद सत्यापन, चिकित्सा दावों का सत्यापन, निविदा फाइलों की जांच आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर औचक जांच की गई।

ग) सतर्कता विभाग द्वारा संवेदनशील विभागों की पहचान और लंबे समय से संवेदनशील पद पर कार्यरत कर्मियों के स्थानांतरण/रोटेशन का सुझाव दिया गया है तत्पश्चात जिसे लागू किया गया।

घ) वार्षिक संपत्ति विवरण संवीक्षा और लेखा परीक्षा पैरा संवीक्षा।

17.3 सिस्टम में सुधार के उपाय :

ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को समय पर बिल भुगतान के लिए एसओपी।

क) कार्यों/सेवाओं के एनआईटी में समान कार्य की परिभाषा।

ख) सीएमपीडीआई के सभी आरआई में यूनिफॉर्म बिल पासिंग सिस्टम।

ग) थर्ड पार्टी ओबी चेक माप 3डीटीएलएस के माध्यम से किया जा रहा है, जहां सीएमपीडीआई को सीआईएल के निर्देशों के अनुसार 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत

करनी होती है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सीएमपीडीआई के सतर्कता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के अनुसार, निगरानी के उद्देश्य से सीएमपीडीआई की वेबसाइट पर नियंत्रित पहुंच के साथ एक वेब आधारित इंटरफेस पहले से ही मौजूद है।

घ) भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता द्वारा सीएमपीडीआई को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिएआईएसओ 37001:2016 का प्रमाणन प्रदान किया गया है, जो तीन साल की अवधि अर्थात 17.01.2024 तक के लिए वैध है।

ड़) सर्वे–ऑफ सामानों की जगह वस्तुओं/उपकरणोंकी खरीद के लिए निविदा तैयार करने के दौरान इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या बाय–बैक के साथ खरीद के लिए जाना है या स्क्रैप की गई वस्तुओं की अलग नीलामी के माध्यम से खरीदा जाना चाहिए।

17.4 चित्रों के माध्यम से सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 का प्रदर्शन :

18.0 जिओमेटिक्स :

सीएमपीडीआईएल का जिओमेटिक्स विभाग सुदूर संवेदन तथा सर्वेक्षण के क्षेत्र में सेवा देता है। इसके प्रमुख कार्यों में भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग, ओबी माप, भू–आच्छादन मैपिंग, भू–उपयोग/भूअच्छादन मैपिंग, सेटेलमेंट मैपिंग कोयला खान की आग की मैपिंग, डीजीपीएस सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूमिगत सह–संबंध सर्वेक्षण, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षणआदि शामिल हैं।

18.1 रिमोट सेंसिंग सेल :

- **भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग :**

सीएमपीडीआईएल हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की खानों में नियमित भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य करता रहा है। वर्ष 2021–22 में इसने कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों में 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन करने वाली 76 खुली खनन परियोजनाओं 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष से कम उत्पादन करने वाली 5 भूमिगत खानों, 20 खुली खनन परियोजना, 9 कलस्टर को मिलाकर कुल 105 परियोजनाओं का भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग सफलतापूर्वक पूरा किया है।

- **वनस्पति आच्छादन मैपिंग :**

कोलफील्ड क्षेत्रों में खनन के कारण भू–उपयोग/वनस्पति अच्छादन पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के लिए हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा पर आधारित सीआईएल कोलफील्ड्स का वनस्पति आच्छादन मापन किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान 6 कोलफील्डों यानि बन्दर (WCL), कोरबा (SECL), सिंगरौली (NCL), ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो कोलफील्ड्स और नॉर्थ करनपुरा और साउथ करनपुरा कोलफील्ड्स (CCL) का वनस्पति आच्छान मापन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

- **भू-उपयोग/आच्छादन मैपिंग :**

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयके अनुपालन के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान

एसईसीएल की 6 भूमिगत परियोजनाओं के पट्टेवाले क्षेत्र में भू–उपयोग/आच्छान मापन का कार्य पूरा कर लिया गया।

- **कोर और बफर जोन मैपिंग :**

  ईएमपी में शामिल करने के लिए 2021–22 के दौरान 33 परियोजनाओं के उपग्रह डेटा के आधार पर कोर और बफर जोन का भूमि उपयोग / कवर मैपिंग किया गया।

- **आउटसोर्सिंग मोड में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण :**

  कोयला उद्योग में ड्रोन के अनुप्रयोग में तेजी लाने के लिए, सीएमपीडीआई ने कोयला उद्योग के विभिन्न अनुप्रयोगों में इसकी प्रभावकारिता स्थापित करने के लिए ड्रोन सेवा प्रदाताओं को हायर करने के लिए कार्रवाई की है। एनसीएल के ओपन टेंडर के लिए पहला काम मार्च 2021 में दिया गया था। यह काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट एनसीएल को सौंप दी गई है। एसईसीएल में काम के लिए दूसरा टेंडर भी नवंबर 2021 में दिया गया है। यह काम कोरबा कोलफील्ड्स, एसईसीएल में प्रगति पर है। अन्य सहायक कंपनियों के लिए निविदा संबंधित सहायक कंपनियों से आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रतीक्षित है।

18.2 सर्वेक्षण :

- **ओबीआर/अबोबी+कोयले की माप :**

  कोल इंडिया लिमिटैड के 224 संविदात्मक पैचों तथा 29 विभागीय खानों में सर्वेक्षण कर लिया गया। एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह, दुलंगा तथा तलाइपल्ली कोयला खनन परियोजना में ओजीएल तथा उत्खनन माप का कार्य कर लिया गया।

✓ **डीजीपीएस सर्वेक्षण :**

- मेसर्स हिंडाल्को के चकला कोयला ब्लॉक का डीजीपीएस, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और ब्लॉक सीमा सीमांकन पूरा हुआ।
- हजारीबाग क्षेत्र के केदला ओपन कास्ट परियोजना के तहत केदला नाले के डायवर्जन के लिए डीपीआर तैयार करने का सर्वेक्षण पूरा।
- एससीसीएल की पेनागड्डप्पा कोयला खदान के समन्वित जीआर और ब्लॉक सीमा का सत्यापन किया गया।
- सुलियारी कोयला खदान–एपीएमडीसी के स्वीकृत एमपी के बेस स्टेशनों की स्थापना और रूपरेखा का सत्यापन किया गया।
- नौ (9) परियोजनाओं की वानिकी मंजूरी के लिए शेप और केएमएल फाइलें तैयार करने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण किया गया।
- ड्रोन आधारित सर्वेक्षण।
- क्षेत्र का कंटूर मैप तैयार करने के लिए ब्लॉक ई, बीसीसीएल (लगभग 19 वर्ग किमी) का यूएवी सर्वेक्षण–पूरा किया गया।

19.0 खनन इलेक्ट्रॉनिक्स :

सीएमपीडीआईएल का खनन इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट और निविदा दसतावेज तैयार करने, भूमिगत तथा खुली खानों के लिए पर्यावरणिक पारामीटर की टेलिमॉनिटरिंग में अपनी सेवाएँ दे रहा है। यह सुरक्षा के उद्देश्य से भूमिगत खानों में प्रयुक्त मिथेन गैस डिटेक्टर की रिपेयरिंग एवं कैलिब्रेशन तथा आयातित/स्वदेशी एचईएमएम कार्डों की मरम्मति में सेदाएँ दे रहा है। इस विभाग ने खुली खान तथा भूमिगत खानों के लिए आरएंडडी/एसएंडटी का कार्य किया है। विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :

19.1 अनुसंधान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

1) एमओसी एस एंड टी प्रोजेक्ट – "ओपन कास्ट माइन के लिए ऑन–लाइन कोल डस्ट सप्रेशन सिस्टम" – अशोका ओपनकास्ट माइन, सीसीएल। – आरसीएम साइडिंग में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलिंग सिस्टम के साथ 13 बेस यूनिट और 2 प्रो यूनिट के साथ सिस्टम का फील्ड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

2) एमओसी एस एंड टी प्रोजेक्ट – "ओ/सी खानों में विफलता/ढलान अस्थिरता की भविष्यवाणी के लिए प्रारंभिक चेतावनी रडार सिस्टम का स्वदेशी विकास" – एसएआर सफलतापूर्वक दुधिचुआ,

एनसीएल में स्थापित किया गया। फील्ड ट्रायल चल रहा है।

3) सीआईएल आर एंड डी परियोजना– "भूमिगत खानों के लिए थ्रू द अर्थ (टीटीई) टू–वे कम्युनिकेशन सिस्टम का स्वदेशी विकास" – डीजीएमएस दिशानिर्देशों के अनुसार रिसीवर और ट्रांसमीटर भाग का फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

4) होल वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन (वीओडी) को मापने और फील्ड कंडीशन में विस्फोटकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए एक स्वदेशी ऑप्टिकल फाइबर आधारित उपकरण का विकास। – चालू

5) प्रिंटिंग द्वारा मोनोलिथिक पेरोव्स्काइट मॉड्यूल निर्माण का स्वदेशी विकास। – चालू

6) माइन स्लोप हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए रीयल–टाइम एनर्जी एफिशिएंट साइबर–फिजिकल इंटेलिजेंट सिस्टम। –चालू

19.2 पीएंडडी/एनआईटी/अन्य कार्य :

1) सीआईएल और बाहरी एजेंसियों की विभिन्न सहायक कंपनियों की परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए 29 यूजी और ओसी खानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार पर अध्याय तैयार किए गए हैं।

2) आरआई–IV बिलासपुर कार्यालय भवन के लिए सीसीटीवी प्रणाली के लिए तकनीकी विनिर्देश तैयार करना। – प्रस्तुत किया गया

3) चुरी यू/जी खान, एनके क्षेत्र, सीसीएल में डीजीएमएस द्वारा अनुमोदित पर्यावरणीय टेली–मॉनिटरिंग सिस्टम के तकनीकी विनिर्देश। – प्रस्तुत किया गया

4) परेज ईस्ट यूजी माइन, सीसीएल के लिए ऑटोमेशन और कम्युनिकेशन चैप्टर। – प्रस्तुत किया गया

5) सीएमपीडीआई पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय के ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए एनआईटी की तैयारी प्रगति पर है।

19.3 इलेक्ट्रानिक कार्डो की मरम्मति/जाँच :

1) इलेक्ट्रानिक एचईएमएम कंट्रोल कार्डों की मरम्मत–22

20.0 कोल कैरेक्टराइजेशन तथा प्रयोगशाला :

20.1 वित्तीय उपलिब्धयाँ :

वित्तीय वर्ष 2021–22 दौरान सीसी लैब द्वारा कुल राजस्व लगभग 8.36 करोड़ रु. का रहा।

20.2 विशेष उपलिब्धयाँ :

क) प्रमाणन :

- भू–रासायनिक प्रयोगशाला को एनएबीएल प्रमाणीकरण के साथ मान्यता दी गई है जो कि मानक आईएसओ/आईईसी 17025: 2017 के अनुसार सीएमपीडीआई (मुख्यालय) रांची में 12 विभिन्न क्षेत्रों / परीक्षण मापदंडों में "परीक्षण" के क्षेत्र में सुविधाओं के लिए है। प्रमाण पत्र 28 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2024 तक वैध है।
- कोल पेट्रोग्राफी लैब के तीन पेट्रोग्राफरों को इंटरनेशनल कमेटी फॉर कोल एंड ऑर्गेनिक पेट्रोलॉजी(आईसीसीपी) द्वारा मान्यता दी गई है। यह प्रमाणीकरण सीएमपीडीआई के पेट्रोग्राफरों को किसी भी प्रकार का पेट्रोग्राफिक विश्लेषण करने के लिए योग्य बनाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य होगा। प्रमाण पत्र की वैधता फरवरी 2023 तक है।

ख) एस एंड टी परियोजना :

"कोयला और गैर–कोयला स्तर में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य आर्थिक संसाधनों का आकलन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) कोलफील्ड, भारत से एसिड माइन ड्रेनेज (एएमडी) और इसके प्रदूषण नियंत्रण के लक्षण वर्णन" शीर्षक वाली 1 एस एंड टी परियोजना का कार्य प्रगति पर है। टिटक, टिपोंग और तिरप क्षेत्र के कोयले में कुछ महत्वपूर्ण आरईई की उपस्थिति पर निष्कर्ष उत्साहजनक हैं।

ग) कोयला परिक्षण प्रयोगशाला का एम्पैनलमेंट :

मैसर्स मित्र एसके कोलकाता और मेसर्स सनटेक रांची नामक दो कोयला परीक्षण प्रयोगशालाओं ने "विभिन्न कोयला क्षेत्रों से अन्वेषण ब्लॉकों के कोयला कोर के विश्लेषण के लिए कोयला परीक्षण प्रयोगशालाओं के एम्पैनलमेंट" के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के तहत पैनल में शामिल होने के लिए अर्हता प्राप्त की है।

20.3 बाह्य परामर्शी सेवायें :

- 9 बीएलए कोक गुजरात से आयातित कोकिंग कोल का परीक्षण किया गया और परिणाम समय पर सूचित किया गया।
- पेंगडप्पा ब्लॉक एससीसीएल से 13 कोयले के नमूनों का परीक्षण किया गया।

20.4 उपकरणों की खरीद :

खरीदे जाने वाले 13 उपकरणों में से 12 उपकरणों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वे खरीद के विभिन्न चरणों में हैं। प्लास्टोमीटर के लिए एसओ, सीएचएनएस विश्लेषक और स्वेलिंग सूचकांक रखा गया है।

21.0 सामग्री प्रबंधन :

वर्ष 2021–22 के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :

21.1 आपूर्ति आदेश :

क्र. स.	विवरण	2020-21 (करोड़ रू. में)	2020-22 (करोड़ रू. में)
1.	कुल खरीद मूल्य	34.45	77.42
2.	एमएसई से प्राप्त कुल मूल्य (एससी–एसटी और महिला उद्यमियों सहित	17.31	47.23
3.	एमएसई से खरीद का प्रतिशत	50.25%	61.00%

एमएसई से खरीद का प्रतिशत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25% के लिक्ष्य से काफी ऊपर है।

21.2 जीईएम :

विवरण	2020-21	2020-22	टिप्पणियाँ
आपूर्ति आदेश का मूल्य (करोड़ रू. में)	15.10 करोड़	56.99 करोड़	21-22 के लिए GeM से खरीद का प्रतिशत वर्ष की कुल खरीद का 73.60% है; 25% जो कि अनिवार्य लक्ष्य से काफी ऊपर है।

21.3 कैपेक्स के लिए अनुबंध :

वर्ष (2021–22) के दौरान कैपेक्स के लिए निम्नलिखित अनुबंध किये गए।

अनुबंधों की संख्या	मूल्य (रू.)
55	26.05 करोड़

21.4 लक्ष्य (2022-23) :

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक खरीद, रू.50. 00 करोड़ है जिसमें से रू.15.00 करोड़ (लगभग 30%) एमएसई से खरीद के लिए अनुमानित है बशर्ते कि सीएमवीडीआईएल द्वारा जारी निविदाओं में एमएसई की भागीदारी हो।

22.0 मानव संसाधन विकास :

वर्ष 2021–22 के दौरान, सीएमपीडीआईएल का आनलाइन / ऑफलाइन प्रशिक्षण/सम्मेलन/ संगोष्ठी / कार्यशाला के आंकड़े निम्नानुसार है–

प्रमुख क्षेत्र	एसटीसी	आईआईसीएम	बाह्य	विदेशी	कुल
प्रबंधकीय	107	27	42	00	**176**
तकनीकी/ फंक्शनल	382	107	158	00	**647**
क्राश फंक्शनल	37	6	15	00	**58**
कुल	**526**	**140**	**215**	**00**	**881**

निम्नलिखित क्षेत्रों में हमारे अधिकारियों को विशेष एक्सपोजर दिया गया।.

22.1 स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण एवं विकास कर्मचारियों के विकास के अभिन्न अंग हैं। इंटीगरल पार्ट है। इसलिए सीएमपीडीआई पूरे वर्ष लगातार उनके विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास पहले ही किया जा रहा है। इस संबंध में 2021–22 के दौरान विभिन्न तकनीकी और गैर–तकनीकी विषयों पर 500 कर्मचारियों के लक्ष्य के मुकाबले 526 कर्मचारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रशिक्षित किया गया है,

जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है : —

1) सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में संविदा गार्डों के लिए प्रेरण (इंडक्शन) प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2) (सीएएसआर) और अन्य ओईएम द्वारा डेटा प्रोसेसिंग और सेंसर के माध्यम से ड्रोन/यूएवी ऑपरेशन डेटा कैप्चरिंग पर प्रशिक्षण।

3) डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस)/ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) और डेटा प्रोसेसिंग पर प्रशिक्षण।

4) ईआरपी एमएम मॉड्यूल/एचआर मॉड्यूल/वित्त मॉड्यूल/पीएम मॉड्यूल/एसडी मॉड्यूल पर प्रशिक्षण।

5) अनुबंध प्रबंधन और खरीद नियमावली में सतर्कता की आभा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण 2020।

6) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 की पूर्व संध्या पर वेबिनार।

7) बड़े डेटा प्रबंधन और इंटेलिनेट एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।

8) मेसर्स मीटेक सॉल्यूशंस एलएलपी द्वारा टीएलएस इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेनिंग।

9) रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली पर ऑनलाइन प्रशिक्षण, आईएसओ 37001, 2016।

10) प्रतिमान सॉफ्टवेयर पर भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण और व्याख्या पर प्रशिक्षण।

11) आईएसओ 9001:2015 पर एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम और सीएमपीडीआईएल की प्रलेखित व्यवस्था।

12) सीआईएल और सीएसओ के सीडीए नियमों पर ऑनलाइन कार्यशाला (प्रमाणित स्थायी आदेश)।

13) ईआरपी आदि पर प्रशिक्षण।

22.2 आईआईसीएम में प्रशिक्षण :

आईआईसीएम के वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार प्रत्येक वर्ष एचआरडी विभाग आईआईसीएम में प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में वरीय और मध्य स्तर के अधिकारियों को नोमिनेट (नामांकित) करता है। यहनामांकन कंपनी की जरूरत एवं ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार किया जा रहा है। वर्ष 2021—22 के दौरान 50 व्यक्तियों के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 140 अधिकारियों को आईआईसीएम में ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

22.3 बाह्य प्रशिक्षण :

तकनीकी/प्रबंधकीय कौशल उन्नयन से संबंधित प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, और संगोष्ठी आदि में भाग लेने के लिए और नवीनतम तकनीकी विकास के अनुरूप होने के लिए, विभिन्न विषयों से प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों / प्रतिष्ठित संस्थानों में अधिकारियों को भेजा जा रहा है। इस वर्ष 50 व्यक्तियों के लक्ष्य के विरुद्ध 215 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत में विभिन्न स्थानों से ऑनलाइन/ऑफ़लाइन कार्यक्रमों में भाग लिया है।

उन संस्थानों के नाम जिनमें हमारे कर्मचारी आनलाइन कार्यक्रमों में भाग लिए, वे इस प्रकार है :

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
- जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
- भारतीय मानक ब्यूरो, नोएडा के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान
- आईएसएनटी, नई दिल्ली
- भा.वा.अ.शि.प., देहरादून
- एएससीआई, हैदराबाद
- एनआईटीएस, नोएडा
- आईआईएम, इंदौर
- सीजीडब्ल्यूबी, प्रशिक्षण खंड, रायपुर
- एमआईटी, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
- आइएसएनटी, जमशेदपुर, चैप्टर आदि।

22.4 विभिन्न संगठनों के छात्रों के लिए सीएमपीडीआईएल में इंटर्नशिप प्रशिक्षण :

विभिन्न संस्थानों के छात्रों को ग्रीष्म और शरद इंटर्नशिप प्रशिक्षण सीएमपीडीआईएल मुख्यालय

और विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में एचआरडी डिवीजन द्वारा दिया जा रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान सीएमपीडीआईएल में कुल 60 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। छात्रों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में 4–6 सप्ताहों के लिए प्रशिक्षण/परियोजना कार्य किया। प्राक्षिण/परियोजना के समापन के बाद और परियेजना रिपोर्ट की सुपुर्दगी पर एचआरडी विभाग प्रशिक्षण/परियोजना की सफलतापूर्व समाप्ति पर सफल छात्रों को प्रमाण–पत्र जारी करता है। जिन संस्थानों के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया वे निम्नलिखित हैं :

- वीआईटी, वैल्लोर
- बीएचयू, वाराणसी
- बीआईटी, राँची
- आईआईटी (आईएसएम), धनबाद
- एक्सआईएस, राँची
- आईआईटी भुवनेश्वर
- केआईआईटी भुवनेश्वर
- चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना
- आईआईटी, खड़गपुर
- एनआईटी, राऊरकेला आदि

22.5 अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के अनुसार अप्रेंटिस प्रशिक्षण :

समझौता ज्ञापन के अनुसार, सीएमपीडीआईएल को ठेकेदार श्रमिकों सहित सीएमपीडीआईएल की औसत जनशक्ति का 2.5% लक्ष्य प्राप्त करना है (अर्थात 31 मार्च, 2021 तक 4167)। सीएमपीडीआईएल ने 181 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है जो कि 4.34% है इसमें 135 डिप्लोमा धारक और विभिन्न विषयों में 46 डिग्री धारक शामिल हैं। इसमें ड्रिलिंग, मेकेनिकल, सिविल, कम्पयूटर साईंस, माइनिंग आदि विभिन्न विभागों के हैं और जो सीएमपीडीआईएल के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय में पदस्थापित हैं।

22.6 अतिरिक्त उपलब्धि- लोग क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम) :

एमएल–2 का सुदृढ़ीकरण और परिपक्वता स्तर–3 का आकलन, सीएमपीडीआईएल के 200 कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रासंगिक योग्यता विवरण सहित योग्यता मानचित्रण किया गया है।

परिपक्वता स्तर –3 के लिए सीएमपीडीआईएल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और पीसीएमएम एमएल –3 की अंतिम रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2021 को मैकलीड प्राइवेट सर्टिफिकेशन द्वारा प्रस्तुत की गई है।

22.7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण :

आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईएसएनटी, एनपीसी, आईसीएआई, आईआईआरएस, जीएसआई, आदि जैसे भारत के भीतर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कम–से–कम 5 प्रतिशत अधिकारियों (ई–1 से ऊपर यानि 810) के कम–से–कम एक सप्ताह का प्रशिक्षणदिलवाकर सतत् टेलेंट मैनेजमेंट एवं कैरियर प्रोग्रेसन किया गया। सीएमपीडीआईएल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 96 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जो 11.9 प्रतिशत है।

23.0 श्रमशक्ति एवं कल्याण क्रिया-कलाप :

23.1 श्रमशक्ति की स्थिति :

विवरण		31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
अधिकारी		830	795
गैर–अधिकारी	मासिक वेतनभोगी	1091	1002
	दैनिक वेतनभोगी	1154	1149
	पीस रेटेड	02	02
	समग्र कुल	**3077**	**2948**

23.2 कल्याण संबंधित गतिविधियाँ :

क्र.सं.	कल्याण संबंधी गतिविधियाँ	कार्यक्रम की तिथि
1.	अम्बेडकर जयंती का आयोजन	14 अप्रैल 2021
2.	आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन	21 मई 2021
3.	स्वतंत्रता दिवस समारोह	15 अगस्त 2021
4.	सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच	15 अगस्त 2021
5.	महात्मा गांधी की जयंती	02 अक्टूबर 2021
6	बिरसा स्कूल कांके रोड रांची में टीकाकरण शिविर	02 अक्टूबर 2021
7.	सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी	31 अक्टूबर 2021
8.	संविधान दिवस	26 नवंबर 2021
9.	सांप्रदायिक सौहाद्र	23 नवंबर 2021
10.	स्थापना दिवस समारोह	1 नवंबर 2021
11.	जेंडर अवेयरनेस एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन पर कार्यशाला	6 दिसंबर 2021
12.	वॉलीबॉल, कैरम, टीटी, ब्रिज और शतरंज के लिए इंटर आरआई टूर्नामेंट के लिए मुख्यालय टीम का चयन करने के लिए सिलेक्शन ट्रेल	दिसंबर 2021
13.	सीएमपीडीआई (मुख्यालय), टीम ने क्रमशः आरआई–I (आसनसोल), आरआई–VII (भुवनेश्वर) और आरआई–IV (नागपुर) द्वारा आयोजित इंटर आरआई वॉलीबॉल, शतरंज और ब्रिज टूर्नामेंट में भी भाग लिया, मुख्यालय टीम शतरंज और ब्रिज में चैंपियन बनी टूर्नामेंट	दिसंबर 2021
14.	गणतंत्र दिवस समारोह	26 जनवरी'2022
15.	7 से 13 मार्च,2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के "प्रतिष्ठित सप्ताह" का आयोजन। विभिन्न कानूनों के तहत श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाने का उद्देश्य और साथ ही नियोक्ताओं में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना ताकि कानूनों के अनुपालन में सुधार हो और विभिन्न श्रम कानूनों के तहत उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके। तदनुसार असंगठित श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और अन्य हितधारकों सहित श्रमिकों तक जागरूकता तक पहुँचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएमपीडीआई, रांची को 10.03.2022 को सुबह 10.30 बजे से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए चुना गया था। इसलिए, सीएमपीडीआई खेल मैदान में सभी आवश्यक व्यवस्था की गई थी। श्री एस स्वैन, आरएलसी (सी) रांची मुख्य अतिथि के साथ, श्री अभिजीत दत्ता (आईआईएम, रांची के विजिटिंग फैकल्टी), श्री एम.ए. खान, कल्याण आयुक्त, श्री दोराईबुरु, पूर्व डिप्टी सीएलसी (सी) ने सीएमपीडीआई का दौरा किया और ठेका मजदूरों, ठेकेदारों, ट्रेड यूनियन नेताओं, प्रधान नियोक्ता आदि को संबोधित करते हुए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और पैम्फलेट भी प्रसारित किया। इस अवसर पर सीएमडी, सीएमपीडीआई भी "विशिष्ट अतिथि" के रूप में उपस्थित थे।	10 मार्च'2022

23.3 वर्ष 2021–22 के लिए अधिकारी स्थापना से संबंधित मुख्य सूचना :

क्र.सं.	वार्षिक कार्ययोजना	की गई कार्रवाई
1.	टर्मिनल लाभ का निपटारा	35
2.	जीवन बीमा योजना का भुगतान	01
3.	सीपीआरएमएसई के तहत मेडिकल कार्ड जारी करना	51
4.	सेवा निवृत्ति के बाद छुट्टी नगदीकरण के प्राप्त मामले	34
5.	निपटाएं गए	24
6.	प्रक्रिया के अंतर्गत	10
7.	मेडिकल रेफर के मामले	387

23.4 वर्ष 2021-22 के दौरान आरटीआई संबंधित सूचना :

क्र.सं.	वार्षिक कार्ययोजना	की गई कार्रवाई
1.	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	214
2.	विवेच्य वर्ष के दौरान निपटाये गए आवेदनों की संख्या	156
3.	प्रक्रियाधीन	58
4.	वर्ष के दौरान प्राप्त अपील	06
5.	निपटाये गए अपील	06
6.	शेष	00
7.	सीआईसी (द्वितीय अपील प्राप्त आवेदन)	02
8.	सीआईसी अपील का निपटारा	02

23.5 वर्ष 2021–22 के दौरान सीपीजीआरएएम से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	शिकायत का श्रोत	प्राप्त कुल आवेदन	आवेदनों का निपटारा किया गया	अतिशेष/प्रक्रियाधीन
1.	लोकल/इंटरनेट	13	12	1
2.	पेंसन	1	1	0
3.	पीएमओ	7	6	1

23.6 वर्ष 2021-22 के दौरान वीआईपी रफेरेंस से संबंधित सूचना :

क्र.स.	शिकायत का श्रोत	प्राप्त कुल	निपटारा किया गया	शेष/प्रक्रियाधीन
1.	लोकल इंटरनेट	34	34	0

23.7 वर्ष 2021-22 के दौरान पेंसन की स्थिति :

क्र.सं.	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल मामले	निपटाएं गए	विचाराधान		टिप्पणी
			सीएमपीडीआईएल	सीएमपीएफओ	
1.	108	53	7	48	

23.8 वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	वार्षिक कार्ययोजना	कार्रवाई की गई
1.	टर्मिनल लाभों का निपटान	117
2.	जीवन कवर का भुगतान	16
3.	सीपीआरएमएसएनई के तहत जारी मेडिकल कार्ड	155
4.	सेवा निवृत्ति के बाद छुट्टी नगदीकरण के प्राप्त मामले	96
5.	निपटाएं गए	62
6.	प्रक्रियाधीन	34

22.9 राजभाषा :

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोंयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों का पालन करना जारी रखी और राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत् प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास करती रही।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की गृह पत्रिका गोंदवाना भारती का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

कोयला मंत्रालय के निदेशानुसार सितम्बर, 2020 में "राजभाषा माह" का आयोजन किया गया। कंपनी के कामगारों के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा इसे बढ़ावा देने के लिए कई हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार में 5000 रू., द्वितीय पुरस्कार 4000/–रू., तृतीय पुरस्कार 3000/–रू. और सांत्वना पुरसकार 800 रू. से नवाजा गया। सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण–पत्र भी दिया गया। इसके अलावा अन्य प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया गया।

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में राजभाषा के त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी आयोजित की गई।

आपकी कंपनी ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (लोक उपक्रम), राँची की दो छमाही बैठकें आयोजित की जिसमें विभिन्न लोक उपक्रमों में राजभाषा हिन्दी की प्रगति की समीक्षा की गई।

24.0 महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत डिस्क्लोजर (प्रकटीकरण) एवं सूचना :

वर्ष 2021–22 के दौरान सीएमपीडीआई में कार्यस्थल (रोक/निवारण, निषेध, (रिडेसल) अधिनियम–2013 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के दर्ज किए मामलों की संख्या इस प्रकार है :

1.	वर्ष के दौरान प्राप्त सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायतों की संख्या	–	शून्य
2.	वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	–	शून्य
3.	90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या	–	शून्य
4.	वर्ष के दौरान आयोजित सेक्सुअल हरासमेंट संबंधी जागरूकता कार्यक्रम अथवा कार्यशालाओं की संख्या	–	01
5.	मामले से संबंधित नियोक्ता द्वारा या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	–	लागू नहीं

25.0 सीएमपीडीआईएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन 2021-22 के भौतिक मापदंडों की उपलब्धि :

25.1 पिछले वर्ष यानी 2020-21 की तुलना में कोल इंडिया और एमओसी के बाहर कारोबार से बिक्री में वृद्धि :

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2021–22 के अनुसार, पिछले वर्ष यानी 2020–21 (%) की तुलना में कोल इंडिया और एमओसी के बाहर कारोबार से बिक्री में वृद्धि, क्र. नंबर 7', 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य पिछले वर्ष यानी 2020–21 की तुलना में कोल इंडिया और एमओसी के बाहर कारोबार से बिक्री में 30% की वृद्धि थी। इस लक्ष्य के मुकाबले, कोल इंडिया और एमओसी के बाहर कारोबार से बिक्री में पिछले वर्ष यानी 2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान 54.39% की वृद्धि हासिल की गई है।

25.2 ड्रिलिंग :

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2021–22 के अनुसार, हेड 'ड्रिलिंग (लाख मीटर में) के तहत, क्रमांक. नंबर 8', 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य 7.50 लाख मीटर ड्रिलिंग था। इस लक्ष्य के मुकाबले 2021–22 के दौरान 7.91 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई।

25.3 अनुसंधान एवं विकास व्यय :

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2021–22 के अनुसार, शीर्ष 'आर एंड डी व्यय (करोड़ रुपये) के तहत, क्र. क्रमांक 11', 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य 30 करोड़ रुपये का अनुसंधान एवं विकास व्यय था। इस लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान 31.2 करोड़ रुपये का अनुसंधान एवं विकास व्यय किया गया है।

25.4 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण :

सीएमपीडीआईएल के समझौता ज्ञापन 2021–22 के अनुसार, '2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (लाइन केएम) के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण' शीर्षक के तहत, क्रमांक. 12, पार्ट–बी', 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य 860 लाइन किलोमीटर के लिए 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण था। इस लक्ष्य की तुलना में 2021–22 के दौरान 864.99 लाइन कि.मी. 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण किया गया था।

26.0 सीएमपीडीआईएल में कोल इंडिया स्थापना दिवस मनाया गया :

रांची 8 नवंबरः सीएमपीडीआई, एक मिनी रत्न कंपनी ने 8 नवंबर, 2021 को सीएमपीडीआई के रवीन्द्र भवन में कोल इंडिया स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर के मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार बरनवाल (आईएएस),

संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि कोल इंडिया और सीएमपीडीआई देश की रीढ़ हैं और कोयला उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही देश और हर नागरिक कोल इंडिया का ऋणी है। उन्होंने कहा कि सीएमपीडीआई कुछ अतिरिक्त संसाधनों को जोड़कर पृथ्वी विज्ञान से संबंधित उद्योग के लिए बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कोयले और अन्य खनिज संसाधनों की खोज के लिए एनएमईटी फंड के उपयोग पर जोर दिया। सीएमपीडीआई को नवाचार की संस्कृति विकसित करनी चाहिए, उद्योग की सेवा के लिए नए विचारों/प्रौद्योगिकियों का पता लगाना और बढ़ावा देना चाहिए और प्रासंगिक होने के लिए समाज में नए मूल्य पैदा करना चाहिए।

इस अवसर पर, श्री मनोज कुमार, सीएमडी, सीएमपीडीआई ने सीएमपीडीआई की उपलब्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि देश के कुल अनुमानित कोयला धारण क्षेत्र का आकलन लगभग 32761 वर्ग किलोमीटर किया गया है, जो पहले के अनुमान 19,400 वर्ग किलोमीटर से लगभग 69% अधिक है। यह नए कोयला ब्लॉकों की पहचान में मदद करेगा।

श्री कुमार ने कहा कि नवंबर, 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोकिंग कोल मिशन पर एक कार्यदल का गठन किया गया था और सीएमपीडीआई द्वारा एक रिपोर्ट "सीआईएल ब्लॉकों में कोकिंग कोल पर रिपोर्ट, दिसंबर, 2020" प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर भारत सरकार ने "कोकिंग कोल मिशन" आरम्भ किया। पर्यावरण नियंत्रण केकठोर मानकों के कारण, रेलवे रेक में मशीनीकृत कन्वेयर सिस्टम और कम्प्यूटरीकृत लोडिंग जैसे वैकल्पिक परिवहन विधियों को नियोजित करके कोयला हैंडलिंग दक्षता बढ़ाने के लिए 35 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं का चयन किया गया था। सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों की सभी 35 एफएमसी परियोजनाओं के लिएसीएमपीडीआई द्वारा निविदा दस्तावेज तैयार किए गए और सफलतापूर्वक जारी किए गए। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण सेवाओं के क्षेत्र में, सीएमपीडीआई कोयला परियोजनाओं के लागत लाभ विश्लेषण, नदी संरक्षण योजना, नदी पारिस्थितिकी तंत्र अध्ययन, उत्तर प्रदेश राज्य में रेत पुनःपूर्ति अध्ययन आदि जैसी विशिष्ट सेवाएं दे रहा है।

सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर ड्रिल उत्पादकता के आधार पर सिंहपुर कैंप, आरआई–V, बिलासपुर को सर्वश्रेष्ठ ड्रिलिंग कैंप (मैकेनिकल) और कुदुमकेला कैंप, आरआई–V, बिलासपुर (हाइड्रोस्टैटिक) श्रेणी का पुरस्कार मिला।

बेस्ट ड्रिल क्रू कैटेगरी पुरस्कार (उच्चतम उत्पादकता) के तहत, सीडीएमएम–1000–04, राजनगर, आरआई–V, बिलासपुर, और केआर–डब्ल्यूएआईआईआईसी–12 बिश्रामपुर, आरआई–V, बिलासपुर के क्रू को क्रमशः मैकेनिकल और हाइड्रोस्टैटिक्स ड्रिल के लिए पुरस्कार मिला।

रिपोर्ट तैयार करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के अंतर्गत मुख्य प्रबंधक (खनन) श्री सैकेत चटर्जी को ओपनकास्ट रिपोर्ट के लिए और श्री वी मधुकर, वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) को भूमिगत रिपोर्ट के लिए श्री, मुख्य प्रबंधक (भूविज्ञान) सोमनाथ रे और उनकी टीम को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के लिए तथा पर्यावरण सेवाओं के लिए श्री अभिषेक कुमार सिंह, आरआई–I, आसनसोल को पुरस्कार दिए गए।

आरआई–VII, भुवनेश्वर और सीएमपीडीआई (मुख्यालय) रांची केबी सतीश, उप प्रबंधक (भूविज्ञान) और धर्मेंद्र कुमार, उप प्रबंधक (वित्त) को क्रमशः 'लैब', 'अन्वेषण' और 'वित्तीय' सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला।

2020–21 में प्राप्त बाहरी परामर्श नौकरियों के अधिकतम मूल्य के लिए क्षेत्रीय निदेशक, आरआई–VII, भुवनेश्वर को, 2020–21 में बाहरी परामर्श नौकरियों में अधिकतम वृद्धि के लिए क्षेत्रीय निदेशक, आरआई–IV को नागपुर पुरस्कार मिला। पहली बार बाहरी परामर्श प्राप्त करने के लिए महाप्रबंधक (विस्फोट), मुख्यालय को भी पुरस्कृत किया गया।

श्री सुभोमय सिन्हा, श्री सुप्रभात घोष और श्री एस. सेन की एक टीम को इरकॉन के लिए उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक

(यूएसबीआरएल) के कटरा–बनिहाल खंड में जाइरोस्कोपिक सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक निष्पादित करके सीएमपीडीआईएल को सुरंग सर्वेक्षण में शामिल करने हेतु'नवाचार' के लिए तथा एमओसी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों पर एक वेबसाइट विकसित करने के लिए श्री मिलन सेन और श्री रितेश कुमार की एक टीम को पुरस्कृत किया।

सीएसआर, आरआई–द्वितीय, धनबाद को 20–21 में सीएसआर बजट के अधिकतम उपयोग के लिए पुरस्कार मिला और क्षेत्रीय संस्थान–VI, सिंगरौली को सभी आरआई के बीच दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकतम व्यय के लिए पुरस्कार मिला।

श्री तुषार वर्मा और उनकी टीम, श्री लक्ष्मी दीप और उनकी टीम, डॉ श्रीधर भट और उनकी टीम, श्री ए.के. सिंह और उनकी टीम, श्री पुष्प राज वर्मा और उनकी टीम; श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह, श्री आशीष अग्रवाल, श्री जसबीर सिंह; श्री मनीष जैन; श्री बी. डे; श्री भरत कुमार गज़रेसेन; डॉ विनीता अरोड़ा और उनकी टीम को 'स्पेशल अचीवमेंट' पुरस्कार मिला।

इसके अतिरिक्त श्री अमरजीत सिंह, सुश्री अर्पणा सिन्हा, श्री वत्स प्रियेश; श्री कुशाग्र निगम, श्री शुभम सिसोदिया, सुश्री गार्गी पांडे, श्री हेमंत कुमार चौहान को 'यंग एक्जीक्यूटिव' पुरस्कार मिला। इसके अलावा, श्री राजर्षि नाथ, श्री संतोष कुमार सिंह, श्री चंदन पांडे, श्री इंद्रजीत सेन को गैर–कार्यकारी श्रेणी में सेवाओं के संबंधित क्षेत्र में पुरस्कार मिला।

इस अवसर पर श्री आर.एन. झा, निदेशक (टी/आरडी एंड टी); श्री ए.के. राणा, निदेशक (टी/पी एंड डी); श्री एस.के. गोमस्ता, निदेशक (टी/सीआरडी/ईएस); श्री सुमीत कुमार सिन्हा, मुख्य सतर्कता अधिकारी; जीएम/एचओडी, जेसीसी के सदस्य, सीएमओएआई के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत कोल इंडिया लिमिटेड के दीप प्रज्वलन और कॉरपोरेट सॉन्ग के साथ हुई।

27.0 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच (डब्ल्यूआईपीएस) सीएमपीडीआईएल की गतिविधियां :

विप्स, सीएमपीडीआईएल चैप्टर (मुख्यालय और आरआई–III) की नवगठित "कार्यात्मक प्रबंधन समिति" के पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्य निम्नानुसार हैं:

1.	श्रीमती सुनीता मेहता, महाप्रबंधक (पी एंड ए)	–	समन्वयक/अध्यक्ष
2.	श्रीमती विनीता अरोड़ा, मुख्य प्रबंधक (पर्यावरण)	–	अतिरिक्त समन्वयक/उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती ज़ेबा इमाम, विभागाध्यक्ष (भूविज्ञान)	–	महासचिव
4.	श्रीमती ऋतु सिंह, सहायक प्रबंधक (वित्त)	–	कोषाध्यक्ष

27.1 महिला कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के कार्यशाला :

6 दिसंबर 2021 को "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण" पर एक दिवसीय जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। डॉ. प्रो. रमन बल्लभ, सीनियर रिसोर्स पर्सन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने सत्र का संचालन किया।

इस एक दिवसीय सत्र में 30 महिला कर्मचारियों और 5 पुरुष कर्मचारियों ने भाग लिया। यह सत्र पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक साथ काम करने के दौरान कार्यालय में उनके आचरण और व्यवहार के लिए शिक्षाप्रद था। डॉ. प्रो. बल्लभ ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर विस्तार से चर्चा की।

27.2 स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम :

- अप्रैल 2021 के महीने में आसपास के गांवों में वितरण के लिए सैनिटरी नैपकिन का संग्रहण कर एक' गैर सरकारी संगठन को और दान किया गया।
- अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर, बिरसा उच्च विद्यालय, कांके में सीएमपीडीआईएल औषधालय के सहयोग से कोविड टीकाकरण अभियान चलाया गया। पास के गांव के करीब 200 लोगों ने टीका लगवाया।
- मार्च 2022 को एसटीसी में हृदय रोग की रोकथाम एवं जीवन शैली प्रबंधन से संबंधित स्वास्थ्य वार्ता एवं स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया गया। डॉ आशुतोष कुमार डीएम कार्डियोलॉजी मेदांता होस्टिपाल मेदांता होस्टिपाल से अपनी टीम के साथ मुख्य वक्ता थे। सत्र में सीएमपीडीआईएल के पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों ने अपने बच्चों के साथ भाग लिया।

27.3 कौशल विकास कार्यक्रम :

- आत्म–निर्भर भारत के तहत एक परियोजना स्वावलंबी को डब्ल्यूआईपीएस, सीएमपीडीआईएल द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हातमा बस्ती और कांके रोड के आसपास के क्षेत्रों की वंचित महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत उषा इंटरनेशनल लिमिटेड, पटना के मास्टर ट्रेनर की मदद से महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. विकास कार्यक्रम सीएसआर सीएमपीडीआईएल, डब्ल्यूआईपीएस और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- 15 जुलाई 2021 को मेसर्स उषा द्वारा 6 महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 15 वंचित महिलाओं/लड़कियों के दूसरे बैच का नामांकन हुआ। श्रीमती सुनीता मेहता, जीएम (पी एंड ए)/समन्वयक डब्ल्यूआईपीएस, सीएमपीडीआईएल, श्रीमती ज़ेबा इमाम, एचओडी सी सी लैब/महासचिव, डब्ल्यूआईपीएस सीएमपीडीआईएल, श्रीमती ममता टोप्पो कार्यकारी निकाय सदस्य के साथ डब्ल्यूआईपीएस के अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम के लाभों के बारे में बताया गया।
- प्रतिभागियों को स्टिचिंग और टेलरिंग में जुलाई–दिसंबर 2021 से 6 महीने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने उषा सिलाई मशीन से प्रशिक्षित और योग्य दर्जी के रूप में प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। वे दूसरों को प्रशिक्षण देने के साथ–साथ अपनी खुद की सिलाई की दुकान चलाने में सक्षम हैं।

27.4 कल्याण कार्यक्रम :

- **साक्षरता कार्यक्रम :**

  विप्स, सीएमपीडीआईएल जरूरतमंदों को सांत्वना देने के उद्देश्य से, गोंडवाना प्राइमरी स्कूल, CMPDIL कैंपस, रांची में आस–पास के क्षेत्रों के वंचित बच्चों के लिए मुफ्त कक्षाएं चलाता है। विप्स के स्वयंसेवकों द्वारा वंचित बच्चों को कार्यालय समय के बाद और छुट्टियों के दिन मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। कार्यक्रम

श्रीमती अमिता मेहता क्लर्क ग्रेड III एमटी लैब की देखरेख में किया जा रहा है।

- **पुराने कपड़ों का संग्रह और वितरण :**

विप्स, सीएमपीडीआईएल साल भर पुराने कपड़ों का संग्रह और जरूरतमंद लोगों को वितरण करता है।

- **कोविड 2.0 के दौरान आवश्यक वस्तुओं का वितरण :**

विप्स, सीएमपीडीआईएल ने जून 2021 के दौरान CMPDIL में संविदा महिला श्रमिकों को लगभग 100 पोषण भोजन के पैकेट, दवाएं, फेस मास्क आदि वितरित किए।

- **फेस्ट :**

6 और 7 मार्च 2022 को कस्तूरी महिला सभा सीएमपीडीआईएल के सहयोग से सीएमपीडीआईएल परिसर में 2 दिवसीय उत्सव तरंग का आयोजन किया गया था, जिसमें ज्यादातर झारखंड की महिला उद्यमियों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया था। यह आत्मा–निर्भार भारत मिशन की ओर एक कदम था। इस कार्यक्रम में देश भर की महिला उद्यमियों ने भाग लिया। स्टालों में कपड़े, हस्तशिल्प, वृक्षारोपण और विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल थे। सीएमपीडीआईएल ने इन सभी उद्यमियों को कई संभावित ग्राहकों से संपर्क करने के लिए व्यापक मंच की पेशकश की।

फेस्ट का उद्‌घाटन श्रीमती रूपाली गुप्ता, अध्यक्ष कस्तूरी महिला सभा सीएमपीडीआईएल द्वारा किया गया था और श्री मनोज कुमार सीएमडी सीएमपीडीआईएल, श्री आर.एन.झा निदेशक टी/आरडी एंड टी सीएमपीडीआईएल, श्री एस.के. गोमस्ता, निदेशक तकनीकी/सीआरडी और श्री ए. के राणा, पूर्व निदेशक तकनीकी पी एंड डी ने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई यह आयोजन बहुत सफल रहा और इसे व्यापक मीडिया कवरेज मिला।

- **8 मार्च 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन :**

8 मार्च 2022 को सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था ब्रेक द बायस "जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमॉरो"।

श्री मनोज कुमार सीएमडी सीएमपीडीआईएल ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। सबसे पहले, महिला दिवस के अवसर पर माननीय अध्यक्ष सीआईएल श्री प्रमोद अग्रवाल का संदेश पढ़ा गया, जिसमें अध्यक्ष सीआईएल ने सीआईएल की सभी महिला कर्मचारियों को बधाई दी है। सीआईएल को यह उल्लेख करते हुए गर्व होता है कि कोयला उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों में महिला कर्मचारी हैं। सीएमडी, सीएमपीडीआईएल ने तब इस बात पर जोर दिया कि जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को

महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और एक समृद्ध कल के लिए समाज को किसी भी लिंग पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुश्री कामाक्षी रमन ईडी एचआर एमटीआई सेल और सुश्री यशोधरा, डीएसपी साइबर सेल क्राइम रांची थीं। दोनों वक्ताओं ने कामकाजी महिलाओं द्वारा कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं को चुनौतियों का सामना करने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिएभी प्रोत्साहित किया।

सीएमपीडीआईएल की महिला कर्मचारियों और कस्तूरी महिला सभा के सदस्यों द्वारा एक लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम में सीएमपीडीआईएल और कस्तूरी महिला सभा के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

28.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व का विवरण:

28.1 वार्षिक लेखे की तैयारी में मेटेरियल डिपार्चर से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

28.2 निदेशकों ने ऐसे लेखा–नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया, जिससे निर्णय और आकलन किया जा सके, जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में इस अवधि के लिए कंपनी की लाभ–हानि के विषय में कंपनी मामलों की स्थिति पर सत्य एवं स्पष्ट विचार किया जा सके।

28.3 निदेशक ने लेखा रिकार्डों के अनुसरण के लिए इस नियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया है।

28.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंग कन्सर्न) में वार्षिक लेखा तैयार किया है।

28.5 निदेशकों ने पुष्टि की कि उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां प्रर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

अंकेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स लोधा पटेल, वाधवा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, रांची को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी का सांविधिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया।

आभारोक्ति :

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियाँ, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों जिनके साथ आपकी कंपनी को कार्य करना है तथा कंपनी के कार्यों के पूरा करने में जो सहयोग एवं प्रोत्साहन देते रहे हैं, उसके प्रति आभारी हैं।हम अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हम पर और हमारे समर्पित कर्मचारियों पर विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण दिया।

परिशिष्ट :

कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत अपेक्षित ऊर्जा के संरक्षण, टेक्नोजाली एब्जार्पसन और फारेन एक्सचेंज अर्निंग एवं आउटगो, अनुसंधान एवं विकास, सीईओ और सीएफओ प्रमाणन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत एनुअल रिर्टन का सारांश, कारपोरेट गवर्नेस के अनुपालन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन का जवाब, कंपनी अधिनियम, 2013 की सेक्शन 143 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब, एमओयू 2021–22 पर रिपोर्ट तथा मैनेजेरियल पर्सनल के पारिश्रमिक आदि का विस्तृत सूचना पर रिपोर्ट भी, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते

(मनोज कुमार)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

राँची,
तिथि : 21.07.2022

परिशिष्ट- I

निदेशक मंडली की रिपोर्ट का परिशिष्टः

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं खर्च के बारे में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ पठित नियम 8 में शामिल किए जाने वाले मामले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना।

क) कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऊर्जा का संरक्षण

सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2021–22 में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन शुरू किया है और बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों द्वारा कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में स्थित विभिन्न खुली खदान और भूमिगत खानों में विशेष इलेक्ट्रीकल ऊर्जा खपतका बेंचमार्किंग तथा इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण के साथ–साथ विशिष्ट डीजल खपत (स्पेशिफिक डीजल कंजप्सन) का बेंचमार्किंग एवं डीजल अंकेक्षण किया गया।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए डीजल बेंच मार्किंग अध्ययन में डीजल संरक्षण के लिए निम्नलिखित स्थूल शीर्ष (ब्रोड हेड) कोस्वीकार किया गया।

i) लगाए गए एचईएमएम के लिए प्रीवेंटिव मेंटेनेंस मेजर्स को अपनाते हुए तथा लीकेज की पहचान करना और कम करना।

ii) हाऊल रोड की स्थिति को ध्यान में रखकर एचईएमएम का गति अनुकूलन

iii) निष्क्रिय घंटे को कम करने एचईएमएम के अनावश्यक मूवमेंट को रोकने के लिए टाइम स्टडी

iv) इलेक्ट्रिकल व्हील माउन्टेड एचईएमएम के लिए 0.054 लीटर प्रति बीएचपी घंटे तथा व्हील माउन्टेड के लिए 0.06 लीटर प्रति/बीएचपी घंटे, ट्रैक माउन्टेड के लए 0.1 लीटर/बीएचपी घंटे को सीएमपीडीआईएल आयोजन एवं अभिकल्पन के मानदंड के साथ तुलना।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए इलेक्ट्रीकल एनर्जी आडिट एवं बेंचमार्किंग अध्ययन में भूमिगत और खुली खदान खानों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रीकल मेजरमेंट एवं 3 वर्षों के हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर ट्रेंड एनालिसिस (प्रवृति विश्लेषण) किया गया। निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण विधि अपनाई गई है।

i) डिमांड साइड मैनेजमेंट

ii) संचरण एवं वितरण हानि में कमी

iii) पावर फैक्टर में सुधार

iv) इफिशिएंट इल्यूमिनेशन सिस्टम

v) ट्रांसफर्मर की पहचान कर ट्रांसफार्मेशन हानि में कमी लाना

vi) ऊर्जा की मॉनीटरिंग के लिए एनर्जी मीटर की स्थापना

vii) पम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण उपाय

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों के द्वारा किए गए ऊर्जा अंकेक्षण तथा ऊर्जा बेंचमार्किंग अध्ययन के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दिया जाए

(क.1) वर्ष 2021-22 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा उठाए गए ऊर्जा संरक्षण पहल

क.	डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	डीजल की खपत	प्रस्तावित बचत संभावना
1.	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	27096 किलो लीटर	1185 किलो लीटर/वर्ष
2.	सीसीएल द्वारा चिन्हित 33 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	47898 किलो लीटर	2126 किलो लीटर/वर्ष
3.	ईसीएल द्वारा चिन्हित 8 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	28935 किलो लीटर	1248 किलो लीटर/वर्ष
4.	एमसीएल द्वारा चिन्हित 12 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	41331 किलो लीटर	1857 किलो लीटर/वर्ष
5.	एनसीएल द्वारा चिन्हित 10 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	124182 किलो लीटर	5531 किलो लीटर/वर्ष
6.	एसईसीएल द्वारा चिन्हित 03 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	81000 किलो लीटर	3581 किलो लीटर/वर्ष
7.	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	58749 किलो लीटर	2555 किलो लीटर/वर्ष
ख.	**2021-22 के दौरान इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग पर किया गया अध्ययन**	**प्रस्तावित निवेश (लाख रू. में)**	**प्रस्तावित बचत संभावना (लाख रू. में)**
1.	जयंत ओसीपी, एनसीएल के लिए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग रिपोर्ट	-	-
2.	कुया ओसीपी और गोलकडीह सबस्टेशन, बस्ताकोला क्षेत्र, बीसीसीएल के लिए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग रिपोर्ट	-	-
3.	निम्नलिखितके लिए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग रिपोर्ट – 1. अशोक ओसीपी, पिपरवार क्षेत्र, 2. भुरकुंडा ओसीपी, बरका–सयाल क्षेत्र, 3. केडीएच ओसीपी, एनके एरिया, 4. बोकारो ओसीपी, बी एंड के क्षेत्र, 5. गोविंदपुर यू/जी, कथारा क्षेत्र, सीसीएल	-	-

(क. 2) वर्ष 2021-22 के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा शुरू किए गए माइन इल्यूमिनेशन रिपोर्ट

क्र.सं.	कार्य विवरण
1.	अमलोहरी ओसीपी, एनसीएल का रोशनी सर्वेक्षण
2.	खड़िया ओसीपी, एनसीएल का रोशनी सर्वेक्षण
3.	काकरी ओसीपी, एनसीएल का रोशनी सर्वेक्षण

(क. 3) सौर ऊर्जा संयंत्र की पहल :

- सीसीएल कमांड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 3.5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र (ग्राउंड माउंटेड और रूफ टॉप दोनों) की स्थापना के लिए अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक सीसीएल को पीएमसी सेवाओं के रूप में प्रस्तुत संशोधित योजना।
- आईडब्ल्यूएसएस खड़िया, एनसीएल में 1.2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए योजना प्रस्तुत की गई।

- सीएमपीडीआईएल कार्यालय के भवनों के विभिन्न स्थानों पर 150kWp (DC) रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया।
- सीएमपीडीआईएल (आरआई–VII), भुवनेश्वर के कार्यालय भवन में 60kWp (DC) रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट चालू किया गया।
- सीएमपीडीआईएल (आरआई–IV), नागपुर कार्यालय भवन में 80kWp (DC) की स्थापना के लिए कमीशनिंग और परीक्षण प्रक्रियाधीन है।
- सीएमपीडीआईएल (आरआई–V), बिलासपुर में 100kWp (DC) रूफ टॉप सौर ऊर्जा की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन और परीक्षण के लिए NIT की तैयारी।
- सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) परिसर, रांची के विभिन्न स्थानों पर 212kWp (DC) रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए योजना की तैयारी।
- अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिकी अवशोषण।

(ख) विदेशी विनिमय अर्जन और आउटगो :

क्र.सं.	कार्य विवरण	2021–22
1.	उत्पादों और सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास, निर्यात में वृद्धि की पहल, निर्यात से संबंधित क्रिया–कलाप	कंपनी निर्यात नहीं करती है।
2.	उपयोग और अर्जित किए गए कुल विदेशी विनियम क) अर्जित कुल विदेशी विनियम (करोड़ रू. में) ख) उपयोग किए गए कुल विदेशी विनियम (करोड़ रू. में) (यात्रा व्यय 0.00 करोड़ रू.+अन्य 6.10 करोड रू. + अन्य पूंजीगत सामग्री 0.23 करोड रू.)	 0.03 करोड़ रू. 6.33 करोड़ रू.

(ग) अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i) क्लोज लूप बाइनरी ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित एससीसीएल कमांड क्षेत्र के मनुगुरु क्षेत्र में "जियो–थर्मल एनर्जी (20KW कैपेसिटी) पावर जेनरेशन पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना" शीर्षक वाली एक एस एंड टी परियोजना – सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोथागुडेम और औद्योगिक अनुसंधान के लिए शिराम इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।

उपरोक्त परियोजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है:

- ❖ मनुगुरु, एससीसीएल, तेलंगाना में ताप स्रोत के रूप में भूतापीय तरल पदार्थ का उपयोग करके स्वच्छ, विश्वसनीय और कुशल बिजली का उत्पादन करने के लिए क्लोज लूप बाइनरी ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल (ओआरसी) प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत में स्वदेशी 20 किलोवाट पायलट प्रदर्शन इकाई स्थापित करना।
- ❖ वाणिज्यिक व्यवहार्यता हेतु निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से या संयोजन में भू–तापीय स्रोत का उपयोग करके बिजली उत्पादन लागत को मानकीकृत और अनुकूलित करना।

(ii) "भूमिगत कोयला खानों में विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में वेंटिलेशन फैन विंड पावर रिकवरी सिस्टम की डिजाइन और तैनाती" शीर्षक वाली एक आर एंड डी परियोजना – आईआईटी–आईएसएम, धनबाद और ईसीएल।

- उपरोक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य वेंटिलेशन पंखे के निकास से अधिकतम बिजली पैदा करने के लिए प्रायोगिक मॉडल का डिजाइन तैयार करना है।
- सेट–अप के प्रस्तावित मॉडल के माध्यम से, एग्जॉस्ट फैन बिजली की खपत 10% तक कम हो जाएगी। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन (वीएडब्ल्यूटी) प्रौद्योगिकी कुमारदुभी कोलियरी, मुग्मा एरिया, ईसीएल में मौजूदा मुख्य वेंटिलेशन पंखे के आउटलेट में स्थापित की जाएगी। रोटेशन द्वारा निकास से हवा के प्रवाह को निर्देशित करने के लिए, परियोजना में पवन टरबाइन के डेरिकस ब्लेड स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह मौजूदा वेंटिलेशन सिस्टम की बिजली की खपत को कम करेगा।

(घ) प्रौद्योगिकी समावेशन (एब्जार्पसन) :

कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास मुख्य रूप से खान सुरक्षा, कोयला लाभकारी/उपयोग, खान पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के विकास आदि सहित खनन कार्यों में दक्षता मानकों में सुधार के लिए है।

सीएमपीडीआई एक नोडल एजेंसी और अनुसंधान संगठन होने के नाते, अपनी कुल परिचालन गतिविधियों में विभिन्न क्षेत्रों में कई तकनीकी पहल की है।

- भूमिगत खनन में, कई खानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक की शुरुआत की गई है। सीआईएल की अब तक 15 खदानों में कंटीन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी (20) शुरू की जा चुकी है, जो प्रचालन में हैं। बीसीसीएल के मुनीडीह यूजी और ईसीएल के झंझरा यूजी में लॉन्ग वाल माइनिंग का कार्य चल रहा है।
- ईसीएल के झंझरा और कोटडीह यू/जी खानों और सीसीएल की चुरी यू/जी खानों में भूमिगत में कार्मिकों और सामग्रियों के परिवहन के लिए निः शुल्क स्टीयरिंग वाहन पेश किए गए हैं।
- खनिकों के पैदल चलने की कठिनाई को कम करने के लिए सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों की 63 यूजी खानों के लिए मैन–राइडिंग योजनाएं तैयार की गई हैं। 41 यूजी खानों में, मैन राइडिंग सिस्टम्स (एमआरएस) प्रचालन में हैं। सीआईएल की 6 यूजी खानों में एमआरएस की स्थापना की जा रही है।
- माइन प्लानिंग के लिए जियोविया माइनेक्स, डेटा माइन, वल्कन, कार्लसन सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण पेश किया गया है। यह पिट डिजाइन, पिट ऑप्टिमाइजेशन, संसाधनों और डंप आदि के शेड्यूलिंग के माध्यम से सर्वोत्तम संसाधन नियोजन प्रदान करता है।
- कोयले की चोरी को रोकने के लिए कोयला परिवहन वाहनों में जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) शुरू किया गया है।
- आरएफआईडी, सीसीटीवी और बूम बैरियर आधारित वजन निगरानी और नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई है। इसने केंद्रीय सर्वर को कोयला वजन डेटा का रीयल टाइम ट्रांसमिशन सुनिश्चित किया है। इससे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और साथ ही पारगमन के दौरान कोयले की चोरी को कम करने में मदद मिली है।
- गवेषणात्मक अभ्यासों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पीसीडी बिट्स के साथ हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल शुरू की गई है।
- न्यूमेरिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर (एफएलएसी 3डी) को अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत खरीदा/उन्नत किया गया था जिसका नियमित रूप से वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें स्ट्रैट कंट्रोल शामिल है। यूजी खानों में वेंटिलेशन योजना के लिए वेंटसिम सॉफ्टवेयर पेश किया गया है। उपरोक्त सॉफ्टवेयर के प्रयोग से इन–हाउस जॉब/कौशल का सृजन हुआ है।
- ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग को कम करने और चुनिंदा खनन की सुविधा के लिए सीआईएल की कई खुली खदानों में 41 विभागीय सरफेस माईनर्स काम कर रहे हैं।

- एसईसीएल की शारदा ओपनकास्ट खदान में हाई वॉल टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है।
- ओपनकास्ट खानों में विब्रो रिपर के उपयोग पर हाल ही में एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से यह पाया गया है कि विब्रो रिपर उन जगहों पर उपयुक्त है जहां पर्यावरण, सुरक्षा या अन्य कारणों से ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की अनुमति/वांछित नहीं है।
- सीएमपीडीआई सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्रों अर्थात बीसीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल में सीबीएम के विकास के लिए प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है। राजस्व बंटवारे के आधार पर सीबीएम निकालने के लिए मेसर्स प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को झरिया सीबीएम ब्लॉक–I (बीसीसीएल लीजहोल्ड एरिया) नामक एक सीबीएम ब्लॉक प्रदान किया गया है।
- सीएमपीडीआई सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) भी है।
- प्रारंभ में निम्नलिखित कोयला गैसीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं:
  - एसईसीएल – महामाया एससीजी परियोजना
  - ईसीएल – शिल्पांचल परियोजना एससीजी परियोजना
  - डब्ल्यूसीएल – उत्कर्ष एससीजी परियोजना

(ड़) 2021-22 के दौरान पूरी की गई संक्षिप्त परिणाम अनुसंधान परियोजनाएं:

1. खुली खदानों के लिए ऑन लाइन कोयला धूल दमन प्रणाली

इस परियोजना को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी), तिरुवनंतपुरम द्वारा सीएमपीडीआई, रांची के सहयोग से निष्पादित किया गया था;

इस परियोजना के तहत, वातावरण में मौजूद कोयले की धूल की निगरानी के लिए ऑनलाइन कोयला धूल दमन प्रणाली (सीडीएसएस) विकसित की गई है जो धूल की मात्रा अनुमेय सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर स्प्रिंकलर को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देती है।

एक ऑनलाइन निगरानी सॉफ्टवेयर, विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीडीएसयू से संवेदी मापदंडों को एकत्र करता है, एक लॉग रखता है और रिपोर्ट तैयार करता है। सभी सीडीएसयू से डेटा का प्रबंधन करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्प्रिंकलर और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर (ओएमएस) को सक्रिय करने के लिए परियोजना में विकसित उत्पादों में कोल डस्ट सप्रेशन यूनिट (सीडीएसयू बेस) से लेकर पीएम10 और पीएम2.5, सीडीएसयू–प्रो टू सेंस पीएम10, पीएम2.5, एसओ2, एनओ2, एनओ एंड सीओ, सीडीएसयू और वायरलेस स्लेव (सीडब्ल्यूएस) शामिल हैं।

2. एकीकृत जैविक दृष्टिकोण का उपयोग करके देशी पौधों की प्रजातियों के साथ मिट्टी संशोधन और पुनर्जीवन के माध्यम से उत्तर पूर्व कोलफील्ड्स, असम की कोयला खनन भूमि का सुधार

इस परियोजना को आरएफआरआई, जोरहाट द्वारा एनईसी, मार्गेरिटा के सहयोग से निष्पादित किया गया था।

उपरोक्त परियोजना के तहत, एनईसी के टिकक कोलियरी में अवक्रमित पोस्ट कोयला खनन भूमि को एकीकृत जैविक दृष्टिकोण का उपयोग करके देशी पौधों की प्रजातियों के साथ मिट्टी संशोधन और पुनः वनस्पति द्वारा पुनर्वासित किया गया है।

टिकक कोलियरी, मार्गेरिटा में, 30 देशी पौधों की प्रजातियों के साथ ओवर बर्डन डंप पर 3.07 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया। पुआसे (घास) परिवार के सदस्यों जैसे मेलोकाना बेसिफेरा (240), थिसेनोलेना मैक्सिमा (838), वेटिवेरिया ज़िज़ानोइड्स (960), सिंबोपोगोन नूरदास (1000) और बंबुसा मल्टीप्लेक्स(248) सहित कुल 14,750 पौधे लगाए गए।

3. बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए खदान में हवा की आवश्यकता

यह परियोजना अंडरग्राउंड माइनिंग डिवीजन (यूएमडी), सीएमपीडीआई, रांची द्वारा निष्पादित की गई थी।

इस परियोजना के तहत बीसीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल की 9 खदानों में गैस सर्वेक्षण से संबंधित फील्ड गतिविधियां की गईं (12 कंटिन्यू माइनर्स पैनल; 2 लॉन्गवॉल फेसेस) और उनका विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि:

- ❖ सीएमआर–2017 के विनियम 153 2(ए) के अनुसार बड़े पैमाने पर उत्पादन पैनलों के अंतिम वेंटिलेशन कनेक्शन (एलवीसी) पर निर्धारित हवा की मात्रा प्रदान करना कुछ हद तक व्यावहारिक नहीं है।
- ❖ धूल के जोखिम की दृष्टि से, सीएम मास प्रोडक्शन पैनल के एलवीसी में आवश्यक न्यूनतम वायु मात्रा होनी चाहिए:
  - ➢ 3 (एम2 में गैलरी का क्रॉस–सेक्शनल क्षेत्र) X 0.5 मीटर/से. = एक्स एम3/एस (खानों के डिग्री– I और डिग्री– II गैसी के लिए)
  - ➢ डिग्री– III खानों के लिए, वायु वेग 0.5 मीटर/सेकेंड के स्थान पर 0.75 मीटर/सेकेंड के रूप में लिया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर डिग्री– I और II के लिए लिया गया है)
- ❖ तापमान और आर्द्रता के दृष्टिकोण से, डीबीटी और डब्ल्यूबीटी के बीच कम से कम 2°C तापमान काअंतर मास प्रोडक्शन फेसेस में बनाए रखा जाना चाहिए ताकि फेस की सापेक्ष आर्द्रता 80% के आसपास बनी रहे, खान के कामकाज के माहौल के अनुसार यह कुछ हद तक आरामदायक है।
- ❖ तापमान में वृद्धि को कम करने के लिए कितनी हवा की आवश्यकता है, यह पता लगाने के लिए मशीनों से गर्मी के उत्सर्जन के कारण तापमान को भी ध्यान में रखा जाता है। डेटा विश्लेषण इंगित करता है कि मशीनों के लिए तापमान में अधिकतम 20C वृद्धि की अनुमति देते हुए, बड़े पैमाने पर उत्पादन के LVC में कम से कम 25m/^{3}S हवा दी जानी है और 60m/^{3}S हवा लॉन्गवॉल फेस में पहुंचाई जानी है। यह मात्रा पैनल से पैनल में बिजली की स्थापना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- ❖ चूंकि लॉन्गवॉल फेस में काम करने की स्थिति कठिन है, इसलिए उपलब्ध हवा में शरीर की गर्मी के लगभग 270W/m^2 को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शीतलन शक्ति होनी चाहिए। आवश्यक शीतलन शक्ति उत्पन्न करने के लिए कम से कम 3m/s वायु वेग और DBT और WBT के बीच 20C तापमान अंतर की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए लॉन्गवॉल फेस में हवा की मात्रा की आवश्यकता होनी चाहिए–

  = (लॉन्गवॉल फेस की अधिकतम अवधि (m^2 x 3m/s) में m/^{3}s.
- ❖ सभी सीएम पैनल और झांजरा परियोजना के लॉन्गवॉल पैनल में सीएच$_4$, सीओ या किसी भी

हानिकारक गैस सांद्रता का कोई निशान नहीं देखा गया। मूनीडीह परियोजना के लॉन्गवॉल फेस में सीएच$_4$ की उपस्थिति को टेल गेट में गोफ को छोड़कर अनुमेय सीमा के भीतर मापा गया था। एक खदान गैस डेटा के साथ कोई दिशानिर्देश तैयार करना उचित नहीं होगा, इसलिए, सीएमआर–2017 और मौजूदा परिपत्रों के अनुसार गैसों के डाईलूशन के मौजूदा मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

❖ बड़े पैमाने पर उत्पादन पैनल में किसी भी कार्यस्थल में 0.5% से कम सीएच$_4$ बनाए रखने के लिए आवश्यक वायु मात्रा की गणना की जानी चाहिए और यदि यह उच्च तरफ पाया जाता है, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन पैनलों के एलवीसी में हवा की अनुशंसित मात्रा प्रदान की जानी चाहिए।

4. अंडरग्राउंड माइन्स के लिए थ्रू द अर्थवॉयस कम्युनिकेशन सिस्टम का स्वदेशी विकास।

इस परियोजना को आईआईटी, बॉम्बे और सीएमपीडीआई, रांची द्वारा निष्पादित किया गयाः

❖ इस परियोजना के तहत भूमिगत कोयला खान संचार के लिए विद्युत से संचालित छोटा पोर्टेबल एंटीना विकसित किया गया था। ऐसे दो एंटेना ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल के साथ एकीकृत किए गए थे। विकसित प्रोटोटाइप के विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षण IIT बॉम्बे में आयोजित किए गए थे। प्रयोगशाला परीक्षण में विकसित प्रोटोटाइप का उपयोग करके विद्युत चुम्बकीय संकेतों के साथ–साथ ऑडियो/वॉयस सिग्नल का प्रसारण और ग्रहण शामिल है।

❖ विकसित संचार प्रणाली डीजीएमएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक रूप से सुरक्षित और विकसित है। डीजीएमएस की अनुमति प्राप्त होने पर, सीसीएल के भुरकुंडा यूजी खदान में रिसीवर मॉड्यूल रखते हुए खदान के बाहर और इसके विपरीत से प्रेषित सिग्नल का पता लगाने के लिए फील्ड ट्रेल्स का संचालन किया गया है। परीक्षण के परिणाम संतोषजनक थे और कोयला खदान के अंदर रखा गया रिसीवर खदान के बाहर से प्रेषित संकेत प्राप्त करने में सक्षम था। इसी प्रकार रिसीवर को बाहर और ट्रांसमीटर को खदान के अंदर रखने पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए।

5. सैटेलाइट डेटा और ग्राउंड ऑब्जर्वेशन का उपयोग करके कोलफील्ड क्षेत्र में क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए एक कार्यप्रणाली का विकास।

इस परियोजना को जियोमैटिक्स विभाग, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो, हैदराबाद द्वारा निष्पादित किया गया।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोयला खदान क्षेत्रों में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5 और पीएम10) और ट्रेस गैसों (एनओ$_2$ और एसओ$_2$) के संबंध में उपग्रह आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए एक उपयुक्त मॉडल विकसित करना है।

❖ एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ(एओडी) उपग्रह से प्राप्त किया जा सकता है औरसरफेस लेवल पीएम2.5/पीएम10 की सांद्रता का आकलन क्षेत्रीय स्तर पर करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

❖ वर्तमान अध्ययन में, पार्टिकुलेट मैटर, और ऑनलाइन वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से मौसम संबंधी डेटा (जैसा कि सीएमपीडीआई प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति की गई है), मोडिस सेंसर ने टेरा और एक्वा उपग्रह से मॉडल व्युत्पन्न मौसम विज्ञान क्षेत्रों के संयोजन से एओडी डेटा प्राप्त किया

है, जिसका उपयोग उपग्रह आधारित सरफेस लेवल पीएम2.5/पीएम10 की सांद्रताविकसित करने के लिए किया गया है।

❖ इस विकसित संबंध का उपयोग उपग्रह के समय के दौरान कण मानचित्र के स्थानिक मानचित्र को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और यहसिंगरौली तथा तालचर कोयला क्षेत्रों में मान्य है।

❖ सेंटिनल 5–पी उपग्रह (ट्रॉपोमी) से ट्रेस गैसों की सांद्रताके साथस्तंभ डेटा कासंयोजन रसायन विज्ञान (डब्ल्यूआरएफ–केम) मॉडल–व्युत्पन्न सतह और स्तंभ एकीकृत मूल्यों के साथ मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान का उपयोगवर्तमान अध्ययन में दैनिक आधार पर सतह स्तर उपग्रह आधारित ट्रेसगैसों (NO 2 और SO2) सांद्रता को मापने के लिए किया गया।

❖ पार्टिकुलेट मैटर और ट्रेस गैसों को देखनेऔर निगरानी के लिए एक इंटरफ़ेस भी विकसित किया गया है।

6. भारतीय कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयले की बेहतर धुलाई दक्षता के लिए लागत प्रभावी प्रक्रिया फ्लोशीट का डिजाइन।

इस परियोजना को IIT-ISM, धनबाद, CMPDIL, रांची और BCCL, धनबाद द्वारा निष्पादित किया गया। परियोजनाओं के परिणाम इस प्रकार हैं:

कोकिंग कोल परः

❖ प्रस्तावित फ्लो शीट के आधार पर, (–4.0+0.50 मिमी मोटे कोयले के लिए जिगिंग और 0.50 महीन कोयले के लिए फ्लोटेशन और वाटर–ओनली साइक्लोन) राख को 32% से 33% तक कम करना संभव है। इसलिए, पहले से ही कोकिंग कोयले के रूप में घोषित कोयले को बेहतर कम राख वाले कोयले के साथ मिश्रित करके लाभकारी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

नॉन-कोकिंग कोल परः

❖ सीवी क्षेत्र, बीसीसीएल के गैर–कोकिंग कोयले के मामले में, गैर–कोकिंग कोयले को –4.0 मिमी तक क्रश करना एक लागत–गहन कदम होगा और जिसे संयंत्र के पैमाने पर संभालना मुश्किल है (जैसा कि फ्लो शीट में प्रस्तावित है)। तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता और कोयले में खराब कोकिंग गुण (एलटीजीके और सीएसएन से निर्धारित) को ध्यान में रखते हुए, सीवी क्षेत्र के गैर–कोकिंग कोयले को जिग्स का उपयोग करके –25 मिमी आकार में ही हटाया जा सकता है और प्रभावी उपयोग के लिए बिजली कोयले के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

6. ड्रैगलाइन डंप के ऊपर शोवेल-डम्पर डंप के सभी स्तरों के डिजाइन के लिए दिशा-निर्देशों का विकास, ड्रैगलाइन डंप के भीतर, फ्रेटिक सतह के चित्रण के साथ, पूरे वर्ष और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की दो ड्रैगलाइन खानों पर सत्यापन अध्ययन।

इस परियोजना को बीआईटी, मेसरा और एस एंड आर डिवीजन, सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता द्वारा निष्पादित किया गया था:

➢ परियोजना के तहत, सीआईएल की ओपनकास्ट खानों अर्थात् जयंत ओसीपी, खड़िया ओसीपी, बीना ओसीपी, निघाही ओसीपी, अमलोहरी ओसीपी और एनसीएल के दुधिचुआ ओसीपी; सस्ती ओसीपी, डब्ल्यूसीएल के मुंगोली ओसीपी; ईसी के सोनपुर बाजारी, एसईसीएल के अमलाई ओसीपी और

धनपुरी ओसीपी और ब्लॉक–II, बीसीसीएल के संचालन में ड्रैगलाइन और शोवेल डम्पर संयोजनके लिए विस्तृत अध्ययन किया गया।

- ड्रैगलाइन डंप और शोवेल–डम्पर डंप दोनों के लिए अलग–अलग जियो–इंजीनियरिंग पैरामीटर यानी सामंजस्य, घर्षण का कोण, बल्क यूनिट वजन आदि निर्धारित किए गए थे।
- अलग–अलग ड्रैगलाइन संचालित ओपनकास्ट खान के अध्ययन के आधार पर, विभिन्न भू–इंजीनियरिंग मानकों की सीमा पर अधिकतम ऊंचाई, ड्रैगलाइन की ढलान और शोवेल डंपर डंप से संबंधित एक सामान्य दिशानिर्देश विकसित किया गया है।
- सुरक्षा और भूमि अर्थशास्त्र दोनों को ध्यान में रखते हुए शोवेल–डम्पर और ड्रैगलाइन डंप से युक्त इष्टतम आंतरिक डंप प्रोफाइल की भविष्यवाणी की गई है, जो 1.1 से 1.15 की सुरक्षा के निर्धारित फैक्टर के बराबर या उससे अधिक सुरक्षा का फैक्टर देता है।
- उक्त परियोजना के अंतर्गत विकसित दिशा–निर्देशों की अनुशंसाओं के अनुरक्षण हेतु रोडमैप भी तैयार किया गया है।
- उपरोक्त दिशानिर्देश कोल इंडिया लिमिटेड की उन सभी खदानों पर लागू होंगे, जहां शोवेल और ड्रैगलाइन डंप मौजूद हैं।

परिशिष्ट- II

सेवा में,
निदेशक मंडल,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

हम मनोज कुमार, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं पी.के.प्रसाद महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ जो कि वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेवार है, प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा नकद प्रवाह के विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में न तो कोई भी वस्तुपरक असत्य विवरण शामिल है, न ही कोई प्रमुख तथ्य छोड़ दिया गया है और न ही कोई गुमराह करने वाला विवरण शामिल किया गया है।

ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन–देन कपटपूर्ण, गैर–कानूनी एवं कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।

ग. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आन्तरिक नियंत्रण के डिजाइन अथवा संचालन में यदि कोई कमियाँ हैं तो उनके बारे में अंकेक्षकों तथा अंकेक्षण समितियों को बताया है एवं इनके बारे में उन्हेंजानकारी है वे इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहेहैं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित हैं।

घ. हमने अंकेक्षकों तथा अंकेक्षण समितियों को निम्नलिखित जानकारी दी है :

i. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्ट के संदर्भ के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

ii. वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की बेहतर समझ के लिए, महत्वपूर्ण लेखा नीति धारा 2.7 अमूर्त संपत्ति और 2.11 कर्मचारी लाभ और 2.16 अनुमान और धारणा को संशोधित / पुनः परिभाषित किया गया है। हालांकि, उपरोक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

iii. किसी बड़ी धोखाधड़ी के किसी भी दृष्टांत के बारे में, जिसमें प्रबंधन की भूमिका हो अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो, की कोई जानकारी हमें नहीं है।

(पी.के. प्रसाद)
महाप्रबंधक (वित्त)

(मनोज कुमार)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट - III

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

निगमित शासन अनुपालन का प्रमाण-पत्र

कंपनी का सीआईएन	:	यू 14292 जेएच 1975 जीओई 001223
नॉमिनल पूंजी	:	150,00,00,000 रू. (मात्र एक सौ पचास करोड़ रू.)
प्रदत्त पूंजी	:	142,80,00,000 रू. (एक सौ बयालीस करोड़ अस्सी लाख रू. मात्र)

सेवा में,

सदस्यगण,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031

हमने केंद्रीय लोक उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), के दिशा–निर्देश 2010 की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (दि ''कंपनी'') द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की स्थिति की जाँच की है।

हमारी जाँच का सारांश नीचे दिया गया है :

1. निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना कंपनी की जिम्मेवारी है । हमारे द्वारा की गई जाँच भारत के कंपनी सचिव के संस्थान एवं लोक उपक्रम विभाग के दिशा–निर्देश 2010 में उद्धृत निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुरूप है। यह जाँच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपानई गई प्रक्रिया तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर राय है और न ही अंकेक्षण है। हमने प्रमाणन के उद्‌देश्य से अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है तथा हमारे द्वारा अपेक्षित इस तरह के सभी अभिलेख, दस्तावेज तथा प्रमाण–पत्र आदि उपलब्ध करवाया गया है।

2. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा निदेशक और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इस संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी अनेक माड्यूलों तथा मानक के अनुसार स्वच्छ (अच्छा) शासन (गुड गवर्नेन्स) की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जारी कानून तथा मानक के अनुपालन हेतु कदम उठाया है।

1. निदेशक-मंडल :

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक–मंडल द्वारा संचालिय किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या का निर्धारण करते हैं। निदेशक को किसी तरह का क्वालिफिकेशन शेयर रखने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा गैर–सरकारी अंशकालिक

OFFICE No. 603, SAMRIDHI SQUARE, 6TH FLOOR KISHORE GANJ CHOWK, RANCHI-834001
Contact No: 0651–2212943, 09334606570. Email id: cssatish26@gmail.com, skaranchi2@gmail.com

निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्त के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते एवं सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है।

क) बोर्ड का आकार :

कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसिएशन के अुनसार हमारे बोर्ड में 2 से कम तथा 15 से अधिक निदेशक नहीं होंगे। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक/कार्यकारी निदेशक नहीं होंगे। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक/कार्यकारी निदेशक या सरकारी अंशकालिक निदेशक या गैर–सरकारी अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशक हो सकत हैं।

ख) निदेशक मंडल का कोटिवार गठन :

31 मार्च, 2022 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में 8 सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित 3 पूर्णकालिक निदेशक,दो सरकारी अंशकालिक निदेशक तथा तीन गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक हैं। इस बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार हैं। कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। शेष दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों के पद की समाप्ति के बाद की जानी है। इस प्रकार बोर्ड की संरचना के सम्बन्ध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशा निर्देशों का पालन केवल स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर किया जा सकता हैं।

31 मार्च, 2022 की तिथि के अनुसार बोर्ड का गठन इस प्रकार है :

I. पूर्णकालिक निदेशक :

क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1) श्री मनोज कुमार

ख) कार्यकारी निदेशक

1) श्री रबीन्द्रनाथ झा

2) श्री सतेन्द्र कुमार गोमस्ता

II. अंशकालिक सरकारी निदेशक :

1) श्री बी वीरा रेड्डी

2) श्री मुकेश चौधरी

CS

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

III. अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :

1) डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय

2) श्रीमती अलका पंडा

3) श्री प्रमोद सिंह चौहान

IV. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1) श्री अजितेश कुमार

ग) आयोजित बैठकों की संख्या एवं तिथि :

निदेशक–मंडल कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बॉडी) है, जो कंपनी का संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण करता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 12 बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई।

क्र.सं.	बैठकों की संख्या	दिनांक	दिन	बैठक का स्थल
1.	245वीं	18.04.2021	रविवार	सीएमपीडीआई, राँची
2.	246वीं	29.04.2021	गुरूवार	सीएमपीडीआई, राँची
3.	247वीं	28.05.2021	शुक्रवार	सीएमपीडीआई, राँची
4.	248वीं	19.07.2021	सोमवार	सीएमपीडीआई, राँची
5.	249वीं	03.08.2021	मंगलवार	सीएमपीडीआई, राँची
6.	250वीं	24.09.2021	शुक्रवार	सीआईएल, कोलकाता
7.	251वीं	30.10.2021	शनिवार	सीएमपीडीआई, राँची
8.	252वीं	24.12.2021	शनिवार	पुरी
		25.12.2021	रविवार	भुवनेश्वर
9.	253वीं	31.01.2022	सोमवार	सीएमपीडीआई, राँची
10.	254वीं	05.02.2022	सोमवार	सीएमपीडीआई, राँची
11.	255वीं	25.02.2022	शुक्रवार	सीएमपीडीआई, राँची
12.	256वीं	23.03.2022	बुधवार	सीएमपीडीआई, राँची

2. क) अंकेक्षण समिति: अंकेक्षण समिति का प्राथमिक कार्य सामान्यतः वित्त से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा कर ओवरसाइट दायित्वों को पूरा करने में निदेशक–मंडल की सहायता करना है।

OFFICE No. 603, SAMRIDHI SQUARE, 6TH FLOOR KISHORE GANJ CHOWK, RANCHI-834001
Contact No: 0651–2212943, 09334606570. Email id: cssatish26@gmail.com, skaranchi2@gmail.com

लेखा परिक्षण समिति आतंरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है,वैधानिक लेखा परीक्षकों से मिलकर उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य सम्बंधित मामलों पर चर्चा करती है और कंपनी द्वारा स्वीकृत प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

ख) विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसईएस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार होता है।

अंकेक्षण समिति के विचार–विमर्श में निम्नलिखित के साथ सभी प्रकार के वाणिज्यिक पहलू शामिल हैः

क) बोर्ड के समक्ष पेश करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली समय–समय पर समीक्षा

ग) सरकारी अंकेक्षण तथा साविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा

घ) मानक पारामीटर की तुलना में परिचालन उपलब्धि की समीक्षा

ङ) परियोजना एवं अन्य पूंजीगत (बड़ी) योजनाओं की समीक्षा

च) आंतरिक अंकेक्षण का जाँच–परिणाम/टिप्पणी की समीक्षा

छ) अनुकूल एवं कारगर आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास

ज) बोर्ड द्वारा प्रेषित मामलों के साथ–साथ किसी भी तरह के मामलों का विशेष अध्ययन/तहकीकात करना

ग) अंकेक्षण समिति का कार्य-क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है–

1. वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वनीय है, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण।
2. अंकेक्षण शुल्क निर्धारित करने के लिए बोर्ड के पास अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान हेतु अनुमोदन।
4. खासकर निम्नलिखित मामले में अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष पेश करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा :

   क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) तथा 134(5) के संदर्भ में बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के दायित्व में सम्मिलित मामले।

   ख) लेखा नीति तथा प्रचलन में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसका कारण।

   ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय देने की प्रक्रिया के आधार पर प्राक्कलन सहित महत्वपूर्ण लेखे की प्रविष्टि

घ) अंकेक्षण परिणाम से उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

ड़) वित्तीय विवरण से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, विनियमन एवं कंपनी की नीति) का अनुपालन

च) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा

छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता (क्वालिफिकेशन)

5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरण कीसमीक्षा करना।

6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7. आंतरिक अंकेक्षण कार्य, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा, जिसमें आंतरिक अंकेक्षणविभाग की संरचना, कर्मचारियों तथा विभाग के नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की वरीयता, आंतरिक अंकेक्षण का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज तथा आंतरिक अंकेक्षण की आवृति शामिल है।

8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई, यदि कोई हो, पर आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।

9. आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों/एजेसिंयों द्वारा किसी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जिसमें महत्वपूर्ण (मैटिरियल) प्रकृति के संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण की विफलता हो तथा इस मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।

10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, के साथ–साथ ऑडिट कॉमनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।

11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

12. सी एंड एजी ऑडिट के अंकेक्षण टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।

14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी लेन–देन की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक ऐसे सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

15. कवरेज, की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयास में कटौती तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र ऑडिटर के साथ पुनरीक्षण करना।

16. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्ता के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रबंधन नियंत्रण एवं सुरक्षा तथा संबंधित निष्कर्ष पर स्वतंत्र अंकेक्षकों के साथ समीक्षा और आंतरिक अंकेक्षक एवं स्वतंत्र अंकेक्कों की अनुशंसा के साथ–साथ प्रबंधन का प्रत्युत्तर।
17. विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिणाम (निष्कर्ष) पर प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्रअंकेक्षकों के साथ विचार एवं समीक्षा जिसमें गत अंकेक्षण अनुशंसा की स्थिति तथा अंकेक्षण कार्य के दौरान सामना की गई कठिनाइयों के साथ–साथ कार्य क्षेत्र या अपेक्षित सूचना तक पहुँचने में किसी तरह की रूकावट शामिल है।
18. डिपोजिटर, डिबेन्चर होल्डर, शेयर होल्डर(घोषित डिविडेंट का भुगतान न करने के मामले) और क्रेडिटर्स को भुगतान।
19. संसद के लोक उपक्रमों की समिति (कोपु) की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
20. अंकेक्षण समिति के विचारार्थ विषय में यथा उल्लेखित को अन्य कार्य करना।

घ) अंकेक्षण समिति के अधिकार :

अंकेक्षण समिति को इसकी भूमिका के अनुरूप अधिकार भी प्राप्त रहेगा, जिसमेंनिम्नलिखित शामिल हैं :

1. विचारार्थ विषय के भीतर किसी भी क्रिया–कलापों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मचारी से सूचना (जानकारी) प्राप्त करना।
3. बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. संबंधित विशेषज्ञता वाले आउटसाइडरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो,
5. मुखबिरों (विसिल ब्लोअर) की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतंत्रता को सशक्त कर कनफ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट को समाप्तम करना।
7. आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ड.) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी :

1. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
4. आंतरिक नियंत्रण (इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज) से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा,
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

च) गठनः

31/03/2022 को, अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती हैः

क्र.सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1.	श्रीमती अलका पंडा	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2	श्री बी वीरा रेड्डी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
3.	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
4.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
5.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
6	श्री एस. के गोमस्ता	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

विभागाध्यक्ष (आईएडी) और सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। सीएफओ स्थायी आमंत्रित सदस्य और कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

छ) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठक का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान क्रमशः दिनांक : 18.04.2021, 29.04.2021, 28.05.2021, 19.07.2021, 03.08.2021, 23.09.2021, 30.10.2021, 25.12.2021, 05.02.2022, 25.02.2022 और 23.03.2022 को कुल 11 बैठकें आयोजित की गई।

3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम प्रक्रिया का अनुसरण करने तथा निगमित शासन का अनुपालन करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

क) गठन

दिनांक : 09.06.2020 को आयोजित 234वीं बोर्ड की बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलखित सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्रीमती अलका पंडा	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
4.	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
5.	श्री एस. के. गोमस्ता	परमानेंट इनवाईटी	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा इस समिति को सभी तरह की सेवाएँ प्रदान करने के लिए महाप्रबंधक (का. एवं प्र.) नोडल अधिकारी होंगे।

ख) वित्त वर्ष 21-22 में नॉमिनेशन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों का विवरण

वित्त वर्ष 21–22 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी

4.0. सीएसआर कमिटी :

निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के प्रति प्रतिबद्धता है, जो कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से कार्य व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, सिविल सोसायटी ग्रूप, सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस को बोर्ड स्तर की एक समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 01.04.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेनेबिलिटी, एमओयू में गैर–वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इस दिशा–निर्देश के अनुरूप 10.05.2013 को आयोजित 172वीं बैठक में बोर्ड ने सीएसआर समिति का गठन किया है।

क) गठन :

31/03/2022 को, सीएसआर कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसके अध्यक्ष गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्रीमती अलका पंडा	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
4.	श्री रबीन्द्रनाथ झा	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस. के. गोमस्ता	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा महाप्रबंधक (एचआरडी/सीएसआर) कमिटि के नोडल अधिकारी हैं, जो सीएसआर कमिटि को सारी सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे।

ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित सीएसआर समिति की बैठक का व्यौरा

वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 18.04.2021, 08.07.2021 और 09.07.2021,10.09.2021, 30.10.2021, 24.12.2021 तथा 23.03.2022 को कुल 6 बैठकें आयोजित की गईं।

5.0. जोखिम प्रबंधन समिति :

सीएमपीडीआईएल के निदेशकों के बोर्ड की दिनांक 02.02.2016 को आयोजित अपनी 192 वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया तथा निदेशकों के बोर्ड की दिनांक 23.03.2022 को आयोजित अपनी 256 वीं बैठक में इस समिति का पुनर्गठन किया गया

क) संरचना :

गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक की अध्यक्षता में गठित जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्रीमती अलका पंडा	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
4.	श्री रबीन्द्रनाथ झा	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस. के गोमस्ता	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा महाप्रबंधक (ई एंड एम) कमिटि के नोडल अधिकारी हैं, जो कमिटि को सारी सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे।

ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक का व्यौरा :

वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 23.03.2022, को 1 बैठक आयोजित की गईं।

6.0. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिए एक वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होती है :

क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा करना।

ख) कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा करना।

CS

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन, जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से करने के लिए आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 23.03.2022 को स्वतंत्र निदेशकों की 1 (एक) बैठक हुई।

बैठक में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	अध्यक्ष	स्वतन्त्र निदेशक
2.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्रीमती अलका पंडा	सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक

आगे हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता है और न ही इसकी दक्षता या प्रभावकारित के रूप में है, जिसे प्रबंधन ने कंपनी के मामले को संचालित किया है।

सतीश कुमार असोसिएट्स
कंपनी सचिव

स्थान : राँची
दिनांक : 24 मई 2022

सतीश कुमार
मैनेजिंग पार्टनर
एफसीएस नं० 8423
सी.पी. सं. 9788
यूडीआईएन :.F008423D000375121

परिशिष्ट - IV

लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेंट्स

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के सदस्यगण

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

विचार

हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड ''दि कंपनी'' का संलग्न वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार, उपयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (दीएक्ट) द्वारा अपेक्षित जानकारी देता है तथा अधिनियम की धारा 133 में विहित भारतीय लेखा मानकों दी कंपनीज (इंडियन आकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015, यथा संशोधित ("Ind As") के साथ पठित तथा 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की स्थिति से संबंधित भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार सकल विस्तृत आय, उस तिथि को समाप्त वर्ष में इक्विटी तथा उसके नकद प्रवाहों में परिवर्तन के बारे में सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण देता है।

विचार के लिए आधार :

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण का संचालन, हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत वर्णित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विसतृत वर्णन वित्तीय विवरण ों के अंकेक्षण हमारी रिपोर्ट के लिए अंकेक्षकों के दायित्व से संबंधित अनुभाग में किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के साथ–साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, जो नैतिक आवश्यकताओं से संबंधित हैं और वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगित हैं, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा (ICAI) के कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि अंकेक्षण के लिए जो प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय विवरण के अंकेक्षण विचार (audit Opinion) आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

अंकेक्षकों के मुख्य मुद्दे :

अंकेक्षकों की हमारी रिपोर्ट का यह भाग प्रबंधन के साथ आदान–प्रदान किए गए उन चुनिन्दा मुद्दों को वर्णित करने के लिए अभिप्रेत है, जो हमारें व्यावसायिक निर्णय के अनुसार मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह मुद्दे पूर्ण रूप से वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के संदर्भ में ही संबंधित थे, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मुद्दों पर एक अलग राय नहीं प्रदान करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि नीचे वर्णित मुद्दे हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा के मुद्दे हैं।

राँची : 304, श्रीलोक कॉम्पलेक्स, 4 एच.बी. रोड, राँची–834001 – फोन : 0651-2202965, 2214551, 9431108402

लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेंट्स

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	एसएपी का कार्यान्वयन– सीएमपीडीआई के वित्तीय विवरण बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) नामक एक कार्यक्रम के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं जो एसएपी से एकीकृत है। जीएल के ग्रुपिंग को अपडेट कर दिया गया है लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) स्तर पर इसे जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बीआई के समूह का उपयोग किया जा रहा है।	सीएमपीडीआई में लागू एसएपी ईआरपी कथित तौर पर कोलनेट/जॉब पोर्टल से नई एसएपी प्रणाली में स्थानांतरण कंपनी द्वारा 1 अक्टूबर, 2021 से किया गया था। हमने प्रबंधन से चर्चा और पुष्टि के बाद, सिस्टम का मूल्यांकन किया है और देखा है कि : ♦ पुरानी प्रणाली से डेटा एसएपी सिस्टम में माइग्रेट किया गया था और प्रबंधन द्वारा एसएपी के कार्यान्वयन पर की गईप्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कोई भी गलत वित्तीय विवरण नहीं हुआ है। कार्यान्वयन के बाद, परिणामों में कोई विचलन नहीं देखा गया है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकता से कोई विचलन नहीं है। ♦ प्रवासन का स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया गया है। ♦ कंपनी अभी भी संक्रमण के चरण में है और धीरे–धीरे स्थिरीकरण प्राप्त कर रही है। ♦ सैप प्रणाली के कुछ मॉड्यूलों को अभी तक क्रियाशील नहीं बनाया गया है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं में हुए परिवर्तनों की समझ और प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के साथ–साथ आईटी सामान्य नियंत्रण बनाए गए और देखा गया कि इस संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा के दायरे में परिवर्तन के साथ अंतिम कार्यान्वयन पर कुछ और नियंत्रणों की आवश्यकता होगी। ♦ खाते की त्रैमासिक समीक्षा के समय या वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षा के समय सभी संबंधित विभागों द्वारा लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों के पारित होने को अवरुद्ध करके एक कटऑफ तिथि का पालन किया जाना था। ♦ कोलनेट/जॉब्स पोर्टल से एसएपी में डेटा की माइग्रेशन प्रक्रिया की एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा की आवश्यकता होगी।

LODHA PATEL WADHWA & CO. RANCHI CHARTERED ACCOUNTANTS

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
2.	सीएजी और उसके अनुपालन का अवलोकन सीएमपीडीआई की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहायक कंपनियों से देय राशि से निपटने के लिए कोई परिभाषित नीति नहीं है। कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में सरकारी पीएसयू/सरकारी संगठनों, निजी पार्टियों, सहयोगी कंपनियों, या एमओसी के संबंध में अशोध्य और संदिग्ध ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न मापदण्डों को अपनाते हुए प्रावधान किया था। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि लंबे समय से लंबित बकाया के खिलाफ प्रावधान करने के संबंध में नीति तैयार करने के लिए मामले को सीआईएल के साथ उठाया जाएगा।	हमने देखा कि प्रबंधन ने मामले को सीआईएल प्रबंधन के समक्ष रखने और एक पुष्टि प्राप्त करने के बाद पुष्टि की थी कि ♦ सीएमपीडीआई के पास पहले से ही देय राशि से निपटने के लिए एक परिभाषित नीति है जिसे वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के तहत 2.9.2.2 पर महत्वपूर्ण लेखा नीति पैरा के तहत रखा गया है। ♦ कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर हानि की पहचान के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण" का पालन करती है और इस दृष्टिकोण के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। ♦ यह अपनी प्रारंभिक मान्यता से ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) के आधार पर हानि हानि भत्ता को मान्यता देता है। ♦ प्रबंधन ने पुष्टि की है कि लेखांकन नीति का पालन किया जा रहा है और प्रावधान के विभिन्न यार्ड स्टिक नीति में बताई गई मान्यता प्रक्रिया के अनुरूप लागू होते हैं।

अन्य मामलों के तहत :

1. इस रिपोर्ट को परिशिष्ट–क में संलग्न इस रिपोर्ट के एकाउंट्स पर की गयी हमारी टिप्पणी के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

2. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिनांक 10 मई 2022 के वित्तीय विवरण पर हमारी रिपोर्ट को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों को शामिल करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है और "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत "खंड '3', पैरा (जी)" में '(iv), (ए), (बी) और (सी) और (वाई) बिन्दुओं को जोड़ने के लिए संशोधन किया गया।

3. इस ऑडिट रिपोर्ट का कंपनी के वित्तीय विवरण में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह ऑडिट रिपोर्ट 10 मई 2022 के वित्तीय विवरण पर मूल ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेती है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य सूचना :

अन्य सूचना के लिए कंपनी का प्रबंधन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उत्तरदायी हैं। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी का समावेश है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को आच्छादित नहीं करती है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणें की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना और ध्यान रखना कि अन्य सूचना वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारीया या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बयानी पर आधारित तो नहीं है।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना की सामग्री का गलत अनुमान लगाया गया है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यक है। चूँकि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गयी है। अतः हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में विहित भारतीय लेखा मानकों के साथ पठित कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार नकद प्रवाह ताकि कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य विस्तृत आय सहित), जो वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य विस्तृत आय सहित), जो वित्तीय स्थिति के बारे में सत्य और स्पष्ट विचार देता है, की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (दी एक्ट) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामले की जिम्मेवारी निदेशक मंडली की है। इस दायित्व में, कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रखरखाव तथा फ्राड अन्य अनियमितताओं, यथोचित लेखा नीति का चयन और प्रयोग, निर्णय और आकलन जो उचितऔर विश्वसनीय हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया जा रहा हो, जो भौतिक गलतबयानी, चाहे वह फ्रॉड या भूलवश हो से मुक्त हो तथा सत्य एवं स्पष्ट विचार देते हों, को पहचानने और उनसे बचाने का दायित्व भी शामिल है।

वित्तीय विवरणें को तैयारी करने में, वर्तमान चिंताओं के साथ जारी रखने प्रकटीकरणों, वर्तमान चिंताअें से संबंधित उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है से संबंधित कंपनी क्षमता के आकलन के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के लिए अंकेक्षकों का दायित्व :

वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा लक्ष्य, उस तार्किक आश्वासन को प्राप्त करना है कि क्या ये विवरण अपनी पूर्णता में फ्रॉड या त्रुटि के कारण होने वाले किसी गलतबयानी से मुक्त हैं। इस संबंध में इससे जुड़े हमारे विचारों से युक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट जारी करना भी हमारा लक्ष्य है। यद्यपि तार्किक आश्वासन एक उच्च श्रेणी का आश्वासन

है तथापि SAs के सहयोग से किये जाने वाले लेखा परीक्षा में इस बात की गारंटी नहीं है कि यह हमेशा वित्तीय विवरणों में मौजूद गलतबयानी की पहचान कर ले। गलतबयानियाँ फ्रॉड या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि वे व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को युक्तिपूर्वक प्रभावित करने के लिए अपेक्षित हों।

SAs के साथ संचालित इस लेखा परीक्षा के एक सदस्य के रूप में हमने पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का प्रयोग किया है तथा पेशेवर संशयवाद (Scepticirm) को बनाए रखा है।

इसके साथ ही हमने :

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह फ्रॉड या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन किया है। उन जोखिम के लिए उत्तरदायी निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की पहचान और मूल्यांकन भी किया है और उन लेखा परीक्षा प्रमाणों को प्राप्त किया है जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। त्रुटि की बजाय फ्रॉड के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी को नहीं पहचान पाने का जोखिम अधिक है क्योंकि फ्रॉड में कपटपूर्ण समझौता, फर्जीवाड़ा, जानबूझकर की गई भूल, गलत अर्थ या आंतरिक नियंत्रण पर ओवरराइड होना शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा जो कि इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो, को तैयार करने हेतु लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक, आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त की। कंपनी 2013 की धार 143(3)(i)के अंतर्गत हम इस पर भी विचार देने के लिए उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद है और उन नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता कितनी है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, और लेखांकन आकलनों की उपयुक्तता और सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया।
- लेखांकन के लिए वर्तमान चिंताओं को आधार बनाकर प्रबंधन द्वारा उनके प्रयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकाला है और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह भी निष्कर्ष निकाला है कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है जो वर्तमान चिंताओं के साथ कंपनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हमने यह निष्कर्ष निकाला कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है तो यह आवश्यक है कि वित्तीय विवरणों में हम अपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की तरफ ध्यान आकर्षित करें, या ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। लेखा परीक्षकों की हमारी रिपोर्ट के हमारे निष्कर्ष प्रापत आधारित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थिति के कंपनी की चिंता समाप्त हो सकती है।
- समग्र प्रस्तुतियों, संरचना और प्रकटीकरण युक्त वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु का मूल्यांकन किया। तथा इसका भी मूल्यांकन की क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुती को प्राप्त करते हों।

हमें विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया, वह वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण राय देने के लिए आधार देने हेतु पर्याप्त ओर उपयुक्त है।

हम अन्य मामलों के अलावा, शासन से संबंधित आरोप लगाने वाले लोगों से संपर्क करते हैं। ऑडिट और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय, जिसमें अंतरिम नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम एक स्टेटमेंट के साथ शासन को उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और संबंध्रें और अन्य मामलों, जो कि हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचे जा सकते हैं और सुरक्षा से संबंधित उपाय जहाँ लागू होते हों को संप्रेषित किया है।

शासन के साथ उन आरोपों जिनका संप्रेषण किया गया, हम मानते हैं किवे मामले मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे मुख्य अंकेक्षण मामले लेखा परीक्षा की अपनी रिपोर्ट में हमने इन मामलों का वर्णन किया है, जब तक विधि या विनियम इन मामलों के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करते हों या जब अत्यंत असामान्य परिस्थितियाँ हों, हमने निश्चय किया कि एक मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने दुष्परिणामों से इस तरह के सार्वजनिक हित लाभों के पिछड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के तहत अपेक्षित है, हम सुझाए गए अंकेक्षण कार्य प्रणाली, इस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के वित्तीय विवरण एवं लेखे पर इसके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/अतिरिक्त निर्देश पर एक विवरण **''परिशिष्ट–I''** में संलग्न कर रहे हैं।

2. अधिनियम (दिएक्ट) की धारा 143(2) के संदर्भ में भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षकों) की रिपोर्ट आदेश 2016 (दि आर्डर) की अपेक्षा के अनुसार हम इस आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विहित मामले पर ''परिशिष्ट–2'' संलग्न करते हैं।

3. जैसा कि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने आवश्यक वैसी सभी जानकारी माँगी है तथा प्राप्त की है जो हमारे अंकेक्षण के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास हेतु आवश्यक थी।

   ख) हमारी राय में, पुस्तकों की अब तक की गई हमारी जाँच से पता चलता है कि कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा–पुस्तक रखी है।

   ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्त्तन संबंधी विवरण लेखे की पुस्तक के अनुसार सही है।

   घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित + लेखा मानकों के अनुसार सही है।

LODHA PATEL WADHWA & CO. No.-00627C RANCHI CHARTERED ACCOUNTANT

ड.) निदेशक–मंडल द्वारा अभिलेख में दर्ज किए गए 31 मार्च, 2019 के अनुसार निदेशक–मंडली से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर इस अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के लिए 31 मार्च, 2019 के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा ऐसे नियंत्रण की प्रभावकारिता की उपयुक्तताके संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट ''परिशिष्ट–3'' में उल्लेखित है। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता पर असंशोधित रायव्यक्त करता है।

छ) कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियमावाली 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले के संबंध्में हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

I. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित विवादों के प्रभाव को प्रकट किया है।

II. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घकालीन संविदा पर आर्थिक भावी हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानक के तहत अपेक्षित प्रावधान बनाया है।

III. प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार कोई ऐसी रकम नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशकद शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना है।

IV. (क) प्रबंधन ने यह निरुपित किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास अनुसार कंपनी द्वारा या किसी भी प्रकार का कोई फंड अग्रिम या उधार के रूप में नहीं लिया गया है या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा, जो किसी भी तरह से या कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें;

(ख) प्रबंधन ने यह निरुपित किया है किए अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या , अंतिम लाभार्थियों की ओर से सुरक्षा या कोई गारंटी इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी :

(ग) मौजूदा परिस्थितियों में सुविचारित, तार्किक और उपयुक्त प्रतीत होने वाली अंकेक्षण प्रक्रिया के अनुसार, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसके आधार पर यह विश्वास कायम किया जा सके कि सब क्लॉज (क) और (ख) के अंतर्गत निरुपित किये गए तथ्य किसी भी तरह की वस्तुपरक ग़लतबयानी पर आधारित हैं।

V. मौजूदा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन करता है।

स्थान : राँची
दिनांक : 15 जून, 2022

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म निबंधन सं.–006271C

यूडीआइएन - 22074749AIUXGL8754

सीए संजय कुमार वाधवा सदस्य
सदस्यता सं– 074749

LODHA PATEL WADHWA & Co., RANCHI FR. No.-006271C CHARTERED ACCOUNTANT

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट - ।

(अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद–। में संदर्भित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट का अनुभाग) :

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत दिशा–निर्देशों पर टिप्पणियां

क्र.सं.	दिशा निर्देश	हमारा उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन में खातों की सत्यनिष्ठा पर प्रसंस्करण के प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, को बताया जा सकता है।	एसएपी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है, जिसे 01 अक्टूबर, 2021 से लागू किया गया है। एसएपीईआरपी से पहले, लेखांकन लेनदेन कोलनेट/जॉब पोर्टल के माध्यम से संसाधित किए जा रहे थे। सिस्टम आईटी सक्षम प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करता है लेकिन : ♦ कंपनी की एसएपी प्रणाली अभी भी अपने संक्रमण चरण में है और धीरे–धीरे स्थिरीकरण प्राप्त कर रही है ♦ एसएपी सिस्टम के कुछ मॉड्यूल को अभी भी कार्यात्मक बनाया जाना बाकी है। ♦ एसएपी सिस्टम के लिए माइग्रेशन का स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया गया है। ♦ एक कटऑफ तिथि, जिसका पालन वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा एसएपी प्रणाली के तहत, खातों की पुस्तकों में आगे की प्रविष्टियों को पारित करने से रोककर किया जाना था, का पालन नहीं किया गया था। ♦ इससे उत्पन्न विभिन्न रिपोर्टों के परिणामों में निरंतर परिवर्तन हुए और बहुत ही कम समय में उत्पन्न दो रिपोर्टों को – सह–संबंधित करना एक कठिन काम था। कथित तौर पर खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियां 09.05. 2022 तक जारी रहीं।

क्र.सं.	दिशा निर्देश	हमारा उत्तर
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना या छूट/ बट्टे खाते में डाले गए डेबिट/ऋण/ब्याज आदि के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी तक कंपनी इस प्रकार का कोई केस नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/ उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी तक कंपनी इस प्रकार का कोई केस नहीं है।

LODHA PATEL WADHWA & Co., RANCHI
FR. No.-006271C
CHARTERED ACCOUNTANTS

लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेंट्स

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत दिशा–निर्देशों पर टिप्पणियां

क्र.सं.	दिशा निर्देश	हमारा उत्तर
1.	क्या कोयले के स्टॉक की माप कंटूर मैप को ध्यान में रखकर की गई थी। क्या भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्रों के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान सृजित नए ढेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।	कंपनी चूँकि परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है इसलिए कोयले का मापन आवश्यक नहीं है।
2.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनः संरचना के समय संपत्ति और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभ्यास किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	हमें उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार इस वर्ष कोई विलय / विभाजन / पुनः संरचना संरचना नहीं हुआ है।
3.	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं। खाते की निधि के उपयोग की भी जांच करें।	लागू नहीं।
4.	क्या अवैध खनन के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए दंड के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और इसका हिसाब लगाया गया है?	लागू नहीं।

स्थान : राँची
दिनांक : 15 जून, 2022

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म निबंधन सं.–006271C

यूडीआइएन - 22074749AIUXGL8754

सीए संजय कुमार वाधवा सदस्य
सदस्यता सं– 074749

राँची : 304, श्रीलोक कॉम्पलेक्स, 4 एच.बी. रोड, राँची–834001 – फोन : 0651-2202965, 2214551, 9431108402

लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेंट्स

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट-2

(अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट का अनुभाग)

i) (क) (i) कंपनी ने परिसंपत्तियों, संयंत्र और मशीनरी के मानात्मक विवरण और अवस्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दिखातेहुए समुचित रिकार्ड रखा है।

(ii) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को कंपनी की नीति के अनुसार प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से इस उद्देश्य के लिए विधिवत गठित टीम द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। जैसा कि हमें सूचित किया गया था, सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई।

(ग) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को पट्टे के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर आयोजित किए जाते हैं। हमारे आगे के सत्यापन के लिए शीर्षक विलेख हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii) (क) कंपनी की नीति के अनुसार, स्टोर और स्पेयर का भौतिक सत्यापन कंपनी द्वारा विधिवत नियुक्त बाहरी एजेंसी द्वारा उचित अंतराल पर किया जाता है और 30 दिसंबर 2021 को स्टॉक की स्थिति के लिए एक रिपोर्ट कंपनी द्वारा प्राप्त की गई है और हमारे सामने प्रस्तुत की गई है और बाहरी एजेंसी द्वारा कोई विसंगति की सूचना नहीं दी गई है और सूची के मूल्य में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के किसी भी समय किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई कार्यशील पूंजी स्वीकृत नहीं की गई है।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गारंटी या सिक्यूरिटी प्रदान नहीं की है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान, ऋण प्रदान नहीं किया है या ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान नहीं किया है या किसी अन्य इकाई को गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(ख) चूंकि कंपनी ने निवेश नहीं किया है, गारंटी नहीं प्रदान की है, सिक्यूरिटी नहीं दी है, यह खंड है कंपनी पर लागू नहीं है।

(ग) चूंकि कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(घ) चूंकि कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(ङ.) चूंकि कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(च) चूंकि कंपनी ने उधार लेने वालों की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 में परिभाषित प्रावधानों के अनुसार ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम के किसी भी प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित किया गया है। जैसा कि हमें बताया गया है कि रिकॉर्ड कंपनी द्वारा बनाए रखा जाता है।

vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और उस पर लागू अन्य वस्तुपरक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ जमा करने में सामान्यतः नियमित है। 31 मार्च, 2022 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य वस्तुपरक सांविधिक बकाया के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

(ख) वैधानिक बकाया हैं, जो विभिन्न मंचों पर लंबित कुछ विवादों के कारण बकाया हैं, जिनमें से कंपनी ने अंडर प्रोटेस्ट के तहत 31 मार्च, 2022 तक 38.31 करोड़ रुपये जमा किए हैं। 31 मार्च, 2022 तक ऐसे विवादित वैधानिक बकाया का विवरण और अंडर प्रोटेस्ट के तहत किए गए भुगतान इस रिपोर्ट के अनुलग्नक – 2 ए (आकस्मिक देयता) के रूप में संलग्न हैं।

viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, जिन लेन–देन को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत वर्ष के दौरान आय पर अभ्यर्पित या खुलासा नहीं किया गया है।

ix) खंड (ix) के उप खंड (ए) से (एफ) कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी ने ऋण नहीं लिया है।

x) (क) प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक बंद (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से जुटाए गए धन के संबंध में खंड संख्या (ग) (ए) कंपनी पर लागू नहीं है। (ख) शेयर ई परिवर्तनीय डिबेंचर के शेयरों के अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट के संबंध में खंड संख्या (x) (बी) कंपनी पर लागू नहीं है।

xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है।

लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेंट्स

(ग) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार व्हिसल ब्लोअर की कोई शिकायत नहीं है.

xii) निधि कंपनी के संबंध में खंड (xii) के उप खंड संख्या (ए) से (सी) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

xiii) यह हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, खंड संख्या गपपप कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के संबंध में वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को बनाए रखा हैः

(ख) 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारे द्वारा विचार किया गया।

xv) निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेनदेन के संबंध में क्लॉज नंबर xv कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों और कोर निवेश कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकरण के संबंध में, खंड (xvi) के उप खंड संख्या (ए) से (डी) तक कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

xviii) सांविधिक लेखा परीक्षक ने वर्ष के दौरान इस्तीफा नहीं दिया है।

xix) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपातों के आधार पर, एजिंग व वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी जैसी ऐसी कोई भी वस्तुपरक अनिश्चितता ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक मौजूद नहीं है जिसका कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जो जब और जैसी आवश्यकता के आधार पर तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं।

xx) कंपनी को चालू परियोजना के अलावा अन्य की अव्ययित राशि को कंपनी अधिनियम की अनुसूची vii में निर्दिष्ट निधि में या चालू परियोजना की शेष अव्ययित राशि को विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

xxi) यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है .

स्थान : राँची
दिनांक : 15 जून, 2022

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म निबंधन सं.–006271C

LODHA PATEL WADHWA & Co., RANCHI
FR. No.-006271C
CHARTERED ACCOUNTANT

यूडीआइएन - 220747494IUXG18764

सीए संजय कुमार वाधवा सदस्य
सदस्यता सं– 074749

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट–3

"अन्य विधिक और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 3 (f) का संदर्भ, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट का अनुभाग"

(कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (I) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ञ में उल्लिखित परिशिष्ट)

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के साथ उसी तिथि के अनुसार ''सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड'' (''दि कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर दिशा–निर्देश टिप्पणी (नोट) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित(स्थापित) स्थापित करने तथा मेनटेन करने का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव शामिल है, जो इसके कार्यव्यापार के उचित एवं प्रभावकारी आचार सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, लेखा अभिलेख की शुद्धता एवं पूर्णता, घोखाधड़ी या त्रुटियों पर रोक एवं पता लगाना, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा करना, कंपनी की नीति का अनुसरण शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व :

हमारी जिम्मेवारी अपने अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोटिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत संबद्ध, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण के लिए गाइडेंस नोट (गाइडेंस नोट) तथा अंकेक्षण के मानकों, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, के अंकेक्षण तक विस्तारित है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू होते हैं, दोनों इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, के अनुसार संचालित किया गया। इन मानकों एवं दिशा–निर्देश नोट में अपेक्षित है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित है तथा मेनटेन किया जा रहा है और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक (मेटेरियल) संबंध में प्रभावकारी तरह से संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करें तथा योजना बनाकर अंकेक्षण करें।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी रिपोर्टिंग प्रभावकारिता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पूरा करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय निरीक्षण को हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्याख्या प्रापत करना, उस जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें अपर्याप्तता हो तथा मूल्यांकित जोखिमों पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण की संचालन प्रभावकारिता की जाँच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरण को मैटेरियल गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में हमारी अंकेक्षण राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतः स्वीकृत लेखानीति के अनुसार बाहरी उद्देश्य से वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण की तैयारी के बारे में पर्याप्त (तर्कसंगत) आश्वासन देने हेतु डिजाइन की गई प्रक्रिया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रिया शामिल है जो (1) रिकार्ड के रख–रखाव से संबंधित, जो तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्ति के लेन–देन तथा जमा को परिशुद्ध एवं स्वच्छ रूप से प्रतिबिम्बित करता होय (2) पर्याप्त आश्वासन देना की लेन–देन सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुमति हेतु यथा आवश्यक रूप से दर्ज है तथा कि कंपनी का आय एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा हैय(3) कंपनी की वैसी परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या जमा की रोकथाम तथा समय पर पता लगाने के बारे में पर्याप्त आश्वासन देना जो वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएँ :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत अपर्याप्त प्रबंध ान, के कारण कमी, नियंत्रण की अवहेलना, भूलवश या धोखाघड़ी के कारण भौतिक (मैटेरियल) गलत बयानी शामिल है जो उपस्थित नहीं हो पाता है या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता, की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अनुसार है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन या प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति में कमी क्षरण हो सकने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जा सकता है।

विचार

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक (महत्वपूर्ण) मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2022 के अनुसार प्रभावकारी ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसका आधार इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

स्थान : राँची
दिनांक : 15 जून, 2022

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म निबंधन सं.–006271C

LODHA PATEL WADHWA & Co. FR. No.-006271C RANCHI CHARTERED ACCOUNTANTS

यूडीआइएन - 220747494IUXG18764

सीए संजय कुमार वाधवा सदस्य
सदस्यता सं– 074749

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का ''परिशिष्ट-2A''

परिशिष्ट 2 के पैरा vii (ब) के अंतर्गत सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट का स्वतंत्र अनुभाग ''अन्य विधिक और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' का संदर्भ

कानून की प्रकृति	ड्यूज की प्रकृति	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	लंबित अवधि जिससे राशि का संबंध है	राशि (करोड़ रू.में)
आयकर अधिनियम 1961	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2008—2009	रू. 0.61
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2009—2010	रू. 0.60
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2010—2011	रू. 0.71
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर, मेडिकल व्ययों की अस्वीकृति और परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ	सीआईटी(ए)	वर्ष 2012—2013	रू.0.33
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2013—2014	रू. 0.51
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2014—2015	रू. 0.69
आयकर अधिनियम, 1961	मेडिकल व्ययों की अस्वीकृति, विद्यालयों और संस्थानों को अनुदान, सोर्ट्स — रिक्रिएशन और पर्यावरण — वृक्षारोपण	सीआईटी(ए)	वर्ष 2016—2017	रू. 1.19
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति, एनसीडब्लूए के लिए प्रावधान, मेडिकल व्यय, अनुदान कैंटीन क्रेच और अन्य कार्मिक लाभ	सीआईटी(ए)	वर्ष 2017—2018	रू. 31.67
आयकर अधिनियम, 1961	एनसीडब्लूए, अधिकारी पे रेविसिओं, चिकित्सीय व्यय, विद्यालयों और संस्थानों को अनुदान, सोट्र्स और रिक्रिएशन जैसे कर्मचारी लाभ के व्ययों की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2018—2019	रू.55.02
आयकर अधिनियम, 1961	क्लब, फण्ड के सब्सक्रिप्शन तथा उपदान के प्रावधान की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2019—2020	रू. 9.14
सेवाकर अधिनियम	सेवा कर व्याज और पेनाल्टी के अरियर के लिए माँग	झारखंड उच्च न्यायालय	वर्ष 1999—2005	रू. 5.05
सेवाकर अधिनियम	सेवा कर व्याज और पेनाल्टी के अरियर के लिए माँग	झारखंड उच्च न्यायालय	वर्ष 1998—1999	रू. 3.82
सेवाकर अधिनियम	सेवा कर और पेनाल्टी की मांग	सीईएसटीएटी	वर्ष 2013—2014 से 2017—18	रू. 60.16

LODHA PATEL WADHWA & Co. FR. No.-00627C RANCHI CHARTERED ACCOUNTANT

लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेंट्स

परिशिष्ट - ए (स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट के अन्य मुद्दे)

(क) नोट संख्या 9 ''अन्य वित्तीय संपत्ति'' देखें – वर्तमान – दावे और अन्य प्राप्य – वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले 55.84 करोड़ रुपये में आईएनडीएएस समायोजन के लिए 49.80 करोड़ रुपये और अन्य दावों और प्राप्तियों के लिए 6.04 करोड़ रुपये शामिल हैं जो कि पार्टियों से पुष्टि और सुलह पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो से सम्बंधित हैं।

(ख) नोट संख्या 10 ''अन्य गैर–चालू आस्तियां" देखें – पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं – रु 2.95 करोड़ – वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने के लिए पार्टियों से पुष्टि और समाधान पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।

(ग) नोट संख्या 11 "अन्य गैर–चालू संपत्ति" देखें – सीआईएल सीआईएमएफआर लैब को अग्रिम– 21.18 करोड़ रुपये– हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह राशि लंबे समय से खातों की किताबों में जारी है और इसी के अनुरूप है नोट संख्या 23 – ''अन्य वर्तमान देनदारियों" के तहत समान राशि की देयता यानी 21.18 करोड़ रुपये की देनदारी दिखाई दे रही है। ये दोनों आंकड़े पुष्टि के अधीन हैं और सुलह पर समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। वर्ष के अंत में खाते की शेष राशि का समायोजन न करने के कारण कंपनी की संपत्ति के साथ–साथ कंपनी की देनदारियां 21.18 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई हैं।

''अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां'' – आगे शामिल हैं – सीआईएल सर्वे ऑफ इंडिया को अग्रिम – 77.37 करोड़ रुपये, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह राशि लंबे समय से खातों की किताबों में जारी है और समान राशि की एक समान देयता है। 77.37 करोड़ रुपये नोट संख्या 23 के तहत दिखाई दे रहे हैं – ''अन्य वर्तमान देनदारियों'' के तहत – सर्वे ऑफ इंडिया के लिए सीएमपीडीआई के शेयर। ये दोनों आंकड़े पुष्टि और समाधान पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी की संपत्ति के साथ–साथ कंपनी की देनदारियां वर्ष के अंत में खाते की शेष राशि का समायोजन न करने के कारण 77.37 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई हैं।

(घ) नोट संख्या 13 ''व्यापार प्राप्य'' देखें – इसमें 6.90 करोड़ रुपये की व्यापार प्राप्य राशि शामिल है, जिसमें 1.15 करोड़ रुपये का सरकारी बकाया और अन्य पार्टियों यानी सीआईएल सहायक कंपनियों के अलावा – 5.75 करोड़ रुपये शामिल हैं। यही आंकड़ा लंबे समय से खातों की किताबों में रखा जा रहा है और कंपनी इन ग्राहकों से वर्ष 2021–22 या पहले के वर्षों के लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नही कर सकी और हमारे सामने पेश नही कर सकी।

(ङ) नोट संख्या 19 ''व्यापार देय'' देखें – 150.94 करोड़ रुपये, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने में देय राशियां शामिल हैं जिन्हें देयता के रूप में प्रदान किया गया है या शामिल किया गया है, जो पार्टियों से पुष्टि, परिणामी समायोजन, सुलह और अंतिम देयता के अधीन है। पार्टियों द्वारा वास्तविक चालान प्रक्रिया के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी द्वारा शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नही की जा रही है।

राँची : 304, श्रीलोक कॉम्पलेक्स, 4 एच.बी. रोड, राँची–834001 – फोन **:** 0651-2202965, 2214551, 9431108402

(च) नोट संख्या 20 ''अन्य वित्तीय देयताएं'' देखें – इसमें बयाना राशि और सुरक्षा जमा राशि शामिल है जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है जो पार्टियों से पुष्टि और समाधान पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।

(छ) नोट संख्या 21 देखें – ''प्रावधान'' वर्तमान – वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले 144.88 करोड़ रुपये में 84.46 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो कि प्रदर्शन संबंधित वेतन के लिए देय राशि 2021–22 के लिए 48.69 करोड़ रुपये, 2020–21 के लिए 27.58 करोड़ और 2019–20 के लिए शेष 8.19 करोड़ रुपये है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, अंतिम व्यय और देयता कोल इंडिया लिमिटेड ;सीआईएल, होल्डिंग कंपनी द्वारा सूचित की जाने वाली रेटिंग के अधीन है और इसलिए कंपनी की देयता और लाभ राशि के परिवर्तन की सीमा तक अधिक या कम बताई गई है सीआईएल द होल्डिंग कंपनी द्वारा अंतिम रेटिंग की सूचना दी जानी बाकी है।

इसके अलावा इसमें अनुग्रह राशि – 14.08 करोड़ रुपए – वार्षिक बोनस के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं। उक्त राशि का निर्धारण विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों/इकाइयों में वार्षिक आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या को 72,500 रुपये से गुणा करके अर्थात् पिछले वर्ष बोनस के रूप में भुगतान की गई राशि से किया गया है। चालू वर्ष के लाभ को 72,500 रुपये की दर से विचलन की सीमा तक कम या अधिक और बोनस के लिए पात्र कर्मचारियों की वास्तविक संख्या को बताया जा सकता है।

(ज) नोट संख्या 23 देखें ''अन्य वर्तमान देनदारियों में अन्य देयताएं शामिल हैं, जो हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 62.24 करोड़ रुपये हैं, इसमें विभिन्न फंडों के वर्ष के अंत में क्रेडिट बैलेंस और 125. 41 करोड़ रुपये के अग्रिम और प्री फंड के लिए वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि के लिए 63.16 करोड़ रुपये का एक डेबिट बैलेंस शामिल है।

(छ) नोट संख्या 25 ''अन्य आय'' देखें – इसमें विविध शामिल हैं। 24.54 करोड़ रुपये की आय, जिसमें से 23.68 करोड़ रुपये एलडी की राशि है और कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं से वसूल किए गए दंड शुल्क हैं। इसमें आगे देयता/प्रावधान राइट बैक– 1.13 करोड़ रुपये शामिल हैं जो मुख्य रूप से संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान का राइट बैक है।

उपरोक्त के संबंध में हमारी राय क्वालिफाइड नहीं है।

LODHA PATEL WADHWA & Co., RANCHI
FR. No.-00627C
CHARTERED ACCOUNTANT

सेट्रलमाइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिटइूट लिमिटेड, राँची

वित्त वर्ष 2021—22 के लिए परिशिष्ट क का उत्तर (अन्य मामले—स्वतंत्र अंकेक्षक रिपोर्ट)

क्र.सं.	सवाल	हमारा उत्तर
क.	नोट संख्या 9 देखें "वर्तमान में अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – दावे और अन्य प्राप्य राशियां शामिल हैं, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले रु 55.84 करोड़ में रु 49.80 करोड़ शामिल हैं। इंड एएस समायोजन के लिए और अन्य दावों और प्राप्तियों के लिए 6.04 करोड़ रुपये जो कि पार्टियों की पुष्टि और सुलह पर परिणामी समायोजन यदि कोई हो के अधीन है।	55.84 करोड़ रुपये में से 49.80 करोड़ रुपये इंड एएस 115 के कारण बनाई गई अनुबंध संपत्ति है जिसके लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। शेष 6.04 करोड़ रुपये में से 5.05 करोड़ रुपये 1998—2004 की अवधि के लिए 5.05 करोड़ रुपये के सेवा कर की विवादित मांग के खिलाफ प्राप्य से संबंधित है, जिसके खिलाफ उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है। दरअसल यह उक्त मांग के अंडर प्रोटेस्ट में किया गया भुगतान है। अगली तिमाही में यह राशि "डिपॉज़िट अंडर प्रोटेस्ट" मद में ट्रांसफर कर दी जाएगी इसके खिलाफ किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। शेष अधिकतर चालू वर्ष से संबंधित है।
ख.	नोट संख्या 10 देखें "अन्य गैर—चालू आस्तियां" में 2.95 करोड़ रुपए के पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं। वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनना पार्टियों की पुष्टि और परिणामी समायोजन समाधान, यदि कोई हो, के अधीन है।	2.95 करोड़ रुपये में से, 2.25 करोड़ रुपये विदेशी पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए खोले गए एलसी और कस्टम ड्यूटी भुगतान के लिए 0.57 करोड़ रुपये के भुगतान से संबंधित हैं, 6 लाख रुपये आरआई 6 की भूमि अग्रिम के लिए, अधिकारियों के लैपटॉप अग्रिम के लिए 7 लाख रुपये है। इनके लिए पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं है।
ग.	संदर्भ नोट संख्या 11 "अन्य गैर—चालू संपत्ति" में सीआईएल सीआईएमएफआर लैब को 21.18 करोड़ रुपये का अग्रिम शामिल है— हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह राशि लंबे समय से खातों की किताबों में जारी है और उसी राशि की संबंधित देयता यानी 21.18 करोड़ रुपये नोट संख्या 23 के तहत "अन्य वर्तमान देनदारियों" के तहत दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों आंकड़े विषय पुष्टि परिणामी और सुलह पर समायोजन, यदि कोई हो के अधीन हैं। वर्ष के अंत में खाते की शेष राशि का समायोजन न करने के कारण कंपनी की संपत्ति के साथ—साथ कंपनी की देनदारियां 21.18 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई हैं।	11वीं योजना अवधि के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खोजे गए कोयला कोर के गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए 3.12.2011 को सीआईएल और सीएसआईआर (सीआईएमएफआर) के बीच सीआईएल द्वारा वित्तपोषित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीएमपीडीआई इस मामले में नोडल एजेंसी है। इस 21.18 करोड़ की वर्तमान स्थिति देने / जल्दी समायोजन की व्यवस्था करने के लिए संबंधित सीटी लैब विभाग के साथ इस मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है। उत्तर प्रतीक्षित है। यह स्कैनिंग तकनीकों के आधार पर प्रमुख भारतीय कोयला क्षेत्रों के अद्यतन स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को दिए गए अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है। परियोजना को सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीआईएल द्वारा फंडिंग भी की गई है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सवाल</th><th>हमारा उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>अन्य गैर–चालू आस्तियों "में आगे शामिल हैं – सीआईएल सर्वे ऑफ इंडिया को अग्रिम – 77.37 करोड़ रुपये, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह राशि बही और लंबे खातों में जारी है क्योंकि समान राशि की संबंधित देयता यानी 77.37 करोड़ रुपये है। नोट नंबर 23 के अंतर्गत – "अन्य वर्तमान देनदारियों" के तहत – भारतीय सर्वेक्षण के लिए सीएमपीडीआई शेयर शामिल हैं। ये दोनों आंकड़े सुलह पर पुष्टि और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो के अधीन हैं। वर्ष के अंत में खाते की शेष राशि का समायोजन न करने के कारण कंपनी की संपत्ति के साथ–साथ कंपनी की देनदारियां को 77.37 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया।</td><td>इसकी वर्तमान स्थिति / शीघ्र समायोजन की व्यवस्था के लिए मामले को संबंधित विभाग के समक्ष उठाया गया है।
उत्तर प्रतीक्षित है।</td></tr>
<tr><td>घ.</td><td>संदर्भ नोट संख्या 13 "व्यापार प्राप्य" में 6.90 करोड़ रुपये की व्यापार प्राप्य राशि शामिल है जिसमें 1.15 करोड़ रुपये का सरकारी बकाया और सीआईएल सहायक कंपनियों के अलावा अन्य पार्टियों से बकाया– 5.75 करोड़ रुपये शामिल हैं। एक ही आंकड़ा लंबे समय से खातों की किताबों में रखा जा रहा है और कंपनी इन ग्राहकों से वर्ष 2021–22 या उससे पहले के वर्षों के लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं कर सकी और प्रस्तुत नहीं कर सकी।</td><td>31.03.2022 को 6.15 करोड़ रुपये की बकाया राशि 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है जो बाहरी पार्टियों (सीआईएल/प्राइवेट और एमओसी के अलावा सरकार/सार्वजनिक उपक्रम नई दिल्ली से संबंधित है। बकाया/शेष राशि की पुष्टि के लिए हम नियमित रूप से अधिकांश संबंधित पार्टियों को वसूली के लिए पत्र लिख रहे हैं।</td></tr>
<tr><td>ड़</td><td>संदर्भ नोट संख्या 19 "व्यापार देय" – 150. 94 करोड़ रुपये जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं, उनमें देय राशियाँ शामिल हैं जिन्हें देयता के रूप में प्रदान किया गया है या शामिल किया गया है, जो पार्टियों से पुष्टि के अधीन है, पार्टियों द्वारा वास्तविक चालान–प्रक्रिया के आधार पर परिणामी समायोजन, सुलह और अंतिम देयता की पहचान की जानी है क्योंकि कंपनी द्वारा शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की जा रही है।</td><td>150.94 करोड़ रुपए का विस्तृत वर्गीकरण नीचे दिया गया है–
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>करोड़ रु. में राशि</th></tr>
<tr><td>घरेलू वेंडर</td><td>37.38</td></tr>
<tr><td>अंतर कंपनी वेंडर</td><td>0.85</td></tr>
<tr><td>लेनदार</td><td>0.37</td></tr>
<tr><td>जीआर/आईआर क्लीयरिंग</td><td>3.62</td></tr>
<tr><td>एसआर/आईआर क्लीयरिंग</td><td>108.49</td></tr>
<tr><td>पुराना चेक</td><td>0.13</td></tr>
<tr><td>वेंडर जीएसटी विदहेल्ड</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>150.94</td></tr>
</table>
दिनांक 31.03.2022 के अनुसार शेष राशि की पुष्टि के लिए सम्बंधित घरेलू वेंडरों/लेनदारों को पत्र/मेल पहले ही भेजा जा चुका है। कुछ पार्टियों से उत्तर भी प्राप्त हुए हैं।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	सवाल	हमारा उत्तर
च.	संदर्भ नोट संख्या 20 "अन्य वित्तीय देनदारियों में बयाना राशि और सुरक्षा जमा शामिल है जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है, पार्टियों की पुष्टि और समाधान पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।	बयाना राशि और सुरक्षा जमा के लिए पुष्टि प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई प्रथा नहीं रही है। हालांकि, 31.03.2022 को शेष राशि की पुष्टि के लिए संबंधित घरेलू विक्रेताओं / लेनदारों को पत्र / मेल पहले ही भेजे जा चुके हैं।
छ.	संदर्भ नोट संख्या 21– "प्रावधान" वर्तमान में– 144.88 करोड़ रुपये जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं, में 84.46 करोड़ रुपये की राशि प्रदर्शन आधारित भुगतान के रूप में शामिल है, इसमें से 48.69 करोड़ रुपये वर्ष 2021–22 के लिए, 27.58 करोड़ रुपये वर्ष 2020–21 के लिए और शेष 8.19 करोड़ रुपये वर्ष 2019–20 के लिए है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, अंतिम व्यय और देयता कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), होल्डिंग कंपनी द्वारा सूचित की जाने वाली रेटिंग के अधीन है और इसलिए कंपनी की देयता और लाभ राशि के परिवर्तन की सीमा तक अधिक या कम बताई गई है सीआईएल, होल्डिंग कंपनी द्वारा अंतिम रेटिंग की सूचना दी जानी बाकी है।	वित्त वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए पीआरपी प्रावधान के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं। इसके अलावा, सीआईएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 के 8.19 करोड़ रुपये का प्रावधान विशेष रूप से सेवानिवृत्त अधिकारियों, बोर्ड स्तर के अधिकारियों और कुछ रोल अधिकारियों (स्थानांतरण मामले) से संबंधित है। अंतिम रेटिंग के कारण बोर्ड स्तर के अधिकारियों का भुगतान अभी भी लंबित है। कुछ ऑन रोल / सेवानिवृत्त अधिकारियों का भुगतान भी कुछ कारणों से लंबित है। वित्त वर्ष 2022–23 में अब तक 2.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सभी अधिकारियों को भुगतान के बाद यदि कोई प्रावधान शेष है तो उसे वित्त वर्ष 2022–23 में वापस कर दिया जाएगा। कोई टिप्पणी नहीं। 14.08 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित है जो वित्त वर्ष 2020–21 के लिए भुगतान की गई अनुग्रह राशि की वास्तविक दर के आधार पर निर्मित / अनुमानित है।
ज.	नोट संख्या 23 देखें "अन्य वर्तमान देनदारियों में अन्य देयताएं शामिल हैं, जो हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 62.24 करोड़ रुपये हैं, इसमें विभिन्न फंडों के वर्ष के अंत में क्रेडिट बैलेंस और 125.41 करोड़ रुपये के अग्रिम और प्री फंड के लिए वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि के लिए 63.16 करोड़ रुपये का एक डेबिट बैलेंस शामिल है।	प्री फंड का डेबिट बैलेंस रु. 63.16 करोड़ रुपये व्यय अनुभाग से पारित बिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन पूर्व निधि (एमओसी फंड) की अनुपलब्धता के कारण नकद अनुभाग में भुगतान के लिए लंबित हैं। कोयला मंत्रालय से पीआरई कार्य के लिए निधि प्राप्त करने के बाद इसका भुगतान नकद अनुभाग द्वारा किया जाएगा।
झ.	नोट संख्या 25 "अन्य आय" देखें – इसमें विविध शामिल हैं। 24.54 करोड़ रुपये की आय, जिसमें से 23.68 करोड़ रुपये एलडी की राशि है और कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं से वसूल किए गए दंड शुल्क हैं। इसमें आगे देयता / प्रावधान राइट बैक– 1.13 करोड़ रुपये शामिल हैं जो मुख्य रूप से संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान का राइट बैक है।	प्रचलित प्रथा के अनुसार कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं से वसूल किए गए एलडी और दंड शुल्क की राशि को अन्य आय में लिया जाता है। इसके अलावा, 1.13 करोड़ रुपये संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को उलटने का प्रतिनिधित्व करते हैं।

परिशिष्ट - V

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(I) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसरण में]

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
(कंपनी सेक्रेटरीज)
ऑफिस नं. 603, छठवां तल, समृद्धि स्क्वायर
किशोरगंज चौक, राँची–834001
फोन नं. 09334606570/09135009905/0651-2212943
ई–मेल : cssatish26@gmail.com/skaranchioffice@gmail.com
PAN : ADGFS8830H

सेवा में,

सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,
गोंदवाना प्लेस काँके रोड, राँची, झारखंड-834031

हमने मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य संविधिक प्रावधानों तथा अच्छे निगमित कार्य–कलाप (गुड कारपोरेट प्रैक्टिसेज) के अनुपालन का सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस ढंग किया है, जिससे हमें निगमित कार्य–कलाप/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा इस पर अपनी राय देने के लिए तर्कसंगत आधार मिल सके।

कंपनी के हिसाब–किताब, पेपर्स मान्यूट बुक्स, दाखिल किए फार्म तथा रिटर्न एवं द्वारा रखी जा रही अन्य रिपोर्ट के सत्यापन तथा कंपनी, अंकेक्षण अवधि अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इसके नीचे दिए गए सूची सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है तथा यह भी कि कंपनी के पास कुछ हद तक इस ढंगसे तथा नीचे की गई रिपोर्टिंग के अनुसार समुचित बोड प्रक्रिया तकि अनुपालन रिपोर्ट उपलबध है।

हमने निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (''दि कंपनी'') के पुस्तिका, अभिलेख, बही–खाता तथा कागजात की जाँच की है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके तहत बनाए गए नियम।
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
3. दी डिपोजिटरीज एक्ट, 1996 और इसके अंतर्गत बनाये गए विनियन और उप–नियम।
4. दी सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन–डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015
5. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी ओएम नं. 18 (8)/ 2005–जीएम, दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार केंद्रीय लोक उद्यम के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश।
6. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन (अबोलिशन) अधिनियम, 1970।
7. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके अंतर्गत अन्य पर्यावरणिक कानून एवं नियम।
9. कंपनी पर लागू अन्य अधिनियम एवं कानून (इस सम्बन्ध में परिशिष्ट–I का अनुसरण किया जाए)।

हमारी राय में, हमारे द्वारा की गई जाँच, हमारे पास पेश अभिलेखों के सत्यापन तथा कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) के प्रावधान एवं इसके तहत बनाए गए अधिनियम, कंपनी के मेमोरेंडम तथा आर्टिकल ऑफ असोशिएशन, विशेषकर इसमें उल्लिखित प्रावधान का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रिया तथा अनुपालन मेकानिज्म जैसा चाहिए वैसा ही एवं सही ढंग में तथा इसके नीचे दी गई रिपोर्ट के अनुसार है :

1. अनेक सांविधिक रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का रखरखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टि।
2. भाग 1 के तहत दिए गए निदेश के अनुसार तुलन–पत्र का फार्म, भाग–।। के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 में दिए गए निदेश के अनुसार इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश।
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिकारियों एवं गैर–अधिकारियों, स्वतंत्र निदेशकों को मिलाकर पर्याप्त संतुलन वाला निदेशक मंडल का गठन।(इस रिपोर्ट की परिशिष्ट में उद्धत के अलावा)
4. निबंधित कार्यालय एवं कंपनी के नाम का प्रकाशन।
5. अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार निर्धारित समय पर कंपनी रजिष्ट्रार, झारखंड के पास अपेक्षित फार्म तथा रिटर्न दाखिल करना
6. निदेशक मंडल तथा उनकी समितियों की बैठक बुलाना एवं आयोजित करवाना।
7. शुक्रवार 28 जुलाई, 2021 को सदस्यों की 46वीं वार्षिक आम बैठक बुलाना एवं आयोजित करवाना।
8. लूज लीफ फॉर्म में सही ढंग से रिकार्ड किया हुआ वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक तथा बोर्ड की समितियों की बैठक की कार्यवाही का रख–रखाव, जिसे नियमित अंतराल पुस्तक स्वरूप में बनायाजा रहा है।
9. निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान
10. सांविधिक अंकेक्षकों, आंतरिक अंकेक्षकों तथा कॉस्ट आडिटरों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक।
11. अंकेक्षण समिति तथा नामिनेशन एवं रिम्यूनेरेशन कमेटी का गठन एवं विचारार्थ विषय।
12. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों एवं अंकेक्षकों के दस्तावेज की व्यवस्था।
13. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा अन्य लागू कानून के तहत यथा विहित विभिन्न सांविधिक रिटर्न फाइल करना, संवेदकों के रजिस्टर का रख–रखाव आदि से संबंधित सभी अनुपालनों के लिए वचनबद्धता (हलफनामा)।

II. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

1. निदेशकों ने, जहाँ कहीं अपेक्षित हुआ है, अपने शेयर होल्डिंग तथा अन्य कम्पनियों में डायरेक्टरशीप तथा अन्य इंटिटि में अपनी रूचि स्पष्ट की है तथा बोर्ड द्वारा उनकी रूचि को नोट तथा दर्ज किया गया है।
2. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, अपने स्वतंत्र होने तथा निदेशकों एवं वरीय प्रबंधन कार्मिकों के कोड आफ कंडक्ट के अनुपालन के बारे में डिस्क्लोजर रिक्वारमेंट का अनुपालन किया है।

OFFICE No. 603, SAMRIDHI SQUARE, 6TH FLOOR KISHORE GANJ CHOWK, RANCHI-834001
Contact No: 0651–2212943, 09334606570. Email id: cssatish26@gmail.com, skaranchi2@gmail.com

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी, इसके निदेशकों तथा अधिकारियों पर कोई अभियोजन (मुकदमा) शुरू नहीं किया है तथा न फाइन तथा पेनाल्टी लगाया गया है।

4. कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन क्रिया–विधि (मेकानिज्म) के आधार पर तथा कंपनी सचिव एवं कंपनी के अनुपालन अधिकारी तथा कंपनी के अन्य विभागाध्यों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र के आधार पर कंपनी के पास किसी प्रकार का अनुपालन लंबित नहीं।

5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान, कंपनी ने कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं की है जो उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख प्रभाव डाल सकती है।

प्रबंधन का दायित्व

1. सचिवीय अभिलेख का रख–रखाव करना कंपनी का दायित्व है। हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार सचिवीय अभिलेखों पर राय (विचार) देना है।

2. सचिवीय अभिलेख की विषय–वस्तु की परिशुद्धता के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने उपयुक्त अंकेक्षण प्रचलन एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेख में सही तथ्य प्रतिबिम्बित होता है, के लिए यह सत्यापन परीक्षण के आध ाार पर किया गया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं प्रचलन से हमारी राय (विचार) बनाने के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

3. हमने कंपनी अधिनियम के अनुपालन के अनुसार वित्तीय अभिलेख की जाँच की है।

4. निगमित शासन के प्रावधान एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों विनियमनों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारा दायित्व जाँच के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित था।

5. सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य व्यापार कार्यान्वित किया है।

प्रत्याख्यान (डिसक्लेमर)

1. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा लेखा पुस्तिका की शुद्धता या औचित्य को सत्यापित नहीं किया है।

2. सम्बंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्रों के आध ाार पर और अन्य कानूनों के आधार पर रिपोर्ट की गयी बातों का अनुपालन किया जा रहा है।

3. जहाँ भी आवश्यक हुआ है, हमने पूर्वोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और ? ाटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

कृते **सतीश कुमार एण्ड एसोसिएट्स**

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
एम नं. एफ 8423
सी.पी. सं. 9788

स्थान : राँची
दिनांक : 24 मई 2022

यूडीआइएन– F008423C000374778

OFFICE No. 603, SAMRIDHI SQUARE, 6TH FLOOR KISHORE GANJ CHOWK, RANCHI-834001
Contact No: 0651–2212943, 09334606570. Email id: cssatish26@gmail.com, skaranchi2@gmail.com

CS

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
(कम्पनी सेक्रेट्रीज)

परिशिष्ट - I

अन्य कानूनों की सूची

क्र. सं.	अधिनियम/नियम/विनियम के नाम	कम्पनी की प्रयोज्यता	अनुपालन की स्थिति
1.	दी कोल माइंस एक्ट, 1952	लागू	अनुपालन
2.	दी पेमेंट ऑफ वेजेज (माइंस) रूल्स, 1956	लागू	अनुपालन
3.	कोल माइंस प्रोविडेंट फण्ड एंड मिसलेनियस प्रोविजनस एक्ट, 1948	लागू	अनुपालन
4.	दी पेमेंट ऑफ अनडीस्बर्स्ड वेजेज (माइंस) रूल्स, 1989	लागू	अनुपालन
5.	इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 एंड दी इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956	लागू	अनुपालन
6.	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम	लागू	अनुपालन
7.	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981	लागू	अनुपालन
8.	इण्डियन एक्सप्लोसिवस एक्ट, 1884	लागू	अनुपालन
9.	सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, 1956	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	फोरेंन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 एंडदी रूल्स एंडरेगुलेशन मेड देयरअंडर टू दीएक्सटेंट ऑफ फोरेंनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोविंग्सय	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	अधिनियम और दिशानिर्देश दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 के तहत निर्धारित है		
	क) दी सेबी (इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रीक्वार्मेंट) रेगुलेशन्स, 2009	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख) दी सेबी (सब्सटेंसशियल एकुजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर) रेगुलेशन्स, 2011	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग) दी सेबी (शेयर बेस्ड एम्प्लोयी बेनेफिट्स), रेगुलेशन्स, 2014	लागू नहीं	लागू नहीं

OFFICE No. 603, SAMRIDHI SQUARE, 6TH FLOOR KISHORE GANJ CHOWK, RANCHI-834001
Contact No: 0651–2212943, 09334606570. Email id: cssatish26@gmail.com, skaranchi2@gmail.com

क्र. सं.	अधिनियम/नियम/विनियम के नाम	कम्पनी की प्रयोज्यता	अनुपालन की स्थिति
	घ) दी सेबी (इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज), रेगुलेशन्स, 2009	लागू नहीं	लागू नहीं
	ङ) दी सेबी (डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स), रेगुलेशन्स, 2009	लागू नहीं	लागू नहीं
	च) दी सेबी (बाईबेक ऑफ सिक्योरिटीज), रेगुलेशन्स, 1998	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	दी कोल माइंस रेगुलेशन्स, 2017	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	कोल माइंस पेंषन स्कीम, 1998	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	कोल माइंस कंजरवेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1974	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	दी माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स, 1966	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	दी माइंस क्रेच रूल्स, 1961	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	दी माइंस रेस्क्यू रूल्स, 1985	लागू नहीं	लागू नहीं
19.	कोल माइंस पिटहेड बाथ रूल्स, 1946	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	मैटरनिटी बेनेफिट्स (माइंस एंड सर्कस) रूल्स, 1963	लागू नहीं	लागू नहीं
21.	दी एक्स्प्लोसिव रूल्स, 2008	लागू नहीं	लागू नहीं
22.	मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960	लागू नहीं	लागू नहीं
23.	माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957	लागू नहीं	लागू नहीं
24.	दी हजार्डसएंड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेंट एंड ट्रांस्बाउंड्री मूवमेंट) रूल्स, 2016	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, 1991 एंडरूल्स के अंतर्गत निर्धारित	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट- VI

संबंधित पार्टियों यू.एस. 188 (1) के साथ अनुबंध या व्यवस्था।

फार्म नंबर एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित प{ीों के साथ अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे नियम के तहत सुरक्षित और सुविधाजनक प्रक्रिया शामिल है।

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	**वैसे संविदा व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा जो आर्मलेन्थ बेसिस पर न हो**	**शून्य**
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य सहित संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की प्रमुख शर्त टर्म	
ड.)	इस प्रकार के संविदा या व्यवस्था या लेन–देन करने का औचित्य	
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	
छ)	अग्रिम, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान की गई रकम	
ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथा अपेक्षित रकम आम बैठक द्वारा पारित विशेष संकल्प की तिथि	
2.	**आर्मस लेन्थ आधार पर महत्वपूर्ण (मेटेरियल) संविदा, व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा**	**परिशिष्ट'ए'** के अनुसार
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या लेन–देन की प्रमुख शर्त	
ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो,	
च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,	

परिशिष्ट- 'ए'

31.03.2022 के अनुसार ग्रूप के भीतर संबंधित पार्टियों का साथ लेन-देन

सरकार से सम्बद्ध संस्था होने के नाते सम्बद्ध पार्टी के साथ लेन–देन तथा नियंत्रक सरकार और एक ही सरकार के तहत अन्य संस्था (इंटिटि) के पास बकाया शेष के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकता से इसे छूट मिली है।

आईएनडी एएस 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेन–देन की प्रकृति एवं रकम का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रू. में) :

कंपनी का नाम	विवेच्य वर्ष के दौरान लेन-देन की रकम	लेन-देन की प्रकृति
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	92.13	बिक्री
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड	56.83	बिक्री
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	135.18	बिक्री
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	154.66	बिक्री
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	322.83	बिक्री
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	112.31	बिक्री
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	89.76	बिक्री
कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल (100 प्रतिशत होल्डिंग कंपनी)	7.40	बिक्री
समग्र योग	**971.12**	

परिशिष्ट- VII

(31.3.2022 की तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग का परिशिष्ट कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक), नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 5(2) के अनुसार सूचना :

क्र.सं.	नाम	पदनाम/कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रू.)	नियुक्ति की प्रकृति स्थाई/ अस्थाई	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2017 को उम्र (वर्ष)	अंतिम नियोजन	धारित इक्विटीशेयर का %	क्या निदेशक प्रबंधक से संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(अ)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित तथा उस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 1,02,00,000/–रू. से कम नहीं था। -------------------------------- शून्य--										
(ब)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए संपूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 8,50,000/–रू. प्रति माह से कम नहीं था। -------------------------------- शून्य --------------------------------------										
(स)	पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान नियोजित एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर द्वारा मिलने वाले पारिश्रमिक से अधिक की प्राप्ति तथा जिसके पास कंपनी की इक्विटी शेयर का 2% से अधिक नहीं था। ----------------------------------शून्य---------------------------------------										

परिशिष्ट- VIII

No. 132/DGA(Coal)Kol/Report/CMPDIL/Accounts/Comments/2021-22

सत्यमेव जयते

संख्या

No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय, महा निदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
कोलकाता / KOLKATA

दिनांक / Dated : 12.07.2022

सेवा में,
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031

विषयः 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी इसके साथ अग्रसारित कर रहा हूँ।

कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना दी (से अवगत कराया) जाए।

आपका विश्वासी

(मौसमी राय/भट्टाचार्या)
अंकेक्षण (कोयला) के महानिदेशक
कोलकाता

संलग्नः यथोक्त।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12 जुलाई, 2022

पुराना निजाम महल (प्रथम तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता - 700020
OLD NIZAM PALACE (First Floor) , 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata - 700020
Phones : 2287-5380, 2287-7165, 2281-5784, 2290-0314, 2287-8839 Fax : 2280-0062
e-mail : dgacoalkol@cag.gov.in

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधनका है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा 15 जून 2022 की अपनी संशोधित ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है, जो उनकी 10 मई 2022 की पिछली ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड को वित्तीय विवरण के अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत पूरक अंकेक्षण किया गया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जाँच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखा परीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहती हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

तुलनपत्र

प्रावधान (नोट संख्या 21) गैर-चालू - रु. 88.76 करोड़

प्रावधान (नोट संख्या 21) चालू - रु. 144.88 करोड़

सीएमपीडीआईएल सहित सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) हो जाने के बाद हर पांच साल में अंतिम रूप दिया जाता है। वेतन संशोधन एनसीडब्ल्यूए –XI के अनुसार 01 जुलाई 2021 से देय था। सीएमपीडीआईएल ने लेखा पुस्तकों में अपेक्षित वेतन संशोधन का प्रावधान किया था।

अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान करने के बावजूद, बीमांकिक ने उसी धारणा के साथ दायित्व का आकलन किया जिसे पिछले वर्ष 2020–21 में माना गया था और कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर विचार किए बिना वर्ष के लिए बीमांकिक दायित्वका आकलन किया था जो 01 जुलाई 2021 से देय था।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति लाभ और वर्ष के लिए लाभ (राशि की मात्रा निर्धारित नहीं है) के संबंध में प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा
बोर्ड की ओर से एवं वास्ते

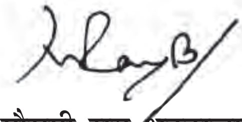

(मौसमी राय भट्टाचार्या)
अंकेक्षण (कोयला) के महानिदेशक
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12 जुलाई, 2022

धारा 143 (6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013, 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लिमिटेड 12.07.2022 को प्राप्त हुआ था। उसी के लिए प्रबंधन उत्तर नीचे दिया गया है

क्र. सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा 15 जून 2022 की संशोधित ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा किया गया है, जो उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 10 मई 2022 का स्थान लेता है। मैंने, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है। इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं। क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी बैलेंस शीट प्रावधान (नोट संख्या 21) गैर चालू –88.76 करोड़ रुपये प्रावधान– (नोट संख्या 21) वर्तमान –144.88 करोड़ रुपये सीआईएल और सीएमपीडीआई सहित सभी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) को अंतिम रूप देने के बाद हर पांच साल में निर्धारित किया जाता है। वेतन संशोधन एनसीडब्ल्यूए–XI के अनुसार 01 जुलाई 2021 से देय था। सीएमपीडीआई ने लेखा पुस्तकों में अपेक्षित वेतन संशोधन का प्रावधान किया था। अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान करने के बावजूद, बीमांकिक ने उसी धारणा के साथ दायित्व का आकलन किया जिसे पिछले वर्ष 2020–21 में माना गया था और कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर विचार किए बिना वर्ष के लिए बीमांकिक दायित्व का आकलन किया था जो 01 जुलाई 2021 से देय था। उपरोक्त के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभ और लाभ के संबंध में प्रावधानों को कम बताया गया है (राशि की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है)	लेखापरीक्षा का अवलोकन उचित नहीं है क्योंकि बीमांकिक अनुमानों को आईएनडी–एएस 19, कर्मचारी लाभ के प्रासंगिक सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत किया गया है। आईएनडी एएस 19एकर्मचारी लाभ के पैरा 75 से पैरा 98 को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों के मामले में वेतन की 6.25% वृद्धि दीर्घकालिक परिकलन है, जो वार्षिक वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, पदोन्नति. एनसीडब्ल्यूए समझौते, और अन्य प्रासंगिक कारकों जैसा कि आईएनडी–एएस 19 एकर्मचारी लाभ में आवश्यक बताया गया है, पर आधारित है। इसलिए, कर्मचारियों के एनसीडब्ल्यूए को उनकी रोजगार की औपचारिक योजना में पहले से ही 6.25% प्रति वर्ष की वेतन वृद्धि की दीर्घकालिक परिकलन में गिना जाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पूरक लेखापरीक्षा का अवलोकन मान्य नहीं है क्योंकि यह इंड–एएस की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

परिशिष्ट- IX

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कॉपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट:

1. **कंपनी के सीएसआर पालिसी पर संक्षिप्त आऊटलाइनः**

   सीएमपीडीआईएल, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नवीनतम डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियाँ कर रहा है। निधि का आवंटन सीएमपीडीआईएल की सीएसआर पॉलिसी के तहत किया जाता है, जिसमें वर्तमान तीन वित्तीय वर्षों के कुल लाभ का औसत का 2 प्रतिशत दो राशियों में जो अधिक हो विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित किया जाता है। सीएमपीडीआईएल के सीएसआर नीति पब्लिक को देखने के लिए वेबसाइट: www.cmpdi.co.in पर दिया गया है।

2. **सीएसआर कमिटि का गठन :**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम प्रकृति	अवधि के दौरान सीएसआर कमिटि की आयोजित बैठक की संख्या	अवधि के दौरान सीएसआर कमिटि की बैठक में भाग लेने की संख्या
1.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	अध्यक्ष	6	6
2.	श्रीमती अलका पांडा	सदस्य	6	6
3.	डा. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य	6	6
.4	श्री आर.एन. झा	सदस्य	6	6
5.	श्री एस.के. गोमास्ता	सदस्य	6	6

3. **जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को प्रकट किया गया है वहाँ वेब लिंक प्रदान करना।**

   सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर पॉलिसी और सीएसआर परियोजना जब बोर्ड द्वारा अनुमोंदित हो जाती है तो उसे कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर पॉलिसी और सीएसआर परियोजनाओं को विस्तृत विवरण कंपनी के वेबसाइट https://www.cmpdi.co.in/csr.php पर दिया जाता है।

4. **कंपनी नियम, 2014 (कारपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटि पॉलिसी) के उप-नियम 8 के अनुसरण में संपन्न सीएसआर परियोजनाओं का इम्पैक्ट असेसमेंट का विस्तृत विवरण उपलब्धा कराना, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।**

   सीएसआर नियमों के अनुसार सीएमपीडीआईएल द्वारा शुरू की जाने वाली सीएसआर परियोजना इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत पड़ने वाले परियोजना नहीं की गई है।तथापि सीएसआरपरियोजना/क्रिया–कलाप के लिए सीएमपीडीआई, मुख्यालय द्वारा गठित टीम द्वारा भौतिक जाँच की गई।

5. कंपनी (कारपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटि पॉलिसी) नियम, 2014 के.रूल 7 के सब-रूल (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के लिए सेट ऑफ हेतु अपेक्षित राशि का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रीसिडिंग वित्तीय वर्ष (रू.में) से सेट आफॅ के लिए उपलब्ध राशि	वित्तीय वर्ष के लिए सेटआफ किए जाने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रू.में)
1.	2021–22	84,000.00	शून्य
	कुल		

6. सेक्शन 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत कुल लाभ :

हेड	राशि (करोड़ रू. में)
वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पीवीटी	414.49
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पीबीटी	312.62
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पीबीटी	263.82
कुल	**990.93**
प्रीसिडिंग तीन वर्षों का औसत	330.31

7. (क) सेक्शन 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत कुल लाभ का 2 प्रतिशत

प्रीसिंडग तीन वर्षों का औसत कुल लाभ का 2 प्रतिशत 6.6062 करोड़ रहा

(ख) गत वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रम अथवा क्रिया-कलाप से उत्पन्न अधिशेष

गत वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रम अथवा क्रिया–कलाप से कोई अधिशेष उत्पन्न नहीं हुआ।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ किए जाने वाला अपेक्षित राशि, यदि कोई हो।

वित्तीय वर्ष के लिए सेटऑफ के लिए कोई राशि नहीं है।

(घ) वित्तीय वर्ष (7क+7ख-7ग) के लिए कुल सीएसआर ओबलिगेशन

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा सीएसआर के तहत खर्च की जाने वाले अनिवार्य राशि 6.6062 करोड़ रू. थी।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अथवा खर्च नहीं की गई सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रू.में)	खर्च नहीं की गई राशि (रूपये में)				
	सेक्शन 135 (6) के अनुसार खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि का कुल राशि का स्थानांतरण		सेंक्शन 135 (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची-vii के तहत उल्लेखित किसी राशि में से स्थानांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	राशि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
6,85,89,000.00	शून्य	एनए	स्वच्छ भारत कोष	3.30 करोड़	31.03.2022

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
1.	आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)।	बिंदु IV, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	3.00	2.989	0.000	हाँ	लागू नहीं	
2.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआई मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थान)।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	1.00	0.989	0.000	हाँ	लागू नहीं	
3.	राँची में टीबी रोगियों के इलाज की सुविधा के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन–कलर डॉपलर सिस्टम स्थापित करने के लिए समर्थन।	बिंदु I अनुसूची VII : स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	10.50	10.500	0.000	नहीं	रामकृष्ण मिशन ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरिय में, तुपुदाना, राँची	CSR000 06101
4.	मशीन ऑपरेटर (6 माह का कोर्स) में झारखंड के 80 वंचित/बेरोजगार/अल्परोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करना।	बिंदु II, अनुसूची VII: रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	68.00	68.000	0.000	नहीं	सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट), राँची	CSR00008481

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
5.	ढुकू महिलाओं का लिंग सशक्तिकरण–सामाजिक कानूनी मान्यता और लिव–इन रिलेशनशिप में महिलाओं की मुख्यधारा, खूंटी।	बिंदु III, अनुसूची VII: महिलाओं को सशक्त बनाना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करना।	हाँ	खूँटी	झारखंड	एक वर्ष	12.60	12.210	0.000	नहीं	निमिता, राँची	CSR00002000
6.	एक मेडिकल शिविर	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	2.93	2.310	0.000	हाँ	लागू नहीं	
7.	बिरसा स्कूल, हटियागोंडा, राँची का जीर्णोद्धार	बिंदू II का बिंदु VII: शिक्षा को बढ़ावा	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	35.00	0.000	0.000	हाँ	लागू नहीं	
8.	बिरसा उच्च विद्यालय, रांची को प्रायोजन और छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा के लिए सहायता	बिंदु II, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	7.27	0.000	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
9.	शौचालय ब्लॉक और सोलर लाइटिंग की सुविधा के माध्यम से सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, रांची के पास मिसिरगोंडा गांव का विकास	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	47.10	0.000	0.000	हाँ	लागू नहीं	
10.	क) दो सरकारी उच्च विद्यालयों, कांके, रांची में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परियोजना प्रस्ताव	बिंदु II, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	41.40	0.000	0.000	हाँ	लागू नहीं	
11.	बी) एक सरकारी हाई स्कूल, कांके, रांची में वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव		हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	21.98	0.000	0.000	नहीं	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, राँची	CSR00020742
12.	झारखंड के विभिन्न जिलों में पशुओं में प्रभावी टीकाकरण के लिए 2000 पाशु सखियों को वैक्सीन बॉक्स उपलब्ध कराकर आजीविका में सहायता करना।	बिंदु II, अनुसूची VII: आजीवि को जोड़ना, खूँटी	हाँ	राँची	झारखण्ड	एक वर्ष	26.25	0.000	0.000	नहीं	झारखंड राज्य आजीविका मिशन, राँची	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
13.	झारखण्ड के राँची जिले में विकलांग व्यक्तियों की पहचान और सहायक सामग्री तथा सहायक उपकरणों का वितरण।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखण्ड	एक वर्ष	8.15	8.148	0.000	नहीं	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआई एमसीओ), कानपुर	CSR00000532
14.	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन, बलरामपुर यूनिट, पश्चिम बंगाल के बीस कुष्ठ रोगियों के अस्पताल में भर्ती के लिए सहायता।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	8.15	8.148	0.000	नहीं	प्यारी फाउंडेशन – इंडिया ट्रस्ट, बलरामपूर, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)	CSR00026115
15.	महामारी COVID-19 (ओमिक्रॉन वैरिएंट) के हालिया प्रकोप को देखते हुए "कोविड–19 की रोकथाम" का प्रस्ताव	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	2.00	0.000	0.000	नहीं	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, राँची	CSR00020742

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
16.	कोविड की भविष्य की लहरों की तैयारी के लिए जिला अस्पताल, राँची के लिए कोविड निदान और चिकित्सा सर्जरी के लिए चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता (कोविड के हालिया ओमिक्रॉन वैरिएंट को ध्यान में रखते हुए)।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	60.00	0.000	0.000	नहीं	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, राँची	CSR00020742
17.	ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरदानी का वितरण।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	2.00	0.000	0.000	हाँ	लागू नहीं	
18.	टीबी सेनेटोरियम, तुपुदाना, राँची में आरके मिशन को एक एम्बुलेंस प्रदान करना।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	18.38	18.375	0.000	नहीं	रामकृष्ण मिशन ट्यूबरकु लोसिस सेनेटोरियम, तुपुदाना, राँची	CSR00006101
19.	बडगैन, राँची में शिक्षा और छात्रावास की सुविधा के लिए 25 नेत्राहीन छात्राओं को सहायता।	बिंदु II, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	1.20	1.200	0.000	नहीं	ब्रजकिशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, राँची	CSR00017468

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
20.	स्वच्छ भारत कोष में योगदान।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	नहीं	पैन इंडिया	पैना इंडिया	एक वर्ष	330.00	330.00	0.000	हाँ	लागू नहीं	
21.	आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)	बिंदु IV, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	5.00	4.341	0.000	हाँ	लागू नहीं	
22.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआई, मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थान)	बिंदु I, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	2.00	1.930	0.000	हाँ	लागू नहीं	
23.	सांता 8 नंबर बस्ती, पी. ओ. संता, आसनसोल, जिला पश्चिम बद्व र्मान, पश्चिम बंगाल के नबरुन एफ.पी. स्कूल, बासनसोल को 4 कम्प्यूटर और कम्प्यूटर टेबल और कुर्सियों की सुविधा प्रदान करना	बिंदु II, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	1.81	0.344	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
24.	गोपलपुर, आसनसोल, जिला पश्चिम बद्र्धमान, पश्चिम बंगाल में गोपालपुर सरकार द्वारा प्रायोजित एफ.पी. स्कूल, बासनसोल को 3 कम्प्यूटर, स्क्रीन के साथ प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर टेबल और कुर्सियों की सुविधा प्रदान करना	बिंदु II, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	1.73	0.614	0.000	हाँ	लागू नहीं	
25.	पी.ओ. कल्ला (सीएच) आसनसोल, जिला–पश्चिम बद्र्धमान, पश्चिम बंगाल केबोरिंगपारा एफ.पी. स्कूल, आसनसोल को स्क्रीन के साथ प्रोजेक्टर और खेल उपकरणों की सूविधा प्रदान करना।	बिंदु II, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	0.41	0.379	0.000	हाँ	लागू नहीं	
26.	गांव और पी. ओ. दामरा, आसनसोल, जिला–पश्चिम बर्द्वमान, पश्चिम बंगालके विधान स्मृति शिक्षा निकेतन हाई स्कूल	बिंदु II, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	0.30	0.195	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
27.	शीतला प्राइमरी स्कूल आसनसोल में ओवरहेड टैंक और वाटर कूलर सह शोधक की सुविधा।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	1.06	0.663	0.000	हाँ	लागू नहीं	
28.	साध्य देवी फ्री प्राइमरी स्कूल, आसनसोल में ओवरहेड टैंक और वाटर कूलर सह शोधक की सुविधा।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	1.06	0.663	0.000	हाँ	लागू नहीं	
29.	मधेगंत गाँव, जिला–पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल में 50 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना।	बिंदु IV, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	10.32	8.925	0.000	हाँ	लागू नहीं	
30.	गोविंदपुर गांव, जिला–पचिम बर्धमान, पश्चिम बंगालके पचिम बर्धमान जिले के गोविंदपुर गांव में 40 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना।	बिंदु IV, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	8.26	7.140	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
31.	कुल्टी, उप मंडलरू आसनसोल, जिलारू पचिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल के कुल्टी हाई स्कूल (मॉर्निंग यूनिट), आसनसोल में छत के पंखे और लाइट की सुविधा।	बिंदु II, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	0.65	0.475	0.000	हाँ	लागू नहीं	
32.	एक मेडिकल कैंप आसनसोल में।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	2.93	2.826	0.000	हाँ	लागू नहीं	
33.	गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत, एगरकुंर ब्लॉक, जिला–धनबाद, झारखंड में गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत में 70 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना।	बिंदु IV, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता।	हाँ	धनबाद	झारखंड	एक वर्ष	14.46	12.495	0.000	हाँ	लागू नहीं	
34.	आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)।	बिंदु IV, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता।	हाँ	धनबाद	झारखंड	एक वर्ष	3.00	2.580	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
35.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआई, मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थान)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना।	हाँ	धनबाद	झारखंड	एक वर्ष	2.00	1.652	0.000	हाँ	लागू नहीं	
36.	जीवन ज्योति (विशेष बच्चों के लिए एक स्कूल), जिला परिषद भवन, बेकारबांध, धनबाद में विशेष शिक्षा, व्यावसायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, स्पीच एवं ऑडियो थेरेपी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से 123 विकलांग बच्चों के लिए ₹11.61 लाख रुपये की राशि की सहायता।	बिंदु II, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	धनबाद	झारखंड	एक वर्ष	11.61	8.650	0.000	हाँ	लागू नहीं	
37.	एक मेडिकल कैंप।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना।	हाँ	धनबाद	झारखंड	एक वर्ष	2.93	1.996	0.000	हाँ	लागू नहीं	
38.	आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)।	बिंदु IV, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	7.00	7.003	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
39.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआई, मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थान)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	2.00	1.944	0.000	हाँ	लागू नहीं	
40.	बड़गांव पंचायत, जिला–चतरा, झारखंड में प्लेटफार्म और ड्रेनेज व्यवस्था के साथ नौ (9) हैंडपंप की स्थापना।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल।	हाँ	चतरा	झारखंड	एक वर्ष	9.00	5.385	0.000	हाँ	लागू नहीं	
41.	धधू (पूर्णापानी), बालूमठ, लातेहार झारखंड में प्लेटफार्म और ड्रेनेज व्यवस्था के साथ पांच(5)हैंडपंप की स्थापना।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल।	हाँ	लातेहार	झारखंड	एक वर्ष	5.00	2.991	0.000	हाँ	लागू नहीं	
42.	दो मेडिकल कैंप।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	हजारीबाग	झारखंड	एक वर्ष	5.48	5.011	0.000	हाँ	लागू नहीं	5.05361

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
43.	महामारी कोविड–19 (ओमिक्रोनवैरिएंट) के हालिया प्रकोप को देखते हुए ष्कोविड–19 की रोकथामष् का प्रस्ताव।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	5.00	0.328	0.000	हाँ	लागू नहीं	
44.	सीएचसी–बूर्मू ब्लॉक, रांची में 200 एलपीएम पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र सहित मेनिफोल्डपाइपलाइन की स्थापना।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	80.00	0.000	0.000	हाँ	लागू नहीं	
45.	कमान क्षेत्रों के ग्रामीण ïों के बीच वेक्टर वार्न रोगों की रोकथाम के लिए औषधीय मच्छरदानी का वितरण।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	2.00	0.000	0.000	हाँ	लागू नहीं	
46.	ड्रिलिंग के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ड्रिलिंग शिविरों के कमांड क्षेत्र मेंकोविड के बाद स्कूल फिर से खुलते ही आवश्यक अध्ययन किटों के माध्यम से स्कूली बच्चों को सुविधा प्रदान करना।	बिंदु II, अनुसूची VII: शिक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	0.45	0.450	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
47.	आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)।	बिंदु IV, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता।	हाँ	नागपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	7.00	5.830	0.000	हाँ	लागू नहीं	
48.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआई, मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थान)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वाच्छता को बढ़ावा देना।	हाँ	नागपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	2.00	1.800	0.000	हाँ	लागू नहीं	
49.	पानवाडलग्राम, भद्रावतीचंद्रपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डिजाइन, स्थापना और कमीशनिंग जिसकी क्षमता 1000 लीटर प्रति घंटा जिसमें 5 किलोवाट सौर संयंत्र सहित वाटर वेंडिंग मशीन की स्थापना और प्लांट को समायोजित करने के लिए आवश्यक शेड का निर्माण और टर्नकी आधार पर तीन साल के लिए संचालन और रखरखाव वारंटी शामिल है।	बिंदु IV, अनुसूची VII: पेयजल।	हाँ	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	14.77	11.290	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
50.	राष्ट्र संत टुकडोजी चौरिटेबल कैंसर अस्पताल, नागपुर में 320 केवीए डीजल जेनरेटर सेट प्रदान करना।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	नागपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	21.24	21.240	0.000	हाँ	लागू नहीं	
51.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंद्रपुर महाराष्ट्र में कोविड 19 से संबंधित सामग्री उपलब्ध करानारू i. पच्चीस(25) बेड ii. सैनिटाइजर 500 लीटर iii. एक हजार (1000) एन 95 मास्क iv. एक हजार (1000) सर्जिकल मास्क v. पच्चीस (25) पल्स ऑक्सीमीटर vi. दस (10) मल्टी पैरा मॉनिटर vii. दस (10) ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर viii. एक हजार (1000) पीपीई किट ix.पच्चीस (25) डिजिटल थर्मामीटर x. पांच(05) थर्मलगन xi. दस (10) ऑक्सीजन फ्लो मीटर xii. दस(10)नेबुलाइजेशन	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	15.52	12.240	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
52.	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र दुर्गापुर, चंद्रपुर महाराष्ट्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र दुर्गापुर, चंद्रपुर में कोविड–19 से संबंधित सामग्री उपलब्ध करानारू i. दो (02) बिस्तर गद्दे, तकिया और चादर आदि के साथ पूरा सेट ii. सैनिटाइजर 500 लीटर iii. एन 95 मास्क– 500 iv. सर्जिकल मास्क– 1500 v. पल्स ऑक्सीमीटर– 05 vi. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर– 02 vii. पीपीई किट–200 viii. थर्मामीटर–05 ix. थर्मल गन–03	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	2.38	1.610	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
53.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सांवरला के पर्यवेक्षणध्सहायता में कोविड 19 से लड़ने के लिए सांवरला गांव को सामग्री उपलब्ध करानारू प. दो(02) बिस्तर गद्दे, तकिया चादर आदि के साथ पूरा सेट पप.सैनिटाइजर 500 लीटर पपप.एन 95 मास्क–500पअ. सर्जिकल मास्क–1500अ.पल्स ऑक्सीमीटर–05अप. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर– 02अपप. पीपीईकिट–200 अपपप. पांच (05) थर्मामीटर प॰. तीन(03) थर्मल गन।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	वानी	महाराष्ट्र	एक वर्ष	2.10	1.576	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
54.	कोना गांव, यवतमाल, वानी, महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सांवरला के पर्यवेक्षण/सहायता के तहत कोना गांव को कोविड 19 से लड़ने के लिए सामग्री उपलब्ध करानारू i. सैनिटाइजर– 60 लीटर ii. 600 एन 95 मास्क iii. 800 सर्जिकल मास्क iv. तीन(03) पल्स ऑक्सीमीटर v. दो(02) ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटरमशीन vi. तकिया, गद्दे, बेडशीट आदि के साथ पांच (05) बिस्तर vii. बीस (20) पीपीईकिट अपपप. पांच (05) थर्मामीटर viii. तीन (03) थर्मल गन ix. दस (10) फेस शील्ड	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	वानी	महाराष्ट्र	एक वर्ष	2.12	1.590	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
55.	पयाली–भटली गांव, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भटली के पर्यवेक्षणध्सहायता में कोविड–19 से लड़ने के लिए पयाली–भटाली गांव को सामग्री उपलब्ध करानारू i. सैनिटाइजर– 50 लीटर ii. 1000 एन 95मास्क iii. 1000 सर्जिकल मास्क iv. पांच (05) पल्स ऑक्सीमीटर v. पांच (05) ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन vi. तकिए, गद्दे, बेडशीट आदि के साथ दस (10) बिस्तर vii. दस (10) पीपीई किट viii. पांच(05) थर्मामीटर ix. पांच (05) थर्मल गन x. सोडियम हाइपोक्लोराइट 50 लीटर	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	4.93	3.840	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
56.	मध्य भारत की थैलेसीमिया सोसायटी को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करानारू i. 1200 ल्यूकोसाइट फिल्टर ii.1200 वेसोफिक्स iii. 6000 डिस्पोजेबल (डिस्टिल वाटर/ सीरिंज आदि) iv. 1200 बीटी सेट।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	नागपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	12.00	10.750	0.000	हाँ	लागू नहीं	
57.	1. बोरगांव में वाटर फिल्टर प्लांट की एएमसी। 2. शिवपुर (बांदर) गांव और जनमी गांव, वरोरा, चंद्रपुर में 2 जल संयंत्रों के लिए एएमसी। एएमसी का पहला वर्ष।	बिंदु IV, अनुसूची VII: पेयजल।	हाँ	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	2.62	1.190	0.000	हाँ	लागू नहीं	
58.	एक मेडिकल कैंप।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	नागपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	2.93	2.740	0.000	हाँ	लागू नहीं	
59.	महामारी कोविड–19 (ओमिक्रोनवैरिएंट) के हालिया प्रकोप को देखते हुए ष्कोविड–19 की रोकथामष् का प्रस्ताव।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	नागपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	5.00	3.800	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
60.	आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)।	बिंदु I, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता।	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	एक वर्ष	6.00	5.992	0.000	हाँ	लागू नहीं	
61.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआई, मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थान)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	एक वर्ष	2.00	1.877	0.000	हाँ	लागू नहीं	
62.	एक मेडिकल कैंप।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	एक वर्ष	2.93	2.713	0.000	हाँ	लागू नहीं	
63.	महामारी कोविड–19 (ओमिक्रोनवैरिएंट) के हालिया प्रकोप को देखते हुए ष्कोविड–19 की रोकथामष् का प्रस्ताव।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	एक वर्ष	5.00	5.000	0.000	हाँ	लागू नहीं	
64.	विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरण प्रदान करना।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	एक वर्ष	5.00	4.799	0.000	हाँ	लागू नहीं	
65.	आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)।	बिंदु I, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता।	हाँ	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	एक वर्ष	3.00	0.948	0.000	हाँ	लागू नहीं	
66.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआई, मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थान)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना।	हाँ	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	एक वर्ष	2.00	0.194	0.000	हाँ	लागू नहीं	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख ₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख ₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका अप्रत्यक्ष नाम	सीएसआर फार्म1
				जिला	राज्य							
67.	दो मेडिकल कैंप।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	एक वर्ष	5.86	5.461	0.000	हाँ	लागू नहीं	
68.	आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)।	बिंदु I, अनुसूची VII: पर्यावरणीय स्थिरता।	हाँ	भुवनेश्वर	ओडिशा	एक वर्ष	6.00	3.393	0.000	हाँ	लागू नहीं	
69.	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआई, मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थान)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।	हाँ	भुवनेश्वर	ओडिशा	एक वर्ष	2.00	1.624	0.000	हाँ	लागू नहीं	
70.	एक मेडिकल कैंप।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।	हाँ	भुवनेश्वर	ओडिशा	एक वर्ष	2.93	2.930	0.000	हाँ	लागू नहीं	
71.	(स्पिल ओवर)सीएचसी कोसल में इनडोर मरीजों के लिए आईपीडी ब्लॉक का निर्माण।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	हाँ	अंगुल	ओडिशा	एक वर्ष	3.50	3.356	0.000	हाँ	लागू नहीं	
72.	व्यवस्थापक लागत	लागू नहीं	हाँ	राँची	झारखंड	एक वर्ष	4.00	3.020	0.000	हाँ	लागू नहीं	
72.	व्यवस्थापक लागत	लागू नहीं	हाँ	नागपुर	महाराष्ट्र	एक वर्ष	5.00	1.850	0.000	हाँ	लागू नहीं	
	कुल						**1064.05**	**685.890**				

ग) वित्तीय वर्ष 2021 के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य मदों में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण।

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियमकी अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना में खर्च की गई राशि (रू.में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका।	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल								

घ) प्रशासनिक मद में खर्च की गई राशि :

प्रशासनिक उपरिव्यय के तहत 4.870 लाख रुपये बुक किए गए हैं।

ड.) प्रभाव आकलन यदि लागू हो में खर्च की गई राशि

प्रभाव मूल्यांकन में कोई राशि खर्च नहीं की गई।

च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि

(8ख + 8ग + 8घ + 8ड.)

685.89 लाख रूपये मात्र।

छ) सेट ऑफ, यदि हो के लिए एक्सेस राशि

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1.	सेक्सन 135(5) के अनुसार कंपनी के कुल का औसत का दो प्रतिशत	6,60,62,000.00
2.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	6,85,89,000.00
3.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अधिक राशि [(ii)-(i)]	25,27,000.00
4.	गत वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रम अथवा क्रिया–कलाप से उपन्न अधिशेष, यदि हो	शून्य
5.	सकसिडिंग वित्तीय वर्ष [(iii)-(iv)] सेटऑफ के लिए उपलबध राशि	25,27,000.00

1.(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

क्र. सं.	प्रीसिडिंग वित्तीय वर्ष	सेक्शन 135(6) के तहत बची सीएसआर में स्थानांतरित राशि (रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च हुई राशि (रू. में)	सेक्शन 135(6) के अनुसार अनुसूची vii के तहत उल्लेखित हस्तांतरित राशि			सकसीडिंग वित्तीय वर्ष में खर्च से बची शेष राशि (रू. में)
				कोष का नाम	राशि रू. में	स्थानान्तरण की तिथि	
1.	2020-21	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	2019-20	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	2018-19	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

कोई परियोजना नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी।	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष की के अंत में खर्च की गई संचित राशि (रू. में)	पूर्णचल रही / परियोजना की स्थिति
	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति-वार विवरण) प्रस्तुत करें।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से ऐसी कोई संपत्ति बनाई या अर्जित नहीं की गई।

क) पूंजीगत परिसंपत्ति (ओं) के सृजन अथवा अर्जन की तिथि

लागू नहीं

ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिाग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।

लागू नहीं

इंट्री अथवा पब्लिक आथॉरिटी अथवा बेनिफिशियरी जिसके नाम से ऐसे पूंजीगत परिसंपत्ति रजिस्ट्रर्ड की गई है, उनका नाम, पता आदि

लागू नहीं

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।

सीएमपीडीआईएल ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु. 685.89 लाख रुपये खर्च किए हैं जो कि औसत शुद्ध लाभ (यानी रु. 660.62 लाख रुपये) के दो प्रतिशत की वैधानिक आवश्यकता से अधिक है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर गतिविधियों तथा सीएमपीडीआईएल की नीति के अनुपालन में है।

ह०	ह०	ह०
(मनोज कुमार)	(प्रमोद सिंह चौहान)	(आर.के. महापात्रो)
अध्यक्ष–सह	अध्यक्ष	नोडल अधिकारी
प्रबंध–निदेशक	सीएसआर समिति	(सीएसआर)

वार्षिक लेखा 2021-22

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रु. में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्ति :			
(क) प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण	3	**194.45**	182.64
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	4	**36.66**	37.14
(ग) गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति	5	**-**	-
(घ) इनटेनजिबल परिसम्पत्ति	6.1	**10.40**	5.37
(ड.) इनटेनजिबल परिसम्पत्ति अंडर डेवलपमेंट	6.2	**2.30**	-
(च) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	**-**	-
(ii) ऋण	8	**0.08**	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	**5.45**	1.06
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)		**76.64**	84.52
(ज) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	10	**2.95**	1.73
कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		**328.93**	312.46
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	12	**13.07**	10.82
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	**-**	-
(ii) पेशागत वसूली	13	**815.90**	892.33
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	14	**160.97**	70.82
(iv) अन्य बैंक शेष	15	**40.14**	122.14
(v) ऋण	8	**-**	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	**110.41**	121.18
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)		**58.54**	25.32
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	**174.53**	171.82
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (ख)		**1,373.56**	1,414.43
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		**1,702.49**	1,726.89
इक्विटि एवं देयताएँ			
इक्विटि			
(क) इक्विटि शेयर कैपिटल	16	**142.80**	142.80
(ख) अन्य इक्विटि	17	**871.72**	659.45
कंपनी के शेयरहोल्डर को इक्विटि एट्रीब्यूटेबल		**1014.52**	802.25
नन-कंट्रोलिंग इंटरेस्ट		**-**	-
कुल इक्विटि (क)		**1014.52**	802.25

31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रु. में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
देयताएँ			
गैर–चालू देयताएँ :			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	**-**	-
(ii) लीज देयता		**1.02**	1.11
(iii) पेशागत देय (यदि कोई हो)		**-**	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**78.49**	88.77
(ख) प्रावधान	21	**88.76**	208.31
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निबल)		**9.67**	8.66
(घ) अन्य गैर चालू देयताएँ	22	**-**	-
कुल गैर चालू देयताएँ (ख)		**177.94**	306.85
चालू देयताएँ :			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	**-**	-
(ii) लीज देयता		**0.29**	0.23
(iii) पेशागत देय	19		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया		**-**	0.42
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		**150.94**	209.24
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**72.93**	77.15
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	**140.99**	195.69
(ग) प्रावधान	21	**144.88**	135.06
(घ) चालू कर देयताएँ (निबल)			
कुल चालू देयताएँ (ग)		**510.03**	617.79
कुल इक्विटि एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**1702.49**	1726.89

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ एवं टिप्पणी 1,2 तथा 38 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

(ए. मुंधरा)	**(पी. के. प्रसाद)**	**(एस्. के. गोमस्ता)**	**(मनोज कुमार)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 08714820	डीआईएन 09225497

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट

फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)

पार्टनर

सदस्यता संख्या : 074749

तिथि : 10 मई 2022

स्थान: राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

लाभ–हानि विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
	परिचालन से राजस्व			
क.	बिक्री (निबल)	24	**1208.43**	1488.60
ख.	अन्य परिचालन राजस्व (निबल)		**-**	-
(I)	**परिचालन से राजस्व (क+ख)**		**1208.43**	1488.60
(II)	अन्य आय	25	**29.83**	20.08
(III)	**कुल आय (I+II)**		**1238.26**	1508.68
(IV)	**खर्च**			
	उपभोग्य सामग्रियों की लागत	26	**33.62**	21.99
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद			
	समाप्त सामग्रियों की वस्तु–सूची में बदलाव/ चालू कार्य और पेशागत भंडार उत्पाद कर	27	**-**	-
	उत्पाद शुल्द			
	कर्मचारी सुविधा पर व्यय	28	**570.82**	551.83
	विद्युत एवं इंधन		**2.58**	2.90
	निगमित सामाजिक दायित्व खर्च	29	**6.86**	4.66
	मरम्मती	30	**21.26**	25.34
	संविदात्मक व्यय	31	**145.87**	406.94
	वित्तीय लागत	32	**0.07**	0.16
	मूल्यह्रास/एमोरटाइजेशन/इम्पेयरमेंट व्यय		**22.99**	20.33
	प्रावधान	33	**-**	1.45
	राइट आफ	34	**-**	0.05
	अन्य व्यय	35	**68.15**	58.54
	कुल व्यय (IV)		**872.22**	1094.19
(V)	**अपवादात्मक मद के पूर्व लाभ एवं कर (III-IV)**		**366.04**	414.49
(VI)	अपवादात्मक मद		**-**	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**366.04**	414.49
(VIII)	कर खर्च	36	**83.92**	97.53
(IX)	**कन्टीन्यूईंग परिचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**282.12**	316.96
(X)	डिसकंटीन्यूड परिचालन से लाभ/(हानि)		**-**	-
(XI)	डिस्कंटीन्यूड परिचालन का कर खर्च		**-**	-
(XII)	डिस्कंटीन्यूड परिचालन (कर पश्चात्) (X-XI) से लाभ/(हानि)		**-**	-
(XIII)	जेवी/एसोसिएट के लाभ/(हानि) में शेयर		**-**	-
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**282.12**	316.96
	अन्य विस्तृत आय	37		
A	(i) वैसा मद जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।		**26.65**	(9.51)
	(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।		**6.71**	(2.39)

लाभ-हानि विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
ख.	(i) पैसा मद से लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।			
	(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।		-	-
(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**		**19.94**	(7.12)
(XVI)	**कुल विस्तृत आय अवधि के लिए (XIV+XV) (कंप्राइजिंग लाभ (हानि) एवं अन्य विस्तृत आय अवधि के लिए**		**302.06**	309.84
	लाभ के लिए श्रेय:			
	कंपनी का मालिक :		**282.12**	316.96
	अनियंत्रित ब्याज :			
			282.12	316.96
	अन्य विस्तृत आय के लिए श्रेय :			
	कंपनी का मालिक :		**19.94**	(7.12)
	अनियंत्रित ब्याज :			
			19.94	(7.12)
	कुल विस्तृत आय के लिए श्रेय :			
	कंपनी का मालिक :		**302.06**	309.84
	अनियंत्रित ब्याज :			
			302.06	309.84

लाभ-हानि विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
(XVII) प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए) :			
(1) बेसिक		**1,975.63**	2,219.61
(2) डाइल्यूटेड;2द्व डाइल्यूटेड		**1,975.63**	2,219.61
(XVIII) प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए)			
(1) बेसिक		**-**	-
(2) डाइल्यूटेड		**-**	-
(XIX) प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए) :			
(1) बेसिक		**1,975.63**	2,219.61
(2) डाइल्यूटेड		**1,975.63**	2,219.61

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

(ए. मुंधरा)
कम्पनी सचिव

(पी. के. प्रसाद)
महाप्रबंधक (वित्त)

(एस्. के. गोमस्ता)
निदेशक
डीआईएन 08714820

(मनोज कुमार)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09225497

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749

तिथि : 10 मई 2022
स्थान: राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए

(करोड़ रु. में)

		समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
क.	**परिचालन क्रिया-कलापों द्वारा नकद प्रवाह :**		
	कर से पूर्व कुल विस्तृत आय समायोजन के लिए :	**366.04**	414.49
	मूल्यह्रास और अचल परिसंपत्तियों की क्षति	**22.99**	20.33
	बैंक जमा से ब्याज	**(4.13)**	(12.16)
	वित्तीय लागत	**0.07**	0.16
	निवेश से ब्याज/लाभांश	**-**	-
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**-**	(0.01)
	अन्य गैर–ऑपरेटिंग आय	**(24.57)**	(9.90)
	अवधि के दौरान देयता वापस लाया	**(1.13)**	(0.03)
	अग्रिम स्ट्रीपिंग एक्टीविटी समायोजन	**-**	-
	चालू/गैर-चालू संपत्तियाँ एवं देयताएँ से पहले का परिचालन लाभ समायोजन के लिए :	**359.27**	412.88
	पेशागत प्राप्य	**76.43**	(342.12)
	इन्वेन्ट्रीज	**(2.25)**	1.68
	लघु/दीर्घकालिन ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**59.03**	(55.19)
	लघु/दीर्घकालिन देयताए एवं प्रावधान	**(210.02)**	160.63
	परिचालन से उत्पन्न नकद	**282.46**	177.88
	आयकर भुगतान/रिफंड	**(90.63)**	(95.14)
	ब्याज भुगतान	**(0.07)**	(0.16)
	परिचालन क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (क)	**191.76**	82.58
ख.	**निवेश क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**		
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(41.65)**	(39.85)
	परिसंपत्ति की बिक्री से आय	**-**	0.01
	अन्य दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम (पूँजी अग्रिम)	**-**	-
	फिक्स्ड डिपॉजिट/सब्सिडियरी के लिए ऋण पर ब्याज प्राप्त	**4.13**	12.16
	अन्य गैर–परिचालित आय	**25.70**	9.93
	बैंक जमा में निवेश	**-**	**-**
	निवेश में बदलाव	**-**	**-**
	संयुक्त उद्यम में निवेश	**-**	**-**
	निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	**-**	**-**
	निवेशों से ब्याज/लाभांश	**-**	**-**
	निवेश क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (ख)	**(11.82)**	(17.75)

ग. फाइनेंसिंग क्रिया-कलाप से नकदी प्रवाह		
अल्पकालिक उधार/सरकारी अनुदान से सुरूआत	**1.12**	(0.79)
उधार का पुनर्भुगतान	-	-
फाइनेंसिंग क्रिया–कलापों से संबंधित ब्याज और वित्तीय लागत	-	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की रसीद	-	-
लाभांश और लाभांश कर	**(90.91)**	**(95.68)**
इक्विटी शेयर पूँजी को वापस खरीदना	-	-
फाइनेंसिंग क्रिया-कलाप में इस्तेमाल होने वाला निबल नकद (ग)	**(89.79)**	(96.47)
नकद और बैंक बैंलेंस में निबल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	**90.15**	(31.64)
वर्ष के शुरुवात में नकद और नकदी के समांतर (संदर्भ टिप्पणी 14 नकद के घटक और नकदी के समांतर के लिए)	**70.82**	102.46
वर्ष के अंत में नकद और नकदी के समांतर (संदर्भ टिप्पणी 14 नकद के घटक और नकदी के समांतर के लिए)	**160.97**	70.82

(ब्रैकेट में सभी आँकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है)

(ए. मुंधरा)	**(पी. के. प्रसाद)**	**(एस्. के. गोमस्ता)**	**(मनोज कुमार)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 08714820	डीआईएन 09225497

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749

तिथि : 10 मई 2022
स्थान: राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

31.03.2022 के अनुसार

(करोड़ रु. में)

विवरण	01.04.2021 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2021 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2022 के अनुसार शेष
1000/- रू. प्रत्येक 14,28,000 इक्विटी शेयर	142.8	-	142.80	-	**142.80**

31.03.2021 के अनुसार

विवरण	01.04.2020 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2020 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2021 के अनुसार शेष
1000/- रू. प्रत्येक 14,28,000 इक्विटी शेयर	38.08	-	38.08	104.72	**142.80**

ख. अन्य इक्विटी

31.03.2022 के अनुसार

	अन्य भण्डार					
	कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व	पूंजीगत भण्डार	सामान्य भण्डार	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) – (ओसीआई)	कुल
01.04.2021 के अनुसार शेष	**-**	**17.78**	**15.85**	**607.14**	**18.68**	**659.45**
लेखा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
01.04.2021 पर पुनर्निधारित शेष	**-**	**17.78**	**15.85**	**607.14**	**18.68**	**659.45**
वर्ष के दौरान जोड़कर		**2.20**	**14.10**			16.30
वर्ष के दौरान समायोजन		(1.08)	-	(14.10)	-	(15.18)
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(60.59)	-	(60.59)
अंतिम लाभांश				(30.32)		(30.32)
इस साल का मुनाफा				282.12	19.94	302.06
बोनस शेयर जारी करना						
31.03.2022 के अनुसार शेष राशि	-	18.90	29.95	784.25	38.62	871.72

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ख. अन्य इक्विटी (क्रमशः)

31.03.2021 के अनुसार

(करोड़ रु. में)

31.03.2022 के अनुसार शेष	.	18.90	29.95	784.25	38.62	871.72
	अन्य भण्डार		सामान्य भण्डार	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
	कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व	पूंजीगत भण्डार				
लेखा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
01.04.2020 के अनुसार पूर्व घोषित शेष	**-**	**18.57**	**22.37**	**484.06**	**25.80**	**550.80**
01.04.2020 के अनुसार शेष राशि व्यापक लाभ	-	18.57	22.37	484.06	25.80	550.80
कुल व्यापक लाभ		-	-	316.96	(7.12)	309.84
अंतरिम लाभ	-	-	-	(64.77)	-	(64.77)
अंतिम लाभ	-	-		(30.91)	-	(30.91)
वर्ष के दौरान जोड़कर		0.19	15.85	-	-	16.04
वर्ष के दौरान समायोजन		(0.98)	-	-	-	(0.98)
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	(15.85)	-	(15.85)
बोनस शेयर जारी करना	-	-	(22.37)	(82.35)	-	(104.72)
31.03.2021 के अनुसार शेष राशि	**-**	**17.78**	**15.85**	**607.14**	**18.68**	**659.45**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रु. में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/साईट पुन:स्थापन लागत	इमारत (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया	उपयोग करने का अधिकार	कुल
कुल वहनीय राशि :															
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	1.15	2.06	-	67.97	152.15	0.46	-	13.11	3.24	11.92	-	-	0.72	-	252.78
जोड़कर	-	0.88	-	1.18	20.14	0.03	-	0.93	0.12	1.04	-	-	0.04	-	24.36
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	2.88	-	-	(0.01)	(0.01)	(1.00)	-	-	(0.01)	-	1.85
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**1.15**	**2.94**	**-**	**69.15**	**175.17**	**0.49**	**-**	**14.03**	**3.35**	**11.96**	**-**	**-**	**0.75**	**-**	**278.99**
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	1.15	2.94	-	69.15	175.17	0.49	-	14.03	3.35	11.96	-	-	0.75	-	278.99
जोड़कर (अतिरिक्त)	-	-	-	1.09	28.47	0.01	-	1.79	0.05	-	-	-	-	-	31.41
हटाकर/समायोजन	-	-	-	0.09	(5.86)	(0.07)	-	3.69	0.13	(0.11)	-	-	0.02	-	(2.11)
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**1.15**	**2.94**	**-**	**70.33**	**197.78**	**0.43**	**-**	**19.51**	**3.53**	**11.85**	**-**	**-**	**0.77**	**-**	**308.29**
संचित मूल्यह्रास और क्षति															
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	-	0.19	-	7.52	58.16	0.15	-	5.35	1.37	5.92	-	-	-	-	78.66
वर्ष के दौरान शुल्क	-	0.16	-	1.77	13.96	0.06	-	1.31	0.50	1.16	-	-	-	-	18.92
क्षति															
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	(1.15)	-	-	(0.02)	(0.01)	(0.05)	-	-	-	-	(1.23)
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**-**	**0.35**	**-**	**9.29**	**70.97**	**0.21**	**-**	**6.64**	**1.86**	**7.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96.35**
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	-	0.35	-	9.29	70.97	0.21	-	6.64	1.86	7.03	-	-	-	-	96.35
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.20	-	1.74	16.13	0.06	-	1.52	0.43	1.24	-	-	-	-	21.32
क्षति															
हटाकर/समायोजन	-	-	-	0.09	(4.95)	(0.06)	-	1.17	0.05	(0.13)	-	-	-	-	(3.83)
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**-**	**0.55**	**-**	**11.12**	**82.15**	**0.21**	**-**	**9.33**	**2.34**	**8.14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.84**
नेट कैरिंग एमाउन्ट															-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**1.15**	**2.39**	**-**	**59.21**	**115.63**	**0.22**	**-**	**10.18**	**1.19**	**3.71**	**-**	**-**	**0.77**	**-**	**194.45**
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**1.15**	**2.59**	**-**	**59.86**	**104.20**	**0.28**	**-**	**7.39**	**1.49**	**4.93**	**-**	**-**	**0.75**	**-**	**182.64**

नोट :

1. उपरोक्त प्लांट और मशीनरी में स्टैंड बाई इक्विपमेंट और स्टोर और स्पेयर सहित प्लांट और मशीनरी शामिल हैं जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक स्टोर से जारी नहीं किए गए हैं।
2. कंपनी लेखा नीति के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। (टिप्पणी संख्या 2 देखें)
3. अन्य भूमि में उपयोग का अधिकार 1.51 करोड़ रुपये की संपत्ति और उसी पर संचित परिशोधन 31.03.2022 तक 0.41 करोड़ रुपये है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 : पूँजी डब्ल्यूआईपी

(करोड़ रु. में)

	इमारत (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारभूत संरचना/विकास	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
कुल वहनीय राशि :						
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	6.96	16.17	-	-	-	23.13
जोड़कर	14.03	1.84	-	-	-	15.87
हटाकर/समायोजन	(0.98)	(0.88)	-	-	-	(1.86)
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**20.01**	**17.13**	**-**	**-**	**-**	**37.14**
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	20.01	17.13	-	-	-	37.14
जोड़कर	4.90	0.06	-	-	-	4.96
हटाकर/समायोजन	(0.48)	(4.96)	-	-	-	(5.44)
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**24.43**	**12.23**	**-**	**-**	**-**	**36.66**
संचित प्रावधान और क्षति						-
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-	-	-	-	-	-
क्षति	-	-	-	-	-	-
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शुल्क	-	-	-	-	-	-
क्षति	-	-	-	-	-	-
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
नेट कैरिंग एमाउन्ट						-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**24.43**	**12.23**	**-**	**-**	**-**	**36.66**
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**20.01**	**17.13**	**-**	**-**	**-**	**37.14**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 : पूँजी डब्ल्यूआईपी (जारी....)

पूंजी-कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) कैपिटल-वर्क-इन प्रोग्राम के लिए प्रगति एजिंग शेड्यूल : (करोड़ रु. में)

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएं प्रगति पर हैं :					
सीएमपीडीआई में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	0.40				0.40
सिविल और संबद्ध कार्य का निर्माण	0.23				0.23
गोपालपुर कैंप, आरआई–7 के लिए भवन लखनपुर आवासीय भवन	0.10	0.03		0.02	0.15
कार्यालय भवन आरआई–4	0.07	-	-	23.21	23.28
सीएमपीडीआई आरआई–7 कार्यालय भवन	0.15	0.22			0.37
कुल एयूसी भवन	**0.95**	**0.25**	**-**	**23.23**	**24.43**
संयंत्र और उपकरण	0.03				0.03
दीपक कुमार सिंह द्वारा कैप्सूल लिफ्ट	0.03				0.03
सजावटी प्रकाश	0.06				0.06
कुल एयूसी संयंत्र और उपकरण					**0.06**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित					
संयंत्र और उपकरण					
सीआईएल आरएंडडी डब्ल्यूआईपी				12.17	12.17
कुल	**1.01**	**0.25**	**-**	**35.40**	**36.66**

(ख) अतिदेय पूंजी-कार्य-प्रगति में

	To be compelted in			
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:				
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियां सहित)				
संयंत्र और उपकरण				
रेलवे साइडिंग				
कुल				

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 5 : गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	गवेषण एवं मूल्यांकन लागत
कुल वहनीय राशि :	
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	-
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-
संचित प्रावधान और क्षति	
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	-
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-
नेट कैरिंग एमाउन्ट	
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6.1 : अन्य इन्टेंजिबल परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य (टिप्पणी में उल्लेखित)	कुल
कुल वहनीय राशि :			
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	18.34	-	18.34
जोड़कर	4.49	-	4.49
हटाकर / समायोजन	(5.28)	-	(5.28)
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**17.55**	**-**	**17.55**
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	17.55	-	17.55
जोड़कर	8.02	-	8.02
हटाकर / समायोजन	0.14	-	0.14
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**25.71**	**-**	**25.71**
संचित ऋण परिशोधन और क्षति			
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	9.96	-	9.96
वर्ष के दौरान शुल्क	2.41	-	2.41
क्षति	-	-	-
हटाकर / समायोजन	(0.19)	-	(0.19)
31 मार्च, 2021 के अनुसार	**12.18**	**-**	**12.18**
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	12.18	-	12.18
वर्ष के दौरान शुल्क	3.13	-	3.13
क्षति	-	-	-
हटाकर / समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**15.31**	**-**	**15.31**
नेट कैरिंग एमाउन्ट			
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**10.40**	**-**	**10.40**
31 मार्च, 2021 के अनुसार	5.37	-	5.37

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6.2 : विकास के तहत इन्टेंजिबल परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	विकास के तहत ईआरपी
कुल वहनीय राशि	
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	-
जोड़कर	2.30
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**2.30**
संचित हानि :	
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान शुल्क	-
क्षति	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान शुल्क	-
क्षति	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	
नेट कैरिंग एमाउन्ट	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**2.30**
31 मार्च, 2021 के अनुसार	-

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियाँ

(क) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों का एजिंग सूची शेड्यूल

	की अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएं प्रगति पर हैः					
विकास के तहत ईआरपी	2.30		-		2.30
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :					
कुल	**2.30**		**-**		**2.30**

(ख) विकास के तहत अतिदेय अमूर्त संपत्ति

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 7 : निवेश

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
गैर-चालू		
शेयर में निवेश	-	-
संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी शेयर	-	-
अन्य निवेश	.	-
सुरक्षित बॉंड में	-	-
कोऑपरेटिव शेयर में	-	.
कुल	-	-
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की कुल राशि	-	-
चालू		
म्यूचुअल फंड निवेश		
यूटीआई म्यूचुअल फंड	-	-
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान	-	-
एलआईसी म्यूचुअल फंड	-	-
एसबीआई म्यूचुअल फंड	-	-
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	-	-
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	-	-
बीओआई एएसक्सए म्यूचुअल फंड	-	-
कुल	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की कुल राशि	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 8 : ऋण

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
अन्य ऋण		
– प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	0.08	-
– अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
– क्रेडिट इम्पेयर्ड	-	-
	0.08	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	0.08	-
कुल	**0.08**	**-**
चालू		
अन्य ऋण		
– प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-.	-
– अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
– क्रेडिट इम्पेयर्ड		
– संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	**-**	**-**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
गैर चालू		
12 महीने की परिपक्वता अवधि से अधिक समय के लिए बैंक जमा	-	-
निम्नलिखित के तहत बैंक के पास जमा		
– माइन क्लोजर प्लान	-	-
– स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि योजना	-	-
सिक्यूरिटी डिपोजिट	5.49	1.10
घटाकर : संदिग्ध सिक्यूरिटी डिपोजिट के लिए भत्ता	0.04	0.04
अन्य जमा और प्राप्य *	-	-
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	-	-
	5.45	1.06
कुल	**5.45**	**1.06**
चालू		
सीआईएल के साथ चालू खाता शेष	**53.63**	55.63
आईआईसीएम के साथ शेष	-	-
घटाकर : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
अर्जित ब्याज	0.94	1.92
दावे और अन्य प्राप्तियां	**55.84**	63.63
घटाकर : संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	-	-
	55.84	63.63
कुल	**110.41**	**121.18**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i) अग्रिम पूँजी	**2.95**	1.60
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**-**	-
	2.95	1.60
(ii) अग्रिम पूँजी के अलावे अग्रिम		
(क) अन्य जमा और अग्रिम	**-**	0.13
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधन	**-**	-
	-	0.13
(ख) पार्टी से संबंधित अग्रिम	-	-
कुल	**2.95**	**1.73**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	0.04	0.05
घटाकर : संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता	-	-
	0.04	**0.05**
(ख) पार्टी से संबंधित अग्रिम	-	-
(ग) अन्य अग्रिम और जमा *	146.41	134.32
घटाकर : संदिग्ध अन्य जमाओं और अग्रिमों के लिए भत्ता	0.25	0.25
	146.16	**134.07**
(घ) प्रप्तियोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	28.33	37.70
		-
	28.33	37.70
कुल	**174.53**	**171.82**

टिप्पणी :

1-(ड़) **अन्य जमा एवं अग्रिम ***

	31.03.2022	31.03.2021
अग्रिम (एक्सए)	0.28	0.74
टी.ए.	0.82	0.73
चिकित्सा अग्रिम	0.24	0.38
भारत के अग्रिम सीआईएल सर्वेक्षण	77.37	77.37
अग्रिम सीआईएल सीआईएमएफर प्रयोगशाला	21.18	21.18
सी बी एम परियोजना	0.11	0.11
आयकर अंडर प्रोटेस्ट **	38.31	27.15
अन्य	8.10	6.66
कुल	**146.41**	**134.32**

** आयकर अंडर प्रोटेस्ट 38.31 करोड़ रुपये है। इसमें से 0.95 करोड़ रुपये का का सम्बन्ध वर्ष 2012-13, से है, 23.73 करोड़ रुपये का सम्बन्ध वर्ष 2017-18, से है, रुपये का 0.64 करोड़ का सम्बन्ध वर्ष 2016-17, से है, रु 0.68 करोड़ रुपये का सम्बन्ध वर्ष 2014-15, से है। 0.58 करोड़ का संबंध वर्ष 2010-11, से है, रु 0.12 करोड़ का संबंध वर्ष 2016-17, से है, रु 0.45 का सम्बन्ध वर्ष 2017-18, से है, रु 11.16 करोड़ का संबंध वर्ष 2018-19 से है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 12 : वस्तु सूची

(करोड़ रु. में)

		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	कोयले का भंडार		
	विकास के तहत कोयला	-	-
	कोयले के भंडार (निबल)	-	-
(ख)	भंडारों एवं पार्टपूर्जों (लागत पर) का स्टॉक	13.07	10.82
	जोड़कर : मार्गस्थ स्टोर	-	
	स्टोर एवं स्पेयर का निबल स्टॉक	**13.07**	**10.82**
(ग)	सेंट्रल अस्पताल में दवा का स्टॉक	-	-
(घ)	कार्यशाला कार्य और प्रेस जॉब		
		13.07	**10.82**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13 : पेशागत प्राप्ति

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
चालू		
पेशागत प्राप्ति		
– प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	**815.90**	892.33
– क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
– क्रेडिट इम्पेयर्ड	**3.35**	4.48
	819.25	**896.81**
घटाकर : बैड एवं संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	**3.35**	4.48
कुल	**815.90**	**892.33**

पेशागत देय एजिंग शेड्यूल	**लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					**कुल**
विवरण	**6 महीना से कम**	**6 महीना 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य–विचारणीय वस्तु	555.08	113.28	69.89	23.23	57.77	819.25
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(iii) अविवादित क्रेडिट इम्पेयर्ड						
(iv) अविवादित व्यापार प्राप्य–विचारणीय वस्तु						
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट इम्पेयर्ड						
कुल						
बकाया देय						
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता					3.35	3.35
अपेक्षित ऋण हानि (हानि और प्रावधान) - %						0.41%

पेशागत प्राप्तियों में सीआईएल और सहायक कंपनियों के समूह के भीतर ₹ 586.10 करोड़ की बकाया राशि शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 568.11 करोड़) और उस पर मान्यता प्राप्त भत्ते शून्य (पिछले वर्ष शून्य)। बाहरी समूह से बकाया में ₹ 232.89 करोड़ शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹ 328.70 करोड़) और उस पर मान्यता प्राप्त भत्ते ₹ 3.35 करोड़ हैं (पिछले वर्ष ₹ 4.48 करोड़)।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 14 : नकद और नकद समतुल्य

(करोड़ रु. में)

		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	बैंक के पास शेष		
	– जमा लेखा में		
	– चालू लेखा में		
	इंटरेस्ट बेअरिंग (सीएलटीडी)	**146.00**	60.10
	नॉन इंटरेस्ट बेअरिंग	**14.94**	10.69
	– नकद क्रेडिट लेखा में	**-**	-
(ख)	भारत के बाहर बैंक शेष	**-**	-
(ग)	हाथे चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	**0.01**	0.01
(घ)	पास में नकद	**0.02**	0.02
(ड़)	भारत से बाहर के पास में नकद	**-**	-
(च)	इम्प्रेस्ट अकाउंट	**-**	-
	कुल नकद और नकद समतुल्य	**160.97**	70.82
(छ)	बैंक ओवरड्राफ्ट	**-**	-
	कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल)	**160.97**	70.82

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक शेष

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
बैंक के पास शेष		
– जमा लेखा	**40.14**	122.14
– चल रही परियोजनाओं के लिए सीएसआर फंड	**-**	-
– माइन क्लोजर प्लान	**-**	-
– स्थानान्तरण और पुनर्वास निधि योजना	**-**	-
– शेयर के बाईबैक के लिए एस्क्रो लेखा	**-**	-
– अदेय लाभांश लेखा	**-**	-
– लाभांश लेखा	**-**	-
कुल	**40.14**	**122.14**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 16 : इक्विटि शेयर पूँजी

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
अधिकृत		
1000/- प्रति इक्विटी शेयर वाले 15,00,000 इक्विटी शेयर	**150.00**	150.00
	150.00	**150.00**
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूँजी		
(कोल इंडिया लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी तथा इसके नामिती)		
पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1,000/- रू. के 8 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1,000/-रू. के 8 इक्विटी शेयर)		
1,000/- प्रत्येक के 1322992 इक्विटी शेयर प्राप्त विचार के लिए पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित किया गया नकद के अलावा अन्य (पिछले वर्ष 1,000 प्रत्येक के 275792 इक्विटी शेयर)	**132.30**	132.30
ऋण को इक्विटी में बदलकर नियंत्रक कंपनी के नकद हेतु पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/- रू. के 105000 इक्विटि	**10.50**	10.50
कुल	**142.80**	142.80

1 प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित कंपनी में शेयर

शेयर होल्डर के नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक 1000 रू. के अंकित मूल्य)	कुल शेयर का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड	1,428,000	100%

2 रिर्पोटिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का निपटान/समाधान

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (करोड़ रू. में)
01.04.2020 के अनुसार शेष	380,800	38.08
वित्त वर्ष 2020-21 के अनुसार शेष वृद्धि (बोनस)	1,047,200	104.72
01.04.2021 के अनुसार शेष	1,428,000	142.80
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 के अनुसार शेष	1,428,000	142.80

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रु. में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	रिटेन्ड अर्निंग	अन्य व्यापक आमदनी	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व				
01.04.2020 तक शेष राशि	**-**	**18.57**	**22.37**	**484.06**	**25.80**	**550.80**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	0.19	15.85	-	-	16.04
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(0.98)	-	-	-	(0.98)
इस साल का मुनाफ	-	-	-	316.96	-	316.96
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुर्नमाप (कर का शुद्ध)	-	-	-	-	(7.12)	(7.12)
विनियोग						-
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण				(15.85)		(15.85)
अंतरिम लाभांश				(64.77)		(64.77)
अंतिम लाभांश				(30.91)		(30.91)
कॉर्पोरेट लाभांश कर						-
बोनस शेयर जारी करना			(22.37)	(82.35)		(104.72)
31.03.2021 तक शेष राशि	**-**	**17.78**	**15.85**	**607.14**	**18.68**	**659.45**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	2.20	14.10	-	-	16.30
वर्ष के दौरान समायोन	-	(1.08)	-	(14.10)	-	(15.18)
इस साल का मुनाफा	-	-	-	282.12	19.94	302.06
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(60.59)	-	(60.59)
अंतिम लाभांश	-	-	-	(30.32)	-	(30.32)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक शेष राशि	**-**	**18.90**	**29.95**	**784.25**	**38.62**	**871.72**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 18 : उधारी

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
गैर-चालू (नन-करेंट)		
टर्म लोन		
– बैंक से	-	-
– अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य लोन	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूति	-	-
चालू		
माँग पर पुनः देय ऋण		
– बैंक से	-	-
– अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूति	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 19 : पेशागत देय

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	0.42
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	**150.94**	209.24
कुल	**150.94**	209.66

व्यापार देय : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों कुल बकाया देय राशि

	31.03.2022	31.03.2021
क) मूलधन और ब्याज राशि का भुगतान अभी बाकी है, लेकिन अवधि समाप्त होने के कारण नहीं	**शुन्य**	0.42
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज, प्रदत्त अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ।	**शुन्य**	शुन्य
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया ब्याज और देय (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	**शुन्य**	शुन्य
घ) अवधि के अंत में अर्जित ब्याज और शेष भुगतान	**शुन्य**	शुन्य
ड़) आगे के वर्षों में भी बकाया देय ब्याज और देय है, जब तक कि उपरोक्त तारीखों के ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	**शुन्य**	शुन्य

पेशागत देय एजिंग शेड्यूल	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया			
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
i) एमएसएमई				
ii) अन्य	150.81			0.13
iii) एमएसएमई के कारण विवादग्रस्त				
iv) अन्य के कारण विवादग्रस्त				
v) बिना बिल का बकाया				

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
गैर-चालू		
सिक्युरिटी डिपॉजिट	**78.30**	85.80
अर्नेस्ट मनी	**0.19**	2.97
अन्य	**-**	-
कुल	**78.49**	88.77
चालू		
अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष निधि	**-**	-
निम्न के साथ चालू लेखा	**-**	-
– अनुषंगी कंपनियाँ	**-**	-
– आईआईसीएम	**-**	-
दीर्घकालीन ऋण का चालू परिपक्वता	**-**	-
अप्रदत्त लाभांश	**-**	-
सिक्युरिटी जमा	**15.46**	3.81
अर्नेस्ट मनी	**2.10**	1.13
पूंजीगत व्यय के लिए देय	**8.95**	12.38
कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व	**38.98**	50.13
अन्य	**7.44**	9.70
कुल	**72.93**	77.15

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
– ग्रेच्यूटि *	**44.77**	76.03
– छुट्टी नकदीकरण *	**0.26**	76.20
– सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ *	**38.83**	45.10
– अन्य कर्मचारी लाभ	**4.89**	10.97
साइट रेस्टोरेशन / माइन क्लोजर	**-**	-
अलग करने की गतिविधि	**-**	-
अन्य	**0.01**	0.01
कुल	**88.76**	208.31
चालू		
कर्मचारी लाभ		
– ग्रेच्यूटि *	**21.74**	31.79
– छुट्टी नकदीकरण *	**8.01**	11.27
– सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ *	**8.06**	11.39
– एक्सग्रेसिया	**14.08**	15.29
– कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान	**84.46**	63.25
– अन्य कर्मचारी लाभ **	**8.53**	2.07
	144.88	135.06
साइट रेस्टोरेशन / माइन क्लोजर	**-**	-
कोयले के क्लोजिंग स्टॉक पर एक्साइज डयूटि	**-**	-
अन्य **	**-**	-
कुल	**144.88**	**135.06**

टिप्पणी :

* ग्रेच्यूटी देनदारियों 96.35 करोड़ रुपये की सीमा तक शुद्ध किया गया है।

* सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देयता को 67.85 करोड़ रुपये की सीमा तक शुद्ध किया गया है।

* छुट्टी नकदीकरण देनदारियों को 92.75 करोड़ रुपये की सीमा तक शुद्ध किया गया है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 22 : अन्य गैर चालू देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
स्थानांतरण और पुनर्वास कोष	-	-
आस्थगित आय	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 23 : अन्य चालू देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
सांविधिक बकाया :		
सांविधिक बकाया	**76.92**	68.84
कोयला आयात हेतु अग्रिम	**-**	-
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	**1.83**	15.54
सेस इक्यूलाइजेशन एकाउन्ट	**-**	-
अन्य देयताएँ	**62.24**	111.31
कुल	**140.99**	195.69

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 24 : परिचालन से राजस्व

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
क. सेवाओं की बिक्री	**1,426.33**	1,753.79
घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी	**217.90**	265.19
निबल बिक्री (क)*	**1,208.43**	1,488.60
ख. अन्य परिचालन राजस्व		
बालू भराई एवं प्रोटेक्टिव कार्यों के लिए सबसिडी	-	-
कोयला आयात के लिए फैसिलीटेशन शुल्क	-	-
लदान एवं अन्य परिवहन शुल्क	-	-
घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी (एक्साइज को छोड़कर)	-	-
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क	-	-
घटाकर : सांविधिक लेवी	-	-
	-	-
सेवाओं से राजस्व	-	-
घटाकर : सांविधिक लेवी	-	-
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (ख)	-	-
परिचालन से राजस्व (क+ख)	**1,208.43**	1,488.60

बिक्री में सीआईएल और सहायक कंपनियों को 1145.93 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1163.47 करोड़ रुपये) और उस पर 174.80 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 177.48 करोड़ रुपये) के तहत सेवाएं शामिल हैं, समूह के बाहर की सेवाओं में सकल रु. 280.39 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 590.32 करोड़) और उस पर स्वीकृत रु. 43.09 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 87.71 करोड़) शामिल हैं।

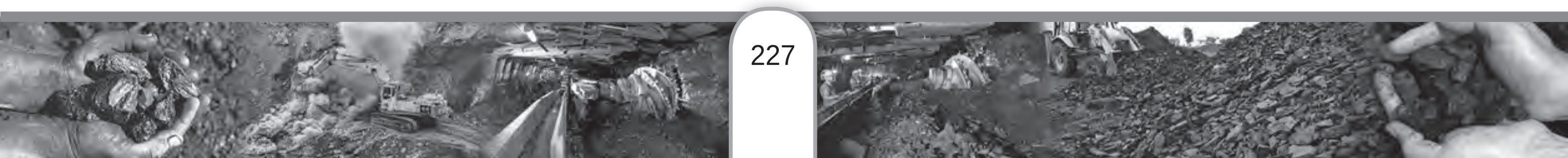

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
ब्याज पर आय	**4.13**	12.16
लाभांश से आय	**-**	-
अन्य		
एपेक्स शुल्क	**-**	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**-**	0.01
विदेशी विनिमय लेनदेन पर प्राप्ति	**0.03**	-
लीज रेंट	**-**	-
बट्टे खाते में वापस लाया गया देयता/प्रावधान	**1.13**	0.03
विविध आय	**24.54**	7.88
कुल	**29.83**	20.08

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 26 : उपभोग्य किए गए सामग्रियों की लागत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
विस्फोटक	**0.02**	-
टिम्बर	**-**	-
आयल एंड लुब्रिकेंट्स	**18.14**	10.54
एचईएमएम स्पेयर्स	-	-
अन्य उपयोग्य भंडार एवं पाटपूर्जे	**15.46**	11.45
कुल	**33.62**	21.99

टिप्पणी 27 : फिनिश्ड गुड्स की वस्तु सूची में परिर्वतन, कार्य प्रगति पर एवं व्यवसाय स्टॉक में विकास

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
कोयले का ओपनिंग स्टॉक		
जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	-	-
	-	-
कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	-	-
	-	-
क. कोयल की वस्तु-सूची में बदलाव	-	-
डब्ल्यूआईपी	-	-
जोड़कर : ओपनिंग स्टाक का समायोजन	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
	-	-
डब्ल्यूआईपी	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
	-	-
ख. वर्कशॉप की वस्तु सूची में बदलाव	-	-
प्रेस ओपनिंग जॉब		
i) फिनिश्ड गुड्स	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
	-	-
घटाकर : प्रेस क्लोजिंग जॉब		
i) फिनिश्ड गुड्स	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
	-	-
ग. प्रेस जॉब के क्लोजिंग स्टॉक के वस्तु-सूची में परिवर्त्तन	-	-.
ट्रेड में स्टॉक की वस्तु-सूची में परिवर्त्तन (क+ख+ग) डिक्रिशन/एक्रीशन	-	-.

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ पर व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस आदि	**434.05**	358.87
पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	**119.03**	137.62
कर्मचारी कल्याण व्यय	**17.74**	55.34
कुल	**570.82**	551.83

टिप्पणी 29 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
सीएसआर व्यय	**6.86**	4.66
कुल	**6.86**	4.66

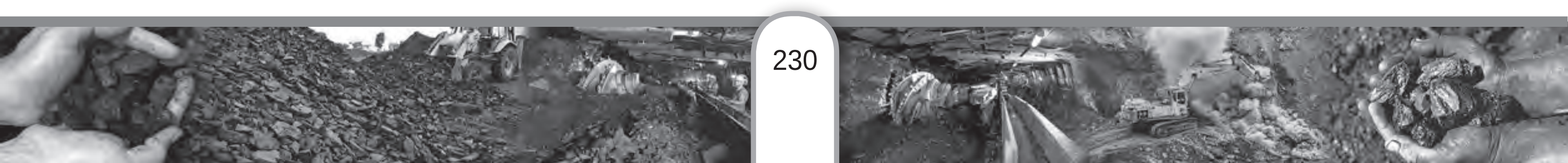

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 29 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (जारी....)

सीएसआर के लिए टिप्पणी

(करोड़ रु. में)

क) सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022		समाप्त वर्ष के लिए 31.03.21
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	4.93		2.75
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	0.8		1.45
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.47		0.13
पर्यावरणीय स्थिरता	0.62		0.12
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	0		0.00
सशास्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	0		0.00
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	0		0.00
समाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान	0		0.00
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान	0		0.00
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	0		0.00
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0		0.01
स्लम क्षेत्र का विकास	0		0.20
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	0		0.00
व्यापक व्यय	0.04		
कुल	**6.86**		**4.66**

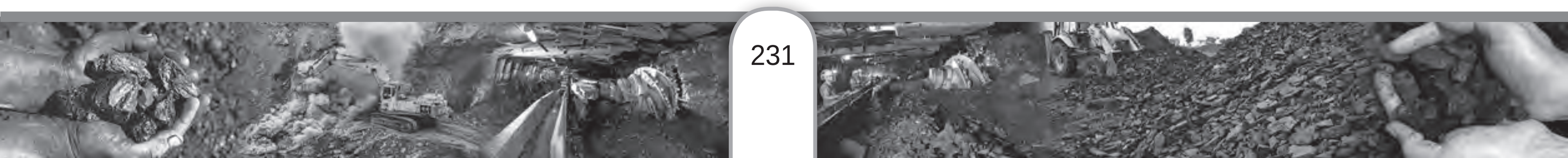

ख) सीएसआर व्यय ब्रेक-अप

(करोड़ रु. में)

क) वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	6.61	4.65
ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	7	5
ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शुन्य	शुन्य
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	शुन्य	शुन्य

ग) चल रही परियोजना के अलावा अव्ययित राशि [धारा 135(5)]

	ओपनिंग बैलेंस	6 महीने के भीतर अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में जमा राशि	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	6 महीने के भीतर अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में जमा राशि	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	क्लोजिंग बैलेंस
चल रही परियोजना के अलावा अव्ययित राशि	शुन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

घ) खर्च हुई अधिक राशि [धारा 135(5)]

वर्षवार विवरण	ओपनिंग बैलेंस	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	क्लोजिंग बैलेंस
2021-22	शुन्य	6.61	6.86	6.61	6.86	0.25

ड.) मौजूदा परियोजनाएं [धारा 135(6)] (वर्षवार विवरण दिया जाएगा)

वर्षवार विवरण	ओपनिंग बैलेंस			वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी		क्लोजिंग बैलेंस	
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते में	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
2021-22	शुन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान

	ओपनिंग बैलेंस	विवेच्य अवधि के दौरान वृद्धि	विवेच्य अवधि के दौरान वृद्धि समायोजन	क्लोजिंग बैलेंस
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	0.92	1.36	1.38	0.9

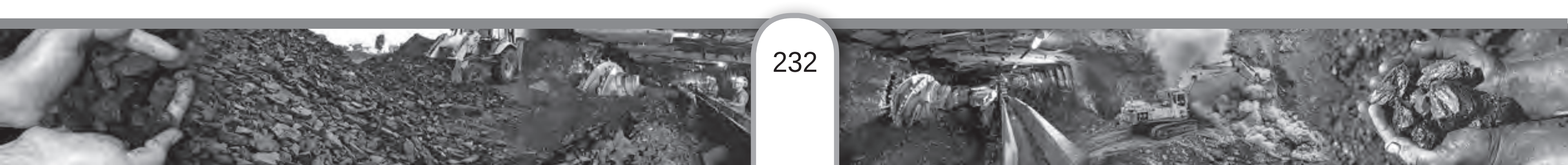

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
भवन	**8.51**	5.34
संयंत्र एवं मशीनरी	**10.01**	10.31
अन्य	**2.74**	9.69
कुल	**21.26**	25.34

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
परिवहन शुल्क :		
प्लांट और उपकरणों की हायरिंग	**-**	-
अन्य संविदात्मक कार्य	**145.87**	406.94
कुल	**145.87**	406.94

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
व्याज पर खर्च		
उधारी	**-**	-
डिसकाउन्ट्स का अन–वाइडिंग	**0.07**	0.07
अन्य	**-**	0.09
कुल	**0.07**	0.16

टिप्पणी 33 : प्रावधान (नेट ऑफ रिवर्सल)

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
निम्नलिखित के लिए भत्ता / प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	**-**	1.45
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	**-**	-
भंडार एवं पाट पूर्जे	**-**	-
अन्य	**-**	-
कुल	**-**	1.45

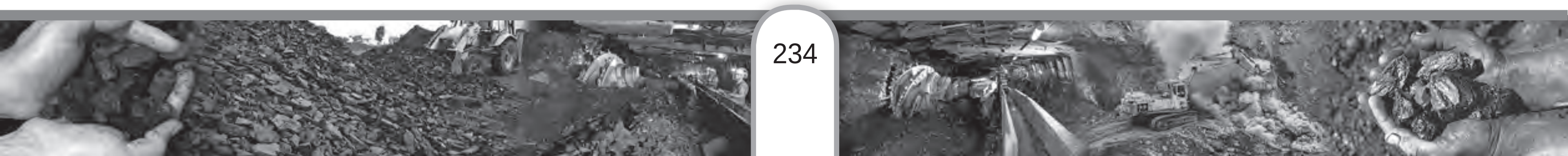

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते में डाला गया (गत प्रावधान का निबल)

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
ग्रेड विभिन्नता	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
अन्य	-	0.05
घटाकर :– पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	0.05
कुल	**-**	**0.05**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
यात्रा व्यय	**13.93**	12.27
प्रशिक्षण खर्च	**1.76**	0.56
टेलीफोन एवं पोस्टेज	**4.76**	1.63
विज्ञापन एवं प्रचार	**1.31**	1.19
ढुलाई भाड़ा	**-**	-
डीमूरेज	**-**	-
सुरक्षा व्यय	**20.27**	19.86
सीआईएल का सेवा शुल्क	**-**	-
किराया शुल्क	**12.92**	10.43
लीगल खर्च	**0.08**	0.06
परामर्शी शुल्क	**0.81**	0.73
अंडर लोडिंग शुल्क	**-**	-
परिसंपत्तियों की बिक्री / त्याग / सर्वेक्षण पर नुकसान/फायदा	**-**	-
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक एवं व्यय		
– लेखा परीक्षण शुल्क के लिए	**0.08**	0.09
– कराधान मामले के लिए	**0.04**	-
– अन्य सेवाओं के लिए		0.09
– किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए	**-**	0.22
आन्तरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा पर व्यय	**1.00**	0.48
पुनर्वास शुल्क	**-**	-
किराया (लीज) पट्टे का किराया	**0.18**	0.80
दर एवं कर	**1.34**	0.46
बीमा	**0.33**	0.08
विनियम दर में विभिन्नता पर हानि	**0.06**	-
रेस्कयू/सुरक्षा व्यय	**-**	-
डेड रेंट/सर्फेस रेंट	**-**	-
साइडिंग मेंटेनेंस शुल्क	**-**	-
आरएंडडी पर व्यय	**-**	-
पर्यावरणिक एवं वनारोपण व्यय	**1.75**	0.36
विविध खर्च	**7.53**	9.23
कुल	**68.15**	58.54

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
चालू वर्ष	**75.03**	95.14
आस्थगित कर	**8.89**	2.39
पूर्व वर्ष	**-**	-
कुल	**83.92**	97.53

कर व्ययों का रिकॉन्सिलिएशन और लेखांकित लाभ	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
कर पूर्व लाभ	366.04	414.49
25.168% की आयकर दर पर	92.12	104.32
घटाकर : स्वीकार्य व्ययों	23.45	24.21
जोड़कर : गैर कटौती योग्य व्यय	6.36	15.03
नॉर्मल के अनुसार आयकर व्यय (क)	75.03	95.14
MAT प्रावधान (Sec 115JB) के अन्तर्गत आयकर (ख)	-	-
क/ख के लिए अधिक कर देय	**75.03**	**95.14**
मैट क्रेडिट इंटाईटिलमेंन्ट	-	-
आस्थागित कर	8.89	2.39
पूर्व वर्षों के लिए कर	-	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर खर्च	**83.92**	**97.53**
प्रभावी आयकर दर :	**22.93**	**23.53**

Deferred tax liability relates to following:	**31.03.2022**	**31.03.2021**
क) आस्थागित कर जमा		
संदिग्घ अग्रिम के लिए प्रावधान, दावे, और ऋण	0.85	1.20
कर्मचारी का लाभ	75.75	83.28
अन्य (कर को मिला कर हानि)	0.04	0.04
कुल का (क)	76.64	84.52
ख) आस्थागित कर नामें		
सावधि जमा के संबंध में	**9.67**	**8.66**
अन्य	-	-
कुल का (ख)	**9.67**	**8.66**
क्रेडिट नेट (क-ख)	**66.97**	**75.86**

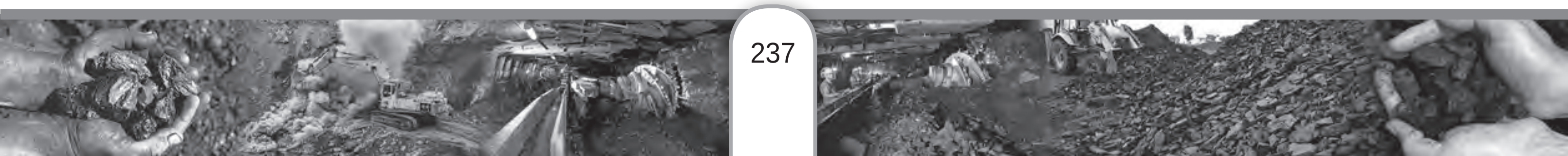

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 37 : अन्य विस्तृत आय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2022	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2021
(क) (i) वैसे मद जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	**26.65**	(9.51)
	26.65	(9.51)
(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	**6.71**	(2.39)
	6.71	(2.39)
कुल (क)	**19.94**	(7.12)
(ख) (i) वैसा मद जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुर्नवर्गीकृत किया जाएगा।		
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	**-**	-
		-
(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	**-**	-
	-	-
कुल (ख)	**-**	-
कुल (क + ख)	**19.94**	(7.12)

1. **परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्माप पर आयकर में 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए वर्तमान कर 6.71 करोड़ रू. (31-03-2021 को समाप्त अवधि के लिए – 2.39 करोड़ रू.)**

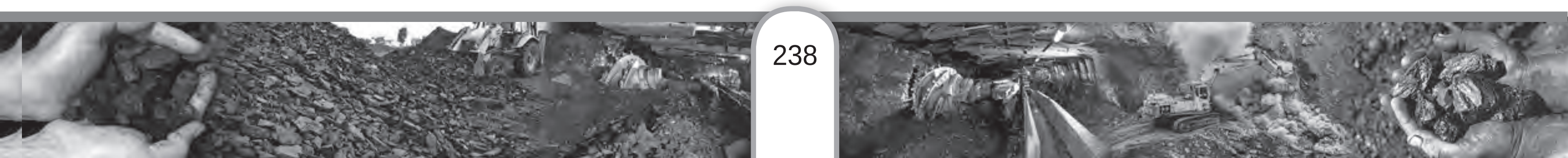

टिप्पणी -1 निगमित सूचना

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) की स्थापना कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य बाहरी कंपनियों भू–वैज्ञानिक, भू–भौतिकी, जलभू–वैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक डाटा सृजन सहित कोयला एवं खनिज गवेषण में परामर्शी सहायता देने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। सीएमपीडीआई शिड्यूल ''बी''/मिनी रत्न कैट–। सीपीएसई है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण कोयला मंत्रालय के अधीन है। सीएमपीडीआईएल 100 प्रतिशत (पूर्णतः) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसका निबंधित कार्यालय गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची 834031, झारखंड भारत में स्थिति है। कंपनी की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी 31 मार्च, 2022 के अनुसार क्रमशः 150 करोड़ रूपए तथा 142.80 करोड़ रूपए है।

टिप्पणी-2 महत्वपूर्ण लेखा नीति

2.1 तैयारी का आधार :

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय विवरण मापन के हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर तैयार किया गया है।

- फेयर वैल्यू के आधार पर कुछ निश्चित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं
- डिफाइंड बेनेफिट प्लान–फेयर वैल्यू के आधार पर प्लान परिसंपत्तियों का मापन
- लागत पर वस्तुसूची (Invenories) या NRV जो भी कम हो

2.1.1 रकम को पूर्णांक में बदलना (राउडिंग ऑफ)

यदि कोई अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, तो इस वित्तीय विवरण में रकम को दो दशमलव अंक तक करोड़ रूपए में राउन्ड ऑफ किया गया है।

2.2 करेंट एवं नन करेंट वर्गीकरण

कंपनी करेंट/नॉन करेंट वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करता है।

किसी परिसंपत्ति को चालू (करेंट) के रूप में माना जाता है जब :

क) इसे सामान्य परिचालन चक्र (सायकिल) में परिसंपत्तियों को वसूल (रियलाइज) करने की उम्मीद हो, इसे बिक्री या खपत करने का इरादा हो।

ख) व्यापार के उद्देश्य से प्रारंभिक तौर पर परिसंपत्ति को रखता (होल्ड करता) हो,

ग) प्रतिवेदित अवधि के बाद बारह माह के भीतर परिसंपत्ति को वसूल (रियलाइज) करने की संभावना हो; या

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य होता है (जैसा कि इंडएएस 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर के लिए बदले जाने या दायित्व के निपटारा के लिए प्रयुक्त होने से प्रतिबंधित न हो। अन्य सभी परिसंपत्ति को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक संस्था चालू के रूप में एक दायित्व को वर्गीकृत करेगीरू

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में दायित्व का निपटान करने की अपेक्षा करता है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए दायित्व रखता है;

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देय होने के कारण देयता है; या

घ) इरिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को रद्द करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। एक दायित्व की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे के द्वारा इसके निपटान में इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देयताओं का गैर–चालू (नन करेंट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 राजस्व की पहचान

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की पहचार तब की जाती है जब वस्तुओं और सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो उस विचार को दर्शाता है, जिसके अनुसार कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने यह सामान्य निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्थाओं प्रमुख है, क्योंकि यह वसतुओं या सेवाओं के ग्राहकों को हस्तांतरण से पूर्व विशिष्ट तौर नियंत्रित करता है।

निम्नलिखित 5 चरणों का प्रयोग करते हुए Ind AS 115 का सिद्धांत लागू होता है :

चरण I–अनुबंध की पहचान :

निम्नलिखित सभी कसौटियों के पूरा करने पर ही कंपनी एक ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए उत्तरदायी है :

क) अनुबंध करने वाली पार्टियों ने अनुबंध की स्वीकृति दी है और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो;

ख) वस्तुओं और सेवाओं की स्थानांतरित करने के लिए कंपनी प्रतयेक पार्टी के इस संबंध में अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग) वस्तुओं और सेवाओं को स्थानांतरिक करने के लिए कंपनी भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में व्यावसायिक तत्व हों (जैसे अनुबंध के परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्य के नकद प्रवाह से संबंधित खतरा, समय और राशि में परिवर्तन होने की संभावना); और

ड.) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होगा जिन्हें ग्राहक को हस्तांतरित किया जाएगा। विचार करने की राशि, जिसके लिए कंपनी हकदार होगी, अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है, यदि विचार परिवर्तनशील है, क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, छूट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या समान आइटम के लिए हकदार हो सकती है।

अनुबंध का संयोजन :

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों की एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पार्टियों) के साथ एक ही समय में एक ही अनुबंध मानकर प्रवेश करेगी यदि निम्नलिखित मानदंडों में एक या अधिक का पालन हो :

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में नेगोशिएट करती है;

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है;

ग) अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुएँ और सेवाएँ (या प्रत्येक अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुएँ या सेवाएँ) एक एकल प्रदर्शन दायित्व है।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दो स्थितियाँ मौजूद हों तो कंपनी अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में स्वीकार करेगी।

क) अनुबंध का दायरा बढ़ जाता है वचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के जोड़ अलग–अलग होते हैं और

ख) अनुबंध की कीमत एक विचारणीय मात्रा में बढ़ जाती है जो कंपनी की अतिरिक्त बचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के स्टैंड अलोन बिक्री मूल्य को दर्शाती हैं और विशिष्ट अनुबंध की परिस्थितियों को उस मूल्य के लिए कोई उपयुक्त समायोजन दर्शाता है।

चरण-2 प्रदर्शन दायित्वों की पहचान करना

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचानती है कि ग्राहक को हसतांतरित करने का प्रत्येक वादा या तो :

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं और सेवाओं का एक बंडल) अलग–अलग है या

ख) अलग–अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न है।

चरण-3 लेन-देन की कीमत का निर्धारण

लेन–देन की कीमत का निर्धारण करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों व अपनी प्रचलित व्यावसायिक प्रथाओं को ध्यान में रखती है। लेन–देन की कीमत के तौर पर उस राशि पर विचार किया जाता है, जिसे कंपनी ग्राहकों को वचनबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण के बदले प्राप्त करने की आशा करती है। तीसरे पक्ष हेतु एकत्रित राशि की गणना इसके अंतर्गत नहीं की जाती है (ग्राहकों के साथ अनुबंध में जिन वायदों पर विचार किया जाता है उनमें निश्चित या परिवर्ती या दोनों की राशियाँ शामिल होती है।

जब लेन–देन की कीमतों का निर्धारण किया जाता है, जब एक कंपनी निम्नलिखित प्रभावों को ध्यान में रखती है :

– वैरिएबल कंसिडरेशन

– वैरिएबल कंसिडरेशन की बाधा का अनुमान

– महत्वपूर्ण वित्तीय अवयवों की मौजूदगी

– नॉन–कैश कंसिडरेशन

– ग्राहक को देय कंसिडरेशन

कंसिडरेशन की राशि– छूट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य में छूट, प्रोत्साहनों, प्रदर्शन बोनसों या इसी तरह की वस्तुओं के कारण अलग–अलग हो सकती है। वायदा किया गया कंसिडरेशन की अलग–अलग हो सकता है यदि कंपनी भविष्य की आकस्मिक घटनाओं से प्रभावित होती है।

कुछ अनुबंधों में, पेनाल्टी स्पष्ट होती है। इन मामलों अनुबंध के सार के अनुसार पेनाल्टी दी जाती है। जहाँ लेन–देन की कीमत के निर्धारण में पेनाल्टी निहित है, वह वैरिएबल कंसिडेरेशन के भाग का निर्माण करता है।

कंपनी अनुमानित वैरिबल कंसिडरेशन की राशि के कुछ या संपूर्ण राशि को एक सीमा तक शामिल करती है, जिसके संबंध में यह अत्याधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक वैरिएबल के साथ जुड़ी अनिश्चितता का बाद में समाधान नहीं कर लिया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर यह अपेक्षा की जाती है तो, एक महत्वपूर्ण वित्तीय अवयवों के प्रभाव के लिए कंपनी वायदा की गई कंसिडरेशन की राशि को समायोजित नहीं करती है। जब कि वह किसी ग्राहक को एक वचनबद्ध वस्तु या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है जिसके बीच की अवधि एक वर्ष या कम होगी।

कंपनी रिफंड देयता की पहचान करती है यदि कंपनी ग्राहक से कंसिडरेशन प्रापत करती है और उस कंसिडरेशन की राशि का कुछ भाग या पूरी राशि के ग्राहक की रिफंड किए जाने की संभावना है। एक रिफंड देयता प्राप्त (या

प्राप्ति के योग्य) कंसिडरेशन की राशि के आधार पर मापी गई है, जिसके लिए कंपनी के हकदार होने की संभावना नहीं है। जैसे लेन–देन की कीमत में शामिल नहीं होने वाली राशि) रिफंड देयता (और लेन–देन की कीमत में संबंधित परिवर्तन, जिसके कारण अनुबंध देयता में भी परिवर्तन हो) परिस्थिगत परिवर्तनों के लिए प्रतयेक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संशोधित की जाती है।

अनुबंध की स्थापना के बाद विभिन्न कारणों से लेन–देन की कीमत में परिवर्तन हो सकता है। इन कारणों में अनर्शि्चत घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन शामिल हैं जो वायदा की गई वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के बदले में प्राप्त होने वाली संभावित कंसिडरेशन राशि, जिसकी हकदार कंपनी है, में परिवर्तन करते हैं।

चरण-4 : लेन-देन की कीमत का आवंटन :

कंपनी के लिए लेन–देन की कीमत के आवंटन का उद्देश्य प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) को लेन–देन की कीम का आवंटन एक ऐसी राशि के रूप में हो जो कंसिडरेशन की उस राशि को दर्शाता हो जो ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के बदले कंपनी प्राप्त करने की संभावित हकदार हो।

प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को लेन–देन की कीमत का आवंटन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के सापेक्षिक आधार पर करने के लिए, कंपनी अनुबंध की स्थापना में प्रतयेक प्रदर्शन दायित्व को अंतर्निहित अलग–अलग वस्तु या सेवा के अनुबंधन पर स्टैंड अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के अनुपात में लेन–देन की कीमत आवंटित करती है।

चरण-5 : राजस्व की पहचान :

कंपनी राजस्व की पहचान तब (या जैसे) करती है जब ग्राहक को हस्तांतरित वायदा की गई वस्तु और सेवा के प्रदर्शन दायित्व से संतुष्ट हो। एक वस्तु या सेवा तब (या जैसे) हस्तांतरित की जाती है जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय के साथ वस्तु और सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए समय के साथ ही प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करते हुए राजस्व की पहचान करती है, यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड प्राप्त हो :

क) ग्राहक एक कंपनी के द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और खपत करता है, जैसा कि कंपनी करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी संपत्ति बनाता है या बढ़ाता जिसे ग्राहक उस संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है जिसे बनाया या बढ़ाया जाता है;

ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ एक संपत्ति का सृजन नहीं करता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के लिए भुगतान करने हेतु प्रवर्तनीय अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रतयेक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्राप्ति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व की प्रगति के मापन के लिए कंपनी एक ही तरीका लागू करती है और समान परिस्थितियों में समरूप प्रदर्शन दायित्वों के लिए कंपनी निरंतर उसी तरीके को लागू करती है। प्रतयेक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति का पुनर्मापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष स्थानांतरित वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक की मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए आउटपुट तरीके से लागू करती है। आउटपुट विधियों में प्रदर्शन के सर्वेक्षण से लेकर आज तक पूर्ण किए गए परिणाम प्रापत परिणामों का मूल्यांकन, मील के पत्थर तक पहुँच, बीते हुआ समय और उत्पादित या प्रदत्त इकाईयाँ शामिल है।

समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कंपनी प्रगति के अपने मापकों में संशोधन करती है ताकि प्रदर्शन दायित्व के आउटकम में होने वाले किसी भी परिवर्तन को दर्शाया जा सके। प्रगति की कंपनी के मापकों ऐसे में परिवर्तन Ind As 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुरूप लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए कंपनी राजस्व की पहचान केवल तभी करती है यदि वह प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति का तार्किक मापन कर सके। जब (या जैसे) प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है तब कंपनी लेन–देन की कीमत की राशि की गणना राजस्व के रूप में करती है।

यदि समय के साथ प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट नहीं होता है, तब कंपनी समय के एक बिन्दु पर प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। समय के एक बिन्दु या समय विशेष; जिसमें कि ग्राहक वायदा की गई वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है तथा जिसमें कंपनी प्रदर्शन दायित्व से संतुष्ट होती है, का निर्धारण करने के लिए कंपनी; नियंत्रण के हस्तांतरण के सूचकों जो निम्नलिखित से युक्त लेकिन उसी तक सीमित नहीं है, पर विचार करती है :

क) वस्तु और सेवा के लिए भुगतान का अधिकार कंपनी के पास है;

ख) वस्तु या सेवा का ग्राहक के पास विधिक टाइटल है;

ग) कंपनी ने वस्तु और सेवाओं के भौतिक नियंत्रण को हस्तांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास वस्तु और सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण खतरा और पुरस्कार है;

ड.) ग्राहक के पास वस्तु और सेवा को स्वीकार कर लिया हो।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंध पर निर्भर करते हुए अनुबंध को अनुबंध परसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में बैलेंस शीट में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग–अलग प्राप्य के रूप विचार करने के बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध परिसंपत्तियाँ :

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमय में कंसिडरेशन का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा कंसिडरेशन के भुगतान के पहले या भुगतान के देय होने के पहले किसी वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरण है तो, अर्जित कंसिडरेशन; जो कि शर्तों के अधीन है, के लिए एक अनुबंध परिसंपत्ति की पहचान की जाती है।

ट्रेड रिसिवेबल्स :

एक प्राप्य (रिसिवेबल्स); कंसिडरेशन की एक राशि जो शर्तों के अधीन है; के संबंध में कंपनी के अधिकार को व्यक्त करता है। (जैसे देय कंसिडरेशन के भुगतान के पूर्व केवल समय के पैसेज की आवशकता होती है)

अनुबंध देयताएँ :

एक अनुबंध देयता ग्राहक को उन वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण की बाध्यता है, जिसके बदले कंपनी ने ग्राहक से कांसीडरेशन प्रापत किया हो (याकंसिडरेशन की एक राशि देय हो)। कंपनी द्वारा ग्राहक को वसतुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के पूर्व यदि ग्राहक द्वारा कंसिडरेशन का भुगतान किया जाता है, तब एक अनुबंध देयता की पहचान की जाती है जबकि भुगतान कर दिया गया हो या देय हो (दोनों में जो भी पहले हो)। जब कंपनी अनुबधं के अंतर्गत कार्य कर रही हो तो अनुबंध देयता की राजस्व के रूप में देखा जाता है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग कर ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब पेमेंट को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित कर लिया गया हो।

अन्य दावे

अन्य दावे (ग्राहकों से देरी से किये गए रियलाइजेशन पर ब्याज सहित) की गणना तब की जाती है जब रियलाइजेशन की निश्चितता हो और उसका मापन विश्वसनीय ढंग से हो सके।

सीएमपीडीआई, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा परामर्शी सेवा से प्राप्त राजस्व

गवेषण, माइन प्लानिंग/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं के लिए परामर्शी सेवा से उत्पन्न राजस्व की पहचान विभिन्न कोटि के ग्राहकों के लिए अपनाए गए सूत्र के आधार पर किया जाता है। होल्डिंग कंपनी एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों को प्रदत्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण लागत+पीएंडडी सेवाओं के लिए सेवा कर का 10 प्रतिशत, विभागीय ड्रिलिंग के लिए 7.5 प्रतिशत, आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा किए गए ड्रिलिंग के लिए सेवा कर 7.5 से 20 प्रतिशत तक एकरूपता के साथ किया जाता है। पर्यावरण मानिटरिंग कार्य का मूल्य निर्धारण 2017 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दर के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। 1.4.2018 से एक पृथक लागत केंद्र (जियोमेटिक्स) लागू किया गया। पहले यह पीएंडडी कार्य आंतरिक परामर्श में शामिल था।

2.4 सरकार से अनुदान :

सरकारी अनुदान की पहचान तब तक नहीं की जाती है जब तक यह पर्याप्त आश्वासन नहीं मिल जाता है कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों को पूरा करेगी तब अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

उस अवधि में लाभ एवं हानि लेखा में सरकारी अनुदान की पहचान योजनाबद्ध आधार पर की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को व्यय के रूप में पहचान करती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा होता है।

परिसंपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में अनुदान को स्थापित कर तुलन–पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

अआय से संबंधित अनुदान (यानि परिसंपत्तियों से इतर से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक ''अन्य आय'' के तहत लाभ या हानि के विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान की गई खर्च या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के कारण प्राप्ति योग्य होता है, या किसी भावी खर्च के साथ इंटिटी के लिज तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) होता है उसकी उस अवधि के लाभ या हानि में पहचान की जाती है जिस अवधि में वह प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) हो जाता है।

2.5 पट्टा (लीज)

एक अनुबंध है, या होता है, एक पट्टा अगर अनुबंध विचार के बदले में किसी समयावधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है तो वह अनुबंध है, या उसमें अनुबंध के गुण शामिल हैं।

2.5.1 पट्टादाता के रूप में कंपनी

प्रारंभ तिथि में, पट्टेदार को लागत पर एक सही उपयोग परिसंपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को पहचानना होगा जो कि सभी पट्टों के लिए उस तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम नहीं हो या अंतर्निहित संपत्ति कम मूल्य की है।

इसके बाद, राइट–टू–यूज एसेट को कॉस्ट मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज देनदारी पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ली जाने वाली राशि को बढ़ाकर लीज देयता को मापा जाता है, किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन के लिए ली गई भुगतानों को दर्शाने हेतु कैरी की राशि को कम करने और ले जाने के लिए रीम्यूरिंग राशि को प्रतिबिंबित करने के लिए।

जब तक कि वह वित्त प्रभार को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता प्राप्त है, जब तक कि लागत अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल नहीं होती है।

यदि पट्टाय पट्टे की अवधि के अंत तक पट्टेदार को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करता है या यदि राइट–ऑफ–यूज संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार एक खरीद विकल्प का उपयोग करेगा, तो संपत्ति के उपयोगी जीवन पर राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है। अन्यथा, पट्टादाता राइट–ऑफ–यूज संपत्ति के अधिकार से पहले के उपयोग के अधिकार की संपत्ति के जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत से पहले राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति का मूल्यास करेगा।

2.5.2 पट्टाकर्त्ता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे हैं।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह काफी हद तक सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक है। एक पट्टे को एक ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित जोखिम के स्वामित्व में प्रासंगिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टे–

परिचालन पट्टों से लीज भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि नहीं होता है जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम होता है।

वित्त पट्टे–

एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में अपनी बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए उसमें निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

इसके बाद, पट्टे की अवधि में वित्त आय को मान्यता दी जाती है, जो पट्टे पर पट्टेदार के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है।

2.6 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

भूमि को ऐतिहासिक लागत मूल्य पर वहन (कैरी) किया जाता है। ऐतिहासिक मूल्य में वैसा खर्च शामिल है, जो संबंधित विस्थापित व्यक्ति के लिए दिए जाने वाले रोजगार आदि के बदले में पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापना लागत तथा मुआबजा आदि वाले जमीन अधिग्रहण को प्रतयक्ष तौर पर प्रभावित करता है।

पहचान के बाद अन्य सभी संपत्तियों के मदों, संयंत्र एवं उपकरण संचित मूल्यहास तथा लागत में संचित इम्पेयरमेंट हानि को घटाकर इसकी लागत पर वहन (कैरी) किया जाता है। संपत्ति के किसी मद, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत में निम्नलिखित शामिल है :

क) इसकी खरीद मूल्य में व्यापार छूट एवं राहत को घटाने के बाद आयात कर तथा गैर वापसी योग्य क्रय कर शामिल है।

ख) किसी परिसंपत्ति को उचित स्थान तक लाने तथा प्रबंधन द्वारा इच्छित ढंग से परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने वाली लागत।

ग) किसी मद को विखण्डित करने एवं हटाने तथा जिस स्थान पर वह स्थापित है उसके पुनरूद्धार करने की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन या जब आइटम खरीदा गया हो या उस अवधि के दौरान इन्वेटरी को उत्पादित

करने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किसी खास अवधि के दौरान उपयोग करने के परिणामस्वरूप होने वाले इंटीटी का दायित्व।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत सहित किसी आइटम का प्रत्येक भाग जो आइटम की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण हो, का मूल्यह्रास पृथक रूप से किया जाता है। तथापि, समान उपयोगी जीवन वाले प्रतयेक आइटम का प्रमुख भाग तथा मूल्यह्रास पद्धति को मूल्यह्रास चार्ज निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहित किया जाता है।

'मरम्मत एवं रख–रखाव' के लिए विहित दैनिक सर्विसिंग लागत को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसे अवधि में इसे यह हुआ है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद को बदलने वाले भाग की परवर्ती लागत है उसके कैरिंग अमाउन्ट में पहचान की जाती है, यदि यह संभावना हो कि आइटम के साथ संबंधित भावी आर्थिक लाभ ग्रुप तक फ्लो करेगा और उस आइटम की लाग विश्वसनीय तौर पर आँकी जा सकती है। बदले गए पार्टों की कैरिंग रकम को नीचेदी गई डिरिकोग्नाइजेशन नीति के अनुसार डिरोकोग्नाइज किया जाता है।

जब कोई बड़ा (महत्वपूर्ण) निरीक्षण (इंसपेक्शन) किया जाता है तो संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के आइटम के कैरिंग रकम की पहचान प्रति स्थापन के रूप में की जाती है, यदि संभावना हो कि आइटम से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ ग्रूप तक फ्लो करेगा और आइटम की लागत को विश्वसनीय तौर पर आँका जा सकता है। बचे हुए पूर्व निरीक्षण (इंस्पेक्शन) की लागत की कैरिंग रकम डिरोक्नाइज होता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी के किसी आइटम को निपटान पर या परिसंपत्ति के सतत् उपयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो, पर डिरिकोग्नाइज किया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के किसी आइटम के इस डिरिकोग्निजीशन के फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है।

फ्री होल्ड जमीन को छोड़कर, सम्पत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के आकलित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लागत मॉडेल के अनुसार किया जाता है।

अन्य भूमि

(पट्टे वाली जमीन सहित)	:	परियोजना का जीवन काल या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो
भवन	:	3–60 वर्ष
सड़क	:	3 से 10 वर्ष
दूर संचार	:	3 से 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	:	5 से 15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 से 6 वर्ष
फर्निचर एवं फिक्सर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 से 10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस अवधि में प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद करता है। इसलिए कंपनियों के अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित संपत्ति का उपयोगी जीवन उनके उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/हटा दी गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास को प्रो–राटा के आधार पर जोड़ ६ निपटान के महीने के संदर्भ में प्रदान किया जाता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल हैं जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार परिशोधन पर (एमोर्टाइज) किया जाता है तथा लीजहोल्ड जमीन के मामले में लीज होल्ड अवधि या परियोजना के जीवन, जो भी कम हो, के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

पूर्णतः वैसी मूल्यह्रासित परिसंपत्ति जो सक्रिय इस्तेमाल लायक नहीं रह गया है, को सम्पत्ति, संयंत्र, उपकरण के तहत इसके रिसिड्यूअल मूल्य पर सर्वे आफ परिसंपत्ति के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर किए गए खर्च जो सामान के उत्पादन, आपूर्ति के लिए या कंपनी के विद्यमान परिसंपत्ति के मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हो, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इनेबिंलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

Ind AS के लिए संक्रमण :

कंपनी ने लागतम मॉडल के अनुसार कैरिंग मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया है (अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त Ind ASs, के लिए संक्रमण की तारीख के रूप में, पिछले GAAP के अनुसार मापा जाता है)।

2.7 अप्रत्यक्ष (इन्टन्जिबुल) परिसम्पत्ति :

पृथक रूप से अधिगृहित अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को लागत पर प्रारंभिक पहचान के आधार पर आँका जाता है। बिजनेस कंबिनेशन में प्राप्त अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति की लागत अधिग्रहण के समय उसका उचित मूल्य होता है। इनिशीयल रिकोग्निजेशन के अनुसरण में अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर स्ट्रेटलाइन आधार पर परिकलित) तथा संचित इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर कैरी किया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागत सहित आंतरिक सृजित परिसंपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बदले में इससे संबंधित खर्च को लाभ या हानि विवरण में तथा जिस अवधि में खर्च किया जाता है उस अवधि में विस्तृत आय की पहचान की जाती है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति का उपयोगी जीवन को या तो सीमित (फाइ नाइट) या इन्डेफिनिट के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है तथा जहाँ यह संकेत हो कि अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति इम्पेयर हो सकता हो वहाँ इसे इम्पेयरमेंट (हानि/क्षति) के लिए मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसम्पति के लिए परिशोधित अवधि तथा परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के कम–से–कम अंत में की जाती है। संभावित उपयोगी जीवन या भावी आर्थिक लाभ की खपत की संभावित पैटर्न जिसे परिसंपत्ति में मूर्त रूप दिया गया हो परिशोधन अवधि को रूपान्तरित करने पर विचार किया जाता है तथा उसे लेखा प्राक्कलन में परिवर्त्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में की जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इम्पेयरमेंट की पहचान की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के डिरिकोगनाइजेशन से उत्पन्न लाभ या हानि को नेट डिस्पोजल प्रोसिडिंग तथा परिसंपत्तियों के कैरिंग अमाउन्ट के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ एवं हानि लेखा में इसकी पहचान की जाती है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में चिन्हित साफ्टवेयर की लागत उपयोग के लिए वैधानिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो कम हो, पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर की जाती है।

2.8 परिसंपत्ति की हानि (इम्पेयरमेंट)

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी यह मूल्यांकित करती है कि क्या यह संकेत है कि परिसम्पत्ति को इम्पेयर किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत है, तो कंपनी इस परिसंपत्ति की वसूली योग्य मात्रा का आकलन करती है। परिसंपत्ति का वसूली योग्य रकम प्रयोग में लाई जा रही परिसंपत्ति से या केश जेनरेटिंग इकाई से ज्याद है तथा इसका उचित मूल्य डिसपोजल की लागत से कम है तथा इसे व्यक्तिगत परिसंपत्ति निर्धारित किया जाता है। जब तक कि परिसंपत्ति वैसा कैश सृजित नहीं करता हो जो अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से वैधानिक रूप से स्वतंत्र हो, जिस मामले में वसूली योग्य रकम कैश जेनरेटिंग इकाई जिसकी वह है, के लिए निधारित किया जाता है। इम्पेयरमेंट के परीक्षण के उद्देश्य से कंपनी इडिविजुअल खानों को कैश जेनेरेशन की एक अलग इकाई के रूप में विचार करती है।

यदि एक परिसंपत्ति की रिकवरी के योग्य राशि इसकी वहनीय राशि से कम अनुमानित की जाती है, जब वहनीय राशि (carrying amount); परिसंपत्ति की रिकवरी के योग्य राशि से कम हो जाती है और इम्पेयरमेंट हानि की गणना लाभ ओर हानि के विवरण में की जाती है।

2.9 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट एक संविदा है जो किसी इंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति है तथा दूसरी इक्विटी के इन्टीटी इन्स्ट्रूमेंट या वित्तीय देयता को उत्थान प्रदान करता है।

2.9.1 वित्तीय परिसंपत्ति

2.9.1 प्रारंभिक पहचान (रिकॉग्निशन) एवं माप

प्रारंभ में सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली लागत को जोड़कर की जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया हो, वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री जिसकी विनियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय–सीमा के भीतर सुपुर्दगी अपेक्षित हो, की पहचान व्यापार की तिथि, यानि जिस तिथि को कंपनी खरीदती या बेचती हो, पर की जाती है।

2.9.2 परवर्ती माप

वित्तीय देयता की परवर्ती माप का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 कोटि के आधार पर की जाती है :

- परिशोधित लागत पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीओसीआई)
- लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट, ब्युतपन्न तथा इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीपीएल)
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर मापित इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीओसीआई)

2.9.2.1 डीरिकग्नीशन

एक वित्तीय संपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या इसी तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) मुख्य रूप से व्युत्पन्न है (जब बैलेंस शीट से हटा दिया गया है):

• संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या

• कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या एक पास–थ्रू व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को सामग्री की देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व मान लिया है, और या तो

क) कंपनी परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या

ख) किंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या पास–थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब यह परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों के न तो हस्तांतरित और न ही पर्याप्त रूप से हस्तांतरित किया गया है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया गया है, तो कंपनीय कंपनी की निरंतर भागीदारी की हद तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी पहचानती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देयता को एक आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि और कंपनी को चुकाने के लिए आवश्यक अधिकतम राशि के निचले स्तर पर मापा जाता है।

2.9.2.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति (इम्पेयरमेंट) (उचित मूल्य के अतिरिक्त)

इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी ने निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति एवं क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर पर इम्पेयरमेंट हानि की माप एवं पहचान के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रयोग में लाती हैः

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण इंस्ट्रूमेंट है और जिसकी माप परिशोधित लागत यानि ऋण, डेब्ट सिक्यूरिटी डिपोजिट, ट्रेड रीरिवेबुल और बैंक बैलेंस आदि पर की जाती है डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट हैं।

ख) वित्तीय परिसंपत्यिाँ जो डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट है उन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग) इंडएएस 17 के तहत प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) लीज

घ) रीसिवेबुल ट्रेड या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार (राइट) जो ट्रान्जेक्शन के परिणाम स्वरूप हुआ हो, वे इंड एएस 11 तथा इंड एएस 18 के क्षेत्र में आता है।

कंपनी निम्नलिखित पर इम्पेयरमेंट हानि (लॉस) की पहचान के लिए ''सरलीकृत दृष्टिकोण (अप्रोच) का अनुसरण करती है :

- ट्रेड रीसिवेबुल या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रीसिवेबुल ; तथा
- इंड एएस 17 के क्षेत्र के भीतर ट्रान्जक्शन के परिणामस्वरूप सभी रीसिवेबुल लीज 1

कंपनी को सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग में कंपनी को क्रेडिट रिस्क में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि इसकी प्रारंभिक पहचान से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक लाइफटाइम ईसीएल के आधार पर यह इम्पेयरमेंअ लॉस अलाउएन्स की पहचान करता है।

2.9.3 वित्तीय देयताएँ

2.9.3.1 प्रारंभिक पहचान एवं माप

कंपनी की वित्तीय देयता में ट्रेड एवं अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित लोन और उधारी शामिल है।

सभी वित्तीय देयता की पहचान फेयर वैल्यू पर की जाती है, यदि लोन एवं उधारी तथा देयता, प्रत्यक्षतः एट्रीब्यूटेबुल ट्रांन्जक्शन कास्ट का नेट हो।

2.9.3.2 परवर्ती माप

वित्तीय देयता की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

2.9.3.3 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखे गए वित्तीय देयताएँ तथा लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान पर नामित (डिजिग्नेटेड) वित्तीय देयता शामिल है। वित्तीय देयता को ''ट्रेडिंग के लिए रखे गए'' के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट भविष्य में खरीद के

उद्देश्य के लिए खर्च किए गए हैं। इस कोटि में कंपनी द्वारा की गई उत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स शामिल है जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेड्ज रिलेशनशीप में हेड्जिंग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित किया जाता है। सेपरेटेड इमवेडेड डेरिवेटिव्स (ब्युत्पन्न) को भी हेल्ड फार ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब तक कि उन्हें इफेक्टिव हेड्जिग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिए रखे गए (हेल्ड फार ट्रेडिंग) देयता पर प्राप्ति (गेन) या हानि की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की गई है।

लाभ या हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर आरंभिक रिकोग्नाइजेशन पर डिजिग्नेट वित्तीय देयता को वास्तव में रिकोग्नाइजेशन की आरंभिक तिथि तथा इंड एएस 109 में दिए गए मानदंड को पूरा करने पर ही डिजिग्नेटेड किया जाता है। एफवीटीएल के रूप में डिजिग्नेटेड देयताओं के लिए अपने क्रेडिट रिस्क में बदलाव के कारण फेयर वैल्यू प्राप्ति (गेन)/हानि को ओसीएल में रिकोग्नाइज किया गया है। ये प्राप्ति(गेन/हानि पीएंडएल में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा कंपनी संचित प्राप्ति (गेन) हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। इस प्रकार देयता के फेयर वैल्यू में अन्य सभी परिवर्त्तन की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। कंपनी ने लाभ एवं हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर किसी वित्तीय देयता को डिजीग्नेट नहीं किया है।

2.9.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक पहचान (रिकोग्नाइजेशन) के बाद, इन्हें प्रभावी व्याज दर पद्धति का प्रयोग कर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्ति (गेन) तथा हानि की लाभ या हानि में तब पहचान की जाती है, जब देयता को डिरिकोग्नाइज के साथ–साथ प्रभावी व्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट या किस्त तथा प्रभावी व्याज दर के किसी अभिन्न हिस्से के रूप में लगे शुल्क या लागत/मूल्य को ध्यान में रख कर की जाती है। प्रभावी व्याज दर परिशोधन को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह कोटि सामान्यतः उधारी में लागू होती है।

2.9.3.5 डिरिकोग्नाइजेशन

किसी वित्तीय देयता को तब डिरिकोग्नाइज्ड किया जाता है, जब देयता के तहत दायित्व डिस्चार्ज या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब वर्तमान देयता को महत्वपूर्ण भिन्न शर्त या वर्तमान देयता की पर्याप्त ढंग से रूपान्तरित शर्त के आधार पर उस उधारदाता से दूसरे उधारदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब इस तरह के बदलाव या रूपान्तरण को मूल देयता तथा नया दायित्व की पहचान को डिरिकोग्नाइज्ड माना जाता है। समाप्त (इक्सटिंग्विस्ड) वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के किसी भाग) या अन्य पार्टी को स्थानांतरित तथा कन्सिडेरेशन पेड सहित गैर नकद परिसंपत्ति हस्तांतरित या मानी गई देयता के कैरिंग रकम के बीच के अंतर को लाभ या हानि में रिकोग्नाइज किया जाता है।

2.9.4 वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनवर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक पहचान के बाद उन वित्तीय परिसंपत्तियों के कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट तथा वित्तीय दायित्व हो। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण इन्स्ट्रूमेंट हो, के लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए बिजनेस माडल में कोई बदलाव किया गया हो। बिजनेस मॉडेल में परिवर्त्तन शायद ही कभी (इन्फ्रीक्वेंट) होने की उम्मीद है। कंपनी के वरीय प्रबंधन कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हो, बाहरी या आंतरिक परिवर्त्तन के फलस्वरूप बिजनेस मॉडल में हुए परिवर्त्तन को निर्धारित करता है। ऐसा परिवर्त्तन बाहरी पार्टियों के साक्ष्य हैं। बिजनेस माडल में बदलाव तभी आता है, जब कंपनी वैसे क्रिया–कलाप या तो शुरू करती है या बंद कर देती है, जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण हों। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्यिों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की की तिथि से परिप्रेक्ष्य रूप से पुनर्वर्गीकरण पर लागू होती है, बिजनेस मॉडल में बदलाव के बाद अगली रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल बाद का दिन पहला दिन होता है। ग्रुप किसी प्रकार के पूर्व का रिकोग्नाइज्ड प्राप्ति (गेन), हानि (इम्पेयरमेंट गेन या हानि सहित) या ब्याज को रिस्टेट नहीं करता है।

निम्नांकित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण तथा किस प्रकार उनकी गणना की जाती है, को दर्शाता है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखागत प्रतिपादन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि से की जाती है। पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के अंतर की पहचान पीएंडएल में की गई है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया ग्रास कैरिंग रकम (अमाउन्ट) होता है। न्यू ग्रास कैरिंग रकम के आधार ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर की जाती है पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के बीच के अंतर को ओसीआई में पहचान की जाती है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तिथि को फेयर वैल्यू इसका नया परिशोधित लागत कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। तथापि, ओसीआई में संचित लाभ या हानि को फेयर वैल्यू के मुकाबले समायोजित की जाती है। उसके बाद परिसंपत्ति की माप ऐसे की जाती है मानो इसे परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। कोई अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों की माप इसके फेयर वैल्यू पर जारी था। ओसीआई में पूर्व में चिह्नित संचित प्राप्ति या हानि को पुनर्वर्गीकरण को तिथि को पीएंडएल के पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.9.5 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताएँ आफसेट होते हैं तथा नेट रकम को समेकित तुलन–पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है, यदि रिकोग्नाइज्ड रकम को आफसेट करने के लिए प्रवर्तनीय वैधानिक अधिकार हो तथा परिसंपत्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटारा साथ–साथ करने हेतु नेट आधार पर सेटल करने का इरादा हो।

2.9.6 नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट

बैलेंस शीट में नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट बैंकों और हाथों पर नकदी और महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधिन है। नकद प्रवाह के समेकित बयाज के प्रयोजन के लिए नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट में उपर परिभाषित अनुसार नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

2.10 कराधान

आयकर व्यय, वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर आयकर की वह रकम है जो किसी अवधि के लिए (कर योग्य आय) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है। लाभ या हानि तथा अन्य विस्तृत आय के विवरण में की गई रिपोर्ट के अनुसार ''आयकर के पहले लाभ'' से कर योग्य लाभ में अंतर है क्योंकि इसमें आय एवं खर्च के वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो अन्य वर्ष में कटौती योग्य या कर योगय हैं। इसमें से भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो कभी भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हो। वर्त्तमान कर के लिए कंपनी की देयता का परिकलन उस दर का प्रयोग कर किया जाता हे जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक इनेक्ट या पर्याप्त रूप से इनेक्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण में आस्थगित कर की पहचान परिसंपत्ति की कैरिंग करम तथा देयता और कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के आधार पर की जाती है। सामान्यतः आस्थगित कर देयता की पहचान सभी करयोग्य अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के लिए को जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए इस सीमा तक की जाती है कि यह संभव है कि कर योगय लाभ उपलबध होगा जिसके विरूद्ध उन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पहचान नहीं किया जाती है। यदि अस्थयी अंतर (टेम्पोररी डिफरेंस) किसी ट्रान्जेक्शन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के प्रारंभिक पहचान (किसी बिजनेस कम्बिनेशन के अलावा) से या गुडविल से उत्पन्न हुआ हो जिसका प्रभाव न तो कर योग्य लाभ पड़ता है और न ही लेखा लाभ पर।

अनुषंगी कंपनी तथा सम्बद्ध कंपनियों के निवेश से संबंधित कर योग्य अंतर के लिए आस्थगित कर देयता की पहचान उनको छोड़कर की जाती है, जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम हो तथा यह संभव है कि निकट भविश्य में अस्थायी अंतर वापस नहीं होता हो। इस प्रकार के निवेश तथा ब्याज से सम्बद्ध कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर की पहचान इस सीमा तक की जाती है । यह संभव है कि र्प्याप्त कर योग्य लाभ होगा जिसके विरूद्ध अस्थायी अंतर के लाभ का उपयोग करना है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति कैरिंग रकम की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इस सीमा तक घटा दी जाती है कि लम्बे समय तक यह संभव है कि पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिससे परिसंपत्ति के पूरे या किसी भाग को वसूल (रिकवर) किया जा सकेगा।

अनरिकोग्नाइज्ड आस्थगित कर का पुनर्मूल्यांकन रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है इस हद तक पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है कि यह संभव हो चुका है कि वसूली योग्य आस्थगित कर परिसंपत्ति को पूरे या किसी भाग का प्रबंध करने (अलाउ) के लिए पर्याप्त कर येाग्य लाभ उपलबध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता की गणना उस टैक्स दर पर की जाती है, जिन्हें उस अवधि में उपयोग किए जाने की संभावना हो जिसमें देयता को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति को वसूला (रियलाइज) किया जाता है, उस टैक्स दर (कर कानून) पर जो रिपोटिंग अवधि के अंत तक इनेक्ट या पर्याप्त ढंग से इनेक्ट किया जा चुका हो।

आस्थगित कर देयता एवं परिसंपत्ति की गणना (माप) कर परिणाम को दर्शाता है जो इस ढंग से अनुसरण करेगा कि कंपनी को रिपोटिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्ति तथा देयता के कैरिंग रकम को वसूल या निपटाने (सेटल) करने की उम्मीद हो।

लाभ या हानि में वर्त्तमान एवं आस्थगित कर की पहचान उस तिथि को छोड़कर की जाती है जब उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य विस्तृत आय या सीधे इक्विटी में चिहि्न्त (पहचान) की गई है जिस मामले में चालू एवं आस्थगित कर भी पहचान क्रमशः अन्य विस्तृत आय या प्रत्यक्षतः इक्विटी में की गई है। जहाँ किसी बिजनेस कंबिनेशन के लिए प्रारंभिक लेखा (अकाउटिंग) से चालू कर या आस्थगित कर उत्पन्न होता है, वहाँ बिजनेस कम्बिनेशन के लिए कर प्रभाव को लेखा (अकाउटिंग) में शामिल किया गया है।

2.11 कर्मचारियों के लाभ

2.11.1 अल्पकालीन लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ (समाप्ति लाभों के अलावा) हैं जिनके वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है।

2.11.2 नियोजन के बाद लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

2.11.2.1 परिभाषित (डिफाइन्ड) अंशदान योजना

भविष्य निधि तथा पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान योजना नियोजन के उपरांत दी जाने वाली लाभ योजना हे जिसके तहत कानून के अधिनियम (इनएक्टमेंट) के तहत गठित पृथक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा मेनटेन किए जा रहे कोष में कंपनी निर्धारित अंशदान देती है तथा कंपनी के पास अतिरिक्त रकम को देना के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में यह कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

2.11.2.2 परिभाषित (डिफाइन्ड) लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना नियोजन के उपरांत लाभ योजना है जो परिभाषित अंशदान योजना से अलग है। ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजना (लाभ पर सीमा (सिलिंग) है। परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व (ओब्लिगेशन) की गणना भावी लाभ की रकम का आकलन कर की जाती है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अपने सेप के लिए अर्जित किया है। इस लाभ को इसके वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए डिसकाउन्ट कर दिया जाता है तथा प्लान परिसंपत्ति, यदि कोई हो, के फेयर वैल्यू तक घटा दिया जाता है। डिसकाउन्ट रेट रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार के प्रतिभूति के प्रचलित बाजार उत्पादन पर आधारित होता है जिसकी परिपक्वता की तिथि कंपनी के दायित्व के समय आसपास तथा वह उसी करेंसी में डेनोमिनेटेड होता है जिसमें लाभ दिए जाने की संभावना रहती है।

एक्चुरियल वैल्यू के प्रयोग में डिस्काउन्ट दर, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल का संभावित दर भावी वेतन वृद्धि, मोर्टालिटी दर आदि शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालीन प्रवृत्ति के कारण ये आकलन अनिश्चित है। प्रतयेक तुलन पत्र में गणना प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का प्रयोग कर अक्चुअरी द्वारा की जाती है। जब गणना का परिणाम कंपनी के लाभ में प्रतिफलित होता है, तब रिकोग्नाइज्ड परिसंपतित उस आर्थिक के लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित होता है, जो योजना से किसी भावी रिफंड या योजना में भावी योगदान के रूप में उपलब्ध होता है। आर्थिक लाभ कंपनी को तभी होता है, जब यह योजना की जीवन अवधि में वसूलीयोग्य या योजना देयता के सेटलमेंट पर वसूलीयोग्य होता है। शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की पुनर्माप में योजना परिसंपत्ति (व्याज को छोड़कर) पर रिटर्न पर विचार करते हुए अक्चुरियल प्राति (गेन) तथा हानि शामिल है तथा परिसंपत्ति की सीलिंग (सीमा) के प्रभाव की पहचान तत्काल अन्य विस्तृत आय में की जाती है।

तत्कालीन निबल परिभाषित अंशदान एवं लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी तरह के बदलाव को ध्यान में रखकर निबल ब्याज दर उस समय निबल परिभाषित देयता के प्रति वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित लायदायित्व की माप करने के लिए प्रयुक्त डिसकांडट दर को लागू कर निबल अवधि देयता पर निर्धारित की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व को माप करने के लिए प्रयुक्त डिस्काउन्ट दर को लागू कर अवधि के लिए निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर निबल व्याज व्यय निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल व्याज व्यय तथा अन्य व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की जाती है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब कर्मचारी द्वारा की गई विगत की सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के भाग की पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में तत्काल की जाती है।

2.11.3 कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों में वे आइटम शामिल हैं जिन्हें वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का कुल योग लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है :

(क) सेवा लागत

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर पुनः माप

2.12 विदेशी मुद्रा

जिस वातावरण में कंपनी काम करती है उस आर्थिक वातावरण के प्रमुख करेंसी होने के नाते कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी तथा इसके बड़े संचालन की कार्यकारी करेंसी भारतीय रूपया (आईएनआर) है।

ट्रान्जेक्शन तिथि को प्रचलित विनियम दर का प्रयोग कर विदेशी मुद्रा में ट्रान्जेक्शन को कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में प्रभावी मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनियम दर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। मैट्रिक परिसंपत्ति तथा देयता के निपटारा तथा मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को परिवर्तित करने के फलस्वरूप उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरण में प्रारंभिक पहचान पर उन्हें परिवर्तित किया गया था, से अलग दर पर लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में पहचान की जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न हुई हो।

गैर मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में डीमॉनेटाइज्ड किया जाता है, जो लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनियम दर पर मूलयवान है।

2.13 वस्तु सूची

2.13.1 स्टोर एवं स्पेयर्स

केंद्रीय तथा क्षेत्र में स्थित स्टोर एवं स्पेयर पार्ट (जो लूज टूल्स को भी शामिल करता है) के स्टॉक पर प्राइस्ड स्टोर लेजर में दिए गए बैलेंस के अनुसार विचार किया जाता है तथा भारित औसत पद्धति (वेटेड अवरेज मेथड) के आधार पर परिकलित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/सबस्टोर्स/ड्रिलिंग कैम्पों/उपयोग केंद्रों पर पड़े स्टोर्स एवं स्पेयर पार्टों की वस्तुसूची पर विचार भौतिक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार वर्षांत में किया जाता है तथा लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त तथा अप्रयुक्त स्पेयर एवं पार्टों के लिए 100 प्रतिशत की दर पर प्रावधान किया जाता है तथा 5 वर्ष से उपयोग में नहीं लाए गए स्पेयर पार्टों के लिए 50 प्रतिशत की दर पर किया जाता है।

2.13.2 अन्य वस्तु सूची

स्टेशनरी के स्टॉक के मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होन के कारण उन पर वस्तु सूची के लिए विचार नहीं किया जाता है।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान की पहचान तब की जाती है, जब वर्तमान दायित्व पिछली (विधिक और संरचनात्मक) घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है तथा यह संभव है कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो के दायित्व सेटल करना अपेक्षित होगा तथा दायित्व की रकम का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो वहाँ प्रावधान दायित्व निपटाने के लिए संभावित व्यय को वर्तमान मूल्य पर निश्चित किया जाता है।

सभी प्रावधान की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि में संवीक्षा की जाती है और करेंट बेस्ट आकलन को प्रतिभाषित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभव नहीं है कि इकोनामिक बेनीफिट के लिए आऊटफ्लो की जरूरत होगी अथवा धन को आकलित नहीं किया जाता है का ओब्लिगेशन आकस्मिक देयता के रूप में उल्लेख किया जाता है, क्योंकि इकोनामिक बेनीफिट की आउटफ्लो की संभावना संभव (दूर) नहीं है। संभावित ओब्लिगेशन जिसका अस्तित्व एक या अधिक के आकूरेंस या नन–आकूरेंस द्वारा संपुष्ट करना होगा। भावी अनिश्चितता वाली घटना पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है, को आकस्मिक देयताएँ में उल्लेख किया गया है, क्योंकि आर्थिक लाभ का आउटफ्लो की संभाव्यता न के बराबर (दूर) है।

आकस्मिक परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण में नहीं माना गया है, हालाँकि जब रियलाइजेशन ऑफ इनकम वरचुअली निश्चित होता है तो संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति में नहीं आता है और इसकी पहचान समुचित तरीके से की जाती है।

2.15 प्रति शेयर अर्जन (अर्निंग)

प्रति शेयर मूल अर्जन की अवधि के दौरान इक्विटि शेयर आउटस्टैंण्डिंग के भारित औसत नंबर को कर के बाद निबल लाभ से भाग देकर गणना की जाती है। प्रतिशेयर डायलूटेड अर्निंग की गणना इक्विटि शेयर की भारित औसत नंबर द्वारा कर पश्चात् लाभ से भाग देकर की जाती है और प्रतिशेयर डिराइविंग बेसिक पर विचार किया गया है ओर इक्विटि शेयर का भारित औसत संख्या को सभी को सभी डायलूटड पेटिंशियल इक्विटि शेयर में बदल कर जारी किया जाता है।

2.16 जजमेंटस, एस्टीमेट्स और एजम्पसन

आईएनडी एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन को आकलन, जजमेंट्स और एजम्पसन बनाने की जरूरत होती है, जो वित्तीय विवरण में परिसंपत्ति और देयताओं के रिपोर्टड राशि और आकस्मिक परिसंपत्ति तथा रिपोर्टेड अवधि के दौरान राजस्व और व्यय को प्रकट किया गया है। लेखा नीति को लागू करने में कमप्लेक्स और सबजेक्टिव जजमेंट्स को इस वित्तीय विवरण में एजम्पसन के उपयोग का उल्लेख किया गया है। लेखा आकलन समय–समय पर बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उससे भिन्न हो सकता है। एस्टीमेट और अंडरलाईंग एजम्पसन की संवीक्षा आनगोईंग आधार पर की जाती है। लेखा आकलन का रिवीजन उस अवधि में की जाती है यदि महत्वपूर्ण हो तो जब आकलन को रिवाइज किया जाता है उसके प्रभाव को वित्तीय विवरण की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

2.16.1 जजमेंट्स

कंपनी लेखा नीति का लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन निम्नलिखित जजमेंट (निर्णय) करता है जो वित्तीय विवरण में रिकोगनाइज्ड राशि पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को व्यक्त करता है।

2.16.2 लेखा नीति का निर्माण

लेखांकन नीतियों को इस रूप में तैयार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी होती है, जिन पर वे लागू होते हैं। उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव अपरिहार्य है।

इस नीति की आवश्यकता तब नहीं होती है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो आईएनडीएएस की अनुपस्थिति में जो विशेषकर लेनदेन अन्य इवेन्ट्स या परिस्थिति के लिए लागू होता है, प्रबंधन ने लेखा नीति के विकास और लागू करने के लिए अपने निर्णय (जजमेंट) का उपयोग किया है उसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सूचना शामिल है :

क) उपयोगकर्त्ता की इकोनोमिक डिसीजन–मेकिंग आवश्यकता से सम्बद्ध हो तथा

ख) वह तथा कथित वित्तीय विवरण विश्वसनीय हो,

(1) वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और इनटीटी का कैशफलो को विश्वसनीय तरीके से प्रतिनिधित्व करता हो;

(2) लेन–देन, अन्य इवेन्ट्स और स्थिति के इकोनामिक सबसटांस को बतलाता है, जो लीगल फार्म में नहीं होता है;

(3) यह न्यूट्रल अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त होता है;

(4) विश्वसनीय होता है तथा

(5) निरंतरता के आधार पर सभी महत्वपूर्ण पहलूओं को पूरा करता है।

निर्णय करने में प्रबंधन घटते क्रम में निम्नलिखित के प्रयोज्यता पर विचार करता है :

क) आईएनडी एएस में समान और सम्बधित मुद्दे से निपटा जाता है।

ख) फ्रेम वर्क में परिसंपत्ति, देयता, आय और व्यय के लिए परिभाषा, रिकोगनिशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट अवधारणा।

जजमेंट करने में प्रबंधन इन्टरनेशनल एकाउन्टिंग बोर्ड के मोस्ट रिसेन्ट प्रोनाउंसमेंअ पर विचार करता है, और उसकी अनुपस्थिति में अन्य स्टैर्ग्डड सेटिंग बॉडीज जिसका उपयोग डेवलपमेंट एकान्टिंग स्टैण्डर्ड, अन्य एकाउन्टिंग लिटरेचर का विकास करने के लिए समान कंसेपचूअल फ्रेम वर्क का उपयोग करता हो और इंडस्ट्री प्रैक्टिस को स्वीकार उस सीमा तक करता है, जो उपर्युक्त पाराग्राफ के सोर्स का विरोधाभाषी न हो।

वह ग्रूप जो खनन के क्षेत्र में कार्य करता है (वैसा सेक्टर जहाँ प्रौन टू कंसटेंट चेंजेज और दशकों से चल रहे लीज की अवधि जो विभिन्न टोपोग्राफिकल और जियोमाइनिंग टेरेन के आधार पर गवेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरणों के विकास पर आधारित है) लेखा नीति जहाँ गत विभिन्न दशकों से इसके कंसिस्टेंट एप्लीकेशन को विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित और अनुसंधान समिति द्वारा समर्थित होता है। स्पेसिफिक एकाउन्टिंग लिटरेचर की अनुपस्थिति में कुछ विशेष क्षेत्रों जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में हो के दिशा–निर्देश और मानकों का पालन करता हो। एकाउन्टिंग लिटरेचर और उससे संबंधित विकास आईएनडी एएस 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार लेखे में लिया जाएगा।

लेखे के वास्तविक आधार का उपयोग कर मौजूदा चिंताओं पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

2.16.3 मैटेरियलिटी (महत्वपूर्ण)

आईएनडी एएस वहीं लागू होता है जहाँ आइटम महत्वपूर्ण हो। प्रबंधन यह निर्णय करने में अपने जजमेंट का उपयोग वित्तीय विवरण में इंडीविजुअल आइटम अथवा ग्रूप ऑफ आइटम महत्वपूर्ण है या नहीं में करता है। महत्वपूर्ता का निर्णय आइटम के आकार और प्रकृति से होता है। डिसाइडिंग फेक्टर है कि या तो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट निजी या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णय को प्रभावित करता है या नहीं तथा जिसे वित्तीय विवरण के आधार पर बनाया जाता है। प्रबंधन आईएनडीएस की अनुपूरक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण (मेटेरियलिटि) का जजमेंट का उपयोग करता है। विशेष परिस्थिति में एक आईटम की राशि या प्रकृति या आइटमों का कुल योग डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। प्रेजेन्ट सेपेटेली इमेहेरियल आइटमों के लिए इनटिटि की जरूरत हो सकती है जहाँ कानूनी रूप से जरूरी हो।

1.04.2019 से त्रुटियों/चूकों, जो पिछली अवधि से संबंधित हों तथा जिनका पता मौजूदा वर्ष में लगाया गया हो; महत्वपूर्ण नहीं मानी है और चालू वर्ष (current year) के दौरान समायोजित कर ली जाती है, यदि ये सभी त्रुटियाँ ओर चूकें, सीआईएल की पिछली अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर परिचालन (वैधानिक लेवी का निबल) से प्राप्त कुल राजस्व के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं हों तो।

2.16.3.1 प्राक्कलन और एजम्पसन

अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्ति और देयताएँ केयरिंग राशि को मेटेरियल एजुजसटमेंट के कारण महत्वपूर्ण जोखिम में एसटिमेशन अनसरटेंटी के अन्य की स्रोत और भावी संबंधि मुख्य छूट को नीचे दिया जा रहा है। पारामीटर पर ग्रूप आधारित इसमें छूट और आकलन तभी उपलबध होगा जब कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण तैयार किया गया हो। भावी विकास में छूट और वर्तमान परिस्थिति जो ग्रूप के नियंत्रण से परे मार्केट चेंजेज अथवा परिस्थिति के कारण बदल सकता है। ऐसे परिवर्त्तन एजम्पसन जिसका पता चलता है को दर्शाता है।

2.16.3.2 गैर-वित्तीय परिसंपत्ति में छूट

यदि रिकवरेवल अमाउन्ट कैश जेनेरेटिंग यूनिट अथवा परिसंपत्ति का कैरिंग वैल्यू डिस्पेजल के न्यूनतम लागत और इसके उपयोग मूल्य का फेयर वैल्यू अधिक हो तो इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन होता है। इम्पेयरमेंट के परीक्षण के उद्‌देश्य से सेपरेट कैश जेनरेटिंग यूनिट्स के रूप में इंडिविजुअल खान पर ग्रुप विचार करता है। वैल्यू डीसीएफ मॉडल के आधार पर यूज में वैल्यू की गणना की जाती है। अगले पाँच वर्षों के लिए नकद प्रवाह बजट से होता है तथा इसमें रीस्ट्रकचरिंग एक्टिविटि शामिल नहीं होता है, जिसके लिए ग्रुप वचनबद्ध नहीं होता है अथवा महत्वपूर्ण भावी निवेश जिसका सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्य निष्पादन, बढ़ाएगा का परीक्षण किया जाएगा। गवेषण के उद्‌देश्य के लिए प्रयुक्त ग्रोथ रेट और एक्सपेक्टेड भावी कैश इनफ्लो के साथ-साथ डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त डिस्कांउट रेट के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट संवेदनशील होता है। यह आकलन अन्य माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। विभिन्न सीजीयू के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की एजम्पसन होता है, उल्लेख किया जाता है और संबंधित टिप्पणी में उल्लेखित किया जाता है।

2.16.3.3 कर

आस्थगित कर परिसंपत्ति अप्रयुक्त के लिए उस सीमा तक रिकोगनाइज्ड किया जाता है, जिस सीमा तक हानि को यूटिलाइज्ड करने के विरूद्ध उपलब्ध कर लाभ संभव है। सिग्नलीफिकेन्ट मैनेजमेंट जजमेंट आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन के प्रभावी निर्णय की आवश्यकता होती है ताकि भावी टैक्स स्ट्रेटजी के साथ भावी टैक्सेबुल लाभ के स्तर और संभावित टाइमिंग के आधार पर जाना जा सके।

2.16.3.4 परिभाषित लाभ योजना

डिफाइन्ड बेनीफिट ग्रेच्युटि प्लान की लागत और अन्य पोस्ट इम्पलायमेंट मेडिकल बेनीफिट तथा ग्रेच्युटि ओबलिगेशन का वर्तमान मूल्य को वास्तविक मूल्यांकन का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। वास्तविक मूल्यांकन में मेकिंग वेरियल एजम्पसन, भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकता है। इसमें डिसकांडट दर का निर्धारण, भावी वेतन में बढ़ोत्तरी तथा मोर्टालिटि दर शामिल है।

मूल्यांकन और इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलता के कारण डिफाइन्ड बेनीफिट ओवलिगेशन इन एजम्पसन में परिवर्त्तन से हाईली सेंसेटीव हो जाता है। सभी एजम्पसन की संवीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग डेट पर की जाती है। पारामीटर अधिकांशतः डिसकाउन्ट दर में परिवर्तित होता है। भारत में परिचालित प्लान के लिए समुचित डिस्काउंट दर के निर्धारण में पोस्ट इम्प्लायमेंट बेनीफिट ओबलिगेशन के करेंसी सहित करेंसी कंसीसटेंट में सरकारी बांड के ब्याज दर पर प्रबंधन विचार करता है।

मोर्टालिटि रेट देश में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मोर्टालिटि तालिका पर आधारित होता है। वह मोर्टालिटि टेबल डेमोग्राफिक बदलावों के रेसपोंस के इंटरवल में केवल बदलता है।

2.16.3.5 वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्य मापन

जब वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य तुलन पत्र में दर्ज हो जाता है तब डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसके मूल्य, सक्रिय बाजार में उल्लेखित मूलय पर आधारित नहीं किया जा सकता है। इन मॉडल के लिए इनपुट, जहाँ संभव हो, ओबजरवेबल मार्केट से लिया जाता है, परंतु जहाँ संभव नहीं है वहाँ फेयर वैल्यू को संस्थापित करते हुए जजमेंट की डिग्री की आवश्यकता होती है। जजमेंट में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और वोलाटिलिटि जैसे इनपुट पर विचार शामिल है। इन फैक्टर के एजम्पसन से परिवर्त्तन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के रिपोर्टेड फेयर वैल्यू पर प्रभाव पड़ सकता है

टिप्पणी 38 :

31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी

1. उचित मूल्य माप

क) श्रेणीवार वित्तीय इंस्ट्रूमेंट

(करोड़ रु. में)

	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश :		-		-
सहायक कंपनी में प्रीफरेंश शेयर - इक्विटी अवयव - डेटा अवयव		-		-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी		-		-
लोन		-		-
जमा और प्राप्य		115.73		122.24
व्यापार प्राप्य		815.90		892.33
नकद एवं नकद इक्विवैलेंट		160.97		70.82
अन्य बैंक शेष		40.14		122.14
वित्तीय देयताएँ		-		-
उधारी		-		-
ट्रेड पेएबल्स		150.94		209.66
सिक्युरिटि जमा एवं अर्नेस्ट मनी		96.05		93.71
अन्य देयताएँ		56.48		73.55

(ख) उचित मूल्य का सोपानक्रम

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य के निर्धारण में जजमेंट और प्राक्कलन को दर्शाने वाली तालिका में (क) उचित मूल्य पर रिकोगनाइज्ड और मेजरमेंट (ख) अमोर्टाइज्ड लागत पर माप जिसके लिए वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया उचित मूल्य है। फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुट्स के रिलिएविलिटी के बारे में सूचना (दिशा–निर्देश) उपलबध कराना है, ग्रूप को एकाउन्टिंग स्टैण्डड के तहत निर्धारित तीन स्तरों में इसके वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में वर्गीकृत करता है। प्रतयेक स्तर की व्याख्या नीचे की तालिका में दी गई है।

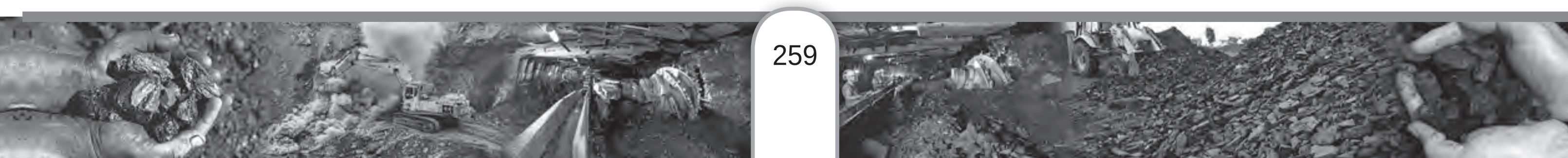

(करोड़ रु. में)

उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की माप की जाती है	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2021		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश :	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ						
यदि कोई अन्य वस्तु	-	-	-	-	-	-

(करोड़ रु. में)

परिशोधान लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की माप की जाती है, जिसके लिए फेयर वैल्यू की घोषणा की गयी हो।	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2021		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश :			-			-
प्रिफरेंश शेयर - इक्विटी अवयव - डेट अवयव						
- अन्य निवेश			-			-
लोन			-			-
जमाएँ और प्राप्य			115.73			122.24
व्यापार प्राप्य			815.90			892.33
नकद और नकद समतुल्य			160.97			70.82
अन्य बैंक बैलेंस			40.14			122.14
वित्तीय देयताएँ			-			-
उधारियाँ			-			-
व्यापार देय			150.94			209.66
सिक्योरिटी जमा और बयाना राशि			96.05			93.71
अन्य देयताएँ			56.48			73.55

स्तर 1 : स्तर 1 सोपानक्रम में वित्तीय इंस्ट्रूमेंट की माप उल्लेखित मूल्य का उपयोग कर मापी जाती है। इसमें म्यूचुअल फंड, जिसका कोटेड मूल्य है और जो क्लोजिंग एनएवी का उपयोग कर मूल्यांकित की जाती है।

स्तर 2 : वित्तीय इस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू जिसे सक्रिय बाजार में ट्रेड नहीं किया जाता है को वैल्यूएशन तकनीक जो ऑब्जर्बेवल मार्केट डाटा का उपयोग मैक्सिमाइज कर तथा इनटिटि–स्पेसिफिक एस्टीमेंट पर कुछ संभव का निर्धारण किया जाता है। फेयर वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जर्वेशन के योग्य है, को सभी महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता होती है वैसे इंस्ट्रूमेंट को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 : यदि महत्वपूर्ण इनपुट का एक या अधिक ऑब्जर्बेवल मार्केट पर आधारित नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। इक्विटि सिक्युरिटि, प्रिफरेंस शेयर, उधारी, सिक्युरिटि डिपाजिट, लोन, पेशागत प्राप्त, नकद एवं नकद तुल्य और अन्य देयताओं/परिसंपत्तियों का यह मामला है जिसे स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग) फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वैल्यू फायनासियंल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक में शामिल है :

- म्युचुअल फंडों में निवेश के संबंध में उल्लिखित बाजार मूल्य (NAV) का उपयोग

घ) महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट की सहायता से फेयर वैल्यू की गणना :

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट की सहायता से फेयर वैल्यू की गणना नहीं किया जाता है।

ड.) एमोर्टाइन्ड लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का फेयर वैल्यू एवं देयताओं की गणना

- पेशागत वसूली, अल्पकालीन जमा, नकद और नकद समतुल्य, पेशागत देय का कैरिंग अमाउण्ट (वहनीय राशि) को उसके उचित मूल्य पर समान माना गया है, क्योंकि उसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है।
- कंपनी का विचार है कि सिक्युरिटी डिपॉजिट को महत्वपूर्ण फाइनानसिंग कम्पोनेंट में शामिल नही किया गया है। कंपनी के कार्यनिष्पादन सहित माइन स्टोन पेमेंट (सिक्युरिटी डिपॉजिट) का समन्वय करता है और वित्त के प्रावधान के अलावे अन्य कारणें के लिए रिटेंड किए जाने वाली अपेक्षित राशि का करार करता है। प्रत्येक माइन स्टोन पेमेंट के स्पेसिफाइड प्रतिशत के विथहोल्डिंग के लिए करार के तहत अपने ओबलिगेशन को पूरा करने में ठेकेदार असमर्थ होता है तो कंपनी के हित के लिए माइल स्टोन पेमेंट किया जता है। तद्नुसार सिक्युरिटी डिपॉजिट के लेनदेन की लागत को शुरूआती रिकोगनिशन के फेयर वैल्यू और अमोरटाइज्ड लागत माप पर फेयर वैल्यू पर विचार किया गया है।

  महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय इंस्ट्रूममेंट का फेयर वैल्यू जिसे एक्टिव मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है, को मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। कंपनी मेथड का चयन करने के लिए अपने जजमेंट का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त एजम्पसन बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन का उद्‌देश्य और नीति

कंपनी के प्रमुख वित्तीय दायित्वों में व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इस वित्तीय देयता का मुख्य ध्येय कंपनी के परिचालन के लिए वित्त और इसके संचालन के सपोर्ट में गारंटी, उपलब्ध कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में ऋण, पेशा और अन्य प्राप्ति तथा नकद एवं नकद तुल्यमान शामिल है जो सीधे इसके परिचालन से संबंधित है।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट रिस्क और तरलता जोखिम को बतलाता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन इस जोखिम प्रबंधन की देख–रेख करता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सपोर्ट किया जाता है जो कंपनी के लिए उपर्युक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन फ्रेमवर्क तथा वित्तीय जोखिम पर सलाह और इंटर एलिया देता है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी का वित्तीय जोखिम कार्य–कलाप समुचित नीति और प्रक्रिया द्वारा शासित होती है तथा वित्तीय जोखिम कंपनी की नीति और जोखिम के उद्‌देश्य के अनुरूप चिन्हत मापित और मैनेज किया जाता है। निदेशक मंडल इसकी समीक्षा करता है और इन जोखिमों के प्रत्येक के लिए मैनेज करने की नीति पर सहमत होता है, जिसे नीचे दिया जा रहा है :

यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों को व्यक्त करता है, जिसे इनटिटि प्रकट होती है और यह बतलाती है कि इनटिटि जोखिम को कैसे मैनेज करता है और वित्तीय विवरण में हेज एकाउन्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा को बतलाता है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न एक्सपोजर	मेजरमेंट	प्रबंधन
ऋण जोखिम	एमोरटाइज्ड लागत पर नकद और नकद तुल्यमान, पेशागत वसूली वित्तीय एसेटमेजरड	एजिंग विश्लेषण/ क्रेडिट विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स), बैंक डिपॉजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्यूरिटिज का विविधिकरण।
लिक्विडिटी जोखिम	उधारी एवं अन्य देयताएँ	पिरीओडिक कैश फ्लो	कमिटेड क्रेडिट लाइन्स और उधारी सुविधाओं की उपलबधता।
बजार जोखिम विदेशी विनियम	भावी व्यवसायिक लेनदेन, रिकोगनाइज्ड वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएँ आईएनआर में डिनोमिनेटेड नहीं है।	कैश फ्लो फोरकास्ट सेंस्टिविटी विश्लेषण	वरीय प्रबंधन और ऑडिट समिति द्वारा नियमित देख–रेख और समीक्षा।
बाजार जोखिम ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	कैश फ्लो फोर कास्ट सेंस्टिविटी विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स), वरीय प्रबंधन और ऑडिट समिति द्वारा नियमित देख–रेख और समीक्षा।

कंपनी जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई के निर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा संपन्न किया जाएगा। मंडल एक्सेस तरलता को शामिल करने की नीति के साथ–साथ समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत (प्रिंसिपल) उपलबध कराता है।

क. **क्रेडिट जोखिम :** क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक प्रतिपक्षीय अनुबंध पर कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

क्रेडिट की अपेक्षित हानि : कंपनी संदेहास्पद/क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए क्रेडिट की अपेक्षित हानि क्रेडिट की अपेक्षित हानियों के जीवनकाल द्वारा उपलब्ध कराती है (सरलीकृत दृष्टिकोण)।

नोटसंख्या–13 संदर्भ लिया जाए, व्यापार प्राप्य : वित्तीय परिसंपत्ति के महत्वपूर्ण लागत और जजमेंट्स इम्पेयरमेंट उपर्युक्त में दर्शित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए इम्पेयरमेंट प्रावधान रिस्क ऑफ डिफाल्ट और संभावित हानि पर के जोखिम में छूट के आधार पर है। कंपनी इन छूट के लिए जजमेंट और इम्पेयरमेंट की गणना के इनपुट का चयन कंपनी के विगत इतिहास–वर्तमान बाजार की स्थिति तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रिम लागत पर आधारित होता है।

ख. **तरतला जोखिम :** विश्वसनीय तरलता जोखिम प्रबंधन में आवलीगेशनस जब बकाया हो को पूरा करने के लिए कमिटेड क्रेडिट सुविधा के द्वारा कोष की उपलबधता और बाजार योग्य सिक्यूरिटि तथा पर्याप्त नकद शामिल है। अंडर लाईंग व्यवसाय, ग्रुप ट्रेजरी की डायनमिक प्रकृति के कारण कमिटेड क्रेडिट लाइन्स के तहत उपलबधता को बनाकर कोष में लचीलापन बनाए रखना है।

प्रबंधन भावी नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समतुल्य के कंपनी तरलता स्थिति (कम्प्राइजिंग द अंडर ड्रान बौरेविंग फेसिलिटि बिलो) के पूर्वानुमान का मानीटर करता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा प्रैक्टिस और लिमिट सेट के अनुसार ग्रुप के परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर संपन्न किया जाता है।

ग. बाजार जोखिम

क) विदेशी करेंसी जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम; भविष्य के वाणिज्यिक लेन–देन और एक मुद्रा में पहचानी गई परिसंपत्तियों या वर्णित देयताएँ हैं जो कि कंपनी की कार्यशील मुद्रा नहीं है ;आईएनआरद्ध। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के के प्रति सुगम्य है। विदेशी ऑपरेशन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता

है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित जाँच द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकद प्रवाह और फेयर वैल्यू इंटरेस्ट रेट रिस्क

कैशफ्लो इंटरेस्ट रेट जोखिम कंपनी के ब्याज दर में परिवर्तन के साथ ही बैंक डिपाजिट से होता है। कंपनी की पौलिसी फिक्सड रेट पर अधिकांश डिपोजिट को बनाए रखना है। बैंक डिपाजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्यूरिटी के विविधिकरण, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के दिशा–निर्देश का उपयोग कर जोखिम को मैनेज करता है।

पूँजीगत प्रबंधान

कंपनी सरकारी एनटीटी होने के कारण अपनी पूँजी को वित्त मंत्रालय के तहत पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट के दिशा–निर्देश के अनुसार मैनेज करती है।

कंपनी की पूँजीगत संरचना इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

	31-03-2022	31-03-2021
इक्विटी शेयर कैपिटल	142.80	142.80
फ्रिरेंस शेयर कैपिटल	शून्य	शून्य
दीर्घकालीन ऋण	शून्य	शून्य

3. कर्मचारी लाभ : पहचार और मापन (आईएनडी एएस-19)

क) ग्रेच्यूटीः

ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए कंपनी, एक रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजना (''ग्रेच्युटी योजना'')के पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन/26 दिन *अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता*सेवा के पूर्ण वर्ष) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये के अधीन। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

ख) सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना-अधिकारी (CPRMSE)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना है जिसे CIL और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (CPRMSE) के रूप में जाना जाता है, जो केवल भारत में कंपनी के अस्पताल पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट अधिवास में अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को अधिकतम

सीमा तक चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग किया जाता है या समय–समय पर लागू और लागू होने वाली सामान्य कोयला संवर्ग या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति होने पर इसकी सदस्यता दी जाती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संयुक्त रूप से या अलग–अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

ग) सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना - कर्मचारी (CPRMSE-NE)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को कंपनी अस्पताल में चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए गैर–कार्यकारियों (सीपीआ. रएमएसई–एनई) के लिए अंशदायी पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकेयर योजना प्रदान कर रही है जो केवल भारत में कंपनी के अस्पताल पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट अधिवास में अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को अधिकतम सीमा तक चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग किया जाता है या समय–समय पर लागू और लागू होने वाली सामान्य कोयला संवर्ग या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति होने पर या कंपनी से 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में इस्तीफा देता है या पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) की मृत्यु पर इसकी सदस्यता दी जाती है। सेवानिवृत्त गैर–कार्यकारियों, पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संयुक्त रूप से या अलग–अलग 8 लाख रुपये है। इस योजना का वित्तपोषण केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं:

क) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी योग्य कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि और पेंशन कोष के लिए निश्चित योगदान का भुगतान करती है अर्थात् मूल वेतन का 12% और 7% क्रमशः भविष्य निधि और पेंशन कोष के लिए महंगाई भत्ता नामक एक अलग ट्रस्ट को कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)। इस अवधि के दौरान निधि में योगदान का उल्लेख लाभ और हानि विवरण में किया गया है।

ख) सीआईएल अधिकारियों के परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी, कंपनी के अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना –2007" (नई पेंशन योजना "एनपीएस" के रूप में जाना जाता है) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक की राशि तक योगदान करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ–कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) अवकाश नकदीकरण

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान अवकाश (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्धवार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। . सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। कर्मचारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने के हकदार हैं जब तक मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस के कारण के कारण सेवा बंद नहीं हो जाती है, शेष अवकाश या 150 दिन जो भी कम हो, को भुनाने की अनुमति है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

ख) जीवन बीमा योजना (LCS)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना" (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ग) निपटान भत्ता

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर–कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10. 2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/– रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

घ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (GPAIS)

कंपनी ने "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के रूप में जानी जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कंपनी के अधिकारियों को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है। GPAIS दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

ड.) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर–कार्यकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। होम टाउन और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः

रु 8000/ – और रु 12000/ – की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

घ) परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

(i) निधित

- ग्रेच्युटि
- अवकाश नकदीकरण
- सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना – अधिकारी (CPRMSE)
- सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना – कर्मचारी (CPRMSE-NE)

(ii) गैर-निधित

- लाइफ कवर योजना
- सेटलमेंट भत्ता
- ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्यूरेंस
- लीव ट्रेवल कंसेसन

एक्चयुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित 31.03.2022 को कुल देयता का विवरण नीचे दिया गया है।

(करोड़ रु. में)

मद	01.04.2021 को ओपनिंग एक्यूचिरियल देयता	वर्ष के दौरान इनक्रीमेंटल देयता	31.03.2022 को क्लोजिंग एक्चूरियल देयता
उपदान	177.85	(14.99)	162.86
अवकाश अधिकारी	82.02	(1.00)	81.02
अवकाश कर्मचारी	22.48	(2.48)	20.00
जीवन बीमा योजना	0.66	(0.66)	0.00
सेटलमेंट अलाउंस अधिकारी	2.68	1.27	3.95
सेटलमेंट अलाउंस कर्मचारी	0.85	(0.35)	0.50
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.05	(0.05)	0.00
अवकाश यात्रा रियायत	2.89	(1.11)	1.78
चिकित्सा लाभ अधिकारी	91.31	(3.22)	88.09
चिकित्सा लाभ कर्मचारी	12.82	13.84	26.66
कुल	**393.61**	**(8.76)**	**384.85**

(iii) एक्चुअरी के प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रकटीकरण :

31.03.2022 के अनुसार ग्रेच्युटि देयता का एक्च्यूरियल मूल्यांकन आईएनडी एएस 19 के अनुसार प्रमाण-पत्र

तालिका 1

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	क. लाभ और हानि (पीएल)	31.03.2022
14.73	वर्तमान सेवा लागत	14.87
-	पिछली सेवा लागत – योजना संशोधन	-
-	कटौती लागत/(क्रेडिट)	-
-	निपटान लागत/(क्रेडिट)	-
14.73	सेवा लागत	14.87
7.83	निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज/(संपत्ति)	5.64
-	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-
22.56	पी एंड एल. में मान्यता प्राप्त लागत	20.51

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31.03.2022
12.83	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(11.37)
(3.75)	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.72
9.08	बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	(10.65)
0.43	योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	(0.18)
9.51	**बीमांकिक (लाभ) / ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां**	**(10.83)**

31.03.2021	ग. परिभाषित लाभ लागत	31.03.2022
14.73	सेवा लागत	14.87
7.83	निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्यात/(संपत्ति)	5.64
9.51	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	(10.83)
-	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-
32.07	परिभाषित लाभ लागत	9.67

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	घ. निम्न का अनुमान	31.03.2022
एनए	छूट की दर	6.85%
एनए	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी 9% कर्मचारी 6.25%

तालिका 2 (करोड़ रु. में)

31.03.2021	क. नेट बैलेंस शीट स्थिति का विकास	31.03.2022
-177.85	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-162.86
70.03	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	96.35
-107.82	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-66.51
-	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-
-107.82	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-66.51

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	ख. नेट बैलेंस शीट स्थिति का समाधान	31.03.2022
-127.75	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	-107.82
-14.73	सेवा लागत	-14.87
-7.83	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-5.64
-9.51	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	10.83
52.00	नियोक्ता योगदान	50.00
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.99
-	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-
-	डाइवेस्टीचर	-
-	समाप्ति लाभ की लागत	-
-107.82	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	-66.51

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	घ. निम्न का अनुमान	31.03.2022
6.85%	छूट की दर	6.80%
अधिकारी 9% कर्मचारी 6.25%	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी 9% कर्मचारी 6.25%

तालिका 3 (करोड़ रु. में)

31.03.2021	क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31.03.2022
170.20	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	177.85
14.73	वर्तमान सेवा लागत	14.87
10.74	डीबीओ पर ब्याज लागत	11.14
-	कटौती (क्रेडिट)/लागत	-
-	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-
-	पिछली सेवा लागत–योजना संशोधन	-
-	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-

(करोड़ रु. में)

12.83	बीमांकिक (लाभ)/हानि –अनुभव	-11.36
-	बीमांकिक (लाभ)/हानि – जनसांख्यिकीय धारणाएं	-
-3.75	बीमांकिक (लाभ)/हानि – वित्तीय अनुमान	0.72
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-0.99
-26.90	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-29.37
177.85	अवधि के अंत में डीबीओ	162.86

31.03.2021	ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2022
42.45	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	70.03
-	अधिग्रहण समायोजन	-
2.91	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	5.50
52	नियोक्ता योगदान	50
-0.43	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	0.19
-26.90	भुगतान किया गया लाभ	-29.37
70.03	वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	96.35

तालिका 4 (करोड़ रु. में)

क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2023	22.46
31 मार्च, 2024	17.53
31 मार्च, 2025	22.25
31 मार्च, 2026	17.10
17 मार्च, 2027	12.53
31 मार्च, 2028 से 31 मार्च, 2032	44.02
10 साल से परे	252.29
ख. 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	4.90
ग. परिभाशित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	9 वर्ष
घ. 31, मार्च 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व	118.60
ड. 31 मार्च 2022 तक संपत्ति की योजना की जानकारी	Percentage
भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
उच्च गुणवक्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
सपंत्ति	0.00%
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%

(करोड़ रु. में)

बीमा की योजनाएं – पारंपरिक उत्पाद	100.00%
बीमा की योजनाएं – यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
च. 31 मार्च 2022 तक वर्तमान और गैर–वर्तमान देयता ब्रेकअप	
वर्तमान में दायित्व	21.73
गैर–वर्तमान देयता	141.12
31 मार्च 2022 तक दायित्व	162.86

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण	**31.03.2022**
छूट की दर	**वृद्धि**
31 मार्च 2022 तक छूट दर	6.80%
डिस्काउंट रेट में बढ़ोतरी से 0.5% डीबीओ पर असर	-6.91
प्रतिशत प्रभाव	-4%
डिस्काउंट रेट में बढ़ोतरी से 0.5% डीबीओ पर असर	7.61
प्रतिशत प्रभाव	5%

वेतन वृद्धि दर	**वृद्धि**
31 मार्च 2022 तक वेतन वृद्धि दर	अधिकारी 9% कर्मचारी 6.25%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% वृद्धि से डीबीओ पर प्रभाव	3.53
प्रतिशत प्रभाव	2%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर प्रभाव	-3.42
प्रतिशत प्रभाव	-2%

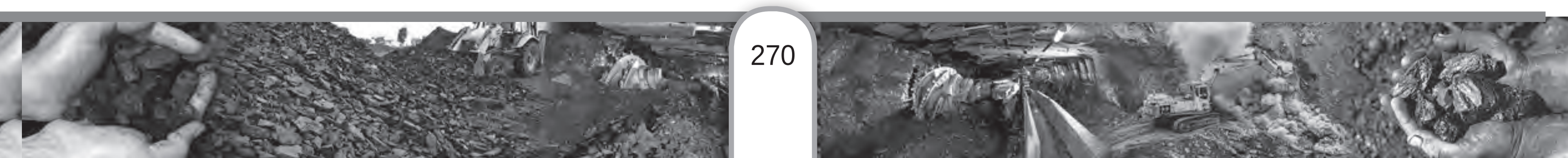

31.03.2022 के अनुसार अवकाश लाभ योजना का एक्च्यूरियल मूल्यांकन आईएनडी एएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण–पत्र

तालिका 1

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	क: लाभ और हानि (पी एंड एल)	31.03.2022
5.69	वर्तमान सेवा लागत	15.18
-	पिछली सेवा लागत – योजना संशोधन	-
-	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-
-	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-
5.69	सेवा लागत	15.18
5.86	निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	2.81
20	(लाभ) / हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-4.21
31.55	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त कना	13.78

31.03.2021	ख: अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31.03.2022
22.99	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	-4.71
-2.95	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.59
20.04	बीमांकिक (लाभ) / अवधि के दौरान होने वाली हानि	-4.13
-0.04	योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक) छूट दर से कम	-0.08
-	**बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां**	**-**

31.03.2021	ग: परिभाषित लाभ लागत	31.03.2022
5.69	सेवा लागत	15.18
5.86	निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	2.81
-	बीमांकिक (लाभ) / ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	-
20	(लाभ) / हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-4.21
31.55	परिभाषित लाभ लागत	13.78

31.03.2021	घ: निम्न का अनुमान	31.03.2022
एनए	छूट की दर	6.85%
एनए	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी 9% कर्मचारी 6.25%

तालिका 2

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	क: नेट बैलेंस शीट स्थिति का विकास	31.03.2022
-104.50	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-101.02
17.04	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	92.75
-87.47	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-8.27
-	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-
-87.47	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-8.27

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	ख: नेट बैलेंस शीट की स्थिति का समाधान	31.03.2022
-98.15	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	-87.47
-5.69	सेवा लागत	-15.19
-5.87	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-2.81
-20.00	बीमांकिक (हानि)/लाभ	4.21
42.24	नियोक्ता योगदान	72.00
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	20.97
-	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-
-	डाइवेस्टीचर	-
-	समाप्ति लाभ की लागत	-
-87.47	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	-8.27

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	घ: निम्न का अनुमान	31.03.2022
6.85%	छूट की दर	6.80%
अधिकारी 9% कर्मचारी 6.25%	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी 9% कर्मचारी 6.25%

तालिका 3

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	क: परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31.03.2022
98.15	पूर्व अवधि के अंत में बीडीओ	104.50
5.69	वर्तमान सेवा लागत	15.18
5.86	डीबीओ पर ब्याज लागत	6.44
-	कटौती (क्रेडिट)/लागत	-

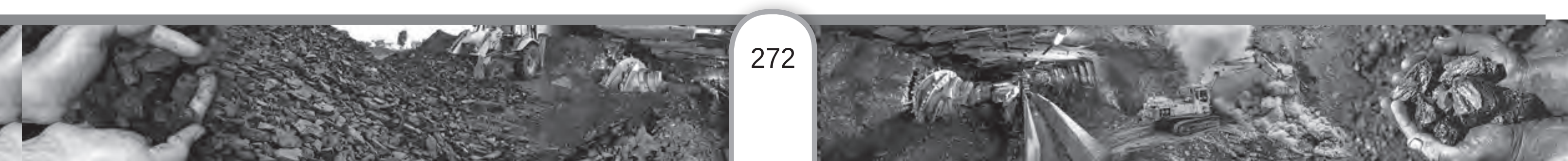

(करोड़ रु. में)

-	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-
-	पिछली सेवा लागत – योजना संशोधन	-
-	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-
22.99	बीमांकिक (लाभ)/हानि–अनुभव	-4.72
-	बीमांकिक (लाभ)/हानि–जनसांख्यिकीय धारणाएं	-
-2.95	बीमांकिक (लाभ)/हानि–वित्तीय अनुमान	0.59
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-20.97
-25.24	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-
104.50	अवधि के अंत में डीबीओ	101.02

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	खः आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2022
-	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	17.04
-	अधिग्रहण समायोजन	-
-	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	3.63
42.24	नियोक्ता योगदान	72
0.04	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	0.08
-25.24	भुगतान किया गया लाभ	-
17.04	वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	92.75

तालिका 4

(करोड़ रु. में)

क. समाप्त होने के वाले वर्ष के लिए	
31 मार्च, 2023	8.27
31 मार्च, 2024	8.13
31 मार्च, 2025	11.09
31 मार्च, 2026	10.51
मार्च, 31, 2027	6.27
31 मार्च, 2028 से 31 मार्च, 2032	29.55
10 साल से परे	225.16
ख. 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	16.41
ग. परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	12 वर्ष
घ. 31 मार्च, 2022 को उपर्जित लाभ दायित्व	50.15
ड. 31 मार्च 2022 तक संपत्ति की योजना की जानकारी	प्रतिशत

(करोड़ रु. में)

भारत सरकार की प्रतिभूतियां (क्रेंद्रीय और राज्य)	0.00%
उच्च गुणवक्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
बीमा योजनाएं –पारंपरिक उत्पाद	100.00%
बीमा की योजनाएं – यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
च. 31 मार्च 2022 तक वर्तमान और गैर–वर्तमान देयता ब्रेकअप	
वर्तमान में दायित्व	8.01
गैर–वर्तमान देयता	93.01
31 मार्च 2022 तक दायित्व	101.02

तालिका 5

(करोड़ रु. में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	**31.03.2022**
छूट की दर	**वृद्धि**
31 मार्च 2022 तक छूट दर	6.80%
डिस्कांउट रेट में 0.05% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	-5.60
प्रतिशत प्रभाव	-6%
डिस्कांउट रेट में 0.05% की कमी से डीबीओ पर असर	6.23
प्रतिशत प्रभाव	6%

वेतन वृद्धि दर	**वृद्धि**
31 मार्च 2022 तक वेतन वृद्धि दर	अधिकारी 9% कर्मचारी 6.25%
वेतन वृद्धि दर में 0.05% वृद्धि से डीबीओ पर प्रभाव	334.96
प्रतिशत प्रभाव	6%
वेतन वृद्धि दर में 0.05% की कमी से डीबीओ पर प्रभाव	-5.54
प्रतिशत प्रभाव	-5%

31.03.2022 के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद चिकत्सीय लाभ का एक्च्यूरियल मूल्यांकन आईएनडी एएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण-पत्र

तालिका 1

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	क. लाभ और हानि (पी एंड एल)	31.03.2022
-	वर्तमान सेवा लागत	1.28
-	पिछली सेवा लागत – योजना संशोधन	13.51
-	कटौती लागत/(क्रेडिट)	-
-	निपटान लागत/(क्रेडिट)	-
-	सेवा लागत	14.80
-	निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्यात/(संपत्ति)	4.33
-	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-
-	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त लागत	19.12

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31.03.2022
-	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	-15.12
-	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	7.19
-	बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	-7.93
-	योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	-7.89
-	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	-15.82

31.03.2021	ग. परिभाषित लाभ लागत	31.03.2022
-	सेवा लागत	14.80
-	निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज/(संपत्ति)	4.33
-	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	-15.82
-	(लाभ)/हानि की तत्काल – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-
-	परिभाषित लाभ लागत	3.30

31.03.2021	घ. निम्न का अनुमान	31.03.2022
एनए	छूट की दर	6.85%
एनए	चिकत्सीय वृद्धि की दर	0.00%

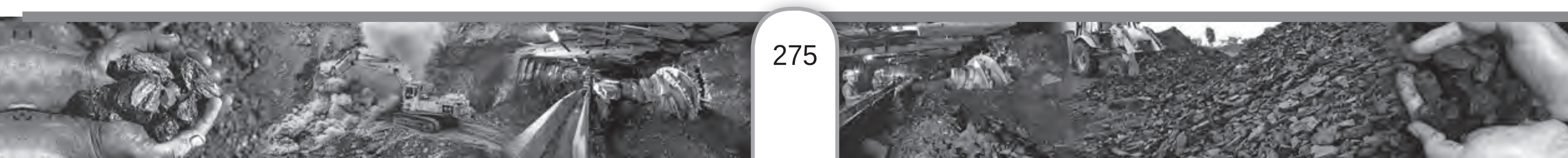

तालिका 2

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	क. नेट बैलेंस शीट स्थिति का विकास	31.03.2022
-	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-114.75
-	योजना परिसंपत्तियो का उचित मूल्य (एफवीए)	67.86
-	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-46.89
-	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-
-	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-46.89

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	ख. नेट बैलेंस शीट स्थिति का समाधान	31.03.2022
-	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	-62.42
-	सेवा लागत	-14.80
-	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-4.33
-	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	15.82
-	नियोक्ता योगदान	18.83
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-
-	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-
-	डाइवेस्टीचर	-
-	समाप्ति लाभ की लागत	-
-	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	-46.89

31.03.2021	ग. निम्न का अनुमान	31.03.2022
-	छूट की दर	6.80%
-	चिकत्सीय वृद्धि की दर	0.00%

तालिका 3

(करोड़ रु. में)

31.03.2021	क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31.03.2022
-	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	104.13
-	वर्तमान सेवा लागत	1.29
-	डीबीओ पर ब्याज लागत	7.69
-	कटौती (क्रेडिट)/लागत	-
-	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-
-	पिछली सेवा लागत – योजना संशोधन	13.51
-	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-
-	बीमांकिक (लाभ)/हानि – अनुभव	-15.12
-	बीमांकिक (लाभ)/हानि – जनसांख्यिकीय धारणाएं	6.63
-	बीमांकिक (लाभ)/हानि – वित्तीय अनुमान	0.56

(करोड़ रु. में)

-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-
-	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-3.94
-	अवधि के अंत में डीबीओ	114.75

31.03.2021	खः आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2022
-	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	41.71
-	अधिग्रहण समायोजन	-
-	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	3.37
-	नियोक्ता योगदान	18.83
-	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	7.89
-	भुगतान किया गया लाभ	-3.94
-	वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	67.86

तालिका 4 : अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना (करोड़ रु. में)

क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2023	8.83
31 मार्च, 2024	8.64
31 मार्च, 2025	8.89
31 मार्च, 2026	9.18
31 मार्च, 2027	9.32
31 मार्च, 2028 से 31 मार्च, 2032	46.70
10 साल से परे	173.16
परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	10 वर्ष
31 मार्च 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व	114.75

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2022
छूट की दर	**वृद्धि**
31 मार्च 2022 तक छूट दर	6.80%
डिस्काउंट रेट में 0-5% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	-5.40
प्रतिशत प्रभाव	-5%
डिस्काउंट रेट में 0-5% की कमी से डीबीओ पर असर	5.91
प्रतिशत प्रभाव	**5%**

4. मान्यतारहित आइटम

(क) आकस्मिक देयता (आईएनडी एएस-37)

कंपनी के विरूद्ध दावे को ऋण के रूप में (ब्याज सहित, जहाँ लागू हो) नहीं माना गया है।

(क1) (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	ब्यौरे	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और अन्य इलाके	सीपीएसई	अन्य	कुल
1.	01.04.2021 के अनुसार ओपनिंग	54.32			3.54	57.86
2.	वर्ष के दौरान जोड़	115.18			1.08	116.26
3.	वर्ष के दौरान दावों का निपटान किया गया	-			0.38	0.38
	क. ओपनिंग बैलेंस से	-			0.38	0.38
	ख. वर्ष के दौरान इसके अतिरिक्त	-			-	-
	ग. वर्ष के दौरान निर्धारित कुल दावे (क+ख)	-			0.38	0.38
4.	31.03.2022 के अनुसार क्लोजिंग	169.50			4.24	173.74

(करोड़ रु. में)

आकस्मिक देयता			
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2022 के अनुसार राशि**	**31.03.2021 के अनुसार राशि**
1.	**केन्द्रीय सरकार**		
	आयकर	100.47	45.45
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		
	स्वच्छ ऊर्जा सेस		
	केन्द्रीय बिक्री कर		
	सेवाकर	69.03	8.87
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप–योग	169.50	54.32

	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी		
	रॉयल्टी		
	पर्यावरणीय मंजूरी		
	बिक्री कर/वैट		
2.	आगमन शुल्क		
	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी		
	एमएडीए		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप–योग		
	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता की कार्यवाही		
3.	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप–योग		
4.	**अन्यः (यदि कोई हो)**		
	विविध	4.24	3.54
	उप–योग	4.24	3.54
	सकल योग	**173.74**	**57.86**

ख) वचनबद्धता (आईएनडीएएस-37)

पूँजीगत लेखे पर गणना किए जाने के लिए कांट्रेक्ट की शेष राशि की प्राकलित राशि जिसे अन्य को नहीं दिया गया है वह 6.58 करोड़ (8.17 करोड़ रूपए) है।

अन्य प्रतिबद्धताए 152.18 करोड़ (386.96 करोड़) हैं।

ग) गारंटी

कंपनी ने 0.14 करोड़ (0.14 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी है जिसे कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर प्रभारित किया गया है।

5 . अन्य सूचना

क) प्रावधान

कर्मचारी लाभ से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को छोड़कर, विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और गतिविधि, जो कि 31-03-2022 को यथोचित हैं, नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

प्रावधान	1.04.2021 के अनुसार अर्थशेष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान के दौरान वृद्धि	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान राइट बैक/ समायोजन	डिस्काउन्ट की अनवाईडंग	31.03.2022 के अनुसार इतिशेष
टिप्पणी 1 :- प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण:					
परिसंपत्तियों की क्षति :					
टिप्पणी 2 :- पूंजीगत कार्य जारी:					
सीडब्ल्यूआईपी की तुलना में :					
टिप्पणी 3 :- गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति :					
प्रावधान एवं क्षति :					
टिप्पणी 1 :- बिक्री के लिए रखा गया गैर चालू परिसंपत्तियाँ :					
प्रावधान :					
सटिप्पणी 8 :- ऋण :					
अन्य ऋण :					
टिप्पणी 9 :- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
अनुषंगी कम्पनियों के पास चालू खाता :					
वसूली योग्य दावे :					
अन्य वसूली योग्य :	0.04				0.04
टिप्पणी 10 :- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ :					
गवेषणात्मक वेधन कार्य :					
यूटिलिटिज के लिए सिक्युरिटि जमा के अगेंस्ट :					
टिप्पणी 11 :- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :					
राजस्व के लिए अग्रिम :	0.20				0.20
सांविधिक बकाये के अगेंस्ट अग्रिम भुगतान :					
अन्य जमा :	0.05				0.05
अन्य वसूली योग :					
टिप्पणी 12 :- वस्तु सूची :					
कोयले का स्टॉक :					
स्टोर एवं स्पेयर का स्टॉक :	0.16				0.16
टिप्पणी 13 :-पेशागत वसूली :					
डूबंत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान :	4.48		1.13		3.35
टिप्पणी 21 :-गैर चालू एवं चालू प्रावधान :					
कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन :	63.25	48.69	27.48		84.46
एनसीडब्ल्यूए :	0.00	7.20	0.00		7.20
अधिकारी वेतन रीविजनः					
माइन क्लोजरः					
एनपीएसः	7.28	0.77	3.84		4.21

(ख) अधिकृत शेयर पूंजी

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.22 के अनुसार	31.03.21 के अनुसार
रु. 1000/– प्रति शेयर का 15,00,000 इक्विटी शेयर	150.00	150.00

(ग) प्रति शेयर अर्जन (आईएनएस एएस-33) :

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटि शेयर धारक को देने के बाद कर पश्चात् निबल लाभ	282.12	316.96
ii)	इक्विटि शेयर बकाया की भारित औसत संख्या	1428000.00	1428000.00
iii)	प्रति शेयर बेसिक और डायलूटेड अर्निंग्स रुपये में (फेस वेल्यू रु. 1000/– प्रति शेयर)	1975.63	2219.61

(घ) संबंधित पार्टी डिसक्लोजर (आईएनडी एएस-24)

(क) संबंधित पार्टियों की सूची

i) सहायक कंपनियां

1) इस्टर्न कोलफील्डस लि. (ECL)
2) भारत कोकिंग कोल लि. (BCCL)
3) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (CCL)
4) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (WCL)
5) साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि. (SECL)
6) नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (NCL)
7) महानदी कोलफील्ड्स लि. (MCL)
8) कोल इंडिया लि. (CIL)

ii) नियोजन पश्चात लाभ फण्ड और अन्यः

1) कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड
2) कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड (CMPF)
3) कोल इंडिया सुपरनेशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट
4) गैर–कार्यकारियों के लिए अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना संशोधित
5) सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट

iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	कब से
मनोज कुमार	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	04.10.2021
बी वीरा रेड्डी	निदेशक	24.02.2022
आर. एन. झा	निदेशक तकनीकी	30.01.2019
ए. के राना	निदेशक तकनीकी	01.08.2019 से 28.02.2022
सतेन्द्र कुमार गोमस्ता	निदेशक तकनीकी	25.02.2020

नाम	पदनाम	कब से
कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
अल्का पांडा	कंपनी सचिव	10.07.2019
बिनय दयाल	निदेशक	09.11.2017 से 31.01.2022
मुकेश चौधरी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	26.05.2020
प्रमोद सिंह चौहान	स्वतंत्र निदेशक	16.10.2019
पी.के. प्रसाद	मुख्या वित्तीय अधिकारी	01.04.2021
अभिषेक मुंधरा	कंपनी सचिव	18.02.2016

iv) मुख्य प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	सीएमडी, पूर्ण अवधि के निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव का वेतन	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालीन कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	2.17	3.18
	परक्यूजिटस और अन्य लाभ	0.58	0.72
	चिकित्सा लाभ	0.11	0.12
ii)	**नियोजन पश्चात लाभ**	0.27	0.11
	पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान		
iii)	**परिभाषित लाभ के एक्चुरियल मूल्यांकन**	1.79	2.24
iv)	**सेवानिवृत्ति लाभ**		
	छुट्टी नकदीकरण	0.40	0.00
	ग्रेच्युटि	0.20	0.40
v)	**टर्मिनेशन लाभ**		
	छुट्टी नकदीकरण	शून्य	शून्य
	ग्रेच्युटि		
	कुल	**5.64**	**7.15**

टिप्पणी :

(i) उपर्युक्त के अलावा, पूर्ण कालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2000 अप्रति माह के भुगतान पर 1000 किमी. की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटिंग शुल्क	0.19	0.17

सिटिंग शुल्क का शेष बकाया

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	वसूली योग्य राशि	शून्य	शून्य

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य देय नहीं है। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्मों या निजी कंपरियों से देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

ग्रुप में संबंधित पार्टी से लेनदेन

कंपनी को सरकार से संबंधित इनटाइटी होने के कारण समान सरकार के तहत अन्य इनटाइटी के साथ शेष बकाया और संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित सामान्य डिस्कलोजर की आवश्यकता से छूट है।

आईएनडी एएस 24, के अनुसार नेचर और लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण राशि को निम्नलिखित के अनुसार प्रकट किया गया है।

31-03-22 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संबंधात पार्टी से लेनदेन

(करोड़ रु. में)

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	लीज रेंट इनकम	सहायक कंपनियों द्वारा लगाए गए फंड पर ब्याज	आई आई सी एम चार्ज	अन्य (बिक्री)	चालू खाता शेष/देय/प्राप्य	आउट स्टैंडिंग शेष/देय/प्राप्य
इस्टर्न कोलफील्डस लि. (ECL)								92.13		106.92
भारत कोकिंग कोल लि. (BCCL)								56.83		43.05
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (CCL)								135.18		76.52
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (CCL)								154.68		32.77
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड. लि. (SECL)								322.83		230.09

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	लीज रेंट इनकम	सहायक कंपनियों द्वारा लगाए गए फंड पर ब्याज	आई आई सी एम चार्ज	अन्य (बिक्री)	चालू खाता शेष/देय/प्राप्य	आउट स्टैंडिंग शेष/देय/प्राप्य
नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (NCL)								112.31		45.91
महानदी कोलफील्ड्स लि. (MCL)								89.76		33.01
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)								7.40	53.62	17.46

31-03-21 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संबंधित पार्टी से लेनदेन

(करोड़ रु. में)

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	लीज रेंट इनकम	सहायक कंपनियों द्वारा लगाए गए फंड पर ब्याज	आई आई सी एम चार्ज	अन्य (बिक्री)	चालू खाता शेष/देय/प्राप्य	आउट स्टैंडिंग शेष/देय/प्राप्य
इस्टर्न कोलफील्डस लि. (ECL)								96.35		52.48
भारत कोकिंग कोल लि. (BCCL)								85.15		90.65
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (CCL)								134.49		69.46
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (CCL)								133.98		103.98
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड. लि. (SECL)								351.87		155.69

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	लीज रेंट इनकम	सहायक कंपनियों द्वारा लगाए गए फंड पर ब्याज	आई आई सी एम चार्ज	अन्य (बिक्री)	चालू खाता शेष/देय/प्राप्य	आउट स्टैंडिंग शेष/देय/प्राप्य
नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (NCL)								91.48		41.34
महानदी कोलफील्ड्स लि. (MCL)								84.67		37.74
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)								8.01	56.10	16.38

ड.) कराधान (आईएनडी एएस-12)

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
स्रोत पर कर कटौती	312.34	197.38
पूंजीगत सामान	(253.80)	(172.06)
भंडार, पूर्जे एवं कम्पोनेंट	58.54	25.32

च) लेखे के लिए बने प्रावधान :

धीमी गति से चलने वाले / नॉन–मूविंग / अप्रचलित स्टोर्स, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

छ) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि :

प्रबंधन के विचार में अचल परिसंपत्ति और गैर–चालू निवेश के अलावे परिसंपत्ति सामान्य कार्यव्यवहार वाले व्यवसाय में होता है तथा जो कम–से–कम राशि (लेखे) के बराबर होता है, जिसका उल्लेख किया गया है।

ज) चालू देयताएँ :

अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहां वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है।

झ) बैलेंस की संपुष्टि :

शेष की सम्पुष्टि/समाधान में नकद एवं बैंक शेष कुछ ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालीय देयता और चालू देयता शामिल है। सभी संदिग्ध अनकनफर्म्ड शेष के विरूद्ध प्रावधान किया गया है।

ञ) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य : (करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) कच्चा माल	शुन्य	शुन्य
(ii) पूंजीगत सामान	6.10	16.03
(iii) भंडार, पूर्जे एवं कम्पोनेंट	0.23	0.00

ट) विदेशी करेंसी में खच : (करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	0.00	0.04
प्रशिक्षण खर्च	शुन्य	शुन्य
परामर्श शुल्क	शुन्य	शुन्य
ब्याज	शुन्य	शुन्य
स्टोर्स एंड स्पेयर्स	शुन्य	शुन्य
पूँजीगत सामान	6.10	16.03
अन्य	0.23	शुन्य

ठ) विदेशी करेंसी में अर्जन : (करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	शुन्य	शुन्य
प्रशिक्षण खर्च	शुन्य	शुन्य
परामर्श शुल्क	शुन्य	शुन्य
अन्य	0.03	0.00

ठ) स्टोर एवं स्पेयर (संदर्भ नोट संख्या - 26) की कुल : (करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामग्री	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) स्वदेशी	33.62	100	21.99	100

ठ) स्टोर एवं स्पेयर (संदर्भ नोट संख्या - 26) की कुल : (करोड़ रु. में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तु या सेवा का प्रकार		
- कोयला		
- अन्य	1208.43	1488.60
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	1208.43	1488.60

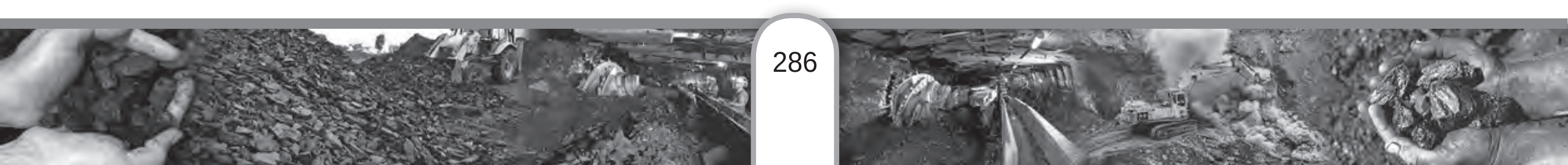

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहकों के प्रकार		
- पावर सेक्टर	14.11	6.45
- नॉन–पावर सेक्टर	1194.32	1482.15
- अन्य या सेवाए (CMPDIL)		
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	1208.43	1488.60
अनुबंध के प्रकार		
- एफएसए		
- गई नीलामी		
- अन्य	1208.43	1488.60
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	1208.43	1488.60
कुल राजस्व	1208.43	1488.60
सीआईएल समूह	971.13	985.99
बाहरी	237.30	502.61
वस्तु या सेवा का समय		
- समय के एक बिंदु पर स्थानांतरित वस्तुएं		
- समय के साथ स्थानांतरित वस्तुए		
- समय के एक बिंदु पर स्थानांतरित सेवाएँ	450.31	461.68
- समय के साथ स्थानांतरित सेवाएँ	758.12	1026.92
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**1208.43**	**1488.60**

ण) अनुपात :

(क) चालू अनुपात

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	विचलन
2.69	2.29	(0.40)

वर्तमान अनुपात एक तरलता अनुपात है जो अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए वर्तमान संसाधनों को मापता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की गई है।

(ख) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	विचलन
0.32	0.47	0.15

(ग) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	विचलन
1.66	2.42	0.76

(घ) निवल पूंजीगत टर्नओवर अनुपात

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	विचलन
0.96	1.44	0.49

(ड.) निवल लाभ अनुपात

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	विचलन
23.35%	21.29%	(2.05)%

यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है।

शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री

शुद्ध लाभ कर पश्चात् होगा।

शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।

(च) नियोजित पूंजी पर वापसी

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	विचलन
30.62%	36.47%	5.84%

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए प्रतिफल उत्पन्न करने हेतु कंपनी के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए नियोजित पूंजी की दक्षता उतनी अधिक होगी।

आरओसीई = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी

नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता

(छ) लीज

दिनांक 30 मार्च, 2019 की कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वीडियो अधिसूचना के द्वारा 01.04.2019 से आईएनडी एएस 17, लीज के स्थान पर भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 116 लीज, कंपनी के लिए प्रभावी हो गया है। पट्टों पर लेखा नीति को आईएनडी एएस 116 के अनुसार बदल दिया गया है। आईएनडी एएस 116 के रूप में मुख्य परिवर्तन, पट्टों के लेखांकन उपचार में पट्टों के परिवर्तन द्वारा वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लीज समझौतों ने कंपनी के पट्टेदार होने की स्थिति में

राइट–ऑफ–यूज एसेट की मान्यता और भविष्य के लीज भुगतान के लिए लीज लायबिलिटी को जन्म दिया है।

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त लीज देयता की गणना के लिए 7.75% का उपयोग पट्टेदार की उधारी दर के रूप में किया गया है।

31.03.2022 के अनुसार परिचालन पट्टे के बारे में लीज देयता प्रतिबद्धता, पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर से ऊपर का उपयोग करके 1.48 करोड़ थी जबकि शेष पत्रक में मान्यता प्राप्त 31.03.2022 के रूप में पट्टे की देयता 1.31 करोड़ है।

(ज) अन्य

(1) कंपनी Covid 19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए निरंतर उपाय कर रही है और व्यवसाय सुगमता के लिए कई उपाय लागू किए हैं। कंपनी ने 31 मार्च 2022 को वित्तीय और गैर–वित्तीय संपत्ति की वहन राशि की वसूली सहित वित्तीय विवरणों की तैयारी में महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। भविष्य की आर्थिक स्थितियों और उसके व्यवसाय पर परिणामी प्रभाव के कारण कंपनी किसी भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

(2) **लेखा नीति में परिवर्तन**

वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की बेहतर समझ के लिए, महत्वपूर्ण लेखा नीति को खंड 2.7 अमूर्त संपत्ति और 2.11 कर्मचारी लाभ और 2.16 अनुमानों और मान्यताओं में संशोधित/फिर से परिभाषित किया गया है। हालांकि, उपरोक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

(3) कंपनी (भारतीय लेखा मानक), 2015 नियमों के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट–2) का मसौदा तैयार किया गया है।

(4) हाल की घोषणाएं : कॉपोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 23 मार्च, 2022 को, एमसीए ने जीएसआर 255 (ई) के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(5) 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए सीएमपीडीआईएल के वित्तीय विवरण कोल नेट से माइग्रेशन के बाद एसएपी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़े मैन्युअल रूप से डाले गए हैं।

(6) कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 में 89.51 लाख रुपये के राजस्व (जीएसटी छोड़कर) के साथ–साथ मार्जिन – 6.25 लाख रुपये और व्यय – 83.27 लाख रुपये की बुकिंग की थी। उक्त राशि वित्त वर्ष 2017–18 में सेंट्रल ड्रिलिंग एसोसिएट द्वारा किए गए ड्रिलिंग कार्य से संबंधित थी। इस संबंध में किए गए भुगतान को ठेकेदार को किया गया अधिक भुगतान माना गया और उसकी वसूली के लिए मामला उठाया जा रहा है। कंपनी अब इसकी वसूली के लिए उपयुक्त अदालत के समक्ष ठेकेदार के खिलाफ मनी सूट दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

(7) पिछले वर्ष/अवधि के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्कथित, पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(8) नोट – 1 और नोट – 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट– 3 से 23 दिनांक 31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र के भाग का निर्माण करते हैं और नोट– 24 से 37 उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, लाभ और हानि विवरण के भाग का निर्माण करते हैं। नोट – 38 वित्तीय विवरणों के लि, अतिरिक्त नोटों का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी 1 से 37 तक के लिए हस्ताक्षरित।

(ए. मुंधरा)
कम्पनी सचिव

(पी. के. प्रसाद)
महाप्रबंधक (वित्त)

(एस्. के. गोमस्ता)
निदेशक
डीआईएन 08714820

(मनोज कुमार)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09225497

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749

तिथि : 10 मई 2022
स्थान: राँची

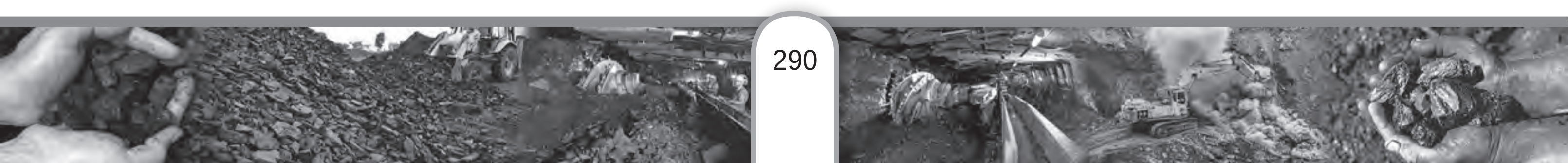

www.cmpdi.co.in

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)
एक मिनीरत्न कम्पनी (कैटगरी - I)
आइएसओ 9001:2015 प्रमाणित
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची - 834031

3049/July'22/Sumudran/061-2204437